दशम माला, खण्ड 33, अंक 9

गुरुवार, 4 अगस्त, 1994
13 श्रावण, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

ग्यारहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 33 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाहीं ही प्रामाणिक मानी जायगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायगी।

विषय सूची

दशम माला, खंड 3 ग्यारहवां सत्र, 1994/1916 (शाक)

अंक 9, गुरुवार, 4 अगस्त, 1994/13 श्रावण, 1916 (शाक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	164, 165, 168 और 169	1-23
*तारांकित प्रश्न संख्या :		
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	161 से 163, 166, 167 और 170 से 180	24-46
अतारांकित प्रश्न संख्या :	1618 से 1642, 1644 से 1766, 1768 से 1774 और 1766 से 1739	46-236
केरल में बाढ़ की स्थिति के बारे में		236, 238-240
भारत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण ओपरेशन के बारे में		237-238
सभा पटल पर रखे गए पत्र		245-247
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) चांदा फोर्ट रेलवे स्टेशन को ऐतिहासिक स्मारक के रूप में सुरक्षित रखने की आवश्यकता		
	श्री शांताराम पोतदुखे	247
(दो) मुम्बई और नासिक के बीच एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता		
	डा॰ वसंत पवार	248
(तीन) मेट्रो रेलवे द्वारा किए गए निर्माण कार्यों के कारण चित्तरंजन एवेन्यू, कलकत्ता में एक भवन के गिर जाने से प्रभावित परिवारां को पर्याप्त सहायता प्रदान की जाने की आवश्यकता		
	डा॰ देवी प्रसाद लाल	248

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उसी सदस्य से पूछा था।

(चार) तमिलनाडु के चिंगल पट्टु जिले में नई बस्तियों के निवासियों को बेहतर रेल सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता

श्री एस॰ एस॰ आर॰ राजेन्द्रकुमार 248

(पांच) आचार्य विनोबा भावे की जन्मशती मनाने की आवश्यकता

श्री अनादि चरण दास 249

(छः) दिल्ली-भुवनेश्वर के बीच रविवार को उड़ाने पुनः चालू करने तथा और तथा भुवनेश्वर-झारसुगुडा-राउरकेला और झारसुगुडा-राउरकेला-कलकत्ता के बीच एअर टैक्सी सेवाएं भी चालू करने की आवश्यकता

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 249

(सात) मणिपुर में लोकटक डाउन स्ट्रीम् जन बिजली परियोजना को स्वीकृति देने की आवश्यकता

श्री याइमा सिंह युमनाम 249

विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 250-285

राज्यसभा द्वारा यथापारित

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज	250-253
श्री विजय एन॰ पाटील	253-256
श्री शरद दिघे	256-259
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	259-262
प्रो॰ के॰ वी॰ थामस	262-264
डा॰ वसंत पवार	264-266
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	266-270
श्री रमेश चेन्नित्तला	270-273
श्री याइमा सिंह युमनाम	273-275
श्री उमराव सिंह	275-277
श्री पाला के॰ एम॰ मैथ्यू	277-278
श्री पी॰ सी॰ थामस	278-285

खंड 2 से 18 और।

पारित करने के लिए प्रस्ताव, यथासंशोधित

श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज 286-289

मणिपुर बजट, 1994-95 अनुदानों की मांगें 289-295

श्री लाईता उम्ब्रे 294

नियम 193 के अधीन चर्चा 295-311

देश के विभिन्न भागों में बाढ़ के कारण हुई जान-माल की भारी हानि

श्री अनादि चरण दास 295-297

श्री हरचन्द सिंह 297-299

श्री किरिप चालिहा 299-300

श्री सूर्य नारायण यादव 300-301

श्री बलराम जाखड़ 302-311

लोक सभा

गुरुवार, 4 अगस्त 1994/13 श्रावण, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म॰ पू॰ पर समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

गोद लेने सम्बन्धी दिशा-निर्देश

*164. **प्रो॰ सावित्री लक्ष्मणन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बच्चों को गोद लेने संबंधी संशोधित दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इन्हें कब तक अन्तिम रूप देकर जारी कर दिया जाएगा ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के॰ वी॰ तंग्काबालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संशोधित दिशानिर्देशों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

प्रो॰ सावित्री लक्ष्मणन : महोदय, मेरे प्रश्न के भाग 'क' तथा 'ख' के लिए दिया गया उत्तर बहुत ही सीधा सा है–एक भाग का उत्तर दिया गया है 'जी नहीं श्रीमान' तथा दूसरे भाग का उत्तर दिया गया है 'प्रश्न ही नहीं उठता है।' यदि सरकार ने बच्चों को गोद लेने के संबंध में कोई संशोधित मार्गनिर्देश निर्धारित नहीं किये हैं, तो 'नहीं' के अलावा किसी दूसरे उत्तर के अपेक्षा ही नहीं की जा सकती थी। भाग 'ग' के उत्तर में कहा गया है कि सरकार इसकी जांच कर रही है। सरकार इन मार्गनिर्देशों की जांच में कितना समय लगाएगी ? भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति पी॰ एन॰ भगवती की अध्यक्षता में बने कृतिक बल ने अपनी सिफारिशें 28.8.93 को दे दी थीं। उसके बाद पूरे एक साल का समय बीत चुका है। उच्चतम न्यायालय द्वारा 28.6.1990 को दिए गए निर्देशों के अनुसार 'सेन्ट्रल अडोप्रशन रिसोर्स एजेन्सी (सी॰ ए॰ आर॰ ए॰) का भी गठन किया गया था। लेकिन ये नियमित परित्यक्त, अनाथ बेसहारा बच्चे जो कि अपनी करुणिक दशा के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं हैं, उन्हें माता-पिता के प्रेम, देखभाल व सुरक्षा की आवश्यकता है।

महोदय, कल्याण मंत्रालय के 1993-94 के वार्षिक रिपोर्ट में पृष्ठ 64 पर अंकित है :

"मंत्रालय द्वारा वर्तमान मार्गनिर्देशों की पुनः जांच की आवश्यकता महसूस किए जाने के आलोक में भारत

के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश (अवकाश प्राप्त) न्यायमूर्ति पी॰ एन॰ भगवती की अध्यक्षता में एक कृतिक बल का गठन किया गया। कृतिक बल ने 28.8.1993 को अपनी सिफारिशें दे दी थीं जो इस समय विधि मंत्रालय के परामर्श के साथ कल्याण मंत्रालय के विचाराधीन है।"

अत: मेरा प्रश्न है कि यह विचार-विमर्श कब तक जारी रहेगा और क्या सरकार इस विचार-विमर्श को पूरा कर संशोधित मार्गनिर्देशों को लागू करने के संबंध में कोई आखरी तिथि निश्चित करने के बारे में सदन को आश्वासन देगी ?

श्री के॰ वी॰ तंग्काबालू : महोदय, माननीय सदस्य का कहना सही है। सरकार न्यायमूर्ति भगवती द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार कर रही है और मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि एक माह के अन्दर संशोधित मार्गनिर्देश तैयार कर लिये जायेंगे। इस समय बच्चे गोद लेने के संबंध में कोई परेशानी नहीं है क्योंकि बच्चे गोद लेने के इच्छुक लोगों के लिए विद्यमान प्रावधान सहायक हैं।

प्रो॰ सावित्री लक्ष्मणन : महोदय, मुझे यह जानकर खुशी है कि एक माह के अन्दर संशोधित मार्गनिर्देश हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिये जायेंगे। इसके लिए मैं मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं और आपके माध्यम से सरकार को एक देश से दूसरे देश में बच्चों को गोद लिए जाने के बजाय देश के अंदर ही बच्चों को गोद लिए जाने को बढ़ावा देने के लिए पुन: बधाई देता हूं। आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि पिछले दो वर्षों के दौरान एक देश से दूसरे देश में बच्चों को गोद लेने के बजाए देश के अन्दर ही बच्चों के गोद लेने के मामले अधिक हुए हैं। सरकार इसके प्रचार पर लाखों रुपए भी खर्च कर रही है। लेकिन सरकार इन लाखों रुपयों का खर्च गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कर रही है और यह भी सीमित और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से है। मैं देश के अन्दर तथा देश के बाहर कार्यरत उन गैर सरकारी संगठनों की संख्या के बारे में जानना चाहूंगा।

मेरे दूसरे प्रश्न का पहला भाग यह है कि सरकार के पास इन प्रचारों की उपलब्धियां अथवा गैर सरकारी संगठन इन पैसों को अपनी कार्यकारिणी की उच्च स्तरीय बैठकों को आयोजित करने पर खर्च करती है का पता लगाने के लिए कोई समीक्षात्मक उपाए हैं। मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है कि क्या सरकार एक महीने की निर्धारित अवधि के अंदर जारी किए जाने वाले मार्गनिर्देशों में माता पिता द्वारा बच्चे को गोद लिए जाने के बजाए एक पुरुष अथवा एक महिला द्वारा गोद लिए जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से निर्देश देगी।

श्री के॰ वी॰ तंग्काबालू : महोदय, इस समय देश में 60 संगठन हैं जिन्हें बच्चे गोद लेने से संबंधित कार्यक्रमों को आयोजित करने का अधिकार है। एक देश से दूसरे देश में बच्चे गोद लेने हेतु 277 संगठन हैं जिन्हें सरकार से सहयोग करने की अनुमति दी जाती है। इस क्षेत्र में अनुदान सहायता के लिए सरकार ने "शिशु गृह" नाम की एक योजना चलाई है। वर्ष 1992-93 में सरकार ने स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए लगभग 6,51,600 रुपये स्वीकृत किए तथा 1993-94 में स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए 39,80,286 रुपये स्वीकृत किए करीब 19 संगठनों को यह धनराशि दी गई।

जहां तक माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न अकेले पुरुष अथवा महिला द्वारा बच्चे गोद लिए जाने का संबंध है। हम यही चाहते हैं कि बच्चों को माता-पिता दोनों का प्यार मिले। अत: केवल पुरुष अथवा केवल महिला

द्वारा बच्चे को गोद लिए जाने के बजाए माता-पिता द्वारा बच्चे को गोद लेने को सरकार प्राथमिकता देती है। प्राय: ऐसे विशेष मामले जिसमें पुरुष अथवा महिला अक्षम हो गए हों तो वैसे पुरुष अथवा महिला को बच्चे गोद लेने की अनुमति है।

प्रो॰ सावित्री लक्ष्मणन : लेकिन मान लीजिए एक अविवाहित महिला अथवा पुरुष बच्चा गोद लेना चाहे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ?

श्री के॰ वी॰ तंग्काबालू : ऐसी स्थिति में स्वयंसेवी समन्वय एजेंसी विचार करेगी तथा सरकार को रिपोर्ट करेगी और फिर सरकार उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी।

श्री ए॰ चार्ल्स : महोदय, माननीय मंत्री जी का यह उत्तर सुनकर हम लोगों को खुशी है कि एक माह के अन्दर संशोधित मार्गनिर्देश प्रस्तुत कर दिया जाएगा। संशोधित मार्गनिर्देश आ जाने के बाद बच्चे गोद लेने के लिए वास्तविक रूप से उत्सुक लोगों को किस हद तक मदद मिलेगी ताकि वर्तमान कठिनाइयां दूर हो सकें ? इसमें कई समस्याएं हैं। संविधान के प्रावधानों के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा मजदूरी किया जाना एक अपराध है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि देश में पचास लाख ऐसे बच्चे हैं। निराश्रित बच्चों की कुल संख्या एक करोड़ दस लाख है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि न तो सरकार और न ही किसी अन्य संगठन ने ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिए कोई योजना बनाई है। मैं समझता हूं ऐसी स्थिति में गोद लिए जाने संबंधी शर्तों को उदार बनाया जाना चाहिए। यह और भी दुर्भाग्य की बात है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में एक अथवा दो अथवा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 'पर्सनल ला' के अन्तर्गत गोद लिया जा सकता है। प्रस्तुत किये जाने वाले संशोधित मार्गनिर्देशों में मुझे आशा है कि 'पर्सनल ला' से संबंधित कोई अवरोध नहीं होगा और इस पुणीत कार्य में लगे स्वयंसेवी संगठनों को एक देश से दूसरे देश में बच्चे गोद लिए जाने के संबंध में सहायता प्रदान करने की अनुमति होगी।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री ए॰ चार्ल्स : मेरा प्रश्न यही है। इस समय देश में बच्चे गोद लिए जाने की सीमा 50 प्रतिशत है जिसके केवल देश के अंदर ही बच्चे गोद लिए जा सकते हैं। इन सभी प्रतिबंधों को हटा दिया जाना चाहिए तथा बच्चे गोद लिए जाने से संबंधित शर्तों को उदार बनाया जाना चाहिए। इसमें पर्सनल ला को भी आड़े नहीं आना चाहिए। क्या मैं इस संबंध में मंत्री महोदय के विचार जान सकता हूं ?

श्री के॰ वी॰ तंग्काबालू : महोदय, इस समय इस संबंध में दो कानून हैं। एक हिन्दू दत्तक अधिनियम विदेश है तथा दूसरा संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम है। इन कानूनों के अन्तर्गत माता-पिता को बिना किसी कठिनाई के बच्चे गोद लेने की अनुमति है। माननीय सदस्य को बच्चे गोद लेने के सम्बन्ध में कठिनाई की आशंका थी क्योंकि अब अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत है। सरकार ने समन्वय एजेन्सियों के लिए अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत सिर्फ इसलिए निर्धारित की है ताकि इसे बढ़ावा मिले और वे इस कार्य को करने में उत्सुक रहें। सामान्यत: इन समन्वय एजेन्सियों को 10 बच्चे तक दिए जाते हैं, लेकिन कभी-कभी उन्हें 20 बच्चे तक दिए जाते हैं जहां उन बच्चों को गोद लिया जा सके। उसके बाद वे बच्चों को गोद लिए जाने हेतु तैयार करते हैं। दूसरी बात यह है

कि हम लोग देश के अन्दर बच्चे गोद लिए जाने को बढ़ावा देना चाहेंगे क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो देश के अन्दर ही बच्चे गोद लेना चाहते हैं। गत तीन वर्षों के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि इसकी संख्या में अच्छी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, एक बार देश के अन्दर बच्चे गोद लिए जाने के बाद कानून के प्रावधानों के अनुसार वे देश के बाहर जाने के योग्य हो जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल के तीन भाग हैं। मेरे सवाल का पहला भाग यह है कि अभी जो अडाप्शन हो रहा है, इसके लिए क्या कुछ रूल्स या कन्वेंशंस हैं ?

मेरे सवाल का दूसरा भाग है कि क्या कुछ केसेस में सरकार स्वयं भी अडाप्शन करेगी ? क्योंकि कुछ बच्चे शक्ल के नहीं होते और देखने से ही लगते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट या ट्राइब्स हैं और 18 वर्ष के बाद उन बच्चों को आर्गनाइजेशंस से निकालना होता है। ऐसे बच्चों के लिए कुछ जमीन या नौकरी का प्रबंध सरकार करेगी और ऐसे बच्चों को अडाप्ट करेगी, क्या सरकार ऐसे बच्चों पर कुछ इनवेस्ट करेगी, ताकि ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसी तरह से संस्थाओं का आपस में सहयोग करवा कर सरकार को ऐसे बच्चों के शादी-ब्याह की व्यवस्था भी करनी चाहिए।

मेरा तीसरा सवाल यह है कि हमारे यहां ट्राइबल्स में ऐसी भी ट्रेडीशंस हैं कि किसी बच्चे के मां-बाप दूसरी जगह शादी कर लेते हैं और ऐसी स्थिति में वे बच्चे बेसहारा हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को पालन-पोषण ठीक तरह से हो सके इसके लिए क्या सरकार कुछ सेंटर्स या कोई योजना बनाने पर विचार करेगी ?

[अनुवाद]

श्री के॰ वी॰ तंग्काबालू : महोदय, हिन्दू दत्तक अधिनियम तथा संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के अनुसार बच्चे गोद लिए जाने से संबंधित कानून समान ही हैं। इस समय इन्हीं कानूनों के अन्तर्गत बच्चे गोद लिए जाते हैं और सभी अनाथ बच्चे उन संगठनों तथा एजेन्सियों द्वारा संरक्षण में लिए जाने योग्य हैं जो स्वेच्छा से बच्चे गोद लेने वाले माता-पिता को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस समय यह संभव है। नए मार्गनिर्देश तैयार किए जाने के समय मैं माननीय सदस्य की सलाह को ध्यान में रखूंगा।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : न्यायमूर्ति श्री भगवती ने 28 अगस्त, 1993 को निराश्रित तथा अनाथ बच्चों को गोद लेने सम्बन्धी विषय पर अपनी सिफारिशें पेश की। क्या उन सिफारिशों में विदेशों में गोद लिये जाने या विदेशियों द्वारा गोद लिये जाने पर उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की थी ? देश के अंदर और बाहर कुछ ऐसी संस्थायें काम कर रही हैं जो गोंद लेने के नाम पर बच्चों को बाहर ले जाती है और वहां जाकर अरब देशों में उनके साथ क्रूरतम व्यवहार किया जाता है। कभी-कभी घोड़ों और ऊंटों पर उनको बांधकर दौड़ाया जाता है। जब बच्चा रोता है या मर जाता है तो भीड़ द्वारा आनन्द लिया जाता है। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है और क्या गोद लेने के आड़ में ऐसी प्रवृत्तियों को रोकने की सरकार द्वारा कोई कोशिश की जा रही है ?

[अनुवाद]

श्री के॰ वी॰ तंग्काबालू : महोदय, अभी तक हम लोगों को इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है और माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह बहुत ही गंभीर मामला है। यदि माननीय सदस्य को इस बारे में कोई भी जानकारी है तो वे मुझे बता सकते हैं और मैं निश्चय ही उसकी जांच करूंगा। लेकिन अभी तक हम लोगों को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है ?

माननीय अध्यक्ष : यह एक ऐसा मामला है जिसकी आप कृपया जांच कर सकते हैं।

श्री के॰ वी॰ तंग्काबालू : महोदय, मैं निश्चय ही इसकी जांच करूंगा। हमारे पास स्पष्ट मार्गनिर्देश हैं और हमारी एजेन्सियों को ऐसी अनुमति नहीं है। बच्चे को किसी अन्य देश को सौंपते समय सरकार पूरी सावधानी बरतती है। देश के बाहर जाने वाले बच्चों का विदेशों में कार्यरत हमारे मिशन भी ख्याल रखते हैं। देश के बाहर स्थित मिशनों को हर माह नियमित रूप से रिपोर्ट भेजी जाती है और वे भी इस संबंध में अपनी रिपोर्ट भेजते हैं। लेकिन देश के बाहर स्थित हमारे मिशनों द्वारा अभी तक कोई वैसी शिकायत नहीं मिली है।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अपना देश धर्म-निरपेक्ष देश है। हिन्दू, सिख, मुस्लिम और ईसाई कोई भी मजहब हो, किसी भी मजहब का बच्चा किसी भी मजहब वालों द्वारा गोद लिया जा सकता है या नहीं, सरकार कोई ऐसा कानून में प्रावधान कर रही है ?

[अनुवाद]

श्री के॰ वी॰ तंग्काबालू : महोदय, इस समय एक विशिष्ट अधिनियम हिन्दू दत्तक (भरण-पोषण) अधिनियम 1956 है। सिख तथा अन्य समुदाय के लोग इस अधिनियम के अन्तर्गत आ रहे हैं, दूसरा अधिनियम संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम है जो कि अल्पसंख्यक समुदाय, विशेषकर मुसलमानों के लिए है। वे लोग इस अधिनियम के अन्तर्गत बच्चे गोद लेते हैं। इस समय यही दो अधिनियम हैं।

श्री मुरली देवरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सत्य है कि वर्तमान मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत शादी के बाद अथवा अवैध रूप से पैदा हुए बच्चों को उनकी अपनी मां की गोद नहीं ले सकती। यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय तैयार किए जाने वाले नए मार्ग निर्देशों में से ऐसे प्रावधानों को हटाए जाने को सुनिश्चित करेंगे।

श्री के॰ वी॰ तंग्काबालू : महोदय, मैं निश्चय ही इस सलाह पर विचार करूंगा।

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सभी औपचारिकताओं एवं शर्तों को पूरा करने के बाद गोद लिए गए बच्चों की कुशलता के लिए कोई निगरानी एजेन्सी है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इस संबंध में कोई आवधिक सर्वेक्षण अथवा समीक्षा करायी जाती है। क्या निगरानी समिति बच्चों के गोद लिए जाने के बाद पांच अथवा दस वर्षों तक उनकी समुचित सुरक्षा तथा कुशलता सुनिश्चित करती है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इसके लिए सिर्फ गैर-सरकारी संगठनों की मदद ले रही है अथवा सरकार के पास गोद लिए गए बच्चों की पूरी देखभाल के लिए कोई अन्य तंत्र भी है।

श्री के॰ वी॰ तंग्काबालू : राष्ट्रीय स्तर पर एक सेन्ट्रल एडॉप्सन रिसोर्स एजेन्सी नामक एजेन्सी है। यह एजेन्सी देश में बच्चे गोद लिए जाने से संबंधित सभी प्रक्रियाओं पर निगरानी रखती है। शिशु, शिशुओं का गोद लिया जाना तथा गोद लिए जाने से संबंधित सभी मामलों पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है। सरकार इस संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता को टालने के लिए सावधानी बरतती है।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील (अमरावती) : अध्यक्ष महोदय, जहां पर अनाथालय हैं, वहां से अनाथ बच्चे अडाप्ट किये जाते हैं और ऐसे बच्चों को अडाप्ट करने के लिये देश और विदेशों में रहने वाले लोगों के लिये कानून बने हुये हैं। जितने बालक अडाप्ट हो रहे हैं, ये उस तुलना में बहुत कम हैं जितनी बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं। केन्द्र सरकार की एक स्कीम है– Sos Village जिसके अन्तर्गत जो महिलायें विधवा होती हैं, उनके गुजारे के लिये 10-12 अनाथ बच्चे दे दिये जाते हैं जिसका खर्चा सरकार देती है। इस तरह से उन विधवा औरतों के साथ-साथ अनाथ बच्चों का भी गुजारा हो जाता है। मेरा कहना है कि स्टेट में ऐसे स्कूल बहुत कम हैं, क्या हर स्टेट Sos Village की स्कीम को हर जिले में लागू करने पर विचार करेगी ?

[अनुवाद]

श्री के॰ वी॰ तंग्काबालू : यह एक अच्छी सलाह है और सरकार इसका अध्ययन करने का प्रयास करेगी।

[अनुवाद]

*165. **श्री ए॰ अशोक राज** :

श्री खेलन राम जांगडे :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालयों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ख) इन विद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की राज्यवार-संघ राज्य क्षेत्रवार अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) देश में राज्यवार/संघ राज्य-क्षेत्रवार ऐसे कितने और विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केंद्रीय सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी सहायता प्रदान की गई ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के॰ वी॰ तंग्काबालू) : (क) विभिन्न केंद्रीय/केंद्र क्षेत्र/केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए आवासीय स्कूलों की संख्या 297 है जिसमें से 80 आवासीय स्कूल अनुसूचित जाति छात्रों और 217 स्कूल अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए चलाए जा रहे हैं। योजना-वार और राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण एक से चार में दी गई है। इन योजनाओं में अन्य पिछड़े वर्ग शामिल नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए बहुत संख्या में आवासीय स्कूल राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र/केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आवासीय स्कूलों में दाखिल गए छात्रों की अनुमानित संख्या 20060 है जिसमें से 11,573 छात्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आवासीय स्कूलों में है और लगभग 8487 छात्र अनुसूचित जातियों के लिए आवासीय स्कूलों में है। इन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण पाच और छ: में दिए गए हैं।

(ग) 8 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में लगभग 76 ऐसे आवासीय स्कूल खोलने का प्रस्ताव है जिसमें से 20 अनुसूचित जातियों और 56 अनुसूचित जनजातियों के लिए होंगे। राज्यवार/संघ राज्य-क्षेत्र-वार प्रावधान, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर करेगा।

(घ) यह सूचना संलग्न विवरणों 7 से 10 में दी गई है।

विवरण-एक

अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत गैर सरकारी संगठनों द्वारा अ॰ जा॰ छात्रों के लिए चलाये जा रहे आवासीय स्कूलों की संख्या।

क्रम सं॰	राज्य का नाम	स्कूलों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	15
2.	बिहार	4
3.	कर्नाटक	17
4.	मणिपुर	1
5.	उड़ीसा	3
6.	उत्तर प्रदेश	29
7.	पश्चिम बंगाल	5
8.	त्रिपुरा	1
9.	तमिलनाडु	2
10.	गुजरात	1
11.	मध्यप्रदेश	1
12.	महाराष्ट्र	1
	कुल :	80

विवरण-दो

आदिवासी क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना की योजना के अंतर्गत इस योजना के आरम्भ अर्थात् 1990-91 से स्थापित किए गए आश्रम स्कूलों की संख्या

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्कूलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	16
2.	गुजरात	45
3.	कर्नाटक	02
4.	केरल	10
5.	महाराष्ट्र	38
6.	उड़ीसा	16
7.	सिक्किम	03
8.	तमिलनाडु	24
9.	त्रिपुरा	07
10.	उत्तर प्रदेश	06
	कुल :	167

विवरण-तीन

निम्न साक्षर पाकेटों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसर की योजना के अंतर्गत 1993-94 के दौरान राज्य-वार संस्वीकृत किए गए शैक्षिक परिसरों की संख्या

क्र॰ सं॰	राज्य	परिसरों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	गुजरात	4
3.	केरल	1
4.	मध्य प्रदेश	6
5.	महाराष्ट्र	1
6.	उड़ीसा	6
7.	राजस्थान	4
	कुल :	23

निम्न साक्षर पाकेटों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसरों की योजना 1993-94 में शुरू की गई थी। इसलिए 1991-92 और 1992-93 के दौरान कोई परिसर स्थापित नहीं किए गए।

विवरण-चार

अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे आवासीय स्कूल

क्र॰ सं॰	राज्य का नाम	स्कूलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	अरूणाचल प्रदेश	5
3.	असम	1
4.	बिहार	5
5.	गुजरात	1
6.	कर्नाटक	2
7.	मध्य प्रदेश	1
8.	मेघालय	1
9.	उड़ीसा	4
10.	राजस्थान	1
11.	उत्तर प्रदेश	4
12.	पश्चिम बंगाल	1
	कुल :	27

विवरण-पांच

विभिन्न राज्यों के स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के तहत चलाए जा रहे आवासीय स्कूलों में दाखिल छात्रों की अनुमानित संख्या

क्र॰ सं॰	राज्य	अनुसूचित जनजाति
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1575
2.	अरूणाचल प्रदेश	–
3.	असम	–
4.	बिहार	450
5.	गुजरात	125

1	2	3
6.	कर्नाटक	1740
7.	केरल	–
8.	मध्य प्रदेश	125
9.	महाराष्ट्र	60
10.	मणिपुर	100
11.	मेघालय	–
12.	उड़ीसा	325
13.	राजस्थान	–
14.	सिक्किम	–
15.	तमिलनाडु	225
16.	त्रिपुरा	100
17.	उत्तर प्रदेश	2925
18.	पश्चिम बंगाल	687
	कुल	8487

विवरण-छः

अनुसूचित जनजातियों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत चलाए जा रहे आवासीय स्कूलों में दाखिल छात्रों की अनुमानित संख्या

क्र० सं०	राज्य	अनुसूचित जनजातियां			
		शैक्षिक परिसर	गैर-सरकारी संगठन	आश्रम स्कूल	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	50	30	800	880
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	1811	–	1811
3.	असम	–	46	–	46
4.	बिहार	–	925	–	925
5.	गुजरात	200	32	193	425
6.	कर्नाटक	–	250	200	450

1	2	3	4	5	6
7.	केरल	50	–	300	350
8.	मध्य प्रदेश	300	326	–	626
9.	महाराष्ट्र	50	–	1900	1950
10.	मणिपुर	–	–	–	–
11.	मेघालय	–	517	–	517
12.	उड़ीसा	300	265	400	965
13.	राजस्थान	200	98	–	298
14.	सिक्किम	–	–	400	400
15.	तमिलनाडु	–	–	1000	1000
16.	त्रिपुरा	–	–	500	500
17.	उत्तर प्रदेश	–	194	200	394
18.	पश्चिम बंगाल	–	36	–	36
	कुल	1150	4530	5893	11573

विवरण-सात

विभिन्न राज्यों को वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के तहत आवासीय स्कूलों के लिए निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे

राज्य	1991-92	1992-93	1993-94
आंध्र प्रदेश	8.08	9.00	45.36
बिहार	2.74	4.47	14.16
गुजरात	2.45	2.69	4.93
कर्नाटक	5.96	24.22	59.42
मध्य प्रदेश	2.43	2.67	4.93
महाराष्ट्र	–	–	1.04
उड़ीसा	5.05	5.56	11.52
तमिलनाडु	4.96	5.43	9.91
त्रिपुरा	–	–	1.90
पश्चिम बंगाल	2.76	14.92	22.10
कुल	47.15	74.02	258.95

विवरण-आठ

आदिवासी उप योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना की योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94
1.	आंध्र प्रदेश	–	35.00	34.50
2.	गुजरात	–	25.00	–
3.	कर्नाटक	–	–	–
4.	केरल	38.38	39.73	47.10
5.	महाराष्ट्र	190.00	–	69.42
6.	उड़ीसा	20.00	42.00	16.20
7.	तमिलनाडु	–	24.69	34.65
8.	त्रिपुरा	08.00	10.00	10.00
9.	उत्तर प्रदेश	–	23.58	40.68
	कुल :	256.38	200.00	252.55

विवरण-नौ

1993-94 के दौरान कम साक्षरता पॉकेटों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसर की योजना के तहत निर्मुक्त निधियां

क्रम सं०	राज्य	निर्मुक्त धनराशि (रु०)
1.	आन्ध्र प्रदेश	5,28,666/-
2.	गुजरात	25,32,668/-
3.	केरल	4,93,833/-
4.	मध्य प्रदेश	35,20,334/-
5.	महाराष्ट्र	6,33,167/-
6.	उड़ीसा	31,75,267/-
7.	राजस्थान	16,16,065/-
		1,25,00,000/-

1992-93 निम्न साक्षरता पॉकेटों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसर की योजना 1993-94 से शुरू की गई थी। इसलिए 1991-92 और 1993-94 के दौरान कोई सहायता अनुदान नहीं दिया गया।

विवरण-दस

1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान आवासीय स्कूलों के संचालन के लिए स्वैच्छिक संगठनों (राज्यवार) को निर्मुक्त सहायता अनुदान राशि को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	1991-92	1992-93	1993-94
1.	आंध्र प्रदेश	–	65,790	1,39,950
2.	अरूणाचल प्रदेश	25,70,824	54,96,118	67,51,373
3.	बिहार	11,64,580	16,74,245	16,48,309
4.	गुजरात	–	63,900	1,06,193
5.	कर्नाटक	14,576	6,37,155	17,44,290
6.	मध्य प्रदेश	98,200	3,88,815	12,85,883
7.	मेघालय	28,27,500	29,00,000	48,69,986
8.	उड़ीसा	1,72,724	3,78,286	6,89,916
9.	राजस्थान	9,11,827	10,15,540	10,49,150
10.	उत्तर प्रदेश	4,22,964	3,71,643	2,96,360
11.	पश्चिम बंगाल	77,603	2,05,056	1,88,172

श्री ए॰ अशोक राज : महोदय, प्रश्नसूची में मेरा नाम गलती से "अशोका राय" छपा हुआ है।

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में विभिन्न सरकारी क्षेत्रों/सरकारी प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनूसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए चलाए जा रहे आवासीय विद्यालयों के संबंध में कहा।

मंत्री जी ने यह भी कहा है कि इसके अलावा राज्य सरकारों तथा अन्य स्वयंसेवी संगठनों द्वारा भी काफी संख्या में आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या कोई अन्य योजनाएं भी हैं जिनके अन्तर्गत ऐसे स्कूल चलाए जा रहे हैं।

श्री के॰ वी॰ तंग्काबालू : महोदय, सरकार की कई अन्य योजनाएं हैं जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को हाई स्कूल के बाद दी जाने वाली छात्रवृत्ति; अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के (लड़के एवं लड़कियों) की छात्रावास योजना, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण संख्याएं प्रतियोगी परीक्षाओं के पूर्व प्रशिक्षण देने की योजना; अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग तथा सह योजनाएं; मलिन कार्यों से जुड़े लोगों के बच्चों के लिए हाईस्कूल

से पूर्व दी जाने वाली छात्रवृति योजना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए बुक बैंक, राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृतियां और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों के लिए विशेष अनुदान, अनधिसूचित खानाबदोश तथा अर्ध खानाबदोश जनजातियों, अनुसूचित जाति में शामिल किए गए विद्यार्थी, भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के बच्चे, पारंपरिक कारीगरों के लिए विदेशों में उच्च डिग्रियों तथा डाक्टरेट की उपाधि के बाद अध्ययन की योजना। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए शुरू की गई ये प्रमुख योजनाऐं चलाई जा रही हैं।

श्री ए. अशोक राज : महोदय, इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि चालू वित वर्ष 1994-95 के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आवासीय विद्यालय खोलने हेतु केन्द्रीय सहायता के रूप में कितनी राशि दी गई है ? मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इस प्रणाली का जांच हेतु कोई निगरानी व्यवस्था है ?

श्री के. वी. तंग्काबालू : महोदय चालू वित्त वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आश्रम की स्थापना किए जाने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार को 66.08 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। इस योजना के अनतर्गत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना किए जाने हेतु किसी और गैर सरकारी संगठन को अभी तक कोई सहायता राशि नहीं प्रदान की गई है और चालू 1994-95 के दौरान कम साक्षरता वाले पाकेटों के लिए शैक्षणिक कम्पलेक्स योजना के अंतर्गत अभी तक कोई राशि प्रदान नहीं की गई है ? लेकिन ज्यों ही इस संबंध में प्रस्ताव आएगा तो सरकार इसके लिए आवश्यक राशि जारी करने को तैयार है ? चालू वित्त वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के कल्याणार्थ आवासीय विद्यालयों की स्थापना संबंधी योजना के अन्तर्गत गैर सरकारी संगठनों को 115.64 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है।

श्री ए. अशोक राज : महोदय मैंने भी निगरानी व्यवस्था से संबंधित एक प्रश्न पूछा है।

श्री के. वी. तंग्काबालू : केन्द्र तथा राज्य सरकारों के स्तर पर नियमित निगरानी किए जाने हेतु व्यवस्था है। इस संबंध में राज्य सरकारों की मदद मिल रही है। देश तथा राज्य दोनों स्तरों पर सहयोग से कार्य हो रहा है। सभी प्रमुख राज्यों में इसके कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय हैं। क्षेत्रीय समन्वयक इस कार्य को कर रहे हैं। नियुक्त किए गए आयुक्त समय समय पर योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी सरकार को देते हैं।

[हिन्दी]

श्री खेलन राम जांगडे : अध्यक्ष महोदय, सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण करने के लिए जो धनराशि दे रही है वह भी लागत के हिसाब से बहुत कम है। छात्रावासों का निर्माण कार्य निर्धारित समय में भी पूरा नहीं हो पाता। इसका कारण यह है कि इस कार्य में जो अधिकारी लगे हुए हैं वह अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए कार्य में रुचि नहीं रखते। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि 1994-95 में प्रदान करने वाले हैं और इसकी निगरानी समिति जो आप बना रहे हैं, क्या उसमें जन-प्रतिनिधियों का समावेश किया जा रहा है ?

[अनुवाद]

श्री के॰ वी॰ तंग्काबालू : महोदय, यह योजना केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा समान सहभागिता के आधार पर कार्यान्वित की जा रही है। जब कभी भी राज्य सरकारें छात्रावासों के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि के लिए अनुरोध करती हैं तो हम यह राशि स्वीकृत करते हैं और राज्य सरकारों से यह कार्य पूरा करने के लिए कहते हैं। और राज्य सरकारें यह कार्य पूरा करने के लिए भरसक प्रयास कर रही हैं। कुछ मामलों में भूमि और अन्य सुविधाओं के अभाव में वे इस कार्य को निश्चित समय पर पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। हम राज्य सरकारों से इन कार्यों को निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए कहते हैं।

मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि विगत में इस सम्बन्ध में प्रतिबंध लगे थे। अब हमने निर्माण लागत पर से प्रतिबंध हटा लिए हैं। तीन माह पूर्व, हमने राज्य सरकारों से सी॰ डब्ल्यू॰ डी॰ दर पर निर्माण कार्य करने हेतु कहा था अब इस कमी को दूर कर दिया गया है। न्यूनतम राशि से छात्रावासों के निर्माण में कोई समस्या नहीं है। वे अब राज्य में लागू सी॰ पी॰ डब्ल्यू॰ डी॰ अथवा सी॰ डब्ल्यू॰ डी॰ के मानदंडों के अनुसार यह योजना लागू कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है।

जैसा कि माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में छात्रावासों के निर्माण के लिए कितनी धन राशि व्यय करने पर विचार किया जा रहा है, इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावासों हेतु 59 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों और छात्राओं के छात्रावासों के लिए 31 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ कुल 90 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री भेरू लाल मीणा : अध्यक्ष जी, आज देश में जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, उसे देखते हुये विभिन्न आवासीय छात्रावासों या अन्य छात्रावासों में रहने वाले बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति बहुत ही कम है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या महंगाई के हिसाब से छात्रवृत्ति को बढ़ाया जायेगा। मेरा दूसरा प्रश्न है कि भारत सरकार के अंतर्गत जितने केन्द्रीय विद्यालय चलते हैं, उनमें किसी में छात्रावास नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय विद्यालयों के लिये भी छात्रावास बनाने की कोई स्कीम भारत सरकार के विचाराधीन है ?

[अनुवाद]

श्री के॰ वी॰ तंग्काबालू : छात्रावास शुल्क के संबंध में, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि इस सम्बन्ध में लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखा जाता है और हमने इस संबंध में योजना आयोग से सम्पर्क किया है। यह प्रस्ताव सरकार के जांचाधीन है।

माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए अन्य प्रश्न के उत्तर में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब यह प्रस्ताव हमारे पास आयेगा तो हम निश्चित रूप से इसकी जांच करेंगे।

कुमारी फ्रिडा तोपनो : अध्यक्ष, महोदय, 1993-94 के दौरान कुछ शैक्षणिक परिसर स्वीकृत किए गए हैं और मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या ये शैक्षणिक परिसर आवासीय हैं अथवा नहीं और क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इनको पूरा अनुदान दिया जा रहा है। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि ऐसे छः काम्पलेक्स उड़ीसा में कहां-कहां स्थित हैं।

श्री के॰ वी॰ तंग्काबालू : जी हां, महोदय यह केवल उड़ीसा में शैक्षणिक परिसरों और आवासीय विद्यालयों के बारे में है।

[हिन्दी]

श्री नारायण सिंह चौधरी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, इस समय हरियाणा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केवल 3 स्कूल शैड्यूल कास्ट्स एण्ड शैडयूल ट्राइब्स के लिये हैं। अभी मंत्री महोदय ने फरमाया कि शैड्यूल्ड कास्ट्स के बच्चों के लिये 20 स्कूल तथा शैड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चों के लिये 56 स्कूल खोले जायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इनमें से कोई स्कूल हरियाणा प्रान्त में भी खोला जायेगा। यदि हां, तो कहां खोला जायेगा। इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि कुछ वालेंटरी आर्गेनाईजेशन्स देश में शैड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शैड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चों के लिये रेजीडेंशयल स्कूल चला रही हैं, क्या उन्हें भी केन्द्रीय सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यदि हां तो उसके क्या नियम हैं और उन्हें क्या सहायता प्रदान की जाती है ?

[अनुवाद]

श्री के॰ वी॰ तंग्काबालू : हमें हरियाणा सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। यदि हमारे पास सरकारी प्रस्ताव आयेगा तो हम निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे।

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा विद्यालय चलाये जाने के लिए विशिष्ट मार्ग निर्देश रखे गए हैं। यदि उनके प्रस्ताव ऐसे मार्ग निर्देशों के अनुरूप होंगे तो हम उन पर निश्चित रूप से विचार करेंगे।

हरियाणा के सम्बन्ध में हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सोमजीभाई डामोर : अध्यक्ष महोदय, देश में 10 करोड़ आदिवासी लोग बसते हैं। इस हिसाब से आप यदि देखेंगे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके बच्चे कितने होंगे। इसे ध्यान में रखते हुए, अभी मंत्री जी ने जो आंकड़े यहां दिये कि इस समय रेजिडैंशयल स्कूलों में एनरोल्ड अनुसूचित और जनजाति के बच्चों की संख्या लगभग 11 हजार है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब आप इस साल 56 नये स्कूल उनके लिये खोलने जा रहे हैं.....

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुए कि कितने स्कूल खोले जाएं और स्कूलों में कितने बच्चे रखे जाएं, इस बात को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की ओर से होस्टल और आश्रम स्कूल खोलने की मांग की गई है, लेकिन वह आज तक मंजूर नहीं हुई है। इसलिए क्या मंत्री महोदय इन प्रपोजलों की ओर ध्यान देंगे और क्या बच्चों की संख्या को ध्यान में

रखते हुए एक या दो करोड़ रुपया इन जाति के बच्चों के लिए होस्टल खोलने पर खर्च करने के लिए देने पर विचार करेंगे क्योंकि अन्य कार्यों पर तो मंत्रालय करोड़ों रुपया खर्च करता है लेकिन हमारे बच्चों के लिए एक या दो करोड़ रुपए भी क्यों खर्च नहीं करता है ? यह अन्याय और अत्याचार हमारे ऊपर क्यों किया जा रहा है ?

[अनुवाद]

श्री के॰ वी॰ तंग्काबालू : महोदय, वास्तव में हमारी सरकार ने देश में अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के साथ कोई अन्याय नहीं किया है। इस सम्बन्ध में हमारे विचार स्पष्ट हैं कि हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की अधिकाधिक सहायता करना चाहते हैं और हम इसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं।

अनुसूचित जातियों के 8487 लोग केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में और 11,573 लोग आश्रम विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए लगभग 5,893 आश्रम विद्यालय हैं।

माननीय सदस्य द्वारा हमारे विभाग को सौंपे गए कुछ प्रस्तावों के संबंध में पूछे गए प्रश्न के बारे में यह कहता हूँ कि इन प्रस्तावों के बारे में कुछ अड़चनें हैं इस सम्बन्ध में हमने माननीय सदस्य को भी सूचित कर दिया है। हम इन अड़चनों के दूर हो जाने पर इन प्रस्तावों पर मार्गनिर्देशों के दायरे में विचार करेंगे परन्तु, हम निर्धारित मानदण्डों में आने वाले प्रस्तावों को लंबित नहीं रखते हैं।

माननीय सदस्य यह आरोप लगा रहे हैं कि हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय को पर्याप्त धनराशि प्रदान नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि आठवीं योजना में अनुसूचित जातियों के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावासों हेतु 59 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावासों हेतु लगभग 31 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है। अतः, आठवीं योजना में इस प्रयोजनार्थ कुल 90 करोड़ रुपये निर्धारित किए गये हैं। हमें जब भी धनराशि मिलेगी तो हम उसे उसी समय जारी कर देंगे। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के बारे में हम भी चिंतित हैं। इसमें कोई कमी नहीं की जा रही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के बारे में हमारा अलग दृष्टिकोण नहीं है। हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अधिकतम महत्व देना चाहते हैं। हम इस मामले में किसी से पीछे नहीं हैं।

श्री डी॰ के॰ नायकर : माननीय मंत्री ने विद्यालयों की स्थापना के बारे में आंकड़े दिए हैं। जहां तक अनुबंध-दो का संबंध है, गुजरात में 45 और महाराष्ट्र में 38 विद्यालय स्थापित किए गए हैं। परन्तु जहां तक कर्नाटक का सम्बन्ध है, वहां केवल दो विद्यालय स्थापित किए गए हैं। जोकि नगण्य हैं। अतः, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव न दिए जाने के कारण हुआ है अथवा क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार द्वारा दिए गए सभी प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया है।

श्री के॰ वी॰ तंग्काबालू : हमने नियमों के अनुरूप रखे गए किसी प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया है। राज्य सरकार की ओर से जो भी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, उन्हें निश्चित रूप से उचित महत्व दिया जाता है।

कर्नाटक राज्य की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हम किसी भी राज्य सरकार के साथ पक्षपात

पूर्ण बर्ताव नहीं कर रहे हैं। हम राज्य सरकारों द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर मार्ग निर्देशों के अनुरूप विचार करेंगे और उन्हें स्वीकृति करने हेतु भरसक प्रयास करेंगे। कर्नाटक राज्य ने दो विद्यालयों के लिए आवेदन किया है और हमने दो विद्यालयों के लिए स्वीकृति दे दी है।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं जैसा कि इन्होंने कहा जो पोस्ट ग्रेज्युएट एस॰ सी॰ एस॰ टी॰ के छात्र हैं उनको स्कालरशिप और स्टाइफंड केन्द्र सरकार देती और उससे नीचे के लोगों को राज्य सरकारें देती हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार ने उनका स्टाईफंड और स्कालपरशिप बढ़ा दी है, तो क्या भारत सरकार उस अनुपात में इनकी स्कालरशिप या स्टाइफंड बढ़ाने पर विचार करेगी, ताकि ये लोग जो कम धन होने के कारण कैदियों जैसी जिंदगी बिता रहे हैं उसमें से.....

[अनुवाद]

श्री के॰ वी॰ तंग्काबालू : मैं छात्रवृत्तियों के लिए अपर्याप्त धनराशि के बारे में माननीय सदस्य के विचार से सहमत हूं। हमारा विचार छात्रवृत्तियों को बढ़ाने का है। हमने योजना आयोग से पहले ही सम्पर्क किया है। हम इस संबंध में अनुकूल उत्तर भी आशा कर रहे हैं। हम समुदाय के साथ निश्चित रूप से न्याय करेंगे। हम छात्रवृत्तियों को बढ़ाने का प्रयास भी कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम निहोर राय : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में कई आश्रम पद्धति के स्कूल हैं लेकिन उनकी अपनी निजी बिल्डिंग नहीं हैं, वे किराए पर ली हुई हैं। कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिनमें केवल आठवीं कक्षा तक पढ़ाई होती है। बच्चे आठवीं पास करके इधर-उधर भटकते रहते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे ऐसे विद्यालय खोलने की व्यवस्था करेंगे जिनमें दसवीं कक्षा तक या इंटर का पढ़ाई हो सके ?

[अनुवाद]

श्री के॰ वी॰ तंग्काबालू : उत्तर प्रदेश की सरकार जैसे ही प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी, हम उस पर विचार करेंगे।

डा॰ आर॰ मल्लू : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए आवास विद्यालय की धारणा के अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। राज्य में समाज कल्याण छात्रावासों पर काफी धनराशि व्यय की जाती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्रीय सरकार से ऐसा कोई निर्देश मिला है कि नियमित समाज कल्याण छात्रावासों को चलाने के बजाय आवासीय विद्यालय खोले जाएं क्योंकि इन छात्रावासों पर करोड़ों रुपये व्यय होते हैं लेकिन परिणाम अत्यधिक निराशाजनक हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि आवासीय विद्यालय खोलने के संबंध में आंध्र प्रदेश से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; क्या ये प्रस्ताव ठीक हैं और यदि ये ठीक हैं तो मंत्री महोदय इन आवासीय विद्यालयों का निर्माण कब करवाने जा रही है।

श्री के॰ वी॰ तंगकाबालू : हमने राज्य सरकारों से इन आवासीय विद्यालयों के लिए प्रस्ताव भेजने का आग्रह किया है मुझे विशेषरूप से यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि आन्ध्र प्रदेश ने चार विद्यालयों के प्रस्ताव भेजे हैं और हमने चार विद्यालयों की मंजूरी दी है। हमने इस वर्ष के लिए 66.6 लाख की राशि आवंटित की है।

रैबीज-रोधी टीका केन्द्र

***168 श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से रैबीज रोधी टीका केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार ये केन्द्र कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) क्या इन केन्द्रों में रैबीज रोधी टीके लगाने के लिए शुल्क लिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन केन्द्रों में ऐसे टीकों के स्थान पर उपचार का कोई नया तरीका विकसित करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) ये प्रश्न नहीं उठते।

श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ : मुझे अपने प्रश्न के (क) भाग के संबंध में सूचना एक समाचार-पत्र से प्राप्त हो गई है कि भारत सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से कुछ केन्द्र स्थापित करने जा रही है। परन्तु इसका उत्तर 'नहीं' में है। हाइड्रोफोबिया के खतरनाक रोग को देखते हुए मंत्री महोदय, जो स्वयं एक चिकित्सक हैं, मेरे प्रश्न के महत्व को समझ सकते हैं। यदि भारत सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से एंटीरैबीज टीका केन्द्रों की स्थापना नहीं करती है तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इन केन्द्रों को स्वयं स्थापित करेगी।

डा॰ सी॰ सिल्वेरा : सरकार ने एंटी रेबीज टीकों के उत्पादन के लिए सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत 13 केन्द्रों की स्थापना पहले ही कर दी है और एक केन्द्र बम्बई में गैर-सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत है। इन केन्द्रों ने देश के लिए पर्याप्त टीकों का उत्पादन किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से दूसरा केन्द्र स्थापित करने के लिए सरकार से समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न, प्रश्न के (ग) भाग के बारे में है। इस संबंध में दिए गए उत्तर का अर्थ है कि इन केन्द्रों पर एंटीरैबीज टीके के इंजेक्शन के लिए कोई राशि वसूल नहीं की जाती है। ये इंजेक्शन सात से चौदह दिन तक लगाए जाते हैं। इन इंजेक्शनों के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता

है। लेकिन एक और प्रकार का इंजेक्शन है जिसकी प्रतिरोधी क्षमता का प्रभाव तीन वर्ष की अवधि तक रहता है और यह इंजेक्शन काफी कीमती है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या सरकारी अस्पतालों में इस प्रकार के इंजेक्शन भी निशुल्क प्रदान किए जाएंगे।

डा॰ सी॰ सिल्वेरा : राज्य सरकारें टीकों को धन का भुगतान करके प्राप्त करती हैं। माननीय सदस्य ने जिन टीकों का उल्लेख किया था, वे दो प्रकार के होते हैं–ह्यूमन डिप्लोइड सेल वेक्सीन और प्यूरीफाइड चिक एम्ब्रीयो सेल वेक्सीन। ये टीके महंगे होते हैं और सरकार का इन टीकों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त प्रदान करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है।

डा॰ के॰ वी॰ आर॰ चौधरी : महोदय, एंटी रेबीज टीके की भारी कमी है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या इस टीके के उत्पादन में शीघ्र ही वृद्धि की जाएगी। इस टीके की हर क्षेत्र में कमी है। इसलिए लोगों को अत्यधिक महंगे टीके को खरीदना पड़ रहा है जो 2000 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ता है। क्या सरकार टीके की सप्लाई को बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाएगी ?

डा॰ सी॰ सिल्वेरा : जैसाकि मैंने पहले कहा, कि सरकारी क्षेत्र में 13 केन्द्र और गैर सरकारी क्षेत्र में एक केन्द्र इन टीकों का उत्पादन कर रहे हैं। इन टीकों की राशि का भुगतान करके प्राप्त करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इन टीकों को इन केन्द्रों से या सरकार से प्राप्त करने या खरीदने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

एड्स के उपचार के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति

***169. श्री एन॰ डेनिस :**

श्री अन्ना जोशी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से एड्स का उपचार किए जाने के संबंध में कोई अनुसंधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सिद्ध पद्धति के अन्तर्गत एड्स के किसी उपचार का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने देशी चिकित्सा पद्धति के व्यवसायियों द्वारा एड्स के उपचार के लिए किए गए दावों की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ दल की स्थापना की है। सिद्ध व्यवसायियों द्वारा अप्रमाणित दावे किए जाने की सूचना है कि उनकी औषधियां एच आई वी पाजिटिव रोगियों को एच आई वी निगेटिव में बदल सकती हैं। तमिलनाडु सरकार ने इस संबंध में सिद्ध औषधियों की प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए कार्रवाई शुरू की है।

श्री एन॰ डेनिस : एड्स लाइलाज बीमारी है। परन्तु इसे जनता में जागरूकता पैदा कर और शिक्षा के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। एड्स की रोकथाम प्राचीन स्वदेशी चिकित्सा पद्धति द्वारा किए गये अनुसंधान कार्य के परिणामों से की जा सकती है। हाल ही में, स्वदेशी चिकित्सा विशेषज्ञों ने कुछ अनुसंधान कार्य किए हैं जिन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है और उनका उपयोग किया जा सकता है। ये दवाईयां सस्ती हैं और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इन अनुसंधान कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कोई धनराशि आवंटित की गई है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या एड्स पर अनुसंधान कार्य के लिए इस चिकित्सा पद्धति को कोई प्रोत्साहन अथवा सहायता दी जाती है ?

प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया है कि इस दावे की जांच करने हेतु एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया है। क्या मैं विशेषज्ञ दल के निदेश पदों के बारे में जान सकता हूं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या विशेषज्ञ दल ने कोई रिपोर्ट दी है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, देश में सिद्ध एवं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के कुछ चिकित्सकों का दावा है कि उनके पास कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनसे वे एच॰ आई॰ वी॰ पॉजीटिव को एच॰ आई॰ वी॰ नैगेटिव में बदल सकते हैं। भारत सरकार ने प्रो॰ बी॰ एन॰ धवन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है। केवल दावे के आधार पर ही यह उचित नहीं ठहराया जा सकता कि एड्स के सम्बन्ध में ये चिकित्सा पद्धतियां सफल हैं। हमारे देश में दवा के प्रभाव की जांच हेतु एक प्रोटोकॉल बनाया गया है और उन्हें उस प्रक्रिया और रोगी की प्रगति की भी जांच करनी होती है। इस प्रक्रिया में पूरी जांच के लिए कम से कम एक दो वर्ष लग जाते हैं। विशेषज्ञ दल भी प्रोटोकॉल बना रहा है। वह इन दावों की बारीकी से जांच कर रहा है।

जहाँ तक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के अनुसंधान कार्यों का संबंध है, भारत सरकार अनुसंधान परिषद को विभिन्न प्रकार की औषधियों पर अधिक से अधिक अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। भारत सरकार ने केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध परिषद के लिए करीब 3.3 करोड़ रुपये, केन्द्रीय यूनानी औषध अनुसंधान परिषद के लिए 2.7 करोड़ रुपये और केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के लिए 1.7 करोड़ रुपये अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने हेतु आवंटित किए हैं।

श्री एन॰ डेनिस : जहां तक सिद्ध पद्धति का संबंध है, इस संबंध में ठोस प्रयास किए गये हैं। 1991 में मद्रास में सिद्ध पद्धति के चिकित्सा विशेषज्ञों की एक समिति बनायी गई थी। उन्होंने सिद्ध पद्धति में अगस्तियार और अन्य लेखकों द्वारा लिखित साहित्य का अध्ययन किया। उन्होंने यह देखा कि इसमें विकसित "मैगानोई" और "विथाइ मैगम" के बताए गये लक्षण वर्तमान एड्स से मिलते-जुलते हैं। इसके लिए दवाएं भी बतायी गई हैं। सिद्ध अनुसंधान समिति ने एड्स के उपचार के लिए "महाबल्लती लेहयम" औषध का पता लगाया है जिसमें शत-प्रतिशत जड़ी-बूटियों के संघटक होते हैं। यह सिद्ध औषधि सरकारी सामान्य अस्पताल, मद्रास के एड्स रोगियों को दी गई और उसका परिणाम उत्साहवर्धक रहा।

इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन अनुसंधान कार्यों और प्रयासों को जारी रखने के लिए इस संस्था तथा ऐसी ही अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान की जायेंगी ?

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, हमारी सूचना के अनुसार तमिलनाडु सरकार ने दिसम्बर, 1992 में नीति-विषयक और वैज्ञानिक समिति का गठन किया था। इसमें एड्स मामलों के संबंध में सिद्ध के दावों की जांच करने हेतु सिद्ध और एलोपैथिक विशेषज्ञ थे।

मद्रास में एक सरकारी अस्पताल में 30 बिस्तर एच॰ आई॰ वी॰ पॉजीटिव के रोगियों के लिए आवंटित किए गये हैं ताकि उन्हें अस्पताल में ही रखा जा सके। दवाएं देने के बाद उनकी जांच की जाएगी। यह कार्य अप्रैल, से शुरू किया गया था।

यह दवा देने के एक वर्ष बाद सिद्ध औषधि के प्रभाव का आकलन किया जाएगा। यह आकलन रिपोर्ट विशेषज्ञों की समिति की जांच के आकलन के बाद ही उपलब्ध होगी। नीति विषयक और वैज्ञानिक समिति की, जिसमें एलोपैथिक और सिद्ध विशेषज्ञ हैं, रिपोर्ट मिलने के बाद ही अनुसंधान के परिणामों का पता चलेगा। हमें अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं मिली है। धनराशि के लिए संगठन को धनराशि अनुसंधान परिषद को आवेदन करना पड़ता है। जब भी इस प्रकार के अनुरोध प्राप्त होते हैं तो उसका निर्णय मामले के गुणों के आधार पर किया जाता है।

डा॰ कृपा सिन्धु भोई : महोदय, मैं मंत्री महोदय और माननीय प्रधानमंत्री का बहुत आभारी हूं। नौ माह पहले प्रधानमंत्री, श्री पी॰ वी॰ नरसिंहराव ने नागपुर में यह घोषणा की थी कि यद्यपि आयुर्वेदिक-भारतीय चिकित्सा पद्धति भारतीय है परन्तु उपचार हमेशा अनुभव के आधार पर किया जाता है। साथ ही मैं यह भी जानता हूं कि ऐसी अनेक औषधियां हैं जिनसे विभिन्न प्रकार के कैंसर का प्रभावी ढंग से उपचार किया जा सकता है। करीब तीन माह पहले हमें तमिलनाडु और केरल के खबरें मिली कि सिद्ध और जड़ी-बूटियों से तैयार औषधियों के उपचार से एच॰ आई॰ वी॰ पॉजीटिव के तीन रोगी ठीक हो गए और उपचार के बाद परीक्षण परिणामों में एच॰ आई॰ वी॰ पॉजिटिव नहीं निकले। दस माह बाद प्रधानमंत्री महोदय ने घोषणा की थी। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री की इच्छानुसार मंत्रालय ने कोई भारतीय चिकित्सा पद्धति निदेशालय बनाया है। जिसमें सिद्ध और यूनानी पद्धतियां शामिल हों। यदि नहीं तो इसकी स्थापना में क्या रुकावटें है। मैं विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के नाम भी जानना चाहता हूं।

श्री पवन सिंह घाटोवार : सच यह है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के प्रशंसक हैं एक सम्मेलन में यह घोषणा की थी कि भारत सरकार अपने तरीके से भारतीय चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए हर सम्भव सहायता देगी। प्रधानमंत्री के निर्देशन में स्वास्थ्य मंत्रालय देश में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिए अधिक से अधिक सहायता देने हेतु कुछ नई योजनाओं पर विचार कर रहा है।

डा॰ कृपा सिन्धु भोई : निदेशालय की स्थापना के बारे में क्या विचार है ? इस निदेशालय का भविष्य क्या है और विशेषज्ञों के नाम क्या हैं ?

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : भारतीय औषधियां पुराने रोगों के लिए बहुत प्रभावी हैं। उदाहरण के लिए केरल

में जड़ी-बूटियों से तैयार एक औषध है जिससे पीलिया तत्काल ठीक हो जाता है। परन्तु एलोपैथिक डॉक्टर इस बात को स्वीकार नहीं करते। सरकार का कहना है कि भारतीय पद्धतियों और उनकी औषधियों का परीक्षण एलोपैथिक ढंग से किया जाना चाहिए। मेरे विचार से यह गलत है और इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं अपनायी जानी चाहिए। अनुभव के आधार पर परीक्षण किए जाने चाहिएं और यदि परिणाम सकारात्मक हों तो औषधियों को स्वीकार किया जाना चाहिए अथवा मान्यता दी जानी चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसी अनेक भारतीय औषधियां हैं जो एड्स सहित अनेक पुरानी बीमारियों के लिए उपयोगी और प्रभावी साबित हो सकती हैं। जब मैं इडुक्की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य था तो वहां आयुर्वेद का एक चिकित्सक था जिसके पास कैंसर के उपचार के लिए जड़ी-बूटियों से तैयार औषध थी। परन्तु सरकार ने उसकी औषधि को स्वीकार नहीं किया। अब वह डॉक्टर नहीं है और उस औषधि को कोई नहीं जानता है। ऐसे अनुभवों को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार उन भारतीय औषधियों के प्रभाव के परीक्षण हेतु किसी विशेष प्रक्रिया के अलावा अलग से मानदंड और प्रक्रियाएं निर्धारित करेगी जो उद्देश्य प्राप्त के परिणाम दर्शाने वाली हों। दूसरे, मैं देश में एड्स के रोगियों की संख्या जानना चाहता हूं। एड्स के रोगियों की संख्या के बारे में आकलन बहुत ज्यादा किया जा रहा है तथा बाहर से भी रिपोर्ट मिल रही हैं कि अधिकांश भारतीय एड्स से पीड़ित हैं। मुझे आशंका है कि हम एड्स के निवारण के लिए नाम मात्र कदम उठा रहे हैं। हम सभी यह जानते हैं कि एड्स के मामले में निवारण बहुत जरूरी है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठा रही है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : भारत सरकार का भी यह दृढ़ विश्वास है कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का परीक्षण किया जाना चाहिए और उनके गुणों के अनुसार उन्हें प्रभावी बनाया जाना चाहिए। इसलिए हमने भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की ये तीन अनुसंधान परिषदें बनायी हैं।

जहां तक एड्स निवारण का सबंध है, भारत सरकार इसके प्रति निश्चित रूप से गम्भीर है। हमने विश्व बैंक की सहायता से एन॰ ए॰ सी॰ ओ॰ नाम का एक अलग से निदेशालय बनाया है और हमें देश में एड्स निवारण कार्यक्रमों के लिए करीब 220 करोड़ रुपये भी मिले हैं। ऐसी स्थिति में एड्स के रोगियों का निश्चित आकलन नहीं किया गया है क्योंकि एच॰ आई॰ वी॰ पॉजीटिव के मामले विभिन्न अवस्थाओं में हैं। आज तक भारत सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पूर्ण विकसित मामलों की संख्या 750 है।

यदि माननीय सदस्य एड्स के रोगियों की संख्या के बारे में वर्षवार ब्यौरा चाहते हैं तो मैं उन्हें यह ब्यौरा दे सकता हूं। मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि हमने करीब 20 लाख लोगों की जांच की है उनमें 15,399 मामले एच॰ आई॰ वी॰ पॉजिटिव के पास गये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

एक्यूप्रेशर

*161. श्री राजवीर सिंह :

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक्यूप्रेशर नामक एक नई चिकित्सा पद्धति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन देशों में इस चिकित्सा पद्धति का प्रचलन है;

(घ) क्या इस चिकित्सा पद्धति को भारत में अपनाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो यह चिकित्सा पद्धति वास्तव में कितनी सफल सिद्ध हुई है; और

(च) इस पद्धति को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) से (च) एक्यूप्रेशर थिरेपी हथेलियों और तलवों पर कुछ विशेष जगहों पर उंगलियों, अंगूठे अथवा पेंसिल से दबाव डालने की एक पुरानी तकनीकी है। यह विश्वास किया जाता है कि इसमें जगह से जुड़े एक दूरस्थ अंग पर प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है कि यह थिरेपी पीड़ा से राहत दिलाने में प्रभावकारी है और शरीर में विभिन्न अंगों की कुछ कार्यात्मक बाधाओं को ठीक करती है। यह चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों में प्रचलित है। यह भी पता चला है कि इसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और यू॰ के॰ जैसे विभिन्न देशों में भी अपनाया जाता है। भारत में भी कुछ स्वैच्छिक अभिकरणों और व्यक्तियों के नेतृत्व में इसे बहुत सीमित रूप से इस्तेमाल में लाया जा रहा है।

[अनुवाद]

हृदय रोग

*162. श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्ति :

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का प्रत्येक तीसरा हृदय रोगी महिला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि संतति निग्रह गोलियों का अंधाधुंध प्रयोग किए जाने से महिलाओं को दिल का दौरा पड़ने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, [illegible]संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए है/उठाए जाएंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) और (ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हाइपरटेंशन और कोरोनरी हृदय रोग पुरुषों को तुलना में महिलाओं में विशेषतौर पर रजोनिवृत्ति पूर्व कम होते हैं, यह अनुमान लगाया गया है कि प्रत्येक तीसरा हृदय रोगी एक महिला है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

रक्त दान

*** 163 श्री प्रेम चंद राम :**

श्री मंजय लाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में, विशेष रूप से बिहार में चुनिंदा ब्लड बैंकों के जरिए ही स्वैच्छिक रक्त दान को बढ़ावा देने का है, जिससे की व्यावसायिक रक्त दाताओं को हतोत्साहित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) और (ख) सरकारी संस्थाओं, इंडियन रेड क्रास सोसाइटी तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान को जन प्रचार और शिविरों सहित विभिन्न माध्यमों से पहले ही बढ़ावा दिया जा रहा है। यह कार्य बिहार सहित पूरे देश में किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनुच्छेद 339 के अंतर्गत आयोग

*** 166 श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में रिपोर्ट देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 339 के अंतर्गत नियुक्त किये गये पिछले आयोग से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) क्या सरकार का विचार अनुच्छेद 339 के अंतर्गत एक अन्य आयोग गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) संविधान के अनुच्छेद 339 (1) के तहत किये गये उपबंधों के अनुसरण में किया गया अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन श्री यू. एन. देबर की अध्यक्षता में 28 अप्रैल, 1960 को किया गया था।

(ख) आयोग के अक्तूबर, 1961 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी।

(ग) और (घ) संविधान के अनुच्छेद 339 (1) के अंतर्गत दूसरे आयोग की स्थापना करने संबंधी मुद्दा विचाराधीन है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रावास

*167. **श्री छीतूभाई गामीत :**

श्री रतिलाल वर्मा :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने छात्रावास हैं;

(ख) उनमें से गत तीन वर्ष के दौरान राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने छात्रावासों का निर्माण किया गया;

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान राज्य-वार/संघ राज्य-क्षेत्रवार ऐसे कितने छात्रावासों का निर्माण करने का विचार किया गया है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जाएगी ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जैसाकि अभी तक राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने सूचित किया है अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति होस्टलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरण एक में दी गई है।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लड़के और लड़कियों के लिए होस्टलों की केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत तीन वर्षों में निर्माण के लिए संस्वीकृत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति होस्टलों की संख्या संलग्न विवरण दो में दी गई है।

(ग) और (घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लड़के तथा लड़कियों के लिए होस्टलों को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के बाद तथा निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को 50:50 के आधार पर (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का 100%, केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इन योजनाओं के अन्तर्गत कर्नाटक तथा उड़ीसा सरकार ने 1994-95 में अनुसूचित जाति के छात्रों

के लिए क्रमशः 88 होस्टलों तथा 29 होस्टलों का प्रस्ताव किया है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा सरकार में क्रमशः 10 तथा 21 होस्टलों का प्रस्ताव किया है। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अभी तक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के होस्टलों के लिए 1994-95 में क्रमशः 12.40 करोड़ रुपए तथा 6.10 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं जिसमें से अभी तक आन्ध्र प्रदेश सरकार को अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 10 होस्टलों के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि संस्वीकृत की गई है।

विवरण-एक

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रावासों की कुल संख्या

क्रम सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनु॰ जाति/ज॰ जा॰	होस्टलों की संख्या	कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2231	528	2759
2.	असम	79	175	254
3.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–
4.	बिहार	368	351	719
5.	गुजरात	402	778	1180
6.	गोवा	–	–	–
7.	हिमाचल प्रदेश	6	4	10
8.	हरियाणा	–	–	5*
9.	जम्मू व कश्मीर	–	10	10
10.	कर्नाटक	1006	36	1193*
11.	केरल	99	113	231*
12.	महाराष्ट्र	2267***	158	2425
13.	मध्य प्रदेश	1020	1841	2861
14.	मिजोरम	–	–	–
15.	मणिपुर	–	–	7*
16.	मेघालय	–	–	39*
17.	नागालैंड	–	–	–
18.	उड़ीसा	650	735	1385

1	2	3	4	5
19.	पंजाब	31	–	31
20.	राजस्थान	221	239	460
21.	सिक्किम	11	15	26
22.	तमिलनाडु	909	23	932
23.	त्रिपुरा	5	–	40*
24.	उत्तर प्रदेश	57	5	62
25.	पश्चिम बंगाल	340	338	861*
26.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	–	5	5
27.	चण्डीगढ़	–	–	–
28.	दादर एवं नगर हवेली	–	–	10*
29.	दिल्ली	–	–	2*
30.	दमन और दीव	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	–	4	4
32.	पांडिचेरी	21	–	21
	कुल :	9723	5358	15532*

*कुल योग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होस्टल सम्मिलित हैं।

**उन विद्यार्थियों के लिए जिनके माता-पिता अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत हैं।

***पिछड़े वर्गों के लिए होस्टल, मुख्यत: अनुसूचित जातियों के लिए

विवरण-दो

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लड़के और लड़कियों के लिए होस्टलों की केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत कुल होस्टलों की संख्या

		1991-92		1992-93		1993-94	
क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अ.जा.	अनु.सू. ज.जा.	अ. जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	45	8	–	–	182	9
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	10	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	28	47	–	57	–	–
4.	बिहार	68	5	15	–	22	–
5.	गोवा	–	–	–	–	–	–
6.	गुजरात	8	8	–	11	13	15
7.	हरियाणा	–	–	3	–	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–
9.	जम्मू व कश्मीर	3	–	3	–	–	1
10.	कर्नाटक	37	1	21	–	24	–
11.	केरल	17	5	6	6	1	6
12.	मध्य प्रदेश	44	10	250	18	–	17
13.	महाराष्ट्र	5	26	–	–	16*	–
14.	मणिपुर	2	3	2	–	–	2
15.	मेघालय	–	–	–	–	–	8
16.	मिजोरम	–	2	–	–	–	–
17.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–
18.	उड़ीसा	15	9	24	22	19	29
19.	पंजाब	2	–	1	–	1**	–
20.	राजस्थान	5	3	–	5	3	4
21.	सिक्किम	8	–	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	7	3	14	2	11	–
23.	त्रिपुरा	1	2	–	6	2	4
24.	उत्तर प्रदेश	25	–	32	4	13	2
25.	पश्चिम बंगाल	9	6	7	8	7	8
26.	अण्डमान एवं निकोबार	–	–	–	–	–	–
27.	चण्डीगढ़	–	–	–	–	–	–
28.	दमन और दीव	–	–	–	–	–	–
29.	दादर एवं नगर हवेली	–	–	–	2	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	–	1	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	1	–	–	–	–	–
	कुल :	330	149	373	141	314	105

*जमा वर्तमान होस्टलों में 4 की बढ़ोतरी

*जमा 1 एक्सटेंशन

[अनुवाद]

नदियों को परस्पर जोड़ना

*170. श्री तारा सिंह :

श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक केन्द्रीय सरकार ने प्रायद्वीपीयों और हिमाचल पर्वत से निकलने वाली विभिन्न नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए कोई राष्ट्रीय संदर्शी योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकारों की प्रतिक्रिया है;

(घ) इस योजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है; और

(ङ) उक्त योजना पर कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ) सरकार द्वारा वर्ष 1980 में तैयार किए गए जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय प्रिरिप्रेक्ष्य में जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए अधिशेष जल वाली बेसिनों से जल की कमी वाली बेसिनों को जल अंतरित करने के वास्ते विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों के बीच और हिमालयी नदियों के बीच अलग-अलग अंतः संपर्क करने की परिकल्पना की गई है।

राज्य सरकारों के साथ विस्तृत रूप से चर्चा करने के बाद भारत सरकार ने वर्ष 1982 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना की है। इसके अध्यक्ष केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री हैं तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अधिकारियों के अलावा राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री/सिंचाई के प्रभारी मंत्री इसके सदस्य हैं। इन प्रस्तावों को पुष्ट करने के लिए एक तकनीकी सचिवालय है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा कुल 36 जल अंतरण संपर्क अभिज्ञात किए गए हैं जिनमें 17 प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत तथा 19 हिमालयी घटक के अंतर्गत हैं। प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 14 संपर्कों और हिमालयी घटक के अंतर्गत 2 संपर्कों के कार्यालय अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं। शेष प्रायद्वीपीय संपर्कों और हिमालयी घटक के अंतर्गत संपर्कों के अध्ययन के कार्य

को आठवीं योजना में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रायद्वीपीय घटक के 9 संपर्कों तथा हिमालयी घटक के 3 संपर्कों के अन्वेषण कार्य को अभिकरण के आठवीं योजना कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

सभी अध्ययनों की ड्राफ्ट रिपोर्टों को संबंधित बेसिन राज्यों को भेज दिया गया है जिनकी टिप्पणियों/प्रेक्षणों/सुझावों पर इन रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा विचार किया जाता है।

इन योजनाओं पर इस शर्त पर क्रियान्वयन के लिए विचार किया जा सकता है कि लागत अनुमानों सहित व्यवहार्यता अध्ययन, संबंधित राज्यों के बीच सहमति फील्ड अन्वेषण तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को पूर्ण कर लेने के बाद निधियां उपलब्ध हों।

कोयले पर रायल्टी

*171. **श्री तेज नारायण सिंह :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों के कोयले पर रायल्टी को संशोधित करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बड़े पैमाने पर कोयले का उत्पादन करने वाले अधिकांश राज्य नामतः बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आदि कोयले पर रायल्टी की दर में वृद्धि करने का अनुरोध कर रहे हैं। सरकार ने कोयला मंत्रालय में इन अनुरोधों के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया है। इस अध्ययन दल ने विभिन्न राज्य सरकारों, उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों, आदि द्वारा दिए गए सभी सुझावों पर विचार किया है तथा कोयले पर रायल्टी की दर में वृद्धि किये जाने तथा रायल्टी से संबंधित मामलों के बारे में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। इस संबंध में जब कभी भी दरों में संशोधन किया जाता है तो इसको सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

कोयले का उत्पादन

*172. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न ग्रेडों के कोयले के ग्रेड-वार उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस बारे में 30 जून, 1994 तक की उपलब्धियां क्या रही हैं; और

(ग) निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) योजना आयोग द्वारा कोयले के उत्पादन के ग्रेडवार लक्ष्यों को निर्धारित नहीं किया जा रहा है। योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में 308 मिलियन टन कुल कोयले का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किए जाने की सिफारिश की है। आठवीं पंचवर्षीय

योजना के प्रथम तीन वर्षों के लिए अखिल भारतीय कोयला उत्पादन लक्ष्य नीचे दर्शाए गए हैं :-

वर्ष	उत्पादन लक्ष्य (मिलियन टन में)
1992-93	238.20
1993-94	249.00
1994-95	253.60

वर्ष 1995-96 और 1996-97 के लिए लक्ष्य योजना आयोग के साथ परामर्श करके निर्धारित किए जाएंगे, जोकि मूल्यांकित मांग तथा संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित होंगे।

(ख) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 (अप्रैल-जून, 94) की अवधि के दौरान विभिन्न ग्रेड के कोयले का वास्तविक उत्पादन नीचे दर्शाया गया है :-

1992-93	238.26 मि० ट०
1993-94	246.04 मि० ट०
1994-95 (अप्रैल-जून, 94)	51.28 मि० ट०

(ग) उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदम निम्नलिखित हैं—भूमिगत खानों में आधुनिक प्रौद्योगिकी की शुरूआत जैसे, साइड-डिस्चार्ज लोडर्स, लोड हॉल डम्पर्स, पावर सपोर्ट लांगवाल, सब लेबल केविंग, आदि कार्य ताकि श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का वास्तविक रूप में विकल्प दिया जा सके। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बड़ी क्षमता वाली ओपेनकास्ट-तथा-भूमिगत परियोजनाओं को खोले जाने और विद्यमान खानों को बड़ी संख्या में आधुनिकीकृत किए जाने पर अधिक जोर दिया जाता है। आधारभूत सुविधाएं जैसे वर्कशाप, दूर-संचार, प्रशिक्षण सुविधाएं, विद्युत को आपूर्ति की पद्धति, आदि को विकसित तथा इनमें सुधार किए जाने पर अधिक बल दिया गया है ताकि आठवीं योजना अवधि के दौरान इन परियोजनाओं का पूरा लाभ उठाया जा सके।

[हिन्दी]

कोयला खानों में आग

*173. प्रो॰ रीता वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 तक भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की खानों में आग लगने से कुल कितना सतही और भूमिगत क्षेत्र प्रभावित हुआ;

(ख) आग के कारण प्रतिदिन कितनी मात्रा में कोयले का नुकसान हुआ है;

(ग) कोयले के वर्तमान मूल्य के अनुसार प्रतिदिन कितने मूल्य के कोयले का नुकसान हुआ है;

(घ) आग लगने से कौन-कौन से क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं और आग किस गति से फैल रही है;

(ङ) 31 मार्च, 1994 तक आग के कारण कुल कितना कोयला खानों में फंसा हुआ है; और

(च) वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार इसका कुल मूल्य कितना है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) भारत कोकिंग कोल लि. के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन झरिया कोलफील्ड का लगभग 17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आग से प्रभावित रहा है।

(ख) से (घ) इस संबंध में कोई निश्चित अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ङ) कोल इंडिया लि. द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार लगभग 1853 मि. ट. कोयले के भंडार कोलफील्ड की आगों में फंसे हुए हैं, जिसका उत्खनन नहीं किया जा सकता है।

(च) लगभग 35% भंडारों की निकासी की मद को ध्यान में रखते हुए आग में फंसे भंडारों में निकासी किए जाने योग्य कोयले की काल्पनिक लागत वर्तमान बिक्री कीमत पर 17,500 करोड़ रू. होने का अनुमान लगाया गया है।

नए चैनल

***174. श्री सोमजीभाई डामोर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांच नये चैनलों की स्थापना करने का कार्य एक नये स्वतंत्र निगम को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन नये चैनलों से होने वाली आय और लाभ पर सरकार का कोई अधिकार होगा;

(ग) क्या दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों पर इन चैनलों के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) क्या ये स्वतंत्र चैनल कार्यक्रमोन्मुख न होकर विज्ञापनोन्मुख होंगे; और

(ङ) ये नए चैनल किन-किन नगरों में स्थित होंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां। सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जलाशय योजनाएं

***175. श्री राम कृपाल यादव :**

श्री लाल बाबू राय :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए भेजी गई जलाशय योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन तारीखों को ये योजनाएं केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुई,; और

(ग) इन पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुई वृहद और मझौली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुई गई वृहद और मझौली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	प्राप्ति की तिथि	स्थिति
1	2	3	4	5
	आन्ध्र प्रदेश			
	वृहद			
1.	येलेरू	335.34	9/93	सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत
2.	पुलिचिंताला	268.64	7/93	राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी आर्थिक मुद्दे हल करने हैं।
	मझौली			
1.	येरा कुलवा	46.52	3/92	2/93 में निवेश स्वीकृति दी गयी
2.	कोलासनाला	20.49	9/92	2/93 में निवेश स्वीकृति दी गई
3.	मुग्गावंका	25.96	2/93	7/93 में निवेश स्वीकृति दी गई
4.	चेलमेलावागु	22.99	9/92	5/94 में निवेश स्वीकृति दी गई
5.	पेडेरू	26.23	10/91	सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति
6.	पेद्दागड्डा	9.35	12/91	राज्य सरकार को 2/93 में लौटा दी गयी।
	असम			
	वृहद			
	पगलाडिया	337.60	2/93	अन्तर्राज्यीय मुद्दों आदि के कारण सलाहकार समिति द्वारा विचार आस्थागित
	बिहार			
	वृहद			
1.	पुनासी	173.04	6/92	राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मुद्दे हल करने हैं।

1	2	3	4	5
	गुजरात			
	वृहद			
1.	नानकबोरी वियर पर हाइड्रो फ्यूज द्वारों की व्यवस्था करना	8.58	5/93	2/94 में निवेश स्वीकृति दी गई
	मझौली			
1.	ओजात-11	43.04	10/92	राज्य सरकार के विभिन्न तकनीकी आर्थिक मुद्दे हल करने हैं।
2.	लिमोथ मोगावा	21.95	12/92	–वही–
3.	मुक्तेश्वर	19.37	12/91	4/93 में निवेश स्वीकृति दी गयी
4.	मित्ती का पुनरूद्धार	14.50	6/93	राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी आर्थिक मुद्दे हल करने हैं।
5.	माहुपाड़ा	25.74	9/93	–वही–
6.	वर्धा	61.74	8/91	राज्य सरकार को 11/91 में लौटा दी गयी।
7.	धुकिया	16.58	8/91	–वही–
8.	उग्ता	37.16	8/91	–वही–
9.	धर्तु 11	24.18	12/91	राज्य सरकार को 1/92 में लौटा दी गयी।
	कर्नाटक			
	वृहद			
1.	बेनीथोरा	73.25	8/91	2/93 में निवेश स्वीकृति की गयी।
	केरल			
	वृहद			
1.	करपारा कुरिआर-कुट्टी बहुप्रयोजनी	231.03	3.94	राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मुद्दे हल करने हैं।

1	2	3	4	5
	मध्य प्रदेश			
	वृहद			
1.	कोलार	139.14	10/91	सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति।
2.	ओंकारेश्वर	1784.29	11/92	–वही–
3.	अर्पा	265.71	9/92	राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मुद्दे हल करने हैं।
4.	बिना काम्प्लेक्स 1	202.90	3/92	–वही–
5.	कुनु	190.00	2/92	राज्य सरकार को 3/92 में लौटा दी गयी।
6.	लोअर गोई	98.92	5/92	राज्य सरकार को 7/92 में लौटा दी गयी।
7.	पर्बती	351.00	4/92	राज्य सरकार को 6/92 में लौटा दी गयी।
8.	गोपदमायर	31.75	8/92	राज्य सरकार को 9/92 में लौटा दी गयी।
	मझौली			
1.	अपर बेड़ा	89.17	7/92	राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मुद्दे हल करने हैं।
2.	पुतियाफ्ट	15.30	7/93	राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मुद्दे हल करने हैं।
3.	ठरिबाग	18.85	9/93	–वही–
	महाराष्ट्र			
	वृहद			
1.	ह्मन रिवर	168.15	9/91	–वही–
2.	तालम्बा सिंचाई	175.75	6/92	–वही–

1	2	3	4	5
	मझौली			
1.	सैकी मकरढ़ोकरा	12.20	8/91	राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मुद्दे हल करने हैं।
2.	कोर्डानाला	10.36	1/93	–वही–
3.	जम	20.83	3/92	–वही–
4.	कार	22.21	3/92	–वही–
5.	लोअर पंजारा	48.98	1/93	–वही–
6.	नागन	19.47	1/93	–वही–
7.	ब्राह्मण गांव	8.73	2/93	–वही–
8.	दारा	13.82	1/93	–वही–
9.	बोरदाहो गांव	11.48	12/93	–वही–
10.	साकोल	10.87	5/92	सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत।
11.	मसालगा	10.50	5/92	सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति।
12.	पेंताकली	31.41	12/92	–वही–
13.	बांधरभग्गा	35.30	2/93	–वही–
14.	शितन्ताकली	34.76	9/92	–वही–
15.	तेम्मापुरी	18.10	11/92	–वही–
16.	अपर मांजरा	8.23	7/92	राज्य सरकार को 8/92 में लौटा दी गयी
17.	साकत	4.53	7/92	–वही–
18.	गोमई	16.92	3/92	राज्य सरकार को 5/92 में लौटा दी गयी
19.	उतावली	15.63	1/92	राज्य सरकार को 1/92 में लौटा दी गयी।
	उड़ीसा			
	मझौली			
1.	मन्जोरे	37.70	9/91	सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत
2.	बागालती	45.44	4/94	–वही–
3.	तितलागढ़	21.13	12/92	10/93 से निवेश स्वीकृति दी गयी

1	2	3	4	5
	राजस्थान			
	वृहद			
1.	विसालपुर	309.07	11/91	–वही–
	मझौली			
1.	बैखाली	13.07	10/91	सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति।
2.	–चौली	28.87	10/91	सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत
3.	सुकली	15.41	1/93	राज्य सरकार को विभिन्न मुद्दे हल करने हैं।
4.	बांदी सांद्रा	11.56	1/93	राज्य सरकार को विभिन्न मुद्दे हल करने हैं।
5.	चाकऊ	7.98	9/92	–वही–
6.	गरारता	36.50	1/93	–वही–
7.	पिपलाद	16.83	2/93	–वही–
8.	लहासी	16.26	10/91	राज्य सरकार को 4/93 में लौटा दी गयी।
	उत्तर प्रदेश			
	वृहद			
1.	मेजा बांध ऊंचा करना	52.18	3/92	सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति।
2.	चित्तौड़गढ़	30.33	10/93	राज्य सरकार को विभिन्न मुद्दे हल करने हैं।
3.	कन्हर	174.27	2/94	–वही–
	पश्चिम बंगाल			
	वृहद			
1.	दोलोंग जलाशय	93.13	2/93	–वही–

[हिन्दी]

परिवार कल्याण केन्द्र

*176. डा० परशुराम गंगवार :

श्री दत्ता मेघे :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने परिवार कल्याण केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन केन्द्रों पर गत तीन वर्ष के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य वार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने लोगों ने परिवार नियोजन संबंधी आपरेशन कराये हैं; और

(घ) इन केन्द्रों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) से (ग) विवरण एक से, तीन संलग्न हैं।

(घ) चिकित्सा सांख्यिकी अनुसंधान (आई आर एम एस) को ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों के कार्यकरण का अध्ययन करने का काम सौंपा गया है। रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए चिकित्सा अधिकारियों के लिए 1994-95 में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है।

विवरण-एक

विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में ग्रामीण और शहरी परिवार कल्याण केन्द्र

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	श०प०क० केन्द्र	ग्रा० प० क० केन्द्र
(1)	(2)	(6)	(7)
1.	आन्ध्र प्रदेश	131	420
2.	असम	29	146
3.	बिहार	42	587
4.	गुजरात	113	251
5.	हरियाणा	19	89
6.	हिमाचल प्रदेश	89	77
7.	जम्मू व कश्मीर	12	82
8.	कर्नाटक	87	269
9.	केरल	–	163

1	2	3	4
10.	मध्य प्रदेश	63	460
11.	महाराष्ट्र	.74	428
12.	मणिपुर	5	31
13.	मेघालय	1	23
14.	नागालैंड	–	7
15.	उड़ीसा	10	314
16.	पंजाब	23	129
17.	राजस्थान	61	232
18.	सिक्किम	1	15
19.	तमिलनाडु	244	383
20.	त्रिपुरा	11	35
21.	उत्तर प्रदेश	81	907
22.	पश्चिम बंगाल	115	335
23.	चंडीगढ़	3	1
24.	दिल्ली	69	8
25.	गोवा	–	13
26.	मिजोरम	1	14
27.	पांडिचेरी	1	12
28.	अरुणाचल प्रदेश	6	–
	योग :	1291	5435

विवरण-दो

1991-92 से 1993-94 के दौरान परिवार कल्याण केन्द्रों पर खर्च की गई राशि का विवरण

क्रम सं॰	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	ग्रामीण प॰ क॰ केन्द्र			शहरी परिवार कल्याण केन्द्र		
		1991-92	1992-93	1993-94	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1980.25	2037.42	1220.00	181.58	237.30	95.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	1.34	5.80*	1.83$

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	285.19	280.56	305.00	34.64	35.46	33.00
4.	बिहार	1166.67	2977.96	1677.00	37.58	87.96	38.00
5.	गोवा	35.36	39.54	37.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	946.46	1083.66	725.00	150.71	163.18	151.00
7.	हरियाणा	256.28	285.51	200.00	3.99	13.37	6.00
8.	हिमाचल प्रदेश	277.42	318.96	215.00	0.75*	25.0*	47.00
9.	जम्मू कश्मीर	121.85	234.43	178.00	12.13	4.96	10.00
10.	कर्नाटक	1018.87	1077.16	800.00	92.13	221.86	141.00
11.	केरल	1081.71	705.50	505.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	1684.14	1909.39	980.00	121.34	164.13	92.00
13.	महाराष्ट्र	1274.50	1542.61	1287.00	186.64	187.70	107.00
14.	मणिपुर	105.06	102.93	87.00	5.06	3.84	10.00
15.	मेघालय	46.38	54.71	65.00	2.28	2.66	2.50
16.	मिजोरम	24.24	43.64	40.00	1.60	1.40	2.50
17.	नागालैंड	14.77	30.95	19.00	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	1028.03	1048.34	880.00	12.76	14.65	16.00
19.	पंजाब	481.02	700.42	282.00	33.93	47.08	36.70
20.	राजस्थान	601.67	644.42	700.00	185.37	118.93	100.00
21.	सिक्किम	58.15	78.91	53.00	4.17	6.72	2.50
22.	तमिलनाडु	1370.52	1065.97	1070.00	145.44	113.35	188.00
23.	त्रिपुरा	152.43	120.14	97.00	7.11	7.40	23.00
24.	उत्तर प्रदेश	3824.91	4295.70	2619.44	169.50	208.01	172.16
25.	पश्चिम बंगाल	1442.10	1124.66	940.00	182.38	84.64	36.00
26.	चंडीगढ़	3.90	13.31	15.00	11.82	19.02	28.00
27.	दिल्ली	9.00	6.75	10.00	77.86	142.14	150.00
28.	पांडिचेरी	24.89	27.19	25.00	0.00	0.00	0.00
अखिल भारतीय		19915.77	21850.74	15031.44	1660.86	1885.76	1489.19*

*धनराशि विमुक्त

$अरूणाचल प्रदेश में 1992-93 में खर्च की गई राशि शेष थी।

विवरण-तीन

वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान परिवार नियोजन आपरेशन कराने वाले व्यक्तियों की संख्या

क्रम सं.		1991-92	1992-93	1993-94
1		2	3	4
I. राज्य/संघ राज्यक्षेत्र				
बड़े राज्य (एक करोड़ अथवा अधिक जनसंख्या)				
1.	आंध्र प्रदेश	483532	524393	603531
2.	असम	66323	27101	28106
3.	बिहार	212631	303656	308266
4.	गुजरात	257335	257378	287568
5.	हरियाणा	100760	98047	102437
6.	कर्नाटक	301639	331554	356300
7.	केरल	173599	159823	117009
8.	मध्य प्रदेश	317137	330673	364175
9.	महाराष्ट्र	538027	561336	539856
10.	उड़ीसा	137299	127720	128241
11.	पंजाब	85502	118251	130230
12.	राजस्थान	173309	198152	202927
13.	तमिलनाडु	364525	364843	350361
14.	उत्तर प्रदेश	376172	385706	417781
15.	पश्चिम बंगाल	327115	312959	353515
II. छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र				
1.	हिमाचल प्रदेश	38143	40164	38496
2.	जम्मू कश्मीर	11688	14386	11917
3.	मणिपुर	4005	2275	1271
4.	मेघालय	606	589	723
5.	नागालैंड	1013	2408	293

1		2	3	4
6.	सिक्किम	1295	1015	280
7.	त्रिपुरा	7573	7347	12790
8.	अण्डमान निकोबार	1911	1832	1798
9.	अरूणाचल प्रदेश	1806	1718	1375
10.	चंडीगढ़	2967	3081	2833
11.	दादर नगर हवेली	809	7181	455
12.	दिल्ली	37176	38561	38763
13.	गोवा	4105	4338	4344
14.	दमण दीव	376	368	457
15.	लक्षद्वीप	23	39	26
16.	मिजोरम	4471	4672	4955
17.	पांडिचेरी	8222	8024	8307
III. अन्य राज्य				
1.	रक्षा मंत्रालय	21870	23662	20996
2.	रेल मंत्रालय	27075	29629	25995
	अखिल भारत	4090039	4286418	4466377$

$ आंकड़े अनंतिम

[अनुवाद]

अन्तर्राज्यीय नदी जल

*177. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अंतर्राज्यीय नदियों के पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में प्रारूप-दिशानिर्देश तैयार कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दिशानिर्देशों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मंजूरी दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस बारे में में कोई विधान लाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (च) हाल ही में अन्तर्राज्यीय नदियों के जल आबंटन हेतु तैयार किए गए राष्ट्रीय नीति दिशानिर्देशों का मसौदा राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है और राष्ट्रीय जल बोर्ड को जून, 1994 में आयोजित बैठकों में, जिसमें राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व था भी इस पर विचार विमर्श किया गया था। राष्ट्रीय जल बोर्ड में हुए विचार-विमर्श के आधार पर संशोधित मसौदा राज्यों को परिचालित किया गया है और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद को अगली बैठक की कार्यसूची में इसे शामिल किया गया है।

दिशा निर्देशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

अन्तर्राज्यीय जल आबंटन हेतु नदी बेसिनों को एक यूनिट के रूप में गिना जाएगा।

सभी सह-बेसिन राज्य और केन्द्र आबंटन प्रक्रिया में पक्षकार होंगे।

आबंटन के समय उपयोग की उचित संभावना पर विचार किया जायेगा।

आबंटन समान संविभाजन के सिद्धान्त पर आधारित होगा।

राज्य समग्र राष्ट्रीय हित को अवहेलना किये बिना किसी भी तरीके से अपने हिस्से का उपयोग करने के लिए स्वतन्त्र होंगे।

सभी सहबेसिन राज्यों के बीच सामान्यतया अन्तर्राज्यीय करारों का ध्यान रखा जाता है।

विद्यमान योजना-पूर्व के उपयोगों और अनुमोदित योजना उपयोगों को संरक्षित किया जाता है।

राष्ट्रीय हित के रूप में पर्यावरण प्रबन्ध, राष्ट्रीय जल मार्ग में नौवहन तथा गैर सहबेसिन राज्यों आदि को अत्यावश्यक जरूरतों को आवश्यकता पर विचार करके आबंटन।

किए गए आबंटन का निरीक्षण करने के लिए प्रबोधन और क्रियान्वयन तन्त्र का गठन।

जल आबंटन की सामान्यतया 40 वर्षों के बाद पुनरीक्षा की जाती है।

ये नीति मार्ग निर्देश सहबेसिन राज्यों के बीच नदी जल के बंटवारे के लिए मार्ग-दर्शक के रूप में कार्य करने के लिए नियत किए गए हैं तथा इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। ये मार्ग निर्देश अन्तर्राज्यीय जल विवादों की बातचीत, विवेचन और अधिनिर्णय की प्रक्रिया में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे तथा ऐसे विवादों को शीघ्र हल करने के लिए कार्य ढांचा प्रदान करेंगे। इन मार्ग निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए कोई कानून बनाने का प्रस्ताव नहीं है। अन्तर्राज्यीय जल के बंटवारे के अन्तर्राज्यीय विवादों को विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार हल किया जाता रहेगा।

[हिन्दी]

नदियों से कोयला निकालना

*178. श्री चेतन पी॰ एस॰ चौहान : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड ने नदियों के तल से कोयला निकालने की कोई योजना आरम्भ की थी;

(ख) क्या उस योजना पर आंशिक अमल होने के बाद उसके कार्य को बीच में ही रोक दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) योजना पर कब से पुन: कार्य आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ) सरकार ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की दामोदर नदी परिवर्तन परियोजना के संबंध में प्रारंभिक क्रियाकलाप शुरू किए जाने के लिए 5.59 करोड़ रुपये की राशि की एक अग्रिम कार्रवाई योजना को स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में प्रस्तावित दामोदर नदी परिवर्तन परियोजना की कारगली, सीम से लगभग 80 मिलियन टन कोककर कोयले को जारी किए जाने की संभावना है, जिसका बाद में ओपेनकास्ट खनन द्वारा उत्खनन किए जाने का प्रस्ताव है।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की ऐम्ब नदी परिवर्तन योजना को अप्रैल, 1993 में 27.99 करोड़ रुपये के पूंजीगत परिव्यय की राशि पर अनुमोदन दे दिया गया था और इस संबंध में कार्य चरणबद्ध रूप में शुरू किया जाता है, जोकि भूमि अधिग्रहण के कार्य की प्रगति तथा अन्य आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

मातृ-भाषाएं

*179. श्री हरिन पाठक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर मातृ-भाषाओं संबंधी सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया गया है;

(ख) इस सर्वेक्षण रिपोर्ट को कब तक प्रकाशित कर दिया जायेगा;

(ग) भारत में कितनी मातृ-भाषाएं हैं; और

(घ) सबसे अधिक लोगों और सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली मातृ-भाषाएं कौन-कौन सी हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस॰ बी॰ चव्हाण) : (क) जनगणना आंकड़ों के आधार पर मातृ-भाषाओं का सर्वेक्षण चल रहा है।

(ख) सर्वेक्षण पूरा हो जाने पर रिपोर्ट के 1999 तक प्रकाशित किए जाने की संभावना है।

(ग) 1981 की जनगणना के समय 1623 मातृ-भाषाएं बताई गई थी। 1991 की जनगणना के आंकड़ों को संकलित किया जा रहा है।

(घ) 1981 की जनगणना के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार हिन्दी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक और संस्कृत बोलने वालों की संख्या सबसे कम थी।

आकाशवाणी और दूरदर्शन का प्रसारण

***180. श्री बी॰ देवराजन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रमों का प्रसारण कितने क्षेत्र में उपलब्ध कराया जाता है;

(ख) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और अधिक जनसंख्या को इन कार्यक्रमों का प्रसारण उपलब्ध कराने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा देश का वर्तमान कवरेज निम्नानुसार है :-

	क्षेत्रवार	जनसंख्या वार
दूरदर्शन	66.8%	84.6%
आकाशवाणी	89.6%	97.0%

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार का वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन/8वीं योजना के दौरान परिकल्पित स्कीमों के पूरा होने पर दूरदर्शन तथा आकाशवाणी द्वारा देश के जनसंख्यावार कवरेज को बढ़ाकर क्रमशः 91.8% तथा 97.5% तक किए जाने का लक्ष्य है। तथापि, उपग्रह मोड के माध्यम से संपूर्ण देश को कवर किया जाता है।

मंत्रियों पर खर्च

1618. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मंत्री-परिषद पर गत तीन वित्त वर्षों के दौरान, वास्तव में कितनी धनराशि प्रमुख मद-वार खर्च की गयी तथा 1994-95 के बजट में कितनी धनराशि खर्च किये जाने का अनुमान है;

(ख) क्या यह खर्च गत वर्षों की तुलना में अत्यधिक वृद्धि को दर्शाता है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन मदों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है; और

(घ) क्या सरकार ने यात्रा, टेलीफोन शुल्क, आवास तथा फर्नीचर, साज-सामान, कार्यालय उपस्कर तथा व्यक्तिगत सुरक्षा पर खर्च कम करने के लिए कोई कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ एम॰ सईद) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 1993-94 के दौरान हुआ कुल व्यय, 1992-93 के दौरान हुए व्यय से कम है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) निर्देश जारी किए गए हैं कि (i) मंत्रियों के प्रयोग के लिए दिए गए दो टेलीफोन, एक उनके कार्यालय में सीधे उनके पास या उनके स्टाफ के पास स्थापित और दूसरा संसद भवन में स्थापित टेलीफोन को छोड़कर अन्य टेलीफोनों में एस० टी० डी० की सुविधाएं वर्जित की जाएं (ii) केबिनेट मंत्रियों या स्वतंत्रण प्रभार वाले मंत्रियों के घरों पर दो टेलीफ़ोन और राज्य मंत्री या उप-मंत्री के घर पर एक टेलीफोन को छोड़कर शेष टेलीफोनों में एस० टी० डी० की सुविधा वर्जित की जाएं, (iii) मंत्रियों के कार्यालय और निवास पर, कार्यालय वाले हिस्से में फर्नीचर, साज-सज्जा इत्यादि के लिए 45,000 रु० की सीमा निर्धारित की गई है मंत्रियों का निवास नियम, 1962 में भी उपमंत्री के अलावा मंत्रियों के घरों पर फर्नीचर और बिजली उपकरणों के लिए 38,500 रु० की खर्च सीमा निर्धारित की गई है और उपमंत्री के निवास के लिए 22,500 रु० की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा, मंत्रियों की, विदेशों और घरेलू यात्रा के बारे में भी दिशा निर्देश है।

विवरण

वर्ष	वेतन पर खर्च	सैंमद्‌चूअरी भत्ते पर व्यय	दौरों पर व्यय के रूप में किया गया खर्च
1991-92	16,37,459	46,10,263	8,49,88,789
1992-93	16,92,651	52,33,661	34,86,06,200
1993-94	19,01,488	57,50,081	30,35,96,088
1994-95 (बी० ई०)	25,00,000	65,00,000	32,00,00,000

मानवाधिकार आयोग

1619. श्री परसराम भारद्वाज : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देश में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई अभियान शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजनैतिक दलों के अध्यक्षों, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों, विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों और भारत सरकार के शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि वे मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और देश में मानवाधिकारों की संस्कृति को आगे और मजबूत बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाएं और उपाय करें।

विदेशी समाचार-पत्र

1620. श्री सत्यदेव सिंह :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में विदेशी समाचार-पत्रों के प्रकाशन की अनुमति देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कई विदेशी समाचार संगठनों के अनुरोध भी प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) भारत में समाचार पत्रों का प्रकाशन 1955 में मंत्रिमंडल के नीति निर्णय के अनुसार किया जाता है जिसमें भारत में विदेशी समाचारपत्रों/पत्रिकाओं और मुख्य रूप से समाचार तथा समसामयिक घटनाओं से संबंधित विदेशी समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों का प्रकाशन प्रतिबंधित है। इस विषय पर समय-समय पर विचार हुआ है परन्तु कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार को भारत में समाचारपत्र के मुद्रण की अनुमति देने के लिए एक विदेशी समाचार संगठन के केवल एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। वर्तमान नीति निर्णय को मद्देनजर रखते हुए इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है।

पठारीय क्षेत्र विकास परियोजना

1621. डा॰ वसंत पवार : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक अथवा विदेशी एजेंसियों के पास आदिवासियों के लाभार्थ कोई योजनाएं हैं;

(ख) क्या विश्व बैंक ने विगत समय में आदिवासियों के लाभार्थ पठारीय क्षेत्र विकास परियोजना के लिये सहायता की पेशकश की थी;

(ग) क्या सरकार ने विश्व बैंक की पेशकश को स्वीकार कर लिया है और देश में कोई योजनाएं लागू की हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

सिंचाई परियोजनाएं

1622. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की कुछ सिंचाई परियोजनायें अंतर्राज्यीय जल विवाद के कारण प्रभावित हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इन विवादों के हल के लिए कौन से कदम उठाये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन) : (क) और (ख) केन्द्र में प्राप्त उड़ीसा की कोई भी नयी वृहद और मध्यम परियोजना अन्तर्राज्यीय मुद्दों से प्रभावित नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्र और टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर

1623. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कार्यरत टी॰ वी॰ ट्रांसमीटरों और आकाशवाणी केन्द्रों की क्षमता और प्रसारण क्षेत्र का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है :

(ख) राज्य में उच्च शक्ति के टी॰ वी॰ ट्रांसमीटरों को लगाने के लिए किन-किन स्थानों को चुना गया है;

(ग) अब तक इन पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(घ) टी॰ वी॰ ट्रांसमीटरों को कब तक लगा लिये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण-एक में दिए गए हैं।

(ख) वारंगल, नांदयाल, कुरनूल तथा राजामुदरी में उ॰ श॰ टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने हेतु परिकल्पित हैं।

(ग) 31.3.94 तक 235.99 लाख रु॰ का व्यय किया गया था।

(घ) संलग्न विवरण-दो के अनुसार।

विवरण एक

	स्थान	क्षमता	कवर हुए क्षेत्र हजार कि.मी. में
	1	2	3
1.	आकाशवाणी		
	हैदराबाद "क"	50 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ ऊ॰ शा॰ ट्रां॰	162.8
	हैदराबाद "ख"	10 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ ट्रांसमीटर	17.8
	हैदराबाद "ग"	1 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ ट्रां॰	
		50 कि॰ वा॰ शा॰ वे॰ ऊ॰ शा॰ ट्रां॰ (सम्पूर्ण राज्य)	

1	2	3
विशाखापटनम	100 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ उ॰ शा॰ ट्रां॰	30.2
कुडप्पा	100 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ उ॰ शा॰ ट्रां॰	67.9
अदिलाबाद	1 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ उ॰ शा॰ ट्रांसमीटर	3.5
विजयवाड़ा	100 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ उ॰ शा॰ ट्रां॰	116.3
	1 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ ट्रां॰	4.7
कथागुड्डम	2X3 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ ट्रां॰	11.3
वारंगल	2X5 कि॰ वा॰ एफ॰ एम॰ ट्रां॰	14.0
निजामाबाद	2X3 कि॰ वा॰ एफ॰ एम॰ ट्रां॰	11.3
तिरूपति	3 कि॰ वा॰ एफ॰ एम॰ ट्रां॰ (अन्तरिम रूप से स्थापित)	2.8
अनन्तपुर	2X3 कि॰ वा॰ एफ॰ एम॰ ट्रां॰	11.3
कुरनूल	2X3 कि॰ वा॰ एफ॰ एम॰ ट्रां॰	11.3
मारकापूरम	3 कि॰ वा॰ एफ॰ एम॰ ट्रां॰ (अन्तरिम रूप से स्थापित)	2.8

II दूरदर्शन

उ.शट्रा,	अनंतपुर	10 किवा
उ.शट्रा,	हैदराबाद	10 किवा
उशट्रा,	तिरूपति	10 किवा
उशट्रा,	विजयवाड़ा	10 किवा
उशट्रा,	विशाखापटनम	10 किवा
अशट्रा,	आदिलाबाद	100 वाट
अशट्रा,	अदमी	100 वाट
अशट्रा,	अमलापुरम	100 वाट
अशट्रा,	आत्मापुर	300 वाट
अशट्रा,	भद्राचलम	100 वाट
अशट्रा,	भीमाडोलू	100 वाट
अशट्रा,	चितूर	100 वाट

1	2	3
अशट्रा, कुडप्पा	100 वाट	
अशट्रा, गदवाल	300 वाट	
अशट्रा, गिद्दूर	300 वाट	
अशट्रा, गुताकल	100 वाट	
अशट्रा, जगतियाल	300 वाट	
अशट्रा, काकीनाड़ा	100 वाट	
अशट्रा, करीमनगर	100 वाट	
अशट्रा, खम्मम	100 वाट	
अशट्रा, कोथागुडम	100 वाट	
अशट्रा, कुरनल	100 वाट	
अशट्रा, मदीसा	100 वाट	
अशट्रा, महबूबनगर	300 वाट	
अशट्रा, नालगोंडा	100 वाट	
अशट्रा, नांदयाल	100 वाट	
अशट्रा, नेल्लौर	100 वाट	
अशट्रा, निजामाबाद	100 वाट	
अशट्रा, ओगोले	100 वाट	इन ट्रांसमीटरों से राज्य के
अशट्रा, पोदुत्तर	100 वाट	70.8 प्रतिशत क्षेत्र को
अशट्रा, राजामुंद्री	100 वाट	कवरेज प्राप्त होने
अशट्रा, रामागुण्डम	100 वाट	की संभावना है।
अशट्रा, सिद्धिपेंट	100 वाट	
अशट्रा, श्रीकाकुलम	100 वाट	
अशट्रा, तंदुर	100 वाट	
अशट्रा, वारंगल	100 वाट	
अशट्रा, येल्लाण्ड	100 वाट	
अशट्रा, हैदराबाद (डीडी-2)	100 वाट	
ट्रांसपोजर, विजयवाड़ा	10 वाट	
ट्रांसपोजर, विशाखापटनम	10 वाट	

विवरण-दो

ट्रांसमीटर	स्थल	प्रतिष्ठापनों के पूरा होने की आशा है
1	2	3
उ० श० ट्रां०	नन्दयाल	1995
उ० श० ट्रां०	कुरनूल	1995
अ० श० ट्रां०	अलगद्दा	संस्थापन पूरा हो गया और ट्रांसमिशन का परीक्षण किया जा रहा है।
अ० श० ट्रां०	भीमावरम	-तथैव-
अ० श० ट्रां०	हिन्दूपुर	-तथैव-
अ० श० ट्रां०	विजाग	-तथैव-
अ० श० ट्रां०	कावली	-तथैव-
अ० श० ट्रां०	कुप्पम	-तथैव-
अ० श० ट्रां०	मदनापल्ली	-तथैव-
अ० श० ट्रां०	मेडक	1995
अ० श० ट्रां०	नागरकुरनूल	-तथैव-
अ० श० ट्रां०	निर्मल	-तथैव-
अ० श० ट्रां०	बेलामपल्ली	-तथैव-
अ० श० ट्रां०	मरकापुर	-तथैव-
अ० श० ट्रां०	कम्मारेड्डी	-तथैव-
अ० श० ट्रां०	यमंगानूर	-तथैव-
अ० श० ट्रां०	तम्बलापल्ली	-तथैव-
अ० श० ट्रां०	एल० आर० पल्ली	-तथैव-
अ० श० ट्रां०	कादिरी	-तथैव-
अ० श० ट्रां०	मधिरा	-तथैव-
अ० श० ट्रां०	पासरा	-तथैव-
अ० श० ट्रां०	पडेरू (शक्ति का उन्नयन)	-तथैव-
अ० श० ट्रां०	वानापार्थी	-तथैव-
अ० श० ट्रां०	कोरंगल	-तथैव-

1	2	3
अ० श० ट्रां०	कोसिगी	–तथैव–
अ० श० ट्रां०	पेडनानदिपाडू	–तथैव–
अ० श० ट्रां०	चिन्तापल्ली	स्कीम अभी अनुमोदित होनां है। स्कीम के अनुमोदन के पश्चात् लगभग 2 वर्ष
अ० अ० श० ट्रां०	श्रीसालेम	1995*
अ० अ० श० ट्रां०	पार्वतीपुरम	–तथैव–
अ० अ० श० ट्रां०	इच्छापुरम	–तथैव–
ठ० श० ट्रां०	राजामुन्दरी	स्कीम के औपचारिक रूप से अनुमोदित
ठ० श० ट्रां०	वारंगल	होने के पश्चात चालू होने में लगने वाला सामान्य लीड समय 3-4 वर्ष है।

*अपेक्षित भवन एवं आधारभूत सुविधाओं तथा उपस्करों की सामयिक आपूर्ति उपलब्ध होने पर।

[हिन्दी]

अपराधों को रोकने के लिए भारत तथा नेपाल के बीच वार्ता

1624. श्री अरविंद त्रिवेदी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा नेपाल के बीच हाल ही में अपराधों को रोकने के संबंध में कोई वार्ता हुई है अथवा किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते को कब से कार्यान्वित किया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) से (ग) पड़ोसी मित्र देश के साथ आपसी सहयोग के रूप में, आपसी हितों के मामलों पर विभिन्न स्तरों पर बातचीत होती रहती हैं। वर्तमान समझौतों के ढांचे के अन्तर ही खास प्रकार के अपराधों को रोकने के प्रयास भी किए जाते हैं। अपराधों को रोकने के लिए भारत और नेपाल के बीच, हाल ही में किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

[अनुवाद]

छितौनी रेल सड़क पुल

1625. श्री मोहन सिंह (देवरिया) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को छितौनी रेल सड़क पुल के निर्माण के लिए अपना अंशदान देना था;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय को रेलवे मंत्रालय को कितना अंशदान देना था;

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा रेलवे को अभी तक कुल कितनी राशि का अंशदान किया गया है; और

(घ) बकाया अंशदान राशि का कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन) : (क) जी हाँ।

(ख) से (घ) जल संसाधन मंत्रालय का हिस्सा 5.0 करोड़ रुपए था, जिसका भुगतान मार्च, 1982 में किया गया था। इसके अतिरिक्त, परियोजना के बाढ़ नियंत्रण घटक को अन्तिम रूप देने तक विचाराधीन, रेलवे को मार्च, 1982 में 2.1 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया था और इसका तदनुसार समायोजना होना था।

[हिन्दी]

दिल्ली में चोरी की वारदातें

1626. श्री जनार्दन मिश्र :

श्री पंकज चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विभिन्न होटलों के बाहर खड़ी की गई कारों से होने वाली चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान अब तक चोरी के ऐसे कितने मामलों की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे चोरियां रोकने के लिए कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ एम॰ सईद) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि 1.1.94 से 30.6.94 तक की अवधि के दौरान दिल्ली में विभिन्न होटलों के बाहर खड़ी की गयी कारों की चोरी की 7 घटनाएं सूचित की गयी जबकि 1993 की तदनुरूपी अवधि अर्थात् 1.1.93 से 30.6.93 तक की अवधि के दौरान इस प्रकार की चोरी की 11 घटनाऐं सूचित की गयी थी।

(ग) और (घ) इस प्रकार की चोरी को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

(i) इस प्रकार के चोरों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए जिले के वाहन चोरी-विरोधी दस्ते सहित पुलिस स्टेशन स्टाफ को उपयुक्त ढंग से ब्रीफ किया गया है।

(ii) इस संबंध में होटल सुरक्षा कर्मचारियों को भी ब्रीफ किया गया है।

(iii) ऐसे गिरोहों या अभियुक्त व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

(iv) अपराध प्रोन्नत क्षेत्रों में जाल बिछाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

दवाओं की खरीद

1627. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने उन विभिन्न फर्मों को देय धनराशि का भुगतान नहीं किया है जिन्होंने सरकारी मेडिकल स्टोर्स डिपो बम्बई को करोड़ों रुपए की दवाओं की आपूर्ति की है;

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन फर्मों से तब तक दवाएं न खरीदने का है जब तक कि उनकी देयराशि का भुगतान नहीं हो जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) और (ख) भुगतान चरणों में किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सिंचाई प्रस्ताव

1628. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	लाभान्वित क्षेत्र (हेक्टेयर)	अनुमानित लागत (लाख रुपए)	केंद्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तिथि	स्थिति
1	2	3	4	5	6
क. सलाहकार समिति द्वारा विचार की गई तथा टिप्पणियों के अध्यधीन स्वीकार्य पाई गई परियोजनाएं					
	वृहद				
1.	मौदहा बांध	27.700	6682	3/90	राज्य सरकार की मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय और वन स्वीकृति प्राप्त करनी है।
2.	मेजा बांध को उठाना	17,880 (अतिरिक्त)	5218	3/92	राज्य सरकार को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी है।
3.	जमानिया पंप नहर की क्षमता बढ़ाना	31,821 (अतिरिक्त)	3981	4/83	राज्य सरकार को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी है।
4.	बेवर पोषक परियोजना	9800 (अतिरिक्त)	2791	9/88	राज्य सरकार को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी है।
5.	बाणसागर नहर	1,60,132 (अतिरिक्त)	33019 (बांध और सामान्य कार्यों की अंश लागत सहित)	6/89	राज्य सरकार को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी है तथा राज्य वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी है।

1	2	3	4	5	6
6.	राजघाट नहर परियोजना	1,38,660 (अतिरिक्त)	12643	9/88	राज्य सरकार को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी है तथा राज्य वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी है।
7.	बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में चैनलों को पक्का करना	23,778 (अतिरिक्त)	5737	5/92	राज्य सरकार को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी है तथा पर्याप्त निधियों का प्रावधान सुनिश्चित करके राज्य वित्त विभाग की सहमति भी प्राप्त करनी है।
	मध्यम				
1.	हिंडन कृष्णी दोआब में खरीफ चैनलें उपलब्ध करना	3000	1553	4	राज्य सरकार को राज्य वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी है।
ख.	**परियोजनाएं जिन पर राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मुद्दों को हल करना है**				
1.	जरौली पंप नहर	46450	2754	1/93	राज्य सरकार को केंद्रीय जल आयोग के मूल आयोजना पहलुओं सहित सिंचाई आयोजना को स्वीकृत करवाना है।
2.	चित्तौड़गढ़ जलाशय	11830	3033	10/93	राज्य सरकार को केंद्रीय जल आयोग से

1	2	3	4	5	6
					जल वैज्ञानिक और सिंचाई आयोजना स्वीकृत करानी है।
3.	कन्हर सिंचाई	33120	17427	2/94	राज्य सरकार को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण और वन स्वीकृति प्राप्त करने के अतिरिक्त केंद्रीय जल आयोग से अंतर्राज्यीय मुद्दों, जल विज्ञान तथा सिंचाई आयोजना पहलुओं को स्वीकृति कराना है।

टिप्पणी : परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केंद्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय और वन स्वीकृति प्राप्त करती है।

[अनुवाद]

समुद्र दीवार

1629. श्री सनत कुमार मंडल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने एक समुद्र दीवार का निर्माण करने के बारे में एक व्यापक योजना स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार को भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस प्रयोजनार्थ विश्व बैंक की सहायता के लिए भी केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने, सुन्दरवन में कटाव द्वारा प्रभावित सागर दीप द्वीप, घोरामारा द्वीप और अन्य आस-पास के क्षेत्र तथा 24 परगना और मिदनापुर के जिले में समुद्री तट के साथ-साथ कटावों की सुरक्षा हेतु प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार की है। प्रस्ताव की रूपरेखा में 330 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 180 कि॰ मी॰ लम्बी समुद्री दीवार का निर्माण, जिसमें समुद्र के दोनों ओर पत्थरों से संरक्षित एक मिट्टी तटबंध का निर्माण भी शामिल है, करने की परिकल्पना की गई है। प्रस्ताव की जांच केन्द्रीय जल आयोग द्वारा केन्द्रीय जल एवं अनुसंधान केन्द्र, पुणे के परामर्श से की गई है। राज्य को केन्द्रीय जल आयोग और योजना आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्राथमिकता के अनुरूप समुद्री तट कटावों को असुरक्षित पहुंचों के लिए अलग-अलग योजना जो राज्य तकनीकी परामर्श समिति अथवा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित की गई हो प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय जल आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को बाह्य सहायता प्राप्त करने हेतु एक व्यापक परियोजना प्रस्ताव तैयार करने की सलाह दी है।

बच्चों की शिक्षा

1630. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खनिजकों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1994-95 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कंपनीवार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) वर्ष 1993-94 के दौरान इस पर कितना व्यय हुआ ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोलफील्ड्स क्षेत्रों में स्थित निजी प्रबन्धाधीन स्कूलों तथा कॉलेजों को अद्धसंरचनात्मक सुविधाओं के माध्यम से कोयला कंपनियां वितीय एवं

अन्य सहायता उपलब्ध कराती हैं, ताकि कोयला खनिकों के बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पर्याप्त रूप में देख-रेख की जा सके।

(ग) चालू वर्ष 1994-95 में शिक्षा के प्रयोजनार्थ निधियों के नियतन पर अभी निर्णय लिया जाना है।

(घ) 1993-94 के दौरान विभिन्न कोयला कंपनियों द्वारा किया गया व्यय लगभग 11.74 करोड़ रु० की राशि का है।

[हिन्दी]

बिहार में "एड्स" रोग

1631. श्री राम टहल चौधरी :

श्री राम कृपाल यादव :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में एच० आइ० वी० (पोजीटिव) के रूप में पाए गये रोगियों की संख्या कितनी है;

(ख) बिहार में "एड्स" परीक्षणों की सुविधाएं कितने अस्पतालों में उपलब्ध हैं;

(ग) क्या राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा अथवा किसी विदेशी सहायता से कोई "एड्स" नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) बिहार से 30 जून, 1994 तक तीन एच आई वी पॉजीटिव रोगियों की सूचना मिली है।

(ख) एड्स/एच आई वी परीक्षण सुविधाएं एक निगरानी केन्द्र और नौ आंचलिक रक्त परीक्षण केन्द्रों में उपलब्ध हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है :-

1. **निगरानी केन्द्र :** राजेन्द्र स्मारक अनुसंधान संस्थान, पटना

आंचलिक रक्त परीक्षण केन्द्र

1. रक्त बैंक, नालंदा मेडिकल कालेज, गया
2. रक्त बैंक, पटना मेडिकल कालेज, पटना
3. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, धनबाद
4. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, जमशेदपुर
5. जमशेदपुर रक्त बैंक, जमशेदपुर
6. रक्त बैंक, राजेन्द्र मेडिकल कालेज, रांची
7. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, भागलपुर
8. रक्त बैंक, श्रीकृष्ण मेडिकल कालेज, मुजफ्फरपुर
9. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, दरभंगा

(ग) जी हां।

(घ) विश्व बैंक से 84 मिलियन अमरीकी डालर के उदार ऋण तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन से 1.5 मिलियन अमरीकी डालर की तकनीकी सहायता से बिहार सहित देश भर में एक व्यापक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम इस समय चलाया जा रहा है। एड्स को रोकने की कार्यनीति में कार्यक्रम प्रबन्ध को सुदृढ़ करने, खतरे के आचरण वाले समूहों और आम लोगों में जागरूकता पैदा करने, यौन संचारित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण, यौन संचारित रोगों तथा एच आई वी की रोकथाम के लिए कंडोम के उपयोग को बढ़ावा देना, रक्त निरापदता और रक्त युक्तिसंगत उपयोग तथा एच आई वी/एड्स रोगियों की निगरानी, निदान और उपचार के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है।

लंबित विधेयक

1632. श्री एन॰ जे॰ राठवा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात विधान सभा द्वारा पारित विधेयक जो केन्द्र सरकार के पास राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लंबित है का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब तक मिल जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ एम॰ सईद) : (क) और (ख) बम्बई ईनाम (कच्छ क्षेत्र) समापन (गुजरात संशोधन) विधेयक, 1994 दिनांक 1.8.1994 को राष्ट्रपति के विचारण के लिए प्राप्त हुआ है। राज्य विधायनों ने भारत सरकार के संबंधित विभागों/मंत्रालयों द्वारा जांच करने तथा जहां आवश्यक हो वहां राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किए जाने की मांग की है। विधेयकों को शीघ्रता से निपटाने के लिए अनुस्मारक भेजे जाते हैं तथा जहां आवश्यक होता है विचार-विमर्श भी किया जाता है।

बिहार के समाचार-पत्र

1633. श्री ललित उमराव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दैनिक, साप्तहिक और मासिक समाचार पत्रों/पत्रिकाओं को अखबारी कागज और विज्ञापन और दृश्य निदेशालय द्वारा विज्ञापन देने के लिये क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) अखबारी कागज और विज्ञापन और दृश्य निदेशालय के विज्ञापन प्राप्त करने वाले बिहार के कितने दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक समाचार-पत्र/पत्रिकाएं सूचीबद्ध हैं; और

(ग) वर्ष 1991, 1992 और 1994 में (जून 1994 तक) इन्हें अखबारी कागज का कुल कितना कोटा और कितने विज्ञापन दिये गये ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) (क) समाचार पत्र/पत्रिका के लिए अखबारी कागज की मूल पात्रता पिछले वर्ष के दौरान अखबारी कागज और कोई अन्य कागज का वार्षिक उपयोग, औसत वार्षिक प्रसार, प्रकाशन दिनों की औसत संख्या और प्रकाशित औसत पृष्ठ क्षेत्र के आधार पर निर्धारित की जाती है।

जहां तक विज्ञापनों को देने के लिए मानदण्ड का सम्बन्ध है, केवल उन्हीं समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के लिए सरकारी विज्ञापन जारी किए जाते हैं जिनके नाम विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की सूची में सम्मिलित है। प्रचार अपेक्षाओं, लक्ष्य पाठकगण, कवर किए जा सकने वाले अभीष्ट क्षेत्र और बजटीय प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न श्रेणियों की पत्रिकाओं में विज्ञापन जारी किए जाते हैं।

वर्गीकृत विज्ञापन प्राय: दैनिक सामचार पत्रों में दिए जाते हैं क्योंकि वे समयबद्ध और प्रतिक्रियान्मुख होते हैं। साप्ताहिक और अन्य पत्रिकाओं तथा पत्रिकाओं का प्रयोग सामान्यतया जनसूचक/विभिन्न विषयों पर शैक्षिक प्रचार के लिए किया जाता है।

(ख) और (ग) एक विवरण सलंग्न है।

विवरण

वर्ष, 1991-92 के दौरान बिहार से जारी विभिन्न पत्रिकाओं के लिए आबंटित अखबारी कागज और विज्ञापन

वर्ष	दैनिकों, साप्ताहिकों, पक्षिकों और मासिकों की संख्या जिन्हें अखबारी कागज का आबंटन और विज्ञापन जारी किए गए थे।		आबंटित अखबारी कागजों की मात्रा (मी. ट.)	जारी किए गए विज्ञापनों की मात्रा।	
	अखबारी कागज	विज्ञापन			
1991-92	390	188	42,620.59	2,74,067	कालम से. मी.
1992-93	305	185	47,907.82	3,41,973	" "
1993-94	144	199	20,816.64	4,46,296	" "
1994-95 (जून, 94 तक)	42	96	6,743.37	64,188	" "

वर्ष 92-93 में 11, 93-94 में 15 और 94-95 के दौरान 11 समाचार पत्रों को खुले/हकदारी प्रमाणपत्र जारी किए गए थे। वे समाचार पत्र जो 200 मी. टन से अधिक वार्षिक मानक अखबारी कागज की हकदारी रखते हैं उन्हें अपने प्रयोग के लिए किसी भी मात्रा में अखबारी कागज के आयात की अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि उनके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक दो मी. टन देशी अखबारी कागज के लिए वे एक मी. टन मानक अखबारी कागज का आयात कर सकें।

[अनुवाद]

नेशनल काम्युनल फेडरेशन

1634. श्री राम नाईक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल फाउंडेशन फार काम्युनल हारमोनी ने 30 जून, 1994 तक कुल कितना अंशदान प्राप्त किया; और

(ख) 30 जून, 1994 तक कुल व्यय की गयी राशि का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ एम॰ सईद) : (क) भारत सरकार द्वारा संग्रह के रूप में प्रदत्त 10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्‌भाव प्रतिष्ठान द्वारा दिनांक 30.6.94 तक 88,19,503.60 रु॰ अंशदान के रूप में प्राप्त किए गए हैं।

(ख) राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्‌भाव प्रतिष्ठान द्वारा दिनांक 30.6.1994 तक 42.32 लाख रुपएं की राशि खर्च की गई। इसमें से बाल सहायता पर 27.35 लाख रुपए, वेतन और परिलब्धियों पर 6.15 लाख रुपए तथा 8.32 लाख रुपए अन्य प्रशासनिक खर्चों पर व्यय किए गए हैं।

कम शक्ति वाले/उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर और आकाशवाणी केन्द्र

1635. श्री एस॰ बी॰ सिदनाल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कार्य कर रहे कम शक्ति वाले और उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों और आकाशवाणी केन्द्रों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार आगामी वर्षों में उपरोक्त राज्य में ऐसे और दूरदर्शन के ट्रांसमीटर और आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) कर्नाटक में इस समय 4 उच्च शक्ति टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर, 26 अल्प शक्ति टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर और 12 आकाशवाणी केंद्र कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। एक विवरण संलग्न है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कार्यान्वयनाधीन/परिकल्पित टी॰ वी॰ ट्रांसमीटरों और नए आकाशवाणी केन्द्रों/ट्रांसमीटरों का ब्यौरा।

स्थान	स्कीम	अभ्युक्ति
1	2	3
टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर		
मंगलौर	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	स्कीम अनुमोदित होनी है।
मैसूर	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	–तथैव–
रायचूर	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	–तथैव–
हसन	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	–तथैव–
अरसीकेर	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	–तथैव–
गंगावती	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	कार्यान्वयाधीन
गोकाक	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	–तथैव–
जमीखण्डी	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	–तथैव–
मुडीगेरे	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	–तथैव–
पावगाडा	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	–तथैव–
रामदुर्ग	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	–तथैव–
कुमता	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	–तथैव–
भतकल	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	–तथैव–
हरपनहल्ली	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	–तथैव–
बासवा कल्याण	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	–तथैव–
सागर	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	–तथैव–
हुंगौड	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	–तथैव–
हाथीहल	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	–तथैव
आकाशवाणी		
बीजापुर	2x3 कि॰ वा॰ एफ॰ एम॰ ट्रांसमीटर बहुद्देशीय स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर	पूरा होने के लिए लक्ष्यित तारीख 1994-95 है।

1	2	3
बंगलौर	4×500 कि॰ वा॰ शा॰ वे॰ ट्रांसमीटर (विदेश सेवा के लिए नया ट्रांसमीटर)	–तथैव–
भद्रावती	20 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ ट्रांसमीटर को 20 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ में बदलना	–तथैव–
गुलबर्गा	10 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ से 20 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ ट्रांसमीटर में उन्नयन करना	–तथैव–
बंगलौर (प्रस्तावित आठवीं योजना स्कीम)	2×5 कि॰ वा॰ एफ॰ एम॰ ट्रांसमीटर (स्टीरियो)	स्कीम अनुमोदित होनी है।

लापरवाही के कारण मृत्यु

1636. डा॰ लाल बहादुर रावल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1994 के दौरान दिल्ली के डा॰ राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डाक्टरों/कर्मचारियों की लापरवाही से कितने लोगों की मृत्यु हुई;

(ख) क्या इन मामलों की कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रत्येक मामले के क्या परिणाम निकले; और

(घ) दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) से (ग) कथित लापरवाही के कारण अप्रैल, 1994 में एक मौत की सूचना दी गई थी। इस मामले की जांच करने के लिए गठित की गई समिति को अस्पताल के स्टाफ की ओर से लापरवाही का कोई प्रमाण नहीं मिला।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

मानवाधिकार और आतंकवाद

1637. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1994 में दिल्ली में "ह्यूमन राइट्स एण्ड टेररिज्म" पर कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बैठक में दिए गए मुख्य सुझावों तथा लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ नान-एलाईण्ड स्टडीज नामक एक गैर-सरकारी संगठन ने 21 और 22 जुलाई, 1994 को नई दिल्ली में "ह्यूमन राईट्स एण्ड टेररिज़्म" विषय पर एक दो-दिवसीय विश्वव्यापी सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में 36 देशों के 51 विदेशी शिष्टमण्डलों ने भाग लिया तथा 127 से अधिक भारत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें प्रमुख सांसद, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, मानवाधिकार संगठनों के प्रतिनिधि तथा पत्रकार इत्यादि शामिल हैं। सम्मेलन में मानव अधिकारों की आवश्यकता और इसके महत्व की सुरक्षा तथा मूलभूत स्वतंत्रता, आतंकवाद और राष्ट्र की भूमिका, आतंकवादी गुट और शस्त्र और नशीली दवाओं का अवैध व्यापार, तथा मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए आतंकवाद का मुकाबला करने जैसे अनेक विषयों पर चिंतन किया गया। सम्मेलन ने एक संकल्प पारित किया जिसमें आतंकवाद की निन्दा की गई क्योंकि मानवाधिकारों का उपयोग, विशेष रूप से जीने का अधिकार, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता और मानव गरिमा के अधिकारों को पहुंचने वाला एक विशेष खतरा उभर कर सामने आया है। संकल्प में संयुक्त राष्ट्र संघ से आतंकवाद से उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए उपाय तैयार करने में एक रचनात्मक भूमिका अदा करने का आह्वान किया गया है तथा आतंकवाद के विरुद्ध जागृति फैलाने और जनमत उत्पन्न करने के लिए आतंकवाद विरोधी वर्ष मनाने का आह्वान किया गया है।

(घ) भारत सरकार ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर मानवाधिकारों और राष्ट्रों की क्षेत्रीय अखण्डता के प्रति आतंकवाद से उत्पन्न गंभीर खतरों को पहचानने की आवश्यकता और इस विनाशकारी समस्या का प्रभावकारी ढंग से मुकाबला करने की आवश्यकता पर अन्तर्राष्ट्रीय जनमत एकत्र करने की मांग की है।

अधिक एफ० एम० चैनलों का खोला जाना

1638. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दर्शकों में आकाशवाणी के एफ० एम० चैनलों की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो आकाशवाणी द्वारा आकलित ऐसे दर्शकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) 1993-94 के दौरान दिल्ली, बम्बई और मद्रास स्थित एफ० एम० चैनलों को कितनी आय हुई और 1994-95 में कितनी आय होने का अनुमान है;

(घ) क्या सरकार का विचार आगामी वर्षों में और भी अधिक एफ० एम० चैनल खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और किन-किन स्थानों पर इन चैनलों के खोले जाने की संभावना है और उनका समय क्या होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) हालांकि आकाशवाणी द्वारा अभी तक कोई औपचारिक सर्वेक्षण नहीं कराया गया है परन्तु उपलब्ध फीड बैक दिल्ली, बंबई और मद्रास स्थित एफ० एम० चैनलों की बढ़ती लोकप्रियता का सूचक है।

(ग) विवरण निम्न प्रकार है :-

1993-94	2,52,36,000 रुपए
1994-95	2,73,75,000 रुपए (अनुमानित)

(घ) और (ङ) 25 जुलाई, 1994 से आकाशवाणी, कलकत्ता के एफ० एम० चैनल पर इसी प्रारूप में कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू हुआ। आकाशवाणी कानपुर, नागपुर तथा कटक सहित अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, पणजी और प्रदेशों की अन्य राजधानियों में एफ० एम० चैनलों के संबंध में इसी प्रकार की व्यवस्था की अनुसूची चरणबद्ध तरीके से तैयार की जा रही है।

[हिन्दी]

वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति

1639. डा० मुमताज अंसारी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जुलाई, 1994 के "जनसत्ता" में "वक्फ बोर्ड की जायदाद के घोटाले से शिया समुदाय नाराज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है/किए जाने का विचार है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां। दिनांक 11 जुलाई, 1994 को जनसत्ता में "वक्फ जायदाद में लाखों के घपले शिया समुदाय खफा" नामक शीर्षक से छपा समाचार सरकार के ध्यान में आया है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार से सूचना प्रतीक्षित है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रोजगार समाचार-पत्रों का वितरण

1640. श्री विजय कुमार यादव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साप्ताहिक रोजगार समाचार-पत्र के वितरण का कार्य एक निजी कंपनी द्वारा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितने समय से;

(ग) क्या उक्त कंपनी को बिक्री एजेंसी भी दी गई है;

(घ) क्या वर्तमान नियमों के अन्तर्गत, किसी एक व्यक्ति को वितरण ठेके के साथ-साथ बिक्री एजेंसी भी दी जा सकती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ङ) "एम्प्लायमेंट न्यूज" का प्रेषण कार्य जून, 1981 से मैसर्स पसरचम-ए-हिन्द नामक एक फर्म द्वारा किया जा रहा है। इस फर्म

के मालिक की मैसर्स दिल्ली न्यूज़ डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से एक और फर्म है जो उन एजेंसियों में से एक है, जिनके पास "एम्प्लायमेंट न्यूज़"/रोजगार समाचार" की बिक्री का काम है। विद्यमान नियमों के अनुसार, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि किसी व्यक्ति को प्रेषण के साथ-साथ बिक्री एजेंसी का कार्य नहीं सौंपा जा सकता है।

जाली करेंसी नोट

1641. श्री पंकज चौधरी :

श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने हाल ही में भारत में भारी मात्रा में जाली करेंसी नोट का प्रसार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ एम॰ सईद) : (क) और (ख) देश के अंदर, जाली भारतीय नोटों को चलाने के, पाकिस्तान के प्रयासों के संबंध में कुछ रिपोर्टें हैं। 50 रुपए और 100 रुपए के कुछ जाली नोट, जम्मू और कश्मीर में माह जून, 1994 में जब्त किए गए थे।

(ग) जाली नोटों की रोकथाम के लिए, भारतीय मुद्रा/बैंक नोट, विशेष सुरक्षा स्याही से विशेष ढंग से बने कागज (मोल्ड पेपर) पर छापे जाते हैं और उनमें निम्नलिखित विशिष्टताएं समाहित रहती हैं :-

(i) अशोक स्तम्भ की आकृति का पारदर्शी चिन्ह (वाटर मार्क);

(ii) बहुरंगी आफसेट छपाई;

(iii) 5 रुपए की राशि के तथा उससे बड़ी राशि के नोटों के मामले में सुरक्षाधागा (सिक्योरिटी थ्रेड)

(iv) 20 रुपए की राशि के नोटों तथा उसे बड़ी राशि के नोटों पर उत्कीर्ण छपाई, तथा

(v) उपरोक्त के अलावा, 500 रुपए की राशि नोट पर गुप्त प्रतीक तथा एक चित्र होता है।

इससे जनता को असली नोटों और जाली/नकली नोटों के बीच पहचान करने में मदद मिलेगी।

विदेशी कैदी

1642. डा॰ अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने विदेशी विभिन्न अपराधों के लिए कितनी विदेशी जेलों में राज्य-वार बंद हैं;

(ख) क्या सरकार को इन कैदियों से शीघ्र सुनवाई के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ एम॰ सईद) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) विदेशी बंदियों द्वारा दिए गए ज्ञापन में मुख्य रूप से (क) मुकदमों में लगने वाली अत्यधिक देरी, (ख) लम्बी अवधि के लिए मुकदमों का स्थगन, जमानत हेतु बड़ी राशि वाले बांड, आदि के बारे में उल्लेख किया गया है।

(घ) चूंकि "जेल" राज्य का विषय है, इसलिए जेलों में विचारणाधीन कैदियों की स्थिति और न्यायिक प्रणाली की संवीक्षा करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का कार्य है।

विवरण

दिनांक 31.12.1993 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय जेलों में कैद विदेशी बंदियों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	जेलों में कैद विदेशी बंदियों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	11
2.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य
3.	असम	8
4.	बिहार	53
5.	गोवा	14
6.	गुजरात	43
7.	हरियाणा	1
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य
9.	जम्मू व कश्मीर	33
10.	कर्नाटक	37
11.	केरल	26
12.	मध्य प्रदेश	5
13.	महाराष्ट्र	360
14.	मणिपुर	14
15.	मेघालय	51
16.	मिजोरम	28
17.	नागालैण्ड	शून्य
18.	उड़ीसा	26
19.	पंजाब	53

1	2	3
20.	राजस्थान	53
21.	सिक्किम	शून्य
22.	तमिलनाडु	140
23.	त्रिपुरा	19
24.	उत्तर प्रदेश	21
25.	पश्चिम बंगाल	623
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	121
27.	चण्डीगढ़	1
28.	दादरा और नगर हवेली	शून्य
29.	दमन और द्वीव	शून्य
30.	दिल्ली	147
31.	लक्षद्वीप	शून्य
32.	पांडिचेरी	शून्य
	योग	1888

[अनुवाद]

अस्पतालों का दर्जा बढ़ाना

1644. डा॰ खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार को विश्व बैंक की सहायता से राज्य के द्वितीय स्तर के अस्पतालों का दर्जा बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

हृदय रोग परीक्षण सुविधाएं

1645. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

डा॰ रमेश चन्द तोमर :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हृदय रोग परीक्षण की सभी सुविधायें उपलब्ध हैं;

(ख) यदि नहीं, तो वर्तमान में कौन सी सुविधायें उपलब्ध हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस अस्पताल में ऐसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो वे सुविधायें कब तक उपलब्ध हो जायेंगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) से (घ) अधिकतर परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं।

नशाखोरी

1646. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फार यूनानी मेडिसन", हैदराबाद, ने नशाखोरी पर अनुसंधान कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) इस अनुसंधान कार्य के परिणाम कब तक आ जाएंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

ल्यूकेमिया

1647. श्री पी॰ सी॰ चाक्को : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जून, 1994 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "अल्जाई में आफर ल्यूकेमिया क्योर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ल्यूकेमिया के इलाज के लिए इसका प्रयोग करने से पहले इसका परीक्षण करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नीला हरा अलगेई समेत लगभग 500 समुद्रीय नमूनों, जिसमें से अनेक नमूनों में आशाजनक

जीव विज्ञानीय क्रियाएं हैं, का पता लगाया गया है और समुद्रीय उत्पादों की सम्भावनाओं के बारे में परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है। राष्ट्रीय समुद्रीय सामग्री (डेटा) केन्द्र की भी स्थापना की गई है।

[हिन्दी]

पंजाब में स्वयंसेवी संगठन

1648. श्री हरचन्द सिंह : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के स्वयंसेवी संगठनों से वित्तीय सहायता हेतु गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) सरकार ने इसमें से कितने आवेदन पत्र स्वीकार किए और उक्त अवधि के दौरान कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ग) कितने आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु लंबित हैं; और

(घ) इन आवेदन पत्रों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) :

(क)

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या
1991-92	12
1992-93	15
1993-94	17

(ख)

वर्ष	संस्वीकृति आवेदन की संख्या	संस्वीकृत राशि (रू० लाख में)
1991-92	8	20.15
1992-93	15	42.80
1993-94	8	41.29

(ग) 6 आवेदन लम्बित हैं, 7 आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं।

(घ) लम्बित पात्र आवेदनों पर निधियों की उपलब्धता, तथा संगठनों और राज्य सरकार से जहां कहीं जरूरी हो, आवश्यक सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर वित्तीय सहायता हेतु चालू वित्त वर्ष के दौरान विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जल उपयोग दस्तावेज

1649. श्री वी॰ एस॰ विजयराघवन : क्या जल संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राष्ट्रीय जल उपयोग दस्तावेज से कुछ प्रावधानों को हटा देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, राज्यों के बीच जल का आबंटन करने के संबंध में राष्ट्रीय नीति संबंधी दिशा निर्देशों के प्रारूप पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के राष्ट्रीय जल बोर्ड की 16.6.94 एवं 27.6.94 को नई दिल्ली में हुई विशेष बैठक के दौरान केरल सरकार ने कुछ अनुच्छेदों के बारे में मामूली संशोधनों का सुझाव दिया था जिन पर दिशा निर्देशों के प्रारूप को संशोधित करते समय अन्य राज्यों की टिप्पणियों के साथ विचार किया गया था। दिशा-निर्देशों का संशोधित प्रारूप राज्यों को जुलाई, 1994 में परिचालित किया गया है।

ऊपरी कृष्णा परियोजना

1650. श्री एच॰ डी॰ देवगौड़ा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊपरी कृष्णा सिंचाई परियोजना वित्तीय चरण के लिए विश्व बैंक की सहायता राशि में से वितरित की गयी कितनी धनराशि का वास्तव में उपयोग किया गया है; और

(ख) शेष राशि को कब तक उपयोग में लाए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन) : (क) विश्व बैंक ने 1989 में अपर कृष्णा सिंचाई परियोजना चरण-II के कार्यान्वयन हेतु 325 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि की सहायता प्रदान करने का वचन दिया है। तथापि, विभाग में यथोचित परिवर्तन और कार्यान्वयन की धीमी गति होने के कारण सहायता के एक भाग को रद्द करने के पश्चात् 203 मिलियन अमेरिकी डालर की विश्व बैंक सहायता के वर्तमान मूल्य के विपरीत 31.5.1994 तक 98.75 मिलियन अमेरिकी डालर राशि का उपयोग किया गया है।

(ख) शेष राशि का उपयोग ऋण समाप्त होने की तारीख अर्थात् 31.12.1996 तक कर दिए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस

1651. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान कितने मामलों में विभिन्न न्यायालयों ने झूठे मुकदमों में लोगों को फंसाने के लिए दिल्ली पुलिस की आलोचना की है; और

(ख) इस बारे में न्यायालयों द्वारा जारी किए गए आदेशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ एम॰ सईद) : (क) श्रीमान्, केवल एक मामले में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि एक आपराधिक रिट याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय ने निदेश दिया है कि 21,100/रु॰ की राशि (लागत सहित) याचिकाकर्त्ता को एक महीने के अन्दर अदा की जाए, जिम्मेदारी तय की जाए और दोषी पाए गए अधिकारी से राशि वसूल की जाए तथा ठसके/उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए।

(ख) तदनुसार, 17.9.1993 को 21,100/- रु॰ की राशि याचिकाकर्त्ता को अदा की गई। मामले में की गई एक जांच-पड़ताल में ए॰ एस॰ आई॰ छोटे लाल और ए॰ एस॰ आई॰ ओम प्रकाश को इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाया गया कि उन्होंने अभियुक्त के नाम के एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। जहां ए॰ एस॰ आई॰ छोटे लाल को एक अन्य विभागीय जांच के आधार पर सेवा से हटा दिया गया है, वहीं इस मामले में ए॰ एस॰ आई॰ ओम प्रकाश के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।

[अनुवाद]

तिहाड़ जेल के कैदी :

1652. श्री राम प्रसाद सिंह :

श्री मंजय लाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जून, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "आर्डर ट्रायल ऑर फ्री अस, से तिहाड़ इनमेंट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की तरफ दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सुनवाई के लिए प्रतीक्षा कर रहे छः महीने से अधिक समय से हवालात में बंद कैदियों की संख्या क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या किसी अन्तर्राष्ट्रीय निकाय ने भी इस तरफ ध्यान दिलाया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ एम॰ सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि न्यायालयों में लम्बित पड़े मामलों को निपटाने के लिए वर्ष 1993 में दिल्ली न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों के 85 पद और दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में 12 पद सृजित किए गए। इसके अतिरिक्त चालू वर्ष के दौरान केवल एन॰ डी॰ पी॰ एस॰ मामलों को निपटाने के लिए सत्र न्यायालयों के स्तर पर 10 विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

(ग) 22.4.94 को केन्द्रीय जेल, तिहाड़ में 6 महीने से अधिक समय से 4210 विचाराधीन कैदी थे। मामलों के विचारण में विलम्ब के निम्नलिखित कारण हैं :-

(i) न्यायालयों में लम्बित मामलों की भारी संख्या;

(ii) वकीलों द्वारा बार-बार हड़ताल करना;

(iii) न्यायिक अधिकारियों की कमी;

(iv) भारी संख्या में मामलों का दायर होना।

(घ) और (ङ) वित्त मंत्रालय ने यह कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय मानव-अधिकार संगठनों ने भारतीय जेलों में विदेशी राष्ट्रिकों को लम्बी अवधि तक बंदी बनाए रखे जाने की आलोचना की है। केन्द्रीय जेल तिहाड़ में बंदी अधिकांश विदेशी राष्ट्रिकों पर एन॰ डी॰ पी॰ एस॰ अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा रहा है। एन॰ डी॰ पी॰ एस॰ अधिनियम के मामलों के त्वरित विचारण के लिए, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने 10 विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं।

त्रिपुरा द्वारा केन्द्रीय सहायता हेतु अनुरोध

1653. श्री श्रीकान्त जेना :

श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री चित्त बसु :

श्री राम विलास पासवान :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने राज्य में उपद्रव की स्थिति से निपटने हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्रोह की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार को कितनी और किस प्रकार की केन्द्रीय सहायता दी जाएगी;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने त्रिपुरा से अर्ध-सैनिक बलों को वापस बुला लिया है अथवा बुलाने का विचार है;

.(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य में आगामी पंचायत चुनावों के दौरान इन बलों को तैनात करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ एम॰ सईद) : (क) जी हां, श्रीमान। त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा आल ट्राईबल फोर्स के आत्म समर्पण करने वाले उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया गया है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से विशिष्ट पुनर्वास योजना के ब्यौरे मांगे गए थे, जो हाल ही में 2.8.94 को प्राप्त हो गए हैं और ये, समझौते पर आधारित पुनर्वास, एकीकृत मत्स्य पालन, चावल-मिल व्यापार, रबर बागान इत्यादि से संबंधित हैं।

(घ) और (ङ) जी नहीं, श्रीमान्। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों का चक्रानुक्रम (रोटेशन), मूल्यांकन तथा पुनः तैनाती की सामान्य प्रक्रिया जारी रहेगी।

(च) और (छ) जी, नहीं, श्रीमान्। देश के विभिन्न भागों में तथा पूर्वोत्तर में भी घुसपैठ का मुकाबला करने, कानून और व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की अत्यधिक आवश्यकता को देखते हुए, यह आंकलन किया गया है कि इस स्तर पर अतिरिक्त केन्द्रीय बलों को उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा। ऐसे मामलों में, राज्य सरकारों को अपने वर्तमान संसाधनों से ही अपेक्षित बलों की आवश्यक व्यवस्था करनी होगी।

कोयले का उत्पादन

1654. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ईस्टर्न कोल लिमिटेड द्वारा कुकिंग कोयला और गैर कुकिंग कोयले का कितना उत्पादन किया गया;

(ख) क्या सरकार का इसका उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि॰ (ई॰ को॰ लि॰) में कोककर कोयले और अकोककर कोयले के उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है :-

(मिलियन टन में)

	1993-94	1992-93	1991-92
कोकिंग	0.19	0.23	0.34
अर्द्ध-कोककर	0.42	0.39	0.30
अकोककर	22.00	23.44	23.87
जोड़	22.61	24.06	14.51

(ख) और (ग) उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाये गये कदमों में, अन्य बातों के अलावा निम्न कदम शामिल हैं–खानों का खोला जाना, विद्यमान खानों का आधुनिकीकरण तथा कोटाडीह, अमृतनगर भूमिगत, जे० के० नगर भूमिगत आदि, कोयला उत्पादन को अधिकतम करने के लिये नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग, आवकों और असरचंनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता समय पर सुनिश्चित किया जाना।

दिल्ली में अपहरण की घटनाएं

1655. श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्री लोकनाथ चौधरी :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम :

श्री वाई० एम० राजशेखर रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में अपहरण की विशेषरूप से अवयस्क बच्चों के अपहरण की अनेक घटनाओं के समाचार हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान अब तक पता चले ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) 1993 के दौरान इस अवधि के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(घ) अपहृत व्यक्तियों का पता लगाने तथा दोषी व्यक्तियों को दंड दिलाने में कितनी सफलता मिली है; और

(ङ) ऐसे मामलों को रोकने के लिये क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) चालू वर्ष 1994 में (30.6.94 तक) सूचित किए गए ऐसे मामले और उनका निपटान और गत वर्ष 1993 (30 6.93) तक की तद्नुरूपी अवधि के तुलनात्मक ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) दिल्ली में अल्पवयस्कों के अपहरण की घटनाओं की रोकथाम के लिए किए गए उपाय हैं :–

(i) स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए सुरक्षा-उपाय तैयार किए गए, उन्हें समाचार पत्रों में विस्तृत रूप से प्रकाशित किया गया और सभी स्कूलों में परिचालित किया गया।

(ii) स्कूलों के प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों से बच्चों की सुरक्षा हेतु पूर्वोपाय करने का अनुरोध किया गया है। पुलिस उपायुक्तों द्वारा स्कूलों के प्रधानाचार्यों को व्यक्तिगत पत्र भी लिखे गए हैं।

(iii) स्कूल जाने वाले बच्चों के मामले में कुछ सुरक्षा-उपाय करने का अनुरोध अभिभावकों से भी किया गया है।

(iv) थाना प्रभारी और अन्य वरिष्ठ पर्यवेक्षण अधिकारी, स्कूल लगने के समय दौरान बच्चों एवं अन्य स्टाफ की ब्रीफिंग के लिए स्कूलों का दौरा कर रहे हैं।

(v) पी॰ सी॰ आर॰ वेन, मोटरसाईकिल पर गश्त करने वाले, डिवीजन अधिकारी और बीट कांस्टेबल, विशेषत: स्कूलों के खुलने और बन्द होने के समय उन पर ध्यान रख रहे हैं।

(vi) सुरक्षा-उपायों के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए अखबारों में विज्ञापन दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष	मामलों की संख्या									व्यक्तियों की संख्या					उन व्यक्तियों की सं. जिनके खिलाफ मामले	
	संचित	निरस्त	हल किए गए	न्यायालय म दाखिल किए गए	दोषसिद्धि म समाप्त हुए	दोषमुक्ति म समाप्त हुए	विचारण क लिए लंबित	जाच क लिए लंबित	जिनका पता नहीं लगाया जा सका	गिरफ्तार किए गए	जिनके खिलाफ मामले न्यायालय म दाखिल किए गए	दोषसिद्ध	दोषमुक्त	रिहा किए गए	जाच क लिए लंबित ह	विचारण क लिए लंबित ह
1994 (30. 6.94 तक)	294	57	·123	48	-	-	48	183	6	160	64	-	-	7	89	64
1993 (30. 5.93 तक)	274	115	97	94	2	-	82	22	53	179	156	4	-	15	9	151

जिला पुनर्वास केन्द्र

1656. **श्री फूलचंद वर्मा :**

श्री महेश कनोडिया :

श्री विजय कुमार यादव :

श्री बापू हरि चौरे :

श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विकलांग व्यक्तियों हेतु जिला पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से राज्य आते हैं; और

(घ) सरकार द्वारा आवंटित किए जाने वाली राशि का राज्यवार संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) तीन राज्य सरकारों और एक संघ राज्य क्षेत्र ने तमिलनाडु के धरमपुरी और पुडुकुटई जिलों, मध्य प्रदेश के उज्जैन और सागर जिलों तथा असम स्थित गुवाहाटी और पांडिचेरी में विकलांग व्यक्तियों के लिए छः जिला पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना करने हेतु प्रस्ताव भेजे हैं।

(ग) फिलहाल इस योजना के अन्तर्गत 10 राज्यों के 11 जिलों को अंशत: शामिल किया गया है। ये विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश), भिवानी (हरियाणा), विरार (महाराष्ट्र), भुवनेश्वर (उड़ीसा), मैसूर (कर्नाटक), खड़गपुर (पश्चिम बंगाल), सीतापुर और जगदीशपुर (उत्तर प्रदेश), चिंगलपट्ट (तमिलनाडु) और कोटा (राजस्थान) में अवस्थित हैं।

(च) जिला पुनर्वास केन्द्र योजना संशोधनाधीन है। राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर इस योजना को अंतिम रूप देने के बाद विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

बाढ़ नियंत्रण और भूक्षरण

1657. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार की बाढ़ नियंत्रण और भूक्षरण के संबंध में स्वीकृति हेतु कोई योजना सौंपी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन) : (क) केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार से बाढ़ नियंत्रण और भू कटाव के बारे में कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

उच्च शक्ति के दूरदर्शन ट्रांसमीटर केन्द्र

1658. डा॰ कार्तिकेश्वर पात्र : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितने नए उच्च शक्ति के दूरदर्शन ट्रांसमीटर केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) इन दूरदर्शन ट्रांसमीटर केन्द्रों की स्थापना के लिए केन्द्र-वार कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है;

(ग) ये केन्द्र कब से कार्य करना शुरू कर देंगे; और

(घ) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) से (घ) उड़ीसा प्रदेश के बालेश्वर तथा संबलपुर में एक-एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर की स्थापना कार्यान्वयनाधीन है तथा बहरामपुर में ट्रांसमीटर का प्रस्ताव है। बालेश्वर तथा संबलपुर के उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों के स्थापनार्थ निर्धारित राशि क्रमशः 821.00 लाख रुपये तथा 618.35 लाख रुपये है। बालेश्वर के उच्च शक्ति ट्रांसमीटर के स्थल का अधिग्रहण कर लिया गया है। इन परियोजनाओं का प्रारंभिक निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा उपस्करों के पूर्ति आदेश हेतु कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मौजूदा संकेतों के अनुसार 1996-97 तक इन ट्रांसमीटरों के चालू हो जाने की आशा है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए अंशदान

1659. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लिये अंशदान में हाल ही में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो संशोधन से पूर्व और संशोधित दरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें इतनी अधिक वृद्धि किये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) जी हां।

(ख) विवरण नीचे दिए गए हैं :-

प्रतिमाह अंशदान

वेतन	पूर्व संशोधित दर (रु॰)	संशोधित दर (रु॰)
1	2	3
1. 1200 रु॰ तक	1/-	5/-
2. 1201 रु॰ से 1500 रु॰ तक	2/-	10/-
3. 1501 रु॰ से 1800 रु॰ तक	3/-	15/-
4. 1801 रु॰ से 2500 रु॰ तक	4/-	20/-
5. 2501 रु॰ से 3200 रु॰ तक	5/-	25/-

1	2	3
6. 3201 रु. से 4000 रु. तक	6/-	30/-
7. 4001 रु. से 5000 रु. तक	9/-	40/-
8. 5000 रु. से अधिक	12/-	50/-

(ग) यह केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के प्रति परिवार पर व्यय में हुई कई गुना वृद्धि तथा सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में हुई पर्याप्त वृद्धि के कारण ऐसा किया गया है।

एच. आई. वी. परीक्षण किटें

1660. श्री मोहन रावले :

डा. कृपासिन्धु भोई :

श्री पंकज चौधरी :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त विशेष एच. आई. वी. परीक्षण कीटों के नकारात्मक परिणामों के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार का जांच समिति बैठाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार ने शिकायतों की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की एक उप समिति नियुक्त की थी। उप समिति की सिफारिश थी कि प्रयोगशालाओं ने एच आई वी 1 और 2 किट के विशेष ब्रांड का इस्तेमाल करके कुछ ज्ञात नेगेटिव सीरा के गलत पॉजीटिव परिणाम सूचित किए थे। इससे रक्त निरापदता के लिए किए जाने वाले परीक्षण के समय रक्त की कुछ यूनिटें बर्बाद हो सकती थी। तथापि, परीक्षण से कोई एच आई वी संक्रमित रक्त छूट नहीं सकेगा। निर्माताओं द्वारा सुझाई गई संख्या से अधिक बार साफ करने से गलत निश्चयात्मकता में कमी हो सकती है।

भविष्य में एच आई वी टेस्ट किटों के प्रापण के लिए सरकार ने उप समिति के सुझावों को नोट कर लिया है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

धंसाव

1661. श्री हाराधन राय : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर धंसाव हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप राज्यवार कितने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं; और

(घ) इस प्रकार के धंसाव को रोकने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) यदि माननीय सदस्य के संदर्भ का आशय रानीगंज कोयला क्षेत्र में धंसाव से उत्पन्न समस्या से है तो सरकार को इस बारे में जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल, रानीगंज कोयला क्षेत्रों के कुछ क्षेत्र कोयलाखानों का राष्ट्रीयकरण किए जाने से पूर्व सैलो-गहराई के अंतर्गत भूमिगत खनन कार्य किए जाने के कारण मुख्य रूप में धंसाव के अंतर्गत हैं। धंसाव की समस्या गैर-कानूनी रूप से खनन किए जाने के कारण और भी बढ़ गई। जिसे राज्य सरकार की कानून व्यवस्था को लागू किए जाने संबंधी पदाधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाना है।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है।

(घ) एक शीर्षस्थ निगरानी समिति जिसमें कोयला कंपनी के प्रतिनिधि जिलाप्रशासन, खान सुरक्षा महानिदेशालय, केंद्रीय खान अनुसंधान संस्थान तथा सार्वजनिक व्यक्ति (विधायक तथा सांसद) जिसमें माननीय संसद सदस्य भी सदस्य के रूप में शामिल हैं, को गठन किया गया था, जो कि रानीगंज कोयला क्षेत्र के 49 अस्थिर स्थानों की जांच करेगी। इस समिति ने यह निष्कर्ष दिया कि 11.8 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में 38 स्थान असुरक्षित हैं, जिसमें से लगभग 4.8 वर्ग कि० मी० क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के अनुरक्षित क्षेत्रों में निर्माण पर प्रतिबंध, अधिनियम 1979 को निर्गमित किए जाने के बावजूद उक्त क्षेत्र पर गैर-कानूनी रूप में इमारतों का निर्माण किया गया है।

रानीगंज कोयला क्षेत्र में धंसाव की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए अन्य कुछ कदम नीचे दिए गए हैं :-

(i) चूंकि, अपहुंचरहित जलमग्न क्रियाकलापों को सुदृढ़ीकृत किए जाने के लिए कोई प्रमाणित प्रौद्योगिकी विद्यमान नहीं है, अतः रानीगंज टाउनशिप के समीप के क्षेत्र में हाइड्रो-न्यूमेटिक भराई की एक नई प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया जा रहा है। एक और प्रस्ताव को हाल ही में रानीगंज कोयला क्षेत्र के अन्य क्षेत्र में हाइड्रो न्यूमेटिक भराई की पद्धति का प्रयोग किए जाने को अनुमोदित कर दिया गया है।

(ii) खनन क्रियाकलाप नियमों तथा विनियमों का और खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा निर्धारित की गई शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है।

(iii) विनिर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत कोयले की निकासी किए जाने से उत्पन्न गड्ढों को भरने के लिए हाइड्रोलिक रेत भराई जाती है। यह एक धंसावरोधक उपाय है।

(iv) गैर-कानूनी रूप से खनन किए जाने वाले मामलों को, जैसे ही वे नोटिस में आते हैं, उनकी स्थानीय प्रशासन को शीघ्र रिपोर्ट दी जाती है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है ताकि कानून-व्यवस्था को लागू करने वाले पदाधिकारियों द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की जा सके।

विवरण

पिछले चार वर्षों के दौरान हुए धंसाव की घटनाओं की संख्या

राज्य	कोयला कंपनी	धंसाव की घटनाओं की संख्या	आवासों की संख्या: कंपनी क्वाटर	आवासों की संख्या: निजी आवास	अन्य	जोड़
पश्चिम बंगाल	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	*23	319	69	2 (स्कूल)	390
बिहार	भारत कोकिंग कोल लि०	3	419	6	–	425
मध्य प्रदेश	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	1	–	4	–	4
		27	738	79	2	819

टिप्पणी : *इनमें से धंसाव की 13 घटनाएं पुराने उत्खनित क्षेत्रों में हुई थी, जहां कि खनन कार्य राष्ट्रीयकरण के पूर्व किया गया था, 7 घटनाएं अवैध खनन के कारण हुई और 3 अन्य कारणों से हुई थी।

मानसिक रोगी

1662. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जुलाई, 1994 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "फ्राम रिचिज टू रैग्स टू इनसेनिटी टू डेथ बट अदर्स आर वर्स्ट आफ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सामान्य लोगों को मानसिक चिकित्सालयों में जबरदस्ती भर्ती कराया जाता है;

(घ) यदि हां, तो मानसिक चिकित्सालयों में चिकित्सालयवार कितने सामान्य लोग भर्ती हैं; और

(ङ) सरकार ने मानसिक चिकित्सालयों के कार्यकरण की समीक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार को मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और इसके अन्तर्गत नियमों के उपबन्धों के अनुसार कदम उठाने पड़ते हैं।

(ग) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 और उसके अन्तर्गत आने वाले नियमों में मानसिक अस्पतालों के कार्यकरण के बारे में विस्तृत उपबन्ध हैं।

बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ की धोवनशालाएं

1663. श्री बसुदेव आचार्य : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी॰ सी॰ सी॰ एल॰) की धोवनशालाएं भारी घाटे में चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी हां,

(ख) कोल इंडिया लि॰ (को॰ इ॰ लि॰) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान भारत कोकिंग कोल लि॰ (भा॰ को॰ को॰ लि॰) की वाशरियों द्वारा उठाई गई हानि नीचे दी गई है;

वर्ष	हानि (करोड़ रु॰ में॰)
1991-92	11.77
1992-93	55.90

इन वाशरियों द्वारा वर्ष 1993-94 के दौरान भी हानि उठाए जाने की संभावना है, जिसके लेखों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। लेखापरीक्षा नहीं की गई है।

(ग) विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार को॰ इं॰ लि॰/भा॰ को॰ को॰ लि॰ अपनी वाशरियों को आधुनिकीकृत किए जाने तथा उनके कार्यनिष्पादन में सुधार किये जाने के लिए कदम उठा रही है। वर्ष 1993-94 के आगे भा॰ को॰ को॰ लि॰, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि॰ (सेल) के उत्पादन की वास्तविक लागत तथा क्षमता उपयोगिता, आदि के आधार पर धुले हुए कोयले के लाभकारी मूल्य पर अदायगी किए जाने की मांग कर रही है।

उत्तर प्रदेश में आई॰ एस॰ आई॰ गतिविधियां

1664. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंटर सर्विसेस इन्टेलिजेंस (आई एस आई) द्वारा उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी फैलाने की योजना के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस संबंध में कौन से एहतियाती उपाय कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) सरकार, पाकिस्तान की आई॰ एस॰ आई॰ के उत्तर प्रदेश सहित भारत में गुप्त रूप से जासूसी, विद्रोह और तोड़फोड़ करवाने के षडयंत्रों से वाकिफ है और आसूचना तंत्र को सुचारु बनाकर, केन्द्र और राज्य की एजेंसियों द्वारा आसूचना का विनियम और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करके, रणनीतिक महत्व के स्थलों पर अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती में वृद्धि करके, तटवर्ती एवं अन्तःवर्ती गश्त को सघन बनाकर, भारत-पाक सीमा के भेद्य भागों में बाड़ लगाकर और फ्लड लाइटिंग करके, ऐसे मंसूबों का मुकाबला करके उन्हें विफल करने के लिए वह सभी जरूरी कदम उठा रही है। नौसेना, तटरक्षक बल और सीमा शुल्क विभाग को भी समुचित निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे गहरे समुद्र में और तटरेखा के साथ साथ सघन गश्त लगाएं। इन प्रयासों के परिणामों का प्रबोधन (मानीटर) नियमित रूप से किया जा रहा है।

[हिन्दी]

प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजे गए चिकित्सक

1665. श्री आर॰ धनुषकोडी आदित्यन :

श्रीमती शीला गौतम :

श्री राजेश कुमार :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी खर्च पर प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजे गए चिकित्सकों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से वापस लौटने वाले चिकित्सकों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चल रही क्षेत्रीय परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से सरकारी खर्चे पर नौ डाक्टरों को विदेश भेजा गया है।

(ख) नामित किए गए इन व्यक्तियों में से किसी के बारे में ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में अशान्ति

1666. श्री वी॰ धनंजय कुमार :

श्री गोपी नाथ गजपति :

श्री गोविन्दराव निकम :

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मंत्री के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में अशान्ति की स्थिति का तत्स्थानिक दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समिति के निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) इस स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए क्या अन्य कदम उठाये गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ एस॰ सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय समुदायों की समस्याओं की जांच करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक समिति का गठन किया था। केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली इस समिति में 9 केन्द्रीय मंत्री हैं। विचार-विमर्श करने के बाद, समिति ने तीन अलग-अलग दलों में सभी पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करने का फैसला किया था। पहले दल ने, जिसका नेतृत्व गृह मंत्री ने किया था और जिसमें श्री पी॰ ए॰ संगमा राज्य मंत्री (श्रम) और श्रीमती मारगरेट अल्वा, राज्य मंत्री (कार्मिक) शामिल थे, असम, अरूणाचल प्रदेश और मेघालय का 21-24 जून, 1994 को दौरा किया था। डा॰ मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री, के नेतृत्वाधीन दूसरे दल, जिसमें श्री ए॰ के॰ एंटोनी, मंत्री (नागरिक आपूर्ति) और श्री पी॰ एम॰ सईद, राज्य मंत्री (गृह) शामिल थे, ने त्रिपुरा और मिजोरम का 22-24 जून, 1994 को दौरा

किया था। श्री प्रणव मुखर्जी, वाणिज्य मंत्री, की अध्यक्षता में तीसरा दल जिसमें श्री संतोष मोहन देव, राज्य मंत्री (कृषि) शामिल थे, ने मणिपुर और नागालैंड का 7-9 जुलाई, 1994 को दौरा किया। मंत्रियों के इन दलों ने समाज के विभिन्न वर्गों, जिसमें अन्यों के साथ-साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, गैर-सरकारी संगठन, विख्यात नागरिक तथा प्रैस शामिल थी, के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया। दौरों के दौरान प्राप्त अनुभवों पर सम्पूर्ण समिति में चर्चा किए जाने की आशा है।

(ङ) किए गए विभिन्न उपायों में बड़े उग्रवादी गुटों को "गैर-कानूनी" घोषित की स्थिति में बनाए रखा गया तथा प्रभावित क्षेत्रों को "विक्षुब्ध" क्षेत्र के रूप में अधिसूचित बनाए रखा गया। प्रभावित राज्यों को उग्रवाद से निपटने में सहायता दी जा रही है। इस संबंध में, राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए धन देने और विशेष अनुदान जारी करने के साथ-साथ केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों को अतिरिक्त यूनिटें भी उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा, सेना से विद्रोह-विरोधी अभियानों को तेज करने के लिए भी कहा गया है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जाती है तथा समय समय पर इसकी पुनरीक्षा की जाती है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की आबादी

1667. श्री थाइल जॉन अंजलोज :

डा॰ साक्षी जी :

श्री एम॰ जे॰ राठवा :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल आबादी के अनुपात में राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में राज्यवार/संघ राज्यवार उनकी जनसंख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनके विकास के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) 1991 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध व्यक्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या के बारे में ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। संविधान में की गई व्यवस्था के अनुसार अनु॰ जातियों व जनजातियों के विकास हेतु सरकार ने कार्यक्रम तैयार किए हैं। पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं का उद्देश्य निर्दिष्ट अवधि में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के आर्थिक उन्नयन के लिए लक्ष्य निर्धारित करना है। अनुसूचित जाति और जनजाति का विकास दो तरफा नीति के इर्द गिर्द केंद्रित है अर्थात (1) कानूनी एवं प्रशासकीय सहायता से हितों की सुरक्षा व उन्नयन (2) उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए विकासात्मक योजनाओं का कार्यान्वयन।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित की गई आदिवासी उपयोजना अवधारणा, आदिवासी लोगों और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए मुख्य यंत्र के रूप में जारी है। यह आदिवासी उपयोजना 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही है।

अनुसूचित जातियों के लिए छठी योजना के दौरान कार्यान्वित की गई विशेष संघटक योजना कार्यनीति 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जारी है। विभिन्न योजना अवधियों में समयबद्ध आधार पर योजनाएं तैयार की जाती हैं।

आदिवासी उपयोजना और विशेष संघटक योजना कार्यनीति के अंतर्गत, यह पूर्वपेक्षा है कि एस॰ सी॰ पी॰ और टी॰ एस॰ पी॰ को राज्य योजनाओं से सम्बद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति/जनजाति की प्रतिशतता के अनुपात में निधियां प्रवाहित हों। टी॰ एस॰ पी॰ के संबंध में पांचवीं पंचवर्षीय योजना से आगे प्रवाहित प्रतिशतता इस प्रकार है :-

(रु॰ करोड में)

वर्ष	कुल राज्य योजना	टी॰ एस॰ पी॰ प्रवाह	प्रतिशतता
5 वीं योजना	17692.48	759.33	4.29
6 वीं योजना	42390.60	3720.36	8.78
7 वीं योजना	73953.35	7076.81	9.57
8 वीं योजना	157973.67	15360.12	9.72
(1992-97)			
1992-93	24611.65	3019.74	12.27
1993-94	30375.90	2887.82	9.51
1994-95	34501.05	3061.23	8.87

जहां तक एस॰ सी॰ पी॰ का संबंध है कुल राज्य योजना आकार और छठी पंचवर्षीय योजना से आगे एस॰ सी॰ पी॰ का प्रवाह इस प्रकार है :-

वर्ष	कुल राज्य योजना	एस॰ सी॰ पी॰ परिव्यय	प्रतिशतता
6 वीं योजना	47149.89	3614.66	7.66
7 वीं योजना	89322.89	7385.42	8.27
(1985-90)			
1990-91	23225.49	2377.82	10.23
1991-92	28041.04	3066.37	10.93
1992-93	30684.47	3090.36	10.07
1993-94	34205.41	3626.78	10.60
1994-95	37744.17	4111.66	10.89

बीस सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 11 (क) और (ख) के कार्यान्वयन के संबंध में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए न्याय के बारे में गरीबी की रेखा पार करने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 1992-93 और 1993-94 के दौरान लक्ष्य तथा उपलब्धियां तथा 1994-95 के लिए लक्ष्य नीचे दिए गए हैं :-

(रु. लाख में)

वर्ष	अनुसूचित जाति परिवार		अनुसूचित जनजाति परिवार	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1992-93	25.96	20.66	8.96	8.88
1993-94	25.25	23.24	9.00	9.77
1994-95	26.78	-	9.39	-

कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाएं

अनुसूचित जाति विकास (रु. लाख में)

क्रम सं.	योजनाएं	बजट आवंटन 1994-95
1.	विशेष केंद्रीय सहायता	27385.00
2.	अनुसूचित जाति विकास निगम	2200.00
3.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम	4000.00
4.	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास	7300.00
5.	अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	9635.00
6.	मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां	1000.00
7.	लड़कियों के होस्टल	620.00
8.	लड़कों के होस्टल	6620.00
9.	अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों के लिए पुस्तक बैंक	350.00
10.	कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना	200.00
11.	पी. सी. आर. और अत्याचार	600.00
12.	स्वयं सेवी संगठनों को सहायता	800.00
13.	प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	38.00
14.	वि. शि. वि. कार्यक्रम	600.00
15.	अ. जा. तथा अ. ज. जा. के विद्यार्थियों के दक्षता का उन्नयन	100.00
	कुल	55448.00

	अ॰ ज॰ जा॰ विकास	(रु॰ लाख॰ में)
क्रम सं॰	योजनाएं	1994 के दौरान बजट आबंटन
1.	वि॰ के॰ सहायता	27500.00
2.	अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	7500.00
3.	लड़कियों के लिए होस्टल	305.00
4.	लड़कों के लिए होस्टल	305.00
5.	आश्रम विद्यालय	250.00
6.	गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	475.00
7.	अनुसंधान और प्रशिक्षण	150.00
8.	आ॰ क्षेत्रों में लड़कियों की साक्षरता विकास के लिए निम्न साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर	185.00
9.	व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान	240.00
10.	एम॰ एफ॰ पी॰ प्रचालनों के लिए अ॰ ज॰ जा॰ सहकारी निगमों को अनुदान	350.00
11.	निवेश (ट्राइफेड को शेयर पूंजी अंशदान)	900.00
12.	ट्राइफेड को सहायता अनुदान	*
13.	ट्राइफेड को मुख्य समर्थन	50.00
	कुल	38210.00

*इस योजना को क्रम सं॰ 11 उपरोक्त में उल्लिखित योजना के साथ मिला दिया गया है,

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध

1991 की जनगणना के अनुसार राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कुल जनसंख्या, अ॰ जा॰ जनसंख्या तथा अ॰ ज॰ जा॰ जनसंख्या

क्रम सं॰	भारत/राज्य या संघ राज्य क्षेत्र	कुल/शहरी ग्रामीण	कुल जनसंख्या	अ॰ जा॰ %	अ॰ ज॰ जा॰ %
1	2	3	4	5	6
1.	भारत**	कु॰	846302688	138223277(16.33)	67758380 (8.01)
		ग्रा॰	628691676	112343797	62751026
		श॰	217611012	25879480	5007354

1	2	3	4	5	6
1.	भारत (जम्मू तथा	कु॰	838583988	138223277 (16.48)	67758380 (8.08)
	कश्मीर को छोड़कर)	ग्रा॰	622812376	112343797	62751026
		श॰	215771612	25879480	5007354
1.	भारत (असम तथा ज॰ और	कु॰	816169666	136563865 (16.73)	64883939 (7.95)
	क॰ को छोड़कर	ग्रा॰	602885849	110913666	59973718
		श॰	213283817	25650199	4910221
राज्य					
2.	आंध्र प्रदेश	कु॰	66508008	10592066 (15.93)	4199481 (6.31)
		ग्रा॰	48620882	8758641	3880254
		श॰	17887126	1833425	319227
3.	अरूणाचल प्रदेश	कु॰	864558	4052 (0.47)	550351 (63.66)
		ग्रा॰	753930	2858	518222
		श॰	110628	1194	32129
4.	असम	कु॰	22414322	1659412 (7.40)	2874441 (12.82)
		ग्रा॰	19926527	1430131	2777308
		श॰	2487795	229281	97133
5.	बिहार	कु॰	86374465	12571700 (14.55)	6616914 (7.66)
		ग्रा॰	75021453	11437136	6153659
		श॰	11353012	1134564	463255
6..	गोवा	कु॰	1169793	24364 (2.08)	376 (0.03)
		ग्रा॰	690041	12747	89
		श॰	479752	11617	287
7.	गुजरात	कु॰	41309582	3060358 (7.41)	6161775 (14.92)
		ग्रा॰	27063521	1899394	5663178
		श॰	14246061	1160964	498597
8.	हरियाणा	कु॰	16463648	3250933 (19.75)	–
		ग्रा॰	12408904	2675277	–
		श॰	4054744	575656	–

1	2	3	4	5	6
9.	हि॰ प्रदेश	कु॰	5170877	1310296 (25.34)	218349 (4.22)
		ग्रा॰	4721681	1227321	212940
		श॰	449196	82975	5409
10.	जम्मू तथा कश्मीर	कु॰	7718700	N. A.	N. A.
		ग्रा॰	5879300	N.A.	N.A.
		श॰	1839400	N.A.	N.A.
11.	कर्नाटक	कु॰	44977201	7369279 (16.38)	1915691 (4.26)
		ग्रा॰	31069413	5645186	1629496
		श॰	13907788	1724093	286195
12.	केरल	कु॰	29098518	2886522 (9.92)	320967 (1.10)
		ग्रा॰	21418224	2351924	309764
		श॰	7680294	534598	11203
13.	मध्य प्रदेश	कु॰	66181170	9626679 (14.55)	15399034 (23.27)
		ग्रा॰	50842333	7522394	14652730
		श॰	15338837	2104285	746304
14.	महाराष्ट्र	कु॰	78937187	8757842 (11.09)	7318281 (9.27)
		ग्रा॰	48395601	55520004	6405014
		श॰	30561586	3205838	912467
15.	मणिपुर	कु॰	1837149	37105 (2.02)	632173 (34.41)
		ग्रा॰	1331504	17705	578930
		श॰	505645	19400	53243
16.	मेघालय	कु॰	1774778	9027 (0.51)	1517927 (85.53)
		ग्रा॰	1444731	4972	1312093
		श॰	330047	4100	205834
17.	मिजोरम	कु॰	689756	691 (0.10)	653565 (94.75)
		ग्रा॰	371810	456	358113
		श॰	317946	235	295452

1	2	3	4	5	6
18.	नागालैंड	कु०	1209546	–	1060822 (87.70)
		ग्रा०	1001323	–	933145
		श०	208223	–	127577
19.	उड़ीसा	कु०	31659736	5129314 (16.20)	7032214 (22.21)
		ग्रा०	27424753	4578669	6670506
		श०	4234983	550645	361708
20.	पंजाब	कु०	20281969	5742528 (28.31)	–
		ग्रा०	14288744	4562442	–
		श०	5993225	1180096	–
21.	राजस्थान	कु०	44005990	7607820 (17.29)	5474881 (12.44)
		ग्रा०	33930877	6102496	5220549
		श०	10067113	1505324	254332
22.	सिक्किम	कु०	406457	24084 (5.93)	90901 (22.36)
		ग्रा०	369451	21333	83486
		श०	37006	2751	7413
23.	तमिलनाडु	कु०	55858946	10712266 (19.18)	574194 (1.30)
		ग्रा०	36781354	8428040	505208
		श०	19077592	2284226	68986
24.	त्रिपुरा	कु०	2757205	451116 (16.36)	853345 (30.95)
		ग्रा०	2335484	379664	839264
		श०	421721	71452	14081
25.	उत्तर प्रदेश	कु०	139112287	29276455 (21.05)	287901 (0.21)
		ग्रा०	111506372	25823388	271028
		श०	27605915	3453067	16873
26.	पश्चिम बंगाल	कु०	68077965	16080611 (23.62)	3808760 (5.59)
		ग्रा०	49370364	13605405	3612448
		श०	18707601	2475206	196312

1	2	3	4	5	6
संघ राज्य क्षेत्र					
27.	अंडमान तथा निकोबार				
	द्वीप समूह	कु०	280661	–	26770 (9.54)
		ग्रा०	205706	–	26260
		श०	74955	–	502
28.	चंडीगढ़	कु०	642015	105977 (16.51)	–
		ग्रा०	66186	14140	–
		श०	575829	91837	–
29.	दादरा तथा नगर हवेली	कु०	138477	2730 (1.97)	109380 (78.99)
		ग्रा०	126752	2243	105864
		श०	11725	487	3516
30.	दमन और दीप	कु०	101586	3891 (3.83)	11724 (11.54)
		ग्रा०	54043	2395	9192
		श०	47543	1496	2532
31.	दिल्ली	कु०	9420644	1794836 (19.05)	–
		ग्रा०	949019	207709	–
		श०	8471625	1587127	–
32.	लक्षद्वीप	कु०	51707	–	48163 (93.15)
		ग्रा०	22593	–	21478
		श०	29114	–	26685
33.	पांडीचेरी	कु०	807785	131278 (16.25)	–
		ग्रा०	290800	77727	–
		श०	516885	53551	

**जम्मू कश्मीर में 1991 में में जनगणना नहीं हुई। 1.3.1991 की स्थिति के अनुसार जम्मू तथा कश्मीर के लिए कालम 4 में कु० ग्रा० तथा शहरी प्राक्षेपित जनसंख्या शामिल है जो जनसंख्या (अक्तूबर 1989) प्राक्षपेन पर स्थायी समिति द्वारा किया गया है। प्राक्षेपित जनसंख्या आंकड़ों पाकिस्तान तथा चीन के अवैध कब्जे के अंतर्गत जनसंख्या को छोड़कर हैं जहां जनगणना नहीं हो सकी तथापि, कालम 5 तथा 6 में अ० जा० तथा अ० ज० जा० के आंकड़े जम्मू और कश्मीर को छोड़कर है क्योंकि अ० जा० तथा अ० ज० जा० के प्राक्षेपित आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

1668. श्री एस॰ एम॰ लालजान बाशा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रायोजित अथवा वित्तपोषित कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं;

(ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत में भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को वित्त उपलब्ध कराता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने द्विवर्षी 1992-93 के दौरान विदेशों में प्रशिक्षण के लिए 271 अभ्यर्थियों को भेजा।

(ख) और (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में भी द्विवर्षी 1992-93 के दौरान प्रशिक्षण के लिए 531 विदेशियों को भेजा है।

[हिन्दी]

जनजातीय जनसंख्या

1669. श्रीमती शीला गौतम :

श्री राजेश कुमार :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री ललित उरांव :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन जनगणनाओं के दौरान जनजातीय लोगों की जनसंख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां तो गत तीन जनगणनाओं के अनुसार जनजातीय लोगों की राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार जनसंख्या कितनी है;

(ग) देश में जनजातीय और आदिम जातियों के लोगों की जनसंख्या में आई कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं। पिछली तीन जनगणनाओं के दौरान देश की अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या में कमी नहीं हुई है।

(ख) पिछली तीन जनगणनाओं (अर्थात् 1971, 1981 और 1991) में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या, अखिल भारत, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की दशक प्रतिशतता सहित संलग्न विवरण-एक में दी गई है। संलग्न विवरण-दो में विशिष्ट अनुसूचित जनजातियों की एक सूची दी गई है जो 1961-71 अथवा 1971-81

की जनगणना के दौरान उनकी जनसंख्या में कमी दर्शाती है। 1991 की जनगणना के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति वार आंकड़ों का सैरणीकरण अब तक नहीं किया गया है और इस प्रकार 1981-91 की जनगणना के संगत ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराये जा सकते।

(ग) और (घ) जैसा कि विवरण-एक में देखा जा सकता है, केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 1971-81 के दौरान अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या में सीमान्त कमी परिलक्षित होती है जबकि 1981-91 के दौरान सिर्फ गोवा की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में कमी दर्शायी गई है।

पूर्व की तीन जनगणनाओं अर्थात् 1961, 1971 और 1981 के दौरान वैयक्तिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में गिरावट के संबंध में यह नोट किया जा सकता है कि 1961 से केवल 7 अनुसूचित जनजातियों ने अपनी जनसंख्या में लगातार कमी दर्शायी है। तथापि इस कमी की संख्या अपेक्षाकृत कम रही। इस प्रकार की कमी दर्शाने वाली अनुसूचित जनजातियां निम्न प्रकार है :-

राज्य	अनुसूचित जनजाति का नाम	1981 में जनसंख्या	1971-81 में % परिव॰
गुजरात	भारवाड़	518	-2.26
केरल	कलयरार	2,747	-90.11
केरल	पैलियेन	30	-96.63
मेघालय	कोई नागा जनजाति	846	-1.63
त्रिपुरा	नाओटिया	7,182	-30.25
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	ओंगे	97	-13.39
दादर एवं नगर हवेली	कथोडी	74	-77.84

विवरण में उल्लिखित अन्य जनजातियों ने 1961-71 के दौरान जनसंख्या में मामूली कमी दर्शायी है, लेकिन ऐसा बाद की जनगणनाओं में वास्तविक वृद्धि को दर्ज करने पर अथवा इसके विपरीत में।

अन्तर्राज्यीय प्रवास, कम गिनती, अपनाए गए नामों से लौटने वाली अनुसूचित जनजातियां कुछ ऐसे कारण हैं जिनका परिणाम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में प्रकट के रूप में परिलक्षित होता है। चूंकि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की कोई अखिल भारतीय सूची नहीं है, इसलिए इस तथ्य का पता लगा पाना कि क्या किसी अनुसूचित जनजाति विशेष अथवा किसी विशेष दिये हुए क्षेत्र अर्थात् राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अथवा पूरे देश में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या में कोई गिरावट आई है, सम्भव नहीं है।

इस सम्बन्ध में इस बात का उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या में उतार-चढ़ाव को दर्शाने वाली सभी अनुसूचित जनजातियों में अपने प्रमुख बाहुल्य क्षेत्रों अथवा रिहायशी स्थलों में यह प्रवृत्ति नहीं दर्शायी है अपितु प्रमुख रूप से साथ लगने वाले राज्यों में/इन राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की जनगणना केवल बिखरी

हुई जनसंख्या (अर्थात् आन्ध्र प्रदेश की भील, कर्नाटक की बवाचा, कर्नाटक की चोधरा, मणिपुर की कोई मिजो जनजाति, नागालैंड की मिकिर इत्यादि) को दर्शाते हैं। अरूणाचल प्रदेश में स्थिति कुछ भिन्न है। अरूणाचल प्रदेश की प्रथम पूर्ण जनगणना 1971 में की गई थी और 1961 की जनगणना में दर्शायी गई वैयक्तिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पूर्ण कवरेज पर आधारित नहीं है। पुन: अधिसूचना के द्वारा अरूणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की एक "मुक्त सूची" है। इस राज्य की सभी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में माना जाता है। परिणामत: दशकीय जनगणना के समय ये नाम बड़ी संख्या में उन जनजातियों के रूप में वापस हुए जो कई मामलों में वस्तुत: केवल उप जनजातीय वंशों, वंशानुगत नामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार अधिकांश मामलों में यह कभी वास्तविक नहीं है।

वैसी भी जनजातियों के उदाहरण हैं जो दोनों वंशानुगत नामों यथा नागा जनजाति अथवा मिजो जनजाति अथवा विशिष्ट नागा अथवा मिजो नाम (अर्थात अंगामी, काबुई) के साथ वापस आ रही हैं।

जनसंख्या में कमी अन्त: प्रजनन के शारीरिक प्रभाव, उच्च शिशु मृत्युदर, उच्च मृत्युदर, कुपोषण, अनुसूचित जनजातियों, विशेषकर आदिम जनजातीय समूहों के कुछ समूहों का अन्तर्राज्यीय तथा अन्य क्षेत्रों में प्रवास के कारण भी हुई है। अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण और विकास के लिए आदिवासी उप योजना के अंतर्गत उनके समाजार्थिक कार्यक्रम शुरू किये जाते हैं। भारत सरकार आदिम जनजातीय समूहों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराती है और सम्पूर्ण के सिद्धान्त पर जोर नहीं देती हैं। आदिम समुदायों के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम 100% अनुदान के आधार पर शुरू किये जाते हैं।

विवरण-एक

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1971-81 के बीच जनगणना में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में हुई कमी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अ. ज. जाति का नाम	जनसंख्या 1981	1971	1961	दशकवार अंतर 1981-71	1971-61
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश						
1.	भील	259	560	83	–53.75	574.70
2.	कोउड	8,962	0	3,392		
3.	हिल रेडिस	398	4,306	3,894	–90.76	10.58
4.	कोलम मैनखलस	21,842	26,498	16,371	–17.57	58.38
5.	कोन्डा कपूस	28,033	38,126	29,823	–26.47	27.84
6.	रोना रैना	232	12	23	1833.33	–47.83

1	2	3	4	5	6	7
7.	थैटी	1,416	1,785	546	−20.67	227.92
आन्ध्र प्रदेश						
1.	अबोर	63	4,733	0	−98.67	–
2.	अशिंग	66	959	46	−93.12	1984.78
3.	बागी	78	2,063	0	−96.22	–
4.	बांगरो	984	1,085	8	−9.31	13462.50
5.	बोगम	36	473	0	−92.39	–
6.	बोलोक तंगसा	2	3	0	−33.33	–
7.	बोमडो	2	294	0	−99.32	–
8.	बट मोनपा	348	555	0	−37.30	–
9.	दफला	63	5,926	169	−98.94	3406.51
10.	दिगारू/तरांव	3,992	5,384	100	−25.85	5284.00
11.	गालगोंग	8,998	38,688	879	−76.74	4301.37
12.	हवी तंगसा	383	699	0	−45.21	–
13.	हेल मिरि	6,936	8,174	0	−15.15	–
14.	जानबो	6	210	0	−97.14	–
15.	कामान	3,662	8,233	1	−55.52	823200.00
16.	कारका	2	2,118	0	−99.91	–
17.	केमसिंग तंगसा	129	391	0	−67.01	–
18.	खलिम तंगसा	1	2	0	−50.00	–
19.	खाम्बा	342	848	23	−59.67	3586.96
20.	खोवा	625	703	0	−11.10	–
21.	कोंगबो	5	375	0	−98.67	–
22.	लंगकई तंगसा	2	11	0	−81.82	–
23.	लिची तंगसा	0	2	0	–	–
24.	लोंगिन तंगसा	4	9	0	−55.56	–
25.	लांगसंग तंगसा	30	375	0	−92.00	–

1	2	3	4	5	6	7
26.	मिकिर	598	1,298	21	−53.93	6080.95
27.	मिलांग	706	2,595	21	−72.79	12257.14
28.	मिनिवांग	3,573	19,146	1,228	−81.34	1459.12
29.	मोनपा	21,619	23,319	294	−7.29	7831.63
30.	मोरांग तंगसा	92	123	0	−25.20	−
31.	नगीमांग तंगसा	2	4	0	−50.00	−
32.	निशांग	8,693	15,462	10	43.78	154520.00
33.	नोक्टे	19,606	23,165	66	−15.36	34998.48
34.	पदाम	6,708	9,864	610	−32.00	1517.05
35.	पैलिबो	535	1,190	18	−55.04	6511.11
36.	पासी	647	1,944	11	−66.72	17572.73
37.	पोंग तंगसा	0	1	0	−	−
38.	पोंटगकांग	2	5	0	−60.00	−

विवरण-दो

भारत में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या तथा जनसंख्या में दशकवार परिवर्तन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या				दशकवार परिवर्तन		
	1991	1981	1971	1961	1981-91	1971-81	1961-71
1	3	4	5	6	7	8	9
भारत	67,758,380	51,628,638	38,015,162	30,130,184	31.24	35.81	26.17
(असम को छोड़कर) भारत	64,883,939	51,628,638	36,408,514	28,965,543	25.67	41.80	25,70
अ. प्र.	4,199,48	3,176,001	1,657,657	1,324,368	32.23	91.60	25.17
अ. प्र.	550,35	441,167	369,408	5,915	24.75	19.43	6145.27
असम	2,874,44	NA	1,606,648	1,164,641	-	-	37.95
बिहार	6,616,914	5,810,867	4,932,767	4,204,784	13.87	17.80	17.31
गोवा	376	690	439	NA	-45.51	57.18	-
गुजरात	6,161,776	4,848,586	3,734,422	2,754,446	27.08	29.83	35.58
हि. प्र.	218.349	197,263	141,610	122,326	10.69	39.30	15.76
कर्नाटक	1,915,69	1,825,203	231,268	192,096	4.96	689.22	20.39
केरल	320,96	261,475	269,356	212,762	22.75	-2.93	26.60
म. प्र.	15,399,03	11,987,031	8,387,403	6,678,410	28.46	42.92	25.59
महाराष्ट्र	7,318,28	5,772,038	2,954,249	2,397,159	26.79	95.38	23.24
मणिपुर	632,178	378,977	334,446	249,049	62.94	16.00	34.30

1	3	4	5	6	7	8	9
मेघालय	1,517,927	1,076,345	814,230	639.161	41.03	32.19	27.39
मिजोरम	653,565	461,907	313,299	261,014	41,49	47.43	20.03
नागालैंड	1,060,822	650,885	457,602	343,697	62.98	42.24	33.14
उड़ीसा	7,032,214	5,915,067	5,071,937	4,223,757	18.89	16.62	20.08
राजस्थान	5,474,88	4,183,124	3,125,506	2,351,460	30.88	33.84	32.92
सिक्किम	90,90'	73,623	NA	NA	23.47	–	–
तमिलनाडु	574,194	458,462	311,515	251,991	25.24	47.17	23.62
त्रिपुरा	853,345	583,920	450,544	360.070	46.14	29.60	25.13
उ० प्र०	287,904	232,705	198,565	NA	23.72	17.19	–
प० बंगाल	3,808,760	3,070,672	2,532,969	2,054,081	24.04	21.23	23.31
सं० रा० क्षेत्र							
अ० नि० द० समूह	26,770	22,361	18,102	14,122	19.72	23.53	28.18
दा० न० ह०	109,380	81,714	64,445	51,259	33.86	26.80	25.72
दमन और द्वीप	11,720	10,031	7,215	NA	16.88	39.03	–
लक्षद्वीप	48,163	37,760	29,540	23,391	27.55	27.83	26.29

×उन राज्यों संघ राज्यों को छोड़कर जहां अनुसूचित जनजाति को अधिसूचित नहीं किया था।

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक						
1.	बारदा	727	839	268	−13.35	213.06
2.	बावचा	79	422	6	−81.28	6933.33
3.	छोदारा	141	0	3	−	−
4.	हसालरु	10,660	11,213	8,905	−4.93	25.92
5.	कनियान	528	890	142	−40.67	528.76
6.	कट्टुनायाकन	107	175	9	−38.86	1844.44
7.	कोंकां	38	176	7	−78.41	2414.29
8.	कोटा	75	103	81	−27.18	27.16
9.	कुडिया	1,773	6,689	1,043	−73,49	541.32
10.	कुरन्बा	4,595	8,857	9,246	−48.12	−4.21
11.	कुरुमानस	131	323	98	−59.44	229.59
12.	मलासर	62	6	7	933.33	−14.29
13.	मालायिकांदी	129	46	3,580	180,43	−98.72
14.	मलेरु	966	1,321	1,166	−26.87	13.29
15.	नायाकड़ा	1,260,158	68,632	70,598	1736.11	−2.78
16.	पालोयान	738	22	1,373	3254.55	−98.40

1	2	3	4	5	6	7
17.	राठवा	10	76	4	−86.84	1800.00
18.	शोलगा	1,942	2,639	2	−26.41	131850.00
19.	विटोलिया	13	39	4	−66.67	875.00
20.	येरावा	19,241	13,743	15,290	40.01	−10.12
केरल						
1.	अरांदन	95	1	43	9400.00	−97.67
2.	हिल पुलाया	3091	1152	2982	168.32	−61.37
3.	कम्मारा	82	318	270	−74.21	17.78
4.	कोंचू वेलन	10	8	87	25.00	−82.98
5.	कौन्डा कपूस	11	19	0	−42.11	–
6.	कोटा	41	0	8	–	–
7.	मालाक्कुरावण	260	144	246	80.56	−41.46
8.	मालायन	2,394	3,616	3,168	−33.79	14.14
9.	मालायारायार	2,747	13,813	14,082	−80.11	−1.91
10.	पाल्लेयान	30	890	1.354	−96.63	−34.27
मध्य प्रदेश						
1.	भटरा	117,297	71,145	72,274	64.87	−1.56

1	2	3	4	5	6	7
2.	भिरहुल	561	788	513	−23.98	43.86
3.	गदाबा	3,254	3,728	1,128	−12.71	230.50
4.	कामर	17.517	19,750	11,795	−11.31	67.44
5.	कारकु	469	10,005	6,430	−95.31	55.60
6.	खैरवर	14,374	62,909	44,251	−77.15	42.16
7.	खैरिया	6,892	23,228	19,107	−70.33	21.57
8.	कोंध	1,670	6,899	4,525	−75.79	52.46
9.	कोल	123.811	477,730	386,009	−74.08	23.76
10.	कोलम	304	351	0	−13.39	–
11.	कीरकु	66,781	212,994	157,125	−68,65	35.56
12.	कोरवा	15,340	67,303	42,056	−77.21	60.03
13.	मजहवार	6,509	33,489	27,476	−80.56	21.88
14.	मिना	383	1,182	296	−67.60	299.32
15.	मुण्डा	1,579	14,007	4,114	−88.73	240.47
16.	नागासिया, नागसिया	14,471	60,513	46,850	−76.09	29.16
17.	ओरान	88,819	370.652	283.073	−76.04	30.94
18.	पाओ	7,223	23,704	23,496	−69.53	0.89

1	2	3	4	5	6	7
19.	प्रधान	18,234	69,633	52,531	−73.41	32.56
20.	परघी	8066	10835	4923	−25.56	120.09
21.	प्रजा	1,408	8,350	525	−83.14	1490.48
22.	साओनरा	3,174	9,709	6.101	−67.31	59.14
23.	सोनर	48,662	1.149	17,541	4135.16	−93.45
24.	पोंथै नोक्टे	44	247	0	−82.19	
25.	रोंगरंग तंगसा	261	538	0	−51.49	
26.	स्मिोन्ग	26	3,140	1	−99.17	313900.00
27.	सिरम	5	8	0	−37.50	
28.	सोंलुंग	4,227	4,250	3	−0.54	141566.67
29.	सालंग बांगनी	6	38	0	−84.21	
29.	तागेन बांगजी	2	1,730	0	−99.88	
30.	तंगास	14	84	0	−83.33	
31.	तायंग	1	0	0	–	–
32.	तिखख तंगसा	409	1,169	0	−65.01	–
33.	याटोंग	0	158	0	–	–
34.	यानू बांगनी	0	1578	0	–	–

1	2	3	4	5	6	7
35.	योबिन	5	929	0	–99.46	–
36.	जखरिंग	14	23	0	–39.13	–
असम						
1.	दिमासा कछारी	NA	ला० न० 39,342	67,248	–	–41.53
2.	होजई	NA	ला० ज० 2,298	3,617	–	–36.47
3.	कछारी सोनवाल	NA	ला० ज० 198,619	236,936	–	–16.17
4.	मेछ	NA	ला० ज० 2,570	6,987	–	–63.22
बिहार						
1.	बिरजिया	4,057	3,628	4,029	11.82	–9.95
2.	गौरी	5,206	3,239	4,793	60.73	–32.42
3.	खोंड	1,264	596	814	112.08	–26.78
4.	कोरवा	21,940	18,717	21,162	17.22	–11.55
5.	सौरिया पहारिया	39,269	59,047	55,606	–33.50	6.19
6.	सावर	3,014	3,548	1,561	–15.05	–127.29
गोवा						
1.	वारली	2	21	–	–90.48	–

1	2	3	4	5	6	7
गुजरात						
1.	बावचा	3714	2345	2455	58.38	–4.48
2.	भारवद	519	531	806	–2.26	–34.12
3.	चरन	1,426	1,700	1,319	–16.12	28.89
4.	छोदरा	5,464	11,118	6,107	–50,85	82,05
5.	गामीत	250,550	276,591	158,703	–9.41	74.28
6.	कथोडी	2,546	2,939	2,358	–13.37	24.64
7.	पारघी	4,416	2,806	2,846	57.38	–1.41
8.	पारघी अर्घाविचिनेर	814	2,677	456	–65.59	487.06
9.	पोमला	793	300	319	164.33	–5.96
10.	राबारी	5,047	4,693	5,093	7.54	–7.85
हिमाचल प्रदेश						
1.	गद्दी	76,860	50,685	51,369	51.64	–1.33
2.	जाड, लाम्बा	1221	18198	14,021	–93.29	29.79
3.	लाहौला	1874	3.144	2,860	–40.39	9.93
उड़ीसा						
1.	बागाता	2,615	262	1,511	898,09	–82.66

1	2	3	4	5	6	7
2.	बिरहोर	142	98	273	44.90	–64.10
3.	चेन्यू	44	8	52	450.00	–84.62
4.	धरुव	8,612	8,791	7,210	–2.04	84.93
5.	दिदायी	1,978	2,164	1,978	–8.60	9.40
6.	हो .	44,496	31,916	43,323	39.42	–26.33
7.	जटापु	18,457	8,047	10,801	129,26	–25.50
8.	खैरवार	1,429	3,234	717	–55.81	315.05
9.	कौलू	4,234	1,033	46,397	309,87	–97.77
10.	कोंडाडोरा	17,442	9,286	16,526	87.83	–43.81
11.	कोरा	5,822	3,961	7,189	46.98	–44.90
12.	कोरुवा	986	3,484	953	–71.70	265.58
13.	कुलिस	1,498	1,893	1,609	–20.87	17.65
14.	मनकिडी	205	333	627	–38.44	–46.89
15.	मिर्धास	28,177	28,447	26,660	–0.95	6.70
16.	परेंगा	9,623	3,032	6,801	217.38	–55.42
17.	पेंटिया	7,908	6,266	9,656	26.20	–35.11
18.	थारुवा	1,034	293	310	252.90	–5.48

1	2	3	4	5	6	7
राजस्थान						
1.	गरसिया	118,757	49,753	62,509	138.69	–20.41
तमिलनाडु						
1.	कादर	762	806	293	–5.46	175.09
2.	कट्टुनायकन	26,383	5,042	6,459	423.26	–21.94
3.	कोटा	604	1,188	833	–49.16	42.62
4.	कुडिया	91	0	2	–	–
5.	मलाई आर्या	470	0	58	–	–
6.	मालायेकांदी	70	497	0	–85.92	–
7.	मन्नाम	40	49	0	–18.37	–
8.	मुदुगर	696	886	119	–21.44	644.54
9.	पल्लयान	19	3108	0	–99.39	–
10.	पल्लीयान	1,818	0	1,551	–	–
11.	शीलगा	4,827	8,310	6,136	–41.91	35.43
12.	टीडा	875	930	714	–5.91	30.25
त्रिपुरा						
1.	भुटिया	22	3	7	633.33	–57.14

1	2	3	4	5	6	7
2.	छैमल	18	0	50	–	–
3.	खसिया	457	491	349	–6.92	40.69
4.	कुकी	5,502	7,775	5,531	–29,23	40,57
5.	नोएटिया	7,182	10,297	16,010	–30.25	–35.68
उत्तर प्रदेश						
1.	भोटिया	32,311	34,144	0	–5.37	–
2.	राजी	1,087	1.918	0	43.33	–
महाराष्ट्र						
1.	बारदा	10,292	208	918	4848.08	77.34
2.	बावचा	336	64	94	425.00	–31.91
3.	बिरहुल, बिरहोर	212	0	22	–	–100.00
4.	छोदारा	179	649	157	–72.42	313.38
5.	धनवार	69,809	9	40	775555.56	–77.50
6.	धोडिया	10,980	9,936	12,037	10.51	–17.45
7.	दुबला	16,019	12,474	13,630	28.42	–8.48
8.	गामीत, गामता	110,828	128,831	102,321	–13.97	25.91
9.	कवर, कंवर	20,321	2,877	2,915	606.33	–1.30

1	2	3	4	5	6	7
10.	खैरवार	2,345	0	275 ,	–	–
11.	नगेसिया, नगासिया	124	8	28	1450.00	–71.43
12.	नायकड़ा, नायक	35,053	9,315	11,731	276.31	–20.60
13.	पटेलिया	1,045	132	180	961.67	–26.67
14.	पोमला	219	614	263	–64.33	133.46
15.	राठवा	1,009	96	2,874	951,04	–96.66
16.	थौटी	209	82	109	154.88	–24.77
17.	विटोलिया, कोटवालिया	1,013	1,031	898	–1.75	14.81
मणिपुर						
1.	अंगमी	566	70	632	708.57	–88.92
2.	छोटे	1.687	1,905	1,035	–11.44	84.06
3.	कबुई	26,006	40,257	29,218	–35.40	37.78
4.	कच्चा नागा	12,754	13,026	9,734	–2.09	33.82
5.	कोराओ	919	1,620	406	–43.27	299.01
6.	कोयरेंग	948	458	531	106.99	–13.75
7.	मारम	6,544	4,539	4,928	44.17	–7.89
8.	कोई भी मिजो आदिवासी	6,126	7.483	2,746	–18.13	172.51

1	2	3	4	5	6	7
9.	मोक्संग	1,139	930	1,342	22.47	-30.70
10.	पुरम	447	0	82	–	–
11.	रालटे	109	154	80	-29.22	92.50
12.	सेमा	24	3	4	700.00	-25.00
13.	थाडोऊ	56,457	59,955	47,994	-5.83	24.92
मेघालय						
1.	टिमसा, ककहरी	1,349	834	1,420	61.75	-41.27
2.	हाजोंग	24,331	19,558	22,652	24.40	-13.66
3.	हम्मर	611	198	1,491	208.59	-86.72
4.	लाखेर	41	0	1	–	–
5.	मान	666	0	253	–	–
6.	कोई भी नागाजाति	846	860	948	-1.63	-9.28
7.	पावी	37	222	0	-83.33	–
8.	सिनटैंग	24	48	0	-50.00	–
मिजोरम						
1.	टिमासा कच्छारी	22	2	14	1000.00	-85.71
2.	कोई भी कुकी जाति	20,785	7.510	11.677	176.76	-35.69

1	2	3	4	5	6	7
3.	कोई भी नाम जनजाति	23	14	23	64.29	−39.13
नागालैंड						
1.	मिकिर	440	519	466	−15.22	11.37
2.	मकवारा	612	2501	0	−75.53	–
पश्चिम बंगाल						
1.	बैगा	1.606	0	4	–	–
2.	बिरहोर	658	0	100	–	–
3.	चकमा	141	2,927	1,379	−95.18	112.26
4.	चेरो	1,648	175	559	841.71	−68.69
5.	गोन्ड	4,923	46	735	10602.17	−93.74
6.	हाजंग	1,035	244	426	324.18	−42.72
7.	हो	3,202	1,036	1,075	209.07	−3.63
8.	करमली	1,418	94	1,023	1408.51	−90.81
9.	खारवर	11,726	134	1,142	8650.75	−88.27
10.	खोन्ड	639	0	41	–	–
11.	कोरवा	2,493	3,222	2,891	−22.63	−11.45
12.	लेपचा	23,409	14,568	15,309	60.69	−4.84

1	2	3	4	5	6	7
13.	माल	1,020	3,257	790	–68.68	312.28
14.	महली	10,827	998	5,075	984,87	–80.33
15.	मल पहारिया	17,020	31,018	15,706	–45.13	97.49
16.	मेह	26,959	10,862	13,915	148,20	–21.94
17.	मरु	1,231	836	1,477	47.25	–43.40
18.	नागेसिया	7,745	2,516	4,875	207.83	–48.39
19.	उरांव	437,574	291,173	297,394	50.28	–2.09
20.	परहैया	3,745	108	487	3367.59	–77.82
21.	राभा	11,256	2,466	6,053	356,45	–59.26
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह						
1.	ओंगस	97	112	129	–13.39	–13.18
दादर एवं नगर हवेली						
1.	कठोडी	74	334	1,005	–77.84	–66.77
2.	कोल धोर	692	1,396	1,125	–50,43	24.09
3.	नायकडा या नायक	67	40	43	67.50	–6.98

[अनुवाद]

चकमा शरणार्थी

1670. श्री अनंतराव देशमुख : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारत में चकमा शरणार्थियों के पुनर्वास कार्यक्रम की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है; और

(ग) इन शरणार्थियों का समुचित पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ एम॰ सईद) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान्। इस प्रकार की कोई पुनरीक्षा नहीं की गयी। तथापि चकमा शरणार्थियों के त्रिपुरा से बंगलादेश की वापसी के लिए बंगलादेश सरकार ने एक पुर्नवास योजना प्रस्तुत की है।

[हिन्दी]

राजस्थान का जल में हिस्सा

1671. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितना जल उपलब्ध है और उसमें से राजस्थान को कितने प्रतिशत जल उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ख) केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य की भौगोलिक स्थितियों और वर्षा के कम प्रतिशत को देखते हुए राजस्थान को और अधिक जल उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो यह जल कब तक उपलब्ध कराया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन) : (क) देश की कुल औसत जल संसाधन क्षमता 1869 बिलियन घन मीटर पुनर्आकलित की गयी है। चूंकि नदी बेसिन या उप बेसिन जल संसाधन आयोजनों और विकास के लिए जल वैज्ञानिक यूनिट होती है इसलिए जल संसाधन उपलब्धता का पता बेसिन/उप बेसिन के आधार पर ही लगाया जाता है। तथापि, राजस्थान के सतही जल संसाधनों को वर्ष 1987-88 में किए गए अध्ययनों के अनुसार, राजस्थान में प्रधान नदी प्रणाली, जिसका सतही प्रवाह में योगदान है, में औसत वार्षिक प्रवाह 19.568 बिलियन घन मीटर आंका गया है जो देश के औसत वार्षिक प्रवाह का लगभग 1.05% है।

(ख) और (ग) विभिन्न अन्तर्राज्यीय करारों के आधार पर राजस्थान को अन्य नदी बेसिनों से जल का निम्न प्रकार आबंटन किया गया है :

(बिलियन घन मीटर)

क्रम सं.	नदी बेसिन	करार	राजस्थान को आबंटित की गयी जल की मात्रा
1.	सतलुज जल	भाखड़ा नांगल करार, 1959	1.763
2.	नर्मदा जल	नर्मदा जल विवाद अधिकरण पंचाट, 1979	0.617
3.	रावी व्यास जल	रावी व्यास जल पर अन्तर्राज्यीय करार, 1981	11.972
4.	यमुना जल	समझौता ज्ञापन-यमुना प्रवाह का आबंटन-मई, 1994	1.119

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाएं

1672. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :**

श्री धर्मभिक्षम :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की कुल सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी; और

(घ) उन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृति प्रदान की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) केन्द्र में प्राप्त हुई आंध्र प्रदेश की नयी वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है तथा यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करती है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना आयोग द्वारा येरराकलवा, मद्दीलेरा कौलसनाला, बुग्गावंका और चेलमेलवागू नामक 5 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को क्रमशः 46.519 करोड़ रुपये, 28.56 करोड़ रुपये, 20.487 करोड़ रुपए, 25.916 करोड़ रुपए और 22.99 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर निवेश स्वीकृति प्रदान की गयी है।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश की नयी वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	नवीनतम अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	लाभान्वित क्षेत्र (हेक्टेयर)	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
	वृहद				
1.	जुराला	204.75	47,840	9/80	तकनीकी-आर्थिक रूप से मूल्यांकन किया गया तथा 204.75 करोड़ रुपए की लागत पर 4/88 में सलाहकार समिति द्वारा इस शर्त पर स्वीकार्य पायी गयी कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए। 4/94 में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई। राज्य सरकार द्वारा लागत अनुमानों को अद्यतन करना है।
	वंशधारा चरण-II	410.74	50,960	3/79	तकनीकी-आर्थिक रूप से मूल्यांकन किया गया तथा 275.74 करोड़ रुपए को लागत पर 12/91 में सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पायी गयी, राज्य सरकार को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण और वन स्वीकृति प्राप्त करनी है तथा पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन पहलुओं पर कल्याण मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करनी है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए गणितीय माडल

1	2	3	4	5	6
					अध्ययन के आधार पर राज्य सरकार द्वारा उड़ीसा के साथ जल मग्नता संबंधी मुद्दे को हल किया जाना है।
3.	येलेरू	335.34	27,360	1/93	तकनीकी आर्थिक रूप से मूल्यांकन किया गया और 335.34 करोड़ रुपए की लागत पर 3/93 में सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत। राज्य को पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण एवं वन स्वीकृति और कल्याण मंत्रालय से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पहलुओं पर स्वीकृति प्राप्त करनी है राज्य को औद्योगिक जल आपूर्ति हेतु जल के प्रभार से संबंधित मामलों को सुलझाना अपेक्षित है।
4.	तेलुगू गंगा परियोजना	1120.00	199,000	12/83	इसकी जांच तकनीकी–आर्थिक रूप से केन्द्रीय जल आयोग द्वारा की गई थी किन्तु 4/88 में सलाहकार समिति ने अन्तर्राज्यीय मामलों का समाधान न होने के कारण इस पर विचार आस्थगित रखा। परियोजना पर्यावरण और वन दृष्टिकोण से भी स्वीकृति होनी थी। राज्य को अन्य कृष्णा बेसिन राज्यों की सहमति प्राप्त करनी अथवा इस परियोजना पर उपयोग हेतु आन्ध्र प्रदेश में अन्य कृष्णा बेसिन योजनाओं पर 29वीं एम सी जल बचाने हेतु प्रस्ताव को तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करने की अपेक्षा है।

1	2	3	4	5	6
5.	के० सी० नहर आधुनिकीकरण	198.00	106,000	11/92	राज्य द्वारा केन्द्रीय जल आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को जानी है।
6.	पुलिचिन्तला	268.64	कोई अतिरिक्त सिंचाई लाभ नहीं, किन्तु 60 मेगावाट विद्युत उत्पादन का प्रस्ताव है।	7/93	राज्य को विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मामलों का समाधान करना है तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय एवं कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करनी अपेक्षित है।
7.	श्री राम सागर से बाढ़ प्रवाह नहर	1334.00	89,030	12/93	राज्य सरकार को केन्द्रीय जल आयोग के साथ विभिन्न तकनीकी आर्थिक मुद्दे हल करने हैं।
मझौली					
1.	पेद्देरू	26.23	6,460	9/91	तकनीकी आर्थिक रूप से जांच की गई थी और 11/93 में सलाहकार समिति द्वारा इस शर्त पर स्वीकृत की गई कि पुनर्वास व पुनर्स्थापन पहलुओं पर कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये और राज्य द्वारा पर्याप्त निधियों की व्यवस्था की जाये।
2.	पालेमवागु	29.13	6,230	1/86	तकनीकी-आर्थिक रूप से जांच की गई थी और सलाहकार समिति द्वारा 11/93 में इस शर्त पर स्वीकृत की गई थी कि पर्यावरण और वन मंत्रालय से वन स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये तथा राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त निधियों की व्यवस्था की जाये।

सिरैकी भाषा में कार्यक्रम

1673. श्री नारायण सिंह चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विभाजन के बाद लाखों सिरैकी भाषी लोग दिल्ली तथा अन्य उत्तरी राज्यों में आकर बस गये;

(ख) क्या उनकी भाषा तथा संस्कृति अति प्राचीन है;

(ग) क्या जालंधर से आकाशवाणी/दूरदर्शन पर इस भाषा में कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जाता;

(घ) क्या सरकार के पास इस भाषा में आकाशवाणी/दूरदर्शन, दिल्ली से कार्यक्रमों का प्रसारण करने के कोई प्रस्ताव हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) वर्तमान व्यवस्था जिसके अंतर्गत सप्ताह में एक बार शनिवार को आकाशवाणी की विदेश सेवा से सरैकी में 15 मिनट का कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है और जिसे बुधवार को आकाशवाणी, सूरतगढ़ से पुन: प्रसारित किया जाता है, को पर्याप्त समझा गया है।

पारेषण केन्द्र

1674. श्री पी॰ सी॰ थामस : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान कुछ कम शक्ति और उच्च शक्ति के पारेषण केन्द्रों को स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले 3 वर्षों (वार्षिक योजना 1991-92, 92-93 तथा 93-94) के दौरान स्वीकृत ट्रांसमीटर।

क्रम सं.	राज्य	उच्च शक्ति ट्रा.	अ. शा. ट्रा./अ. अ. शा. ट्रा.
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	34
2.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	–	4
3.	अरूणाचल प्रदेश	–	6
4.	असम	–	6
5.	बिहार	–	70
6.	गुजरात	–	18
7.	हरियाणा	–	2
8.	हिमाचल प्रदेश	–	22
9.	जम्मू और कश्मीर	–	14
10.	कर्नाटक	1	15
11.	केरल	–	6
12.	मध्य प्रदेश	–	20
13.	महाराष्ट्र	1	20
14.	मणिपुर	–	2
15.	मेघालय	–	2
16.	मिजोरम	–	2
17.	नागालैंड	–	2
18.	उड़ीसा	2	37
19.	पंजाब	–	1
20.	राजस्थान	1	33
21.	पांडिचेरी	–	1
22.	सिक्किम	–	3

1	2	3	4
23.	त्रिपुरा	–	3
24.	तमिलनाडु	1	16
25.	उत्तर प्रदेश	2	38
26.	पं. बंगाल	1	8
27.	दादरा और नगर हवेली	–	1
28.	दिल्ली	–	4
	जोड़	11	330

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम

1675. श्री ई. अहमद :

श्री शरद दिघे :

श्री राम विलास पासवान :

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :

श्री संदीपान भगवान थोरात :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान अब तक राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियों (टाडा) के अन्तर्गत कितने मामले दर्ज किये गये हैं;

(ख) राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने व्यक्ति नजरबन्द और गिफ्तार किये गये;

(ग) राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया, दंड दिया गया और रिहा किया गया;

(घ) राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार इस समय आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियों से संबंधित कितने मामले लम्बित हैं;

(ङ) इन मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(च) क्या केन्द्रीय सरकार को उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियों (टाडा) के उपबन्धों के दुरूपयोग के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को, टाडा मामलों में मुकदमों की कार्रवाई को तेज करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया जाता रहा है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा पुनरीक्षा समितियों का गठन किया गया है जो नियमित रूप से पुनरीक्षा बैठकें आयोजित करती हैं।

(च) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा टाडा के उपबंधों का दुरूपयोग करने के संबंध में कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ज) केन्द्रीय सरकार ने राज्यों सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को फिर से दोहराया है कि इस अधिनियम के उपबंधों को केवल कट्टर आतंकवादियों तथा उपद्रवियों के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाय और यह कि ऐसे अपराधियों पर इस अधिनियम को लागू नहीं किया जाना चाहिए जिनके लिए देश में लागू अन्य कानून पर्याप्त हैं।

विकलांग व्यक्तियों के लिये विशेष रोजगार कार्यालय

1676. श्री काशीराम राणा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विकलांग व्यक्तियों के लिए कितने विशेष रोजगार कार्यालय काम कर रहे हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष, इन रोजगार कार्यालयों द्वारा कितने विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कराया गया ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) गुजरात में अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट तथा सूरत में विकलांग व्यक्तियों के लिए चार विशेष रोजगार कार्यालय कार्य कर रहे हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन रोज़गार कार्यालयों द्वारा रोज़गार प्रदान किए गए विकलांग व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :–

नियोजन कार्यालय का नाम	किए गए अनुस्थापन		
	1991	1992	1993
अहमदाबाद	96	124	153
बड़ौदा	32	170	104
रायकोट	9	90	107
सूरत	28	35	62
कुल	165	419	426

प्रतिबंधित दवाएं

1677. श्री छेदी पासवान :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री संतोष कुमार गंगवार :

श्री काशीराम राणा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ दवाइयों को, जो अन्य देशों में प्रतिबंधित हैं हमारे देश में बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन सी दवाइयां हैं और इन्हें बेचने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इन दवाइयों को प्रतिबंधित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो कब तक ऐसा किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) से (ङ) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सूचित की गई 44 औषधियों, जिन्हें कुछ देशों में हटा दिया गया है, में से सरकार ने विशेषज्ञों और औषध तकनीकी परामर्शी बोर्ड की सलाह पर 11 औषधियों पर रोक लगा दी है, 26 औषधियों को बेचे जाने से मना कर दिया है और शेष 7 औषधियों को बेचा जाना जारी रखने की अनुमति दे दी है क्योंकि विशेषज्ञों द्वारा ये औषधियां भारतीय संदर्भ में प्रभावकारी समझी गई। ये औषधें इस प्रकार हैं :–

1. हाइड्रोक्विनोलाइन (क्लीयोक्विनोल, एंटरोक्विनोल इत्यादि)
2. फेनफॉरमिन (डी॰ बी॰ आई॰)
3. निटरोफ्युरेन मिश्रण
   (क) फ्युराजोलिडॉन
   (ख) निटरोफ्युराजोन क्रीम
4. लिनेस्ट्रोनोल
5. पिप्राजाइन
6. आक्सीफेनबुटाजोन/फिनाइलबुटाजोन
7. एनेल्जिन (डिपिरोन)

मानवाधिकारों का हनन

1678. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जम्मू और कश्मीर में विशेषरूप से डोडा में पाकिस्तानी भाड़े

के सैनिकों की क्रूरता और आतंकवाद के शिकार व्यक्तियों के मानवाधिकारों के हनन के प्रश्न पर हाल ही में विचार किया था;

(ख) यदि हां, तो आयोग ने क्या मुख्य टिप्पणियां और सिफारिशें की तथा क्या निर्णय लिए; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें विशेष रूप से कश्मीर के डोडा जिले में और सामान्यतः शेष घाटी में पाक भाड़े के सैनिकों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन किए जाने के आरोप लगाए गए हैं, जिस पर आयोग विचार कर रहा है। आयोग द्वारा इस संबंध में कोई सिफारिशें नहीं की गयी हैं।

[हिन्दी]

जैन-अग्रवाल समिति

1679. श्री राम विलास पासवान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जून, 1994 के राष्ट्रीय सहारा में "दस साल में भी अधूरा है 84 के दंगों के मामले दर्ज करने का काम" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो जैन-अग्रवाल समिति द्वारा छोड़े गये 21 शपथ-पत्रों के आधार पर अभी तक कितने मामले दर्ज किए गए और कितने मामलों में अभी कार्यवाही की गयी है; और

(ग) यदि इन 21 शपथ-पत्रों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो यह कार्यवाही कब की जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ एम॰ सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) 21 शपथ पत्रों पर, की जा रही कार्रवाई प्रगति के विभिन्न स्तरों पर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने हाल ही में सूचित किया है कि सात शपथ-पत्रों पर आधारित एक मामला दर्ज किया गया है। एक अन्य शपथ पत्र पर आधारित एक एक अन्य मामले पर आगे जांच पड़ताल का कार्य प्रगति पर है, क्योंकि इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ॰ आई॰ आर॰) पहले ही दर्ज थी। इसके अतिरिक्त चार मामलों वाले 13 शपथ-पत्रों पर प्राथमिकी जांच के आदेश दिए गए हैं।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए औषध नीति

1680. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए अलग से औषध नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा पद्धति से संबंधित औषधों को औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत पहले ही कवर कर लिया गया है। उनके मानकीकरण और औषधीय पादपों की अच्छी हालत में उपलब्धता पर जोर दिया जाता है।

[अनुवाद]

संखिया दूषण

1681. श्री चित्त बसु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में नलकूपों से खींचे जाने वाला पेयजल संखिया दूषण से युक्त पाया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को संखिया के दूषण से पैदा हुई समस्या से निपटने के लिए अभी तक कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) पश्चिम बंगाल के कुछ भागों से भूमिजल में संखिया होने की सूचना मिली है।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में नलकूपों के पेयजल में संखिया दूषण की समस्या को हल करने के लिए अनुमोदित 961.85 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत में से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को 480.92 लाख रुपये की धनराशि विमुक्त की गई है।

[हिन्दी]

मलेरिया पर नियंत्रण

1682. श्री महेश कनोडिया :

श्री बलराज पासी :

डा० बसंत पवार :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हाल ही मलेरिया में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में 1993-94 के दौरान ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए;

(ग) उक्त अवधि में इनमें से कितनी मौतें हुई; और

(घ) मलेरिया पर नियंत्रण पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) जी नहीं। 1984 में मलेरिया के रोगियों की वार्षिक संख्या दो मिलियन रोगियों के बराबर हो रही है जिसमें थोड़ा-बहुत उतार-चढ़ाव होता रहता है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) मलेरिया नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :-

–निगरानी

–रोगियों का पता लगाना और शुरू में ही उपचार

–अवशिष्ट कीटनाशक छिड़काव

–पुनरावर्ती लार्वा-रोधी उपाय

–सामुदायिक सहभागिता और स्वास्थ्य शिक्षा

–केवल शहरी क्षेत्रों के लिए आदर्श उप-नियमों का कार्यान्वयन

–जैव-पर्यावरणिक उपाय

विवरण

1993 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मलेरिया के रोगी और मौतें

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	मलेरिया के रोगियों की संख्या	मौतों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	85570	7
2.	अरूणाचल प्रदेश	26530	शून्य
3.	असम	115000	48
4.	बिहार	46920	2
5.	गोवा	2227	शून्य
6.	गुजरात	302878	20
7.	हरियाणा	21945	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	4062	शून्य
9.	जम्मू व कश्मीर	784	शून्य
10.	कर्नाटक	135702	शून्य
11.	केरल	9277	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	279355	4
13.	महाराष्ट्र	252563	2
14.	मणिपुर	1896	9

1	2	3	4
15.	मेघालय	10045	शून्य
16.	मिजोरम	13166	31
17.	नागालैंड	649	शून्य
18.	उड़ीसा	323575	110
19.	पंजाब	14944	शून्य
20.	राजस्थान	845815	1214
21.	सिक्किम	68	शून्य
22.	तमिलनाडु	147602	शून्य
23.	त्रिपुरा	9206	5
24.	उत्तर प्रदेश	112803	शून्य
25.	पश्चिम बंगाल	45291	34
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1598	2
27.	चण्डीगढ़	9735	शून्य
28.	दादरा व नगर हवेली	8121	शून्य
29.	दमण व दीव	1565	शून्य
30.	दिल्ली	4914	शून्य
31.	लक्षद्वीप	4	शून्य
32.	पांडिचेरी	914	शून्य
		2074468	293

कोयले का आयात

1683. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशी गैर-कुकिंग कोयले की तुलना में बेहतर किस्म का गैर-कुकिंग कोयला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम मूल्यों में उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कोयले का आयात करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोयले के आयात से कोल इण्डिया लिमिटेड में मजदूरों की छंटनी की जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) अधिकांश उत्पादित देशी कच्चे कोयले की अपेक्षा राख की कम प्रतिशतता वाला कच्चा कोयला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध है। फिर भी, सामान्यतः भारतीय कोयले में गंधक की कम मात्रा पाई जाती है, जिसके परिणामस्वरूप वह कम प्रदूषण उत्पन्न करता है और पर्यावरणीय रूप में अधिक अनुकूलतम है। कोयले की उतारी गई आयातित कीमत कोयले की गुणवत्ता, मूल पत्तन और अंतिम गन्तव्य-स्थल आदि जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर करती है। सामान्यतः उतारे गए आयातित कोयले की कीमत देशीय कोयले से अधिक होती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन और आकाशवाणी नेटवर्क का विस्तार

1684. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने हाल ही में दिल्ली में राज्य के सूचना सचिवों की एक बैठक आयोजित की थी जिसमें दूरदर्शन और आकाशवाणी के विस्तार के लिए राज्यों के सहयोग के सम्बन्ध में चर्चा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) से (ग) जी, हां। 23 जून, 94 को विज्ञान भवन में राज्यों के सूचना सचिवों की बैठक हुई थी जिसमें आकाशवाणी व दूरदर्शन द्वारा देश के विभिन्न भागों में अपने नैटवर्क के सत्वर विस्तार की परियोजनाओं में पेश आ रही समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया। राज्यों के सूचना सचिवों, ने सुरक्षा तथा अन्य आधारभूत सुविधाए जुटाते हुए भरपूर सहयोग का आश्वासन दिया है।

डिपो प्रोवीरा

1685. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** :

श्री डी॰ देवराजन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "डिपो प्रोवीरा" के विपणन की अनुमति देने के विरुद्ध महिला संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) और (ख) जी हां। संगठनों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह स्पष्टीकरण मांगा कि क्या "डिपो प्रोवीरा" की निरापदता और प्रभावकारिता से संबंधित पर्याप्त आंकड़े विपणन के लिए अनुमोदन करने से पहले तैयार किए गए थे।

(ग) यह स्पष्ट किया गया था कि पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के नुस्खे के बिना औषधि प्रदान अथवा बेची नहीं जानी थी तथा विपणन के अनुमोदन की अनुमति प्रदान करने के पूर्व विशेषज्ञों के परामर्श से पर्याप्त आंकड़े तैयार किए गए और उनकी जांच की गई थी।

तम्बाकू का प्रयोग

1686. प्रो॰ उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने विज्ञापनों का तम्बाकू के प्रयोग पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बंगलादेशी घुसपैठ

1687. श्री बी॰ एल॰ शर्मा प्रेम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 मई, 1994 के "नवभारत टाइम्स" में "बंगलादेशी ठेके पर लाए जा रहे" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ एम॰ सईद) : (क) से (ग) सरकार ने प्रैस रिपोर्ट को देखा है। घुसपैठ की रोकथाम के लिए कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों में सीमा सुरक्षा बल को सुदृढ़ बनाना, मोबाईल टास्क फोर्स (एम॰ टी॰ एफ)/विदेशियों की घुसपैठ की रोकथाम (पी॰ आई॰ एफ॰) करने की योजनाओं को कार्यान्वित करना, सीमा सड़कों का निर्माण करना और सीमा पर बाड़ लगाना, पहचान पत्र जारी करना, न्यायाधिकरणों को स्थापित करना, इत्यादि, शामिल हैं। घुसपैठ के मामले को बंगलादेश सरकार के साथ उठाया गया है तथा कुछ अवैध प्रवासियों/घुसपैठियों की कुछ श्रेणियों को सीमा सुरक्षा बल द्वारा बंगलादेश राईफल्स के सुपुर्द करने के लिए कुछ तौर-तरीके तयौर कर लिए गए हैं।

सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है ताकि उनका आचरण अच्छा बनाना सुनिश्चित हो सके।

[अनुवाद]

अवैध खनन

1688. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्रों में अनेक गैर-सरकागी समूहों द्वारा अवैध कोयला खनन की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को इसके कारण भूमि धंसने की जानकारी भी है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं/किए जायेंगे

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) पश्चिम बंगाल में पट्टाधारी क्षेत्रों में गैर-कानूनी खनन को रोकने के लिये कोयला कम्पनियों नामत: ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०/भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :-

(1) सुरक्षा बलों तथा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा नियमित चौकसी तथा अचानक छापों द्वारा कड़ी निगरानी।

(2) डोजिंग तथा मिट्टी एवं अवशिष्ट सामग्री से, जहां कहीं सम्भव होता है, भराई की जाती है।

(3) जहां कहीं भी गैर-कानूनी खनन क्रियाकलापों का पता चलाता है, उसकी राज्य प्राधिकारियों को सूचना दी जाती है।

(4) निगरानी के दौरान पकड़े गए व्यक्तियों को पकड़ी गई सामग्री सहित राज्य प्राधिकारियों को सौंप दिया जाता है।

(5) गैर-कानूनी खनन को रोकने में जिला एवं राज्य प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क रखा जाता है।

राज्य सरकारों से समय-समय पर निम्नलिखित सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है :-

(1) गैर-कानूनी खनन के लिये दर्ज सभी प्रथम सूचना रिपोर्टों का उनकी व्यावहारिकता तथा कानूनी निष्कर्ष तक पालन किया जाना।

(2) कोयला कंपनियों द्वारा पुलिस को सौंपे गए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।

(3) गैर-कानूनी खनन को रोकने के लिए कानूनी प्रावधानों को कोयला कंपनियों को पट्टाधारी परिसम्पत्तियों के बाहरी क्षेत्रों में कड़ाई से लागू किया जाए।

दन्त क्लीनिक

1689. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडिश दन्त परिषद ने आंध्र प्रदेश में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त क्लीनिकों की स्थापना हेतु उपकरण देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कुल कितने क्लीनिक खोले गए हैं; और

(ग) इन क्लीनिकों से कितने स्कूली बच्चे लाभान्वित होंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आई॰ एस॰ आई॰ की गतिविधियां

1690. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि आई॰ एस॰ आई॰ समर्थित उग्रवादी संगठन पाकिस्तान में प्रशिक्षण दिलाने के लिए देश के दूरवर्ती भागों में विशेषरूप से बिहार से लोगों की भर्ती कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) आई॰ एस॰ आई॰ का समर्थन प्राप्त उग्रवादियों द्वारा पाकिस्तान में प्रशिक्षण देने के लिए बिहार सहित देश के विभिन्न भागों से गुमराह युवकों की भर्ती करने संबंधी मामले सरकार की जानकारी में आए हैं।

(ख) इस प्रकार के इरादों को विफल करने और उनका मुकाबला करने के लिए सरकार, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाने, संबंधित केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा आसूचना का आदान-प्रदान तथा समन्वित कार्रवाई करने, सामरिक महत्व के स्थानों पर अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती को मजबूत बनाने तटीय और अन्त:स्थलीय गश्त को गहन करने, भारत-पाक सीमा के संवेदनशील स्थानों पर बाढ़ और फ्लड लाईट लगाने जैसी सभी आवश्यक उपाय कर रही है।

कोयला खानें

1691. श्री संदीपान भगवान थोरात : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्तमान कोयला खानों के आधुनिकीकरण के क्रम में नयी खानों के विकास में अनुषंगी इकाईवार कितना निवेश किया जाएगा;

(ख) विदेशी निवेश से कार्यान्वयन के लिए ली गई नई कोयला परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) जो परियोजनायें समय पर पूरी हो गई हैं उनका ब्यौरा क्या है और कौन-कौन सी परियोजनायें अभी पूरी की जानी हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं के समय पर पूरा होने के बारे में सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इण्डिया लिमिटेड के लिये अनुमोदित आठवीं योजना परिव्यय की राशि 8,520 करोड़ रु॰ की है (1991-92 की कीमतों पर) नई कोयला खानों का विकास तथा विद्यमान खानों का आधुनिकीकरण के लिए आठवीं योजना के दौरान 5631 करोड़ रु॰ के॰ निवेश किए जाने का अनुमान है। कम्पनी-वार ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :-

	(करोड़ रुपए में)
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि॰	1517.14
भा॰ को॰ को॰ लि॰	192.63
सें॰ को॰ लि॰	1168.96
ना॰ को॰ लि॰	881.92
वे॰ को॰ लि॰	641.27
सा॰ ई॰ को॰ लि॰	385.15
म॰ को॰ लि॰	882.48
ना॰ ई॰ को॰	21.45
जोड़	**5631.00**

(ख) आठवीं योजनावधि के दौरान विदेशी निवेश से कोई नई कोयला परियोजना आरंभ नहीं की गई है, केवल आई॰ डी॰ ए॰ की सहायता से झरिया कोलफील्ड्स में खान की आगों की तकनीकी जांच को छोड़कर।

(ग) को॰ इं॰ लि॰ की 20 करोड़ रु॰ या उससे अधिक लागत की 24 परियोजनायें निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली गई हैं। निर्धारित समय के अनुसार चल रही परियोजनाओं की संख्या तथा अभी भी पूर्ण होने वाली परियोजनाओं की संख्या 31 है, किन्तु को॰ इं॰ लि॰ 15 परियोजनायें समय से पीछे चल रही हैं, सिं॰ को॰ कं॰ लि॰ में 29 चालू कोयला खनन परियोजनाओं में से 5 पूर्ण हो गई हैं (2 समय से पूर्व तथा 3 समयानुसार चल रही हैं), 22 परियोजनायें निर्माण के विभिन्न सोपानों में हैं तथा दो वापस ले ली गई हैं। को॰ इ॰ लि॰ की परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I, II, और III में दिये गये हैं।

(घ) परियोजनाओं के समय पर पूर्ण करने की सुनिश्चितता के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :-

(1) अग्रिम कार्यवाही : 50 करोड़ रु॰ की या उससे अधिक की लागत की सभी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के विलम्ब को दूर करने के लिए कोयला मंत्रालय 10 करोड़ रु॰ की लागत तक अग्रिम कार्यवाही स्वीकृत करता है।

(2) उपकरणों के निर्माताओं के साथ बैठक : उपकरणों की आपूर्ति में विलम्ब को दूर करने के लिये देश में को॰ इं॰ लि॰ तथा प्रमुख उपकरण निर्माताओं के बीच नियमित रूप में समन्वयीय बैठकें होती हैं।

(3) भू-खनन परिस्थितियों का पता लगाने के लिए नवीनतम भू-गर्भीय, भू-भौतिकी तकनीकियों का प्रयोग किया जा रहा है।

(4) कोयला कम्पनियों में निदेशक (परि०) तथा टर्न-की ठेकेदारों के बीच समस्याओं का पता लगाने तथा उपचारात्मक उपाय करने के ध्येय से नियमित पुनरीक्षा बैठकें होती हैं।

(5) भूमि-अधिग्रहण : निदेशक (परि०) तथा मुख्य सचिव, उपायुक्त, डी० एल० ए० ओ०, सचिव (राजस्व) तथा राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के साथ नियमित रूप में बैठकें हो रही हैं।

(6) वन भूमि की स्वीकृति : वन भूमि को जारी किए जाने के लिए आवेदनों को शीघ्र निपटाए जाने हेतु निदेशक (परि०) के साथ सचिव (वन), पी० सी० सी० एफ०, सीसीएफ, डी० एफ० ओ० आदि के साथ नियमित रूप में बैठकें होती हैं।

(7) परियोजना प्रबोधन :

(क) क्षेत्रीय स्तर पर तथा निदेशक (परि०) तथा कोयला कम्पनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा महीने में एक बार परियोजना का प्रबोधन होता है। प्रत्येक बोर्ड की बैठक में परियोजना की स्थिति भी प्रस्तुत की जाती है।

(ख) 100 करोड़ रुपए तथा इससे अधिक लागत की प्रमुख परियोजनाओं का प्रबोधन भी को० इं० लि० द्वारा किया जा रहा है। को० इं० लि० के बोर्ड को नियमित स्थिति रिपोर्टें भी प्रस्तुत की जा रही हैं।

(ग) कोयला मंत्रालय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय आदि को भी बड़ी संख्या में प्रबोधन रिपोर्टों को प्रस्तुत किया जाता है।

(8) परियोजना प्रबन्ध : ओपनकास्ट तथा भू-गत परियोजनाओं के लिए परियोजना कार्यान्वयन पद्धति तैयार कर ली गई है तथा को० इं० लि० बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर ली गई है। इसी प्रकार ठेका प्रबन्धक के लिए पद्धति को भी को० इं० लि० बोर्ड ने अनुमोदित कर दिया है तथा इसे परिचालित कर दिया गया है।

उपयुक्त उपायों को किए जाने से भूमि अधिग्रहण, वन भूमि जारी करने, विपरीत भू-खनन परिस्थितियों के कारण परियोजना कार्यान्वयन में हुए विलम्ब को कम कर दिए जाने की सम्भावना है।

विवरण-एक

20 करोड़ रुपए की तथा इससे अधिक की लागत की तथा समय के अंदर तथा समय पर पूर्ण हुई परियोजनाएं

कंपनी	परियोजनाएं	प्रकार	स्वीकृति की ता.	अंतिम क्षमता (मी. ट. प्र.)	स्वीकृति पूंजी (करोड़ रु. में)	पूर्ण होने की तारीख	
						समय से पूर्व	वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7	8
भाकोकोलि	1. ब्लाक-II	ओका	दिस., 91	2.50	174.25	मार्च, 93	मार्च, 93
-वही-	2. केशलपुर विस्ता. II	ओका	मार्च, 92	1.00	35.46	मार्च, 94	मार्च, 94
-वही-	3. सुदामडीह	भूग	फर., 83	0.60	94.55	मार्च, 86	मार्च, 86
सेकोलि	4. राजरप्पा	ओका	सित., 89	3.00	133.63	मार्च, 90	मार्च, 90
भाकोकोलि	5. कथारा इन्क आरपीटी	ओका	जुला., 88	1.90	59.60	मार्च, 91	मार्च,91
सेकोलि	6. कथारा	ओका	अग. 84,	2.20	39.75	मार्च, 86	मार्च, 85*
-वही-	7. गोविंदपुर	ओका	सित., 92	0.40	39.59	मार्च, 96	मार्च, 94*
-वही-	8. के. डी. हेंसलांग	ओका	नव., 88	1.50	37.56	मार्च, 90	मार्च, 90
नाकोलि	9. अमलोरी	ओका	सित., 90	4.00	527.11	मार्च, 93	मार्च, 93

1	2	3	4	5	6	7	8
–नाकोलि	10. झिंगुर्दा	ओका	जुला॰, 88	3.00	63.11	मार्च, 87	मार्च, 87*
वेकोलि	11. नीलजयी	ओका	अप्रैल, 87	1.90	96.89	मार्च, 96	मार्च, 94*
–वही–	12. उमरेर विस्ता॰	ओका	मार्च, 85	1.84	25.44	मार्च, 87	मार्च, 86
–वही–	13. न्यू माजरी	ओका	जुलाई, 84	1.00	22.93	मार्च, 85	मार्च, 85
–वही–	14. सिलेवाड़ा-II	भू॰ ग॰	सित॰, 92	0.80	48.46	मार्च, 94	मार्च, 94
–वही–	15. पाथरखेड़ा विस्ता॰	भू॰ ग॰	जून॰, 83	1.32	26.39	मार्च, 85	मार्च, 85
–वही–	16. शोभापुर	भू॰ ग॰	मई॰, 86	0.60	20.72	मार्च, 88	मार्च, 88
साईकोलि	17. गेवरा विस्ता॰	ओका	सित॰, 85	10.00	224.39	मार्च, 92	मार्च, 90*
–वही–	18. कुसमुंडा	ओका	सित॰, 85	6.00	168.45	मार्च, 88	मार्च, 87*
–वही–	19. धनपुरी	ओका	नव॰, 90	1.25	54.69	मार्च, 92	मार्च, 92
–वही–	20. राजनगर आरओ	भू॰ ग॰	अक्तू॰, 83	0.70	33.92	मार्च, 88	मार्च, 88
–वही–	21. रामनगर आरओ	भू॰ ग॰	मार्च, 85	0.72	23.23	मार्च, 89	मार्च, 88*
मकोलि	22. भरतपुर	ओका	नव॰, 90	3.50	158.97	मार्च, 91	मार्च, 91
–वही–	23. जगन्नाथ	ओका	फर॰, 84	4.00	68.40	मार्च, 87	मार्च, 87
–वही–	24. लाजकुरा	ओका	मार्च, 91	1.00	38.98	मार्च, 88	मार्च, 88
	जोड़ :			54.73	2217.47		

*ऐसी परियोजनाएं जोकि समयावधि से पूर्व पूरी की गई हों।

विवरण-दो

समयावधि के अनुसार चल रही तथा अभी पूर्ण की जाने वाली परियोजनाएं
(20 करोड़ रु० तथा इससे अधिक लागत की परियोजनाएं)

कंपनी	परियोजना	प्रकार	स्वीकृति की ता०	अंतिम क्षमता (मि० ट० प्र० वर्ष)	स्वीकृति पूंजी (करोड़ रु० में)	पूर्ण होने की तारीख समय से पूर्व	पूर्ण होने की तारीख प्रत्याशित
1	2	3	4	5	6	7	8
ईऊ्केलि	1. राजमहल विस्ता	ओका	जुला०,93	10.50	966.70	मार्च, 95	मार्च, 95
-वही-	2. जामकाद	ओका	सित०, 89	1.70	210.55	मार्च, 98	मार्च, 98
-वही-	3. कांटाडीह (ओका + भू० ग०)	भूग	जून, 89	2.40	267.52	मार्च, 98	मार्च, 98
-वही-	4. सतग्राम	भूग	सित०, 90	1.20	148.26	मार्च, 95	मार्च, 95
-वही-	5. बकुलिया	भूग	अगस्त, 92	0.96	104.66	मार्च, 00	मार्च, 00
सेकोलि	6. पिपरवार	ओका	नव०, 93	6.50	838.27	जून, 95	जून, 95
-वही-	7. पारेज ईस्ट	ओका	मार्च, 93	1.75	116.19	मार्च, 99	मार्च, 99
-वही-	8. सौंदा "डी"	ओका	सित०, 91	0.80	48.98	मार्च, 99	मार्च, 99
-वही-	9. जारीडीह	ओका	अप्रैल, 93	0.60	48.83	मार्च, 02	मार्च, 02
-वही-	10. कर्मा	ओका	दिस०, 90	0.80	47.71	मार्च, 96	मार्च, 96

1	2	3	4	5	6	7	8
–वही–	11. सौंदा "डी"	भूग	मार्च, 91	0.63	47.94	मार्च, 98	मार्च, 98
–वही–	12. राव-बचरा	भूग	मार्च, 91	0.60	30.19	मार्च, 97	मार्च, 97
–वही–	13. परेज ईस्ट	भूग	सित॰,92	0.30	28.42	मार्च, 99	मार्च, 99
नाकोलि	14. दुधीचुआ विस्ता॰	ओका	अगस्त, 92	10.00	868.93	मार्च, 98	मार्च, 98
–वही–	15. निगाही	ओका	मार्च, 94	4.20	648.04	नव॰, 94	नव॰, 94
वेकोलि	16. उकनी	ओका	जनवरी, 92	1.10	100.37	मार्च, 99	मार्च, 99
–वही–	17. गोंडेगांव	ओका	दिस॰, 92	0.75	67.96	मार्च, 00	मार्च, 00
–वही–	18. कोलार पिम्परी	ओका	सित॰, 92	0.65	47.94	मार्च, 98	मार्च, 98
–वही–	19. पिम्पलगांव	ओका	मार्च, 91	0.60	44.51	मार्च, 97	मार्च, 97
–वही–	20. सस्ती आरओ	भू॰ ग॰	अप्रैल, 93	0.36	38.25	मार्च, 98	मार्च, 98
–वही–	21. मकराधोकरा-II	भू॰ ग॰	सित॰, 92	0.27	25.52	मार्च, 00	मार्च, 00
साईको लि॰	22. दुग्गा	ओका	अप्रैल, 93	0.50	46.00	मार्च, 96	मार्च, 96
–वही–	23. गेवरा औग॰	ओका	नव॰ 92	2.00	39.62	मार्च, 95	मार्च, 95
–वही–	24. सोमना	भू॰ ग॰	अप्रैल, 93	0.55	44.85	मार्च, 99	मार्च, 99
मकोलि	25. कलिंगा	ओका	मार्च, 92	8.00	485.77	मार्च, 00	मार्च, 00
–वही–	26. लिंगराज	ओका	फर॰, 91	5.00	229.84	मार्च, 97	मार्च, 97

1	2	3	4	5	6	7	8
-वही-	27. लखनपुर	ओका	जन., 92	5.00	221.51	मार्च, 96	मार्च, 96
-वही-	28. अनंता	ओका	सित., 91	4.00	156.49	मार्च, 95	मार्च, 95
-वही-	29. समलेश्वरी	ओका	अगस्त, 92	3.00	126.85	मार्च, 96	मार्च, 96
-वही-	30. भरतपुर औग.	ओका	नवम्बर, 92	1.50	48.02	मार्च, 97	मार्च, 97
-वही-	31. अनंता औग.	ओका	नवम्बर, 92	1.50	46.99	मार्च, 97	मार्च, 97

विवरण-तीन

31.3.1994 की स्थिति के अनुसार विलम्बित खनन परियोजनाओं की सूची
(20 करोड़ रु॰ की तथा इससे अधिक की लागत की परियोजनाएं)

कंपनी	परियोजना	प्रकार	विलम्ब का कारण
ई॰ को॰ लि॰	सोनपुर बाजारी	ओका	भूमि अधिग्रहण में विलंब
-वही-	झांजरा	भूग	भूमि अधिग्रहण में विलंब
-वही-	जे॰ के॰ नागर	भूग	ठेकेदार की असफलता
-वही-	अमृतनगर	भूग	भू-खनन परिस्थितियां
-वही-	सर्पी	भूग	भू-खनन परिस्थितियां
-वही-	कालिदासपुर	भूग	प्रौद्योगिकी में परिवर्तन
भाकोकोलि	पुटकी बलिहारी	भूग	साफ्ट सिंकिंग में विलंब
-वही-	भालगोरा	भूग	साफ्ट सिंकिंग में विलंब
सेकोलि	रोहिणी	ओका	भूमि अधिग्रहण में विलंब
नाकोलि	खादिया	ओका	भूमि अधिग्रहण में विलंब
वेकोलि	टाडसी	भूग	भू-खनन परिस्थितियां
-वही-	सेनौर	भूग	भू-खनन परिस्थितियां
-वही-	दुर्गापुर रैयत	भूग	साफ्ट सिंकिंग में विलंब
सा॰ ई॰ को॰ लि॰	अमलाई	ओका	भूमि अधिग्रहण में विलंब
म॰ को॰ लि॰	बेलपहाड़	ओका	रेलवे साइडिंग तथा कोयला रख-रखाव संयंत्र के कारण विलंब

[हिन्दी]

कोयले का उत्पादन

1592. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश में कोयले का कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ;

(ख) अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष कोयले के उत्पादन की स्थिति क्या रही; और

(ग) विभिन्न राज्यों में कोयले के उत्पादन के असंतुलन को न्यूनतम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोयला नियंत्रक से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश में उत्पादित कोयले की मात्रा 72.86 मि॰ टन थी।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले का राज्य-वार उत्पादन नीचे दिया गया है :-

(मिलियन टन में)

राज्य	1991-92	1992-93	1993-94
आन्ध्र प्रदेश	20.58	22.51	25.28
असम	0.95	1.10	1.20
बिहार	69.17	71.21	73.27
उड़ीसा	20.70	23.14	24.30
मध्य प्रदेश	69.18	70.48	72.85
महाराष्ट्र	18.88	19.68	20.45
उत्तर प्रदेश	11.70	12.62	12.14
पश्चिम बंगाल	18.12	17.81	16.61
जम्मू और कश्मीर	0.02	0.01	0.02

(ग) किसी राज्य का कोयले का उत्पादन कई मुद्दों पर निर्भर करता है, जिसमें निम्न मुद्दे शामिल हैं : गुणवत्ता, कोयला भंडारों की मात्रा और गहराई, साथ ही आधारभूत सुविधाओं के विकास, भू-अर्जन से संबंधित समस्याएं निकटवर्ती क्षेत्रों से कोयले की मांग तथा कोयला निष्कर्षण की आर्थिक व्यवहार्यता। अत: कोयला भंडारों के उत्खनन की स्थिति एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग हो सकती है और यह पूरे देश में एक समान नहीं हो सकती है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में बम विस्फोट

*1693. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 16 अप्रैल, 1994 को जम्मू और कश्मीर में डोडा में एक संसद सदस्य द्वारा संबोधित की जा रही है सार्वजनिक सभा में हुए बम विस्फोट की जांच का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बम विस्फोट के पश्चात् सभा स्थल पर सुरक्षा बलों द्वारा गोलियां चलाई गई थीं और;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ) राज्य सरकार से घटना के संबंध में की गई जांच के परिणामों की जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कोयला खनन

1694. **श्री रामदेव राम :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पलामू जिले के अंतर्गत हटार कोयले खान में खनन कार्य अब तक पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस खान की सीमा के आस-पास के क्षेत्रों में अधिक कोयले की उपलब्धता की सूचना मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हटार में काम कर रहे एकक को खनन कार्य में लगाए जाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) सैन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० की हुतार कोलियरी (जिला पलामू, बिहार) के कोयले के भंडार परिसमापन की स्थिति में हैं और वर्तमान में इनका अंतिम चरण में निष्कर्षण चल रहा है।

(ग) से (च) समीपवर्ती क्षेत्र में कोयले के अतिरिक्त भण्डार की उपलब्धता को दर्शाने वाले भू-खनन अन्वेषण के आधार पर, वर्तमान खान में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का उपयोग करते हुए 0.10 मिलियन टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता तथा 5.18 करोड़ रु० की पूंजी निवेश की एक भूमिगत खनन योजना हुतार के क्षेत्र "ग" के लिए क्रियान्वयन हेतु अनुमोदित कर दी गई है।

सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

1695. **श्री लाल बाबू राय :**

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी सहायता राशि प्रदान करने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	लाभान्वित क्षेत्र (हजार हेक्टेयर)	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	स्थिति
1	2	3	4	5	6
	(क) परियोजनाएं जिनपर परामर्श समिति द्वारा विचार किया गया और जिन्हें टिप्पणियों के अध्यधीन स्वीकार्य पाया गया				
1.	सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना चरण	235.93	48.80	1/92	राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी और पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करनी अपेक्षित है।
	(ख) परियोजनाएं जिन पर राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी आर्थिक मामले सुलझाने अपेक्षित हैं				
1.	ढाका नहर आधुनिकीकरण	37.23	33.53	10/90	जांच के पश्चात् परियोजना फरवरी, 1991 में लौटा दी गयी। राज्य सरकार को केन्द्रीय जल आयोग के मूल्यांकन अभिकरणों के प्रेक्षणों की अनुपालना करने और संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
2.	कमला सिंचाई आधुनिकीकरण	11.49	39.84	4/82	स्कीम की जांच केन्द्रीय जल आयोग में की गई थी और यह नवम्बर, 86 में राज्य सरकार को लौटा दी गई थी। राज्य सरकार को केन्द्रीय जल आयोग के मूल्यांकन अभिकरणों के प्रेक्षणों की अनुपालना करनी है और संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

1	2	3	4	5	6
3.	करमनासा नहर आधुनिकीकरण	7.04	–	6/82	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना किए जाने के कारण परियोजना राज्य सरकार को लौटा दी गई। राज्य सरकार को केन्द्रीय जल आयोग के मूल्यांकन अभिकरणों के प्रेक्षणों की अनुपालना करनी है और संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

टिप्पणी : वर्तमान नीति के अनुसार, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना निष्पादन और वित्तपोषण एवं कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके योजना संसाधनों से किया जाता है। केन्द्रीय सहायता ब्लॉक ऋणों और अनुदान के रूप में दी जाती है जो किसी क्षेत्र से बंधी नहीं होती।

[अनुवाद]

कोयला क्षेत्र

1696. श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्ति : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला क्षेत्र को अपने पूंजी निवेश और वृद्धि योजनाओं के वित्त पोषण में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई आर्थिक नीति के अंतर्गत कोयला क्षेत्र के समक्ष भारी चुनौती आ खड़ी हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोयला कंपनियों के योजनागत परिव्यय को अधिकांशत: उनके आन्तरिक संसाधनों अथवा बाजार उधार के जरिए वित्त-पोषित किया जा रहा है। कुल परियोजना परिव्यय की राशि के प्रतिशतता के रूप में बजटीय सहायता धीरे-धीरे कम हो रही है। किन्तु, वर्तमान में कोयला कंपनियां अपने निवेश तथा विकास योजनाओं का वित्त-पोषण किए जाने के मामले में पूरी तरह से आत्म-निर्भर नहीं हैं। कोल इण्डिया लि॰ (को॰ इं॰ लि॰)/सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि॰ (सिं॰ को॰ कं॰ लि॰) तथा नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (ने॰ लि॰ का॰) वर्ष 1994-95 के लिए योजनागत परिव्यय का वित्त-पोषण किए जाने संबंधी स्रोत नीचे दिए गए हैं :-

(करोड़ रु॰ में)

स्रोत	कंपनी		
	को॰ इं॰ लि॰	सिं॰ को॰ कं॰ लि॰	ने॰ लि॰ का॰
1	2	3	4
1. आई॰ आर॰/एआरएम	746.00	211	40.00
2. बॉंड	500.00	–	203.12
3. आन्तरिक कारपोरेट ऋण	–	–	–
4. संभरक ऋण	55.38	75.00	–
5. अन्य	400.00	78.00	–
6. जोड़ : आई॰ ई॰ बी॰ आर॰	1704.38	364.00	243.12
7. जी॰ बी॰ एस॰	358.52	119.40	85.56
8. बाह्य सहायता	147.00	46.00	55.36
9. निवल बजट सहायता (7-8)	211.52	73.40	30.20
10. कुल योजनागत परिव्यय (6+7)	2062.90	483.40	328.68

(ग) से (ङ) वर्ष 1994-95 के लिए बजट प्रस्तावों में भारत सरकार ने कोयले पर आयातित शुल्क को 85% से घटाकर 35% कर दिया है। इस बात से यह संभावना है कि आयात-शुल्क में कमी किए जाने से तटीय क्षेत्रों में कोयले का आयात बहुत आकर्षित हो जाएगा। इस संबंध में लिए गए एक अन्य बड़े नीतिगत निर्णय दिनांक 9.6.1993 से कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 में संशोधन किए जाने से सम्बद्ध है, जिसके अंतर्गत ग्रहीत उपभोग के लिए विद्युत उत्पादन के लिए लौह तथा इस्पात उत्पादन के लिए वाशरी कार्यचालन और अन्य अंतिम प्रयोगों के लिए, जिनके संबंध में सरकार द्वारा अधिसूचना की जा सकती है, के मामले में निजी क्षेत्र के भागीदारी की अनुमति प्रदान की गई है।

उपर्युक्त जागरूक नीतिगत निर्णय सरकार द्वारा इस उद्देश्य से लिए गए हैं ताकि बाजार अर्थ-व्यवस्था की शुरूआत, नए निधियों को अन्तर्ग्रस्त करने तथा कोयला क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रचलन में लाया जा सके। यह संभावित नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को इससे हानि होगी और उन्हें इससे गंभीर खतरे का सामना करना पड़ेगा, बल्कि इसकी बजाय ये नीतिगत निर्णय एक सुरक्षात्मक रूप में कार्य करेंगे, जोकि सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों के कार्यचालन में सहायता तथा उनकी कार्यकुशलता में सुधार करने में सहायता करेंगे।

कोयला कंपनियों को सरकार पर वित्तीय रूप में कम निर्भर किए जाने तथा उन्हें एक वाणिज्यिक रूप में लाभकारी संगठन बनाए जाने के उद्देश्य से कुछ सुधार के क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट किया गया है। सुधार के क्षेत्र निम्नलिखित हैं :-

(क) उपकरणों की उपयोगिता में सुधार।

(ख) भूमिगत उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार।

(ग) श्रमशक्ति में सुधार।

(घ) अलाभकारी खानों का बंद किया जाना।

(ङ) कोयला गुणवत्ता के साथ कोयले की कीमतों को संयोजित किया जाना।

(च) लघु प्रतीक्षा अवधि तथा लाभकारी परियोजनाओं के संबंध में पुन: प्राथमिककरण निवेश-कार्यक्रम।

(छ) प्लान/यूनिट स्तर पर लाभ केन्द्र की संकल्पना

[हिन्दी]

समीक्षा समिति

1697. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993 के दौरान त्रैमासिक समीक्षा समिति ने उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग की संख्या और संगठन की समीक्षा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में समिति की क्या सिफारिशें हैं; और

(ग) इसके ऊपर सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारियों की संख्या और संरचना पर विचार करने के लिए गठित त्रैवार्षिक पुनरीक्षा समिति की बैठक क्रमशः 19.11.1992 और 24.5.1993 को हुई।

(ख) समिति ने उत्तर प्रदेश के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग के सीनियर डयूटी पदों को 203 से बढ़ाकर 214 करने और उड़ीसा के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग के सीनियर डयूटी पदों की संख्या 67 से बढ़ाकर 82 करने की सिफारिश की हैं।

(ग) त्रैवार्षिक पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इस संबंध में आवश्यक अधिसूचनाएं जारी कर दी गयी हैं।

[अनुवाद]

लाटरी व्यापार

1698. श्री सनत कुमार मंडल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 मई, 1994 के इंडियन एक्सप्रैस में "लाटरी बिजनेस ल्योरिग वैटरी आफ क्रिमीनल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस स्थिति से निपटने हेतु सरकार क्या प्रभावी उपाय कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ एम॰ सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) छः मामले सरकार के ध्यान में आए हैं। समाचार में प्रकाशित मामलों के तथ्य निम्न प्रकार से हैं;

(i) श्री महेश कुमार निवासी कृष्ण नगर दिल्ली, की शिकायत पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392/34 के अंतर्गत एक मामला थाना-गीता कालोनी दिल्ली में दर्ज किया गया। इस मामले में कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(ii) श्री राम निवास त्रिलोकपुरी की, शिकायत पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392/34 के अंतर्गत एक मामला थाना त्रिलोकपुरी में दर्ज किया गया और इस मामले में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(iii) श्री ईश्वर सिंह निवासी गांव बादली, दिल्ली की शिकायत पर, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 394/34 के अंतर्गत एक मामला, थाना आदर्श नगर, दिल्ली में, दर्ज किया गया और इस मामले में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(iv) श्री राजकुमार, निवासी नरेला मंडी, दिल्ली की शिकायत पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392/34 के तहत एक मामला थाना नरेला, दिल्ली में दर्ज किया गया और इस मामले में चार व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं।

(v) श्री सुरेन्द्र कुमार, निवासी उत्तम नगर, दिल्ली की शिकायत पर, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 394/34 के अंतर्गत एक मामला, थाना जनकपुरी में दर्ज किया गया और इस मामले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(vi) श्री राजन शर्मा, निवासी रोशन आरा रोड़ दिल्ली की शिकायत पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392/397/34 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत एक मामला, थाना देशबन्धु गुप्ता रोड़ में दर्ज किया गया है। इस मामले में कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है।

प्रकाशित समाचार में, तीन आत्म हत्याओं की घटनाएं भी सूचित की गई हैं जिनके संबंध में, दिल्ली पुलिस द्वारा सूचित किया गया है कि दो घटनाओं में, एक संबंध दिलशाद गार्डन में, परिवार के चार सदस्यों की मृत्यु से था तथा अन्य घटना का संबंध कुमारी मीना की मृत्यु से है, ये मामले क्रमशः भा० द० संहिता की धारा 302 के अंतर्गत थाना सीमापुरी में तथा धारा 306/34 के अन्तर्गत थाना सीलमपुर में दर्ज किए गए। दिलशाद गार्डन निवासी श्री अनिल शर्मा नामक किसी व्यक्ति द्वारा लाटरी टिकटों से संबद्ध किसी मुद्दे के कारण आत्महत्या नहीं की गई।

(ग) स्थिति से निपटने के लिए, सरकार द्वारा किए जा रहे प्रभावी उपाय निम्न प्रकार हैं;

(i) फील्ड में काम करने वाले स्टाफ को इस संबंध में मुख्य रूप से ब्रीफ किया गया है और ऐसे समाज-विरोधी तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निदेश दिए गए हैं।

(ii) फुटपाथ और सड़कों आदि पर, अतिक्रमण करके लाटरी के टिकटों की बेचने वालों के विरुद्ध नागरिक प्राधिकारियों द्वारा अभियान चलाने पर पुलिस को उनकी हर संभव सहायता प्रदान करने के निदेश दिए गए हैं।

(iii) अपराध बहुल क्षेत्रों में, पैदल गश्त, मोटर साईकिल गश्त गहन कर दी गई है। जिलों की सीमा चौकियों और पिकेट्स को सतर्क कर दिया गया है।

मणिपुर में विद्रोही समूहों की गतिविधियां

1699. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर में विद्रोही समूह सुरक्षा बलों से हथियार और विस्फोटक छीन रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो 1993 और 1994 के दौरान अब तक विद्रोहियों द्वारा छीने गए हथियारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मणिपुर में विद्रोह पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इनके क्या परिणाम मिले हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) मणिपुर राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, विभिन्न उग्रवादी गुटों द्वारा राज्य में सुरक्षा बलों से 1993 में 173 शस्त्र तथा 1994 में 50 शस्त्रों सहित कुछ आक्रमणकारी गोला-बारूद लूटा गया है। इन शस्त्रों में एल० एम० जी० स्टेनगन, कारबाइन्स 303 राईफलें, रिवाल्वर, इत्यादि शामिल हैं।

(ग) विद्रोही गुट, नामत: नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड तथा मितैयी उग्रवादी संगठन, जैसे कि पी॰ एल॰ ए॰ प्रीपैक, के॰ सी॰ पी॰ और यू॰ एन॰ एल॰ एफ॰ "गैर-कानूनी संगठन" घोषित रहे। सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 के अधीन सम्पूर्ण मणिपुर लगातार "विक्षुब्ध" क्षेत्र घोषित है। केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों को लगाने के अलावा, राज्य और जिला स्तर पर समन्वय समितियां स्थापित की गई हैं ताकि सूचना का आदान-प्रदान अच्छी प्रकार हो सके और विरोधी अभियानों का प्रभावकारी ढंग से मुकाबला करने को समन्वित किया जा सके। राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता भी दी गई है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाती है तथा समय समय पर इसकी पुनरीक्षा की जाती है।

राष्ट्रीय प्रचार माध्यम नीति

1700. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास व्यापक राष्ट्रीय प्रचार माध्यम नीति बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यह नीति कब तक बना दी जाएगी और कब तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) से (ग) वर्तमान में, राष्ट्रीय मीडिया नीति बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, "मीडिया नीति" पर सैद्धान्तिक दस्तावेज/व्यावहारिक दस्तावेज तैयार करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की एक उप-समिति गठित की गई है।

[हिन्दी]

कोयले की आपूर्ति

1701. श्री ललित उरांव : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं/डी॰ ओ॰ धारकों ने कई माह पूर्व भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के पास भारी धनराशि जमा कराई है जिसके बदले में कोयले की कोई सप्लाई नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कोयले की सप्लाई कब तक की जाएगी ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) गैर-सरकारी उपभोक्ताओं को कोयला की आपूर्ति करने के लिए भुगतान अग्रिम रूप से प्राप्त किया जा रहा है। उसके बाद सुपुर्दगी किए जाने सम्बन्धी आदेश 45 दिनों तक वैध रहते हैं, चूंकि, कीमत जमा कराना, बिक्री आदेश जारी करना, कोयले की सुपुर्दगी करना, एक सतत प्रक्रिया के रूप में है, अत: औपचारिकताओं को पूर्ण करने तथा वास्तविक प्रेषण में सामान्य समय लगने के कारण हमेशा कुछ आर्डर लम्बित रह जाते हैं। 1.7.94 की स्थिति के अनुसार कुल अदा किये गये आर्डर कुल कीमत का 5.03 लाख टन है जबकि इसकी तुलना में मासिक औसत सड़क प्रेषण 4.2 लाख टन था।

सिंचाई परियोजनाएं

1702. **श्री एस॰ बी॰ सिदनाल :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में बड़े और मध्यम दर्जे की निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से कुछ परियोजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता मिल रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जायेंगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन) : (क) से (घ) कर्नाटक की निर्माणाधीन वृहद व मझौली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कर्नाटक की निर्माणाधीन वृहद व मझौली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

अनुमानित लागत/व्यय : करोड़ रुपए

क्षमता : हेक्टेयर

क्र॰ सं॰	परियोजना का नाम	नवीनतम अनुमानित लागत	3/94 तक व्यय	चरम सिंचाई क्षमता	1992-93 के अंत तक सृजित क्षमता	पूरा होने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
वृहद परियोजनाएं						
1.	भद्रा	140.00	102.91	105.570	105,570	आठवीं योजना
2.	तुंगभद्रा बांध एवं बायां बैंक नहर	172.80	135.94	244.390	242,210	–वही–
3.	तुंगभद्रा दायां बैंक उच्च स्तरीय नहर	30.00	28.65	80.510	69,750	–वही–
4.	काबीनी (गैर-योजना)	740.60	223.87	87.900	41,000	आठवीं योजना से आगे
5.	मालप्रभा	509.87	334.84	218.190	156,270	–वही–
6.	हरंगी (गैर-योजना)	247.75	173.47	53.540	41,000	–वही–
7.	हेमावती (गैर-योजना)	572.17	217.42	283.290	91,660	–वही–
8.	अपर कृष्णा चरण-I	2503.00	1163.41	425.000	143,700	–वही–

1	2	3	4	5	6	7
9.	कारंजा	175.51	106.72	35.610	5,070	–वही–
10.	बेनीथोरे	87.97	37.49	20.240	–	–वही–
11.	हिप्पारगी बैराज	341.65	17.57	59.620	–	–वही–
12.	दूध गंगा (आईएस)	55.50	8.24	19.670	–	–वही–
13.	वराथी	122.00	8.75	15.700	–	–वही–
मध्यम परियोजनाएं						
1.	मंछनाबेली	49.00	28.54	3.640	1,290	8वीं योजना से आगे
2.	इग्गालूर	20.03	14.90	4.050	2,060	–वही–
3.	वोबोली	30.63	22.87	7.690	6,880	–वही–
4.	अमरजा	35.85	28.24	8.900	–	–वही–
5.	लोअर मूल्लामारी	54.82	25.45	9.710	–	–वही–
6.	मासकीनल्ला	14.30	5.00	2.830	–	–वही–
7.	फिडर नहर से रानीकेरि	9.00	7.25	3.240	280	–वही–
8.	छूलकीनीनाला	33.62	14.23	4.050	–	–वही–
9.	अरकावती (गैर-योजना)	72.29	25.56	8.500	–	–वही–
10.	चिकलीहोल (गैर-योजना)	15.39	13.29	1.180	100	–वही–
11.	डदूथोरेहाल्ला (गैर-योजना)	58.07	46.82	6.270	–	–वही–
12.	हीरेहल्ला	115.00	28.86	1.010	–	–वही–

1	2	3	4	5	6	7
विस्तार, नवीकरण व आधुनिकीकरण योजनाएं						
1.	वरूना (केआरएस नहर) रेवराज अर्स नहर	126.55	60.76	32.370	400	8वीं योजना से आगे
2.	घाटप्रभा	687.48	190.24	178.050	25,000	—वही—
3.	कृष्णा राजसागर का आधुनिकीकरण	98.34	51.63	2.120	–	—वही—
4.	भद्रा जलाशय नहरों का आधुनिकीकरण	115.00	–	–	–	—वही—
5.	तुंगभद्रा नहर का आधुनिकीकरण	253.00	–	–	–	—वही—

टिप्पणी : उक्त कोई भी परियोजना विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त नहीं कर रही है। तथापि, अपर कृष्णा चरण-I परियोजना को विश्व बैंक सहायता मिल रही है।

[अनुवाद]

कुष्ठ रोग उन्मूलन

1703. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1994 में कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1994-95 के दौरान देश से कुष्ठ रोग उन्मूलन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) और (ख) भारत सरकार ने 1982-83 से राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम आरंभ किया है जिसका उद्देश्य सन् 2000 ईसवी तक इस रोग को समाप्त करने का है। यह शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है।

(ग) वर्ष 1994-95 के लक्ष्य इस प्रकार हैं :-

	लक्ष्य
रोगियों का पता लगाना	2,24,900
रोगियों का उपचार	2,24,900
रोगियों को छुट्टी	4,24,700

वीर्य बैंक

1704. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगरों में हाल ही के वर्षों में वीर्य बैंकों की स्थापना की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वीर्य बैंकों की स्थापना के लिए केन्द्र अथवा राज्य सरकारों से कोई अनुमति/लाइसेंस लेना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन बैंकों के कामकाज को विनियमित करने के लिए कोई नियम/मानदंड बनाये गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या दिल्ली तथा अन्य स्थानों में वीर्य बैंकों के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिये उनके मंत्रालय द्वारा गठित विशेष समिति ने कृत्रिम गर्भाधान के दौरान अबाधित/असूचीबद्ध वीर्य के माध्यम से एड्स/एच॰ आई॰ वी॰ पाजीटिव के संक्रमण को रोकने के लिए वीर्य के नमूने एकत्रित करने तथा उनका परीक्षण करने हेतु कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी वीर्य बैंक की स्थापना नहीं की गई है।

(ग) से (च) वीर्य बैंकों को औषध एवं प्रसाधन अधिनियम में शामिल नहीं किया जाता है।

(छ) और (ज) भारत सरकार ने इस उद्देश्य के लिए किसी समिति का गठन नहीं किया है।

[हिन्दी]

हिन्दी का संवर्धन

1705. डा॰ अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी के प्रयोग में संवर्धन करने के लिए नकद पुरस्कार और अन्य प्रोत्साहन दिए गए हैं; और

(ख) पुरस्कार पाने वाले कर्मचारियों को कितनी राशि दी गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ एम॰ सईद) : (क) और (ख) गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अंतर्गत नकद पुरस्कार केवल हिन्दी में मूल लेखन के लिए देता है। इस योजना के अन्य प्रोत्साहन पुरस्कार मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों बैंकों आदि को दिये जाते हैं। पिछले दो वर्षों में एक बार, वर्ष 1990-91 के लिए हिन्दी में मूल लेखन के लिए चार अधिकारियों को 23,000/रु॰ की राशि पुरस्कार में दी गई। उसके बाद के वर्षों के पुरस्कार अभी विचाराधीन हैं।

केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों/उपक्रमों और बैंकों द्वारा सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए अपने स्तर पर नकद पुरस्कार और अन्य प्रोत्साहन सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार हर वर्ष दिये जाते हैं। किन्तु इनके केन्द्रीयकृत आंकड़े नहीं रखे जाते।

[अनुवाद]

कश्मीर में एड्स

1706. प्रो॰ सावित्री लक्ष्मणन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कश्मीर घाटी में एड्स से पीड़ित आतंकवादी निर्दोष महिलाओं में इस रोग को फैला रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या-क्या एहतियाती उपाय किए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) और (ख) सरकार के पास इस बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य सेवा योजना

1707. **श्री राजवीर सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य सेवा का कोई व्यापक योजना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को कब से कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस योजना को कार्यान्वित करने के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना धन उपलब्ध कराया गया है/कराए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) से (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं पहले से ही मौजूद हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा में मलेरिया

1708. **श्री के॰ प्रधानी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में मलेरिया के कारण होने वाली मौतों में वृद्धि हुई है,

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष इस राज्य में कितनी मौतों की जानकारी मिली;

(ग) मृत्यु की घटनाओं को रोकने के लिए मलेरिया ग्रस्त आदिवासियों को क्या चिकित्सा प्रदान करने का विचार है; और

(घ) उड़ीसा में मलेरिया पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) और (ख) जी नहीं। राज्य में वर्ष 1992 में मलेरिया से 155 मौतों की तुलना में वर्ष 1993 में 110 मौतें होने की सूचना मिली है।

(ग) उड़ीसा राज्य सहित सारे देश में लोगों का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप केन्द्रों, ज्वर उपचार डिपुओं के माध्यम से मलेरिया के रोगियों का पता लगाने और शीघ्र ही उपचार करने की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आदिवासी क्षेत्रों में, जहां मलेरिया की घटनाएं अधिक होती हैं वहां विशेष बल दिया जाता है।

(घ) उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं;

–निगरानी और प्रबोधन

–रोगियों का पता लगाना और शीघ्र उपचार करना

–अवशिष्ट कीटनाशकों का छिड़काव

—आवर्ती लार्वारोधी उपाय

—सामुदायिक सहभागिता और स्वास्थ्य शिक्षा

—जैव पर्यावरणिक उपाय

[हिन्दी]

केन्द्रीय सुरक्षा बल के ग्रुप केन्द्र

1709. श्री हरचन्द सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय सुरक्षा बल तथा बड़ी टुकड़ियों के राज्यवार कितने केन्द्र हैं;

(ख) क्या पंजाब में ऐसे और केन्द्रों के खोले जाने तथा बड़ी टुकड़ियों के गठन का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में रैंज इत्यादि सृजित करने के बारे में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा उन पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दल केन्द्रों की संख्या	अन्य उच्च फार्मेशनों की संख्या (उपमहानिरीक्षक /महानिरीक्षक कार्यालय)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	2
2.	असम	1	1
3.	बिहार	4	2
4.	गुजरात	1	1
5.	हरियाणा	2	–
6.	जम्मू और कश्मीर	1	4
7.	कर्नाटक	1	–
8.	केरल	1	–
9.	मध्य प्रदेश	3	2
10.	महाराष्ट्र	2	2
11.	मणिपुर	1	2
12.	मेघालय	–	1

1	2	3	4
13.	नागालैण्ड	1	1
14.	उड़ीसा	1	1
15.	पंजाब	1	4
16.	राजस्थान	2	1
17.	तमिलनाडु	1	1
18.	त्रिपुरा	–	1
19.	उत्तर प्रदेश	3	3
20.	पश्चिम बंगाल	1	2
21.	चण्डीगढ़	–	2
22.	दिल्ली	1	6
		30	39

कुष्ठरोगी

1710. श्री प्रेम चन्द राम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुष्ठ रोग पुनर्वास गृहों में कुष्ठ रोगियों की उचित देखभाल की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इन गृहों में कुष्ठ रोगियों को दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी दशा में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थाई पुनर्वास गृहों की स्थापना करने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। तथापि, कुष्ठ-रोधी उपचार पुनर्संरचनात्मक शल्य चिकित्सा और विरूपता तथा अल्सर परिचर्या से संबंधित सेवाएं सभी कुष्ठ रोगियों को निशुल्क प्रदान की जाती हैं।

[अनुवाद]

राजभाषा को प्रोत्साहन

1711. श्री तेज नारायण सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंग्रेजी के इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों में कई प्रकार के 'डेजी व्हील' होते हैं जबकि हिन्दी में केवल एक प्रकार का 'डेजी व्हील' उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिन्दी/द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों के कुंजी-फलकों में, हिन्दी अक्षर प्रमुख स्थान पर नहीं बल्कि दूसरे स्थान पर दर्शाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रोत्साहन देने के लिये इसी प्रकार के कुंजी फलकों को पेटेंट करेगी तथा इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों में हिन्दी अक्षरों को प्रमुख स्थान पर दर्शाया जायेगा; और

(ङ) विभिन्न प्रकार के डेजी व्हीलों को उपलब्ध कराने के लिये क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) यह मानना गलत होगा कि हिन्दी टंकण के लिए इलैक्ट्रानिक टाइप राइटरों पर केवल एक ही प्रकार का डेजीव्हील उपलब्ध है। वास्तव में, एक निर्माता कम्पनी ने दो तथा दूसरी निर्माता कम्पनी ने देवनागरी लिपि के तीन डेजी व्हील, भिन्न-भिन्न फोन्टों में, अपने इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों पर प्रस्तुत किए गए हैं।

(ख) और (ग) इलैक्ट्रानिक उपकरणों के बारे में लिए गए एक नीतिगत निर्णय के परिणामस्वरूप, हिन्दी और अंग्रेजी के लिए अलग-अलग मशीनों के स्थान पर केवल द्विभाषी टाइपराइटर प्रयोग में हैं। इन पर, अंग्रेजी के अक्षर कुंजी पर ऊपर की ओर और हिन्दी के अक्षर कुंजी पर सामने की ओर लिखे होते हैं और दोनों के स्थान एक समान प्रमुख हैं।

(घ) टाइपराइटरों के लिए 1976 में निर्धारित की गई देवनागरी कुंजी पटल की रूप रेखा अभी तक अपरिवर्तित है। तथापि, हिन्दी को प्रमुखता देने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे केवल ऐसे द्विभाषिक इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर खरीदें जिनकी कुंजियों पर देवनागरी के अक्षर रोमन अक्षरों से ऊपर अंकित हों। इसी तरह इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों के निर्माताओं को भी सलाह दी गई है कि वे भी ऐसे ही कुंजी-पटल बनाएं।

(ङ) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों में परिवर्तित करना

1712. श्री एच० डी० देवगौड़ा :

कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कम शक्ति वाले टी० वी० ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति के टी० वी० ट्रांसमीटरों में परिवर्तित किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार बदले जाने वाले कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) प्रस्तावित/उन्नयन के लिए परिकल्पित अल्प शक्ति ट्रांसमीटर/उच्च शक्ति ट्रांसमीटर में बदलने का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के स्थान जिनकी शक्ति को प्रस्तावित/उच्च शक्ति ट्रांसमीटर में उन्नयन करने के लिए परिकल्पित की सूची।

राज्य	स्थान	
1	2	
आंध्र प्रदेश	कुरनूल	
	नंदयाल	
	राजमुंदरी	
	वारंगल	
असम	तेजपुर	
बिहार	बेतिया	
	जमशेदपुर	
हरियाणा	हिसार	
गुजरात	भुज	(1 कि॰ वा॰ शक्ति से 10 कि॰ वा॰ शक्ति)
	सूरत	
	वडोदरा	
हिमाचल प्रदेश	शिमला	
	धर्मशाला	
जम्मू और कश्मीर	लेह	
कर्नाटक	गुलबर्गा	(1 कि॰ वा॰ शक्ति से 10 कि॰ वा॰ शक्ति)
	मंगरोल	
	मैसूर	
	रायचूर	
	हसन	
केरल	कालीकट	
	कन्नानोर	
मध्य प्रदेश	अम्बिकापुर	
	गुना	

1	2	
	शहडोल	
महाराष्ट्र	चन्द्रपुर	
	जलगांव	
मिजोरम	लुंगलेई	
उड़ीसा	बालेश्वर	
	बहरामपुर	
	सम्बलपुर	(1 कि० वा० शक्ति से
		10 कि० वा० शक्ति)
पंजाब	फाजिल्का	
राजस्थान	अजमेर	
	अनूपगढ़	
	बाड़मेर	
	बीकानेर	
	जैसलमेर	
	जोधपुर	
	नाथद्वारा	
सिक्किम	गंगटोक	
तमिलनाडु	धर्मपुरी	
	कुंबकोनम	
	रामेश्वरम	
उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	
	बांदा	
	लखीमपुर	
	मऊ	
	सीतापुर	
पश्चिम बंगाल	बलूरघाट	
	खड़गपुर	
	कृष्णानगर	
पांडिचेरी	पांडिचेरी	

[हिन्दी]

अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण

1713. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस शिक्षा में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तथापि अल्पसंख्यक समुदाय जिनके नाम अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित मंडल आयोग रिपोर्ट की सूचियों के साथ-साथ सरकारों की सूचियों में उल्लिखित हैं भारत सरकार के अंतर्गत सिविल सेवाओं तथा पदों में अन्य पिछड़े वर्गों के प्रत्याशियों के समतुल्य आरक्षण का लाभ उठाने का पात्र होंगे।

जनजाति क्षेत्रों को स्वायत्तता

1714. श्री छीतूभाई गामीत : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य के जनजाति क्षेत्रों को संविधान की छठीं अनुसूची के प्रवर्तन द्वारा स्वायत्तता प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ गठित किए जाने वाले स्वायत्त परिषदों के अंतर्गत किन क्षेत्रों को लाने का विचार है; और

(ग) इस पर केंद्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं। कल्याण मंत्रालय को गुजरात सरकार से राज्य के आदिवासी क्षेत्रों को संविधान की छठी अनुसूची लागू करते हुए स्वायत्तता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर और आकाशवाणी केंद्र

1715. श्री रतिलाल वर्मा :

श्रीमती शीला गौतम :

श्री राजेश कुमार :

श्री एन॰ जे॰ राठवा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में किन-किन स्थानों पर निम्न और उच्च शक्ति के टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर लगाए गये;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में नए टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर और आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनमें से अब तक लगाए गये टी॰ वी॰ ट्रांसमीटरों और आकाशवाणी केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) विवरण-एक संलग्न है।

(ख) से (घ) विवरण-दो संलग्न है।

विवरण-एक

सातवीं योजना (1.4.85 से 31.3.90 तक) के दौरान वे स्थान जहां टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर शुरू किये गये।

राज्य/केन्द्र शासित	ट्रांसमीटर			
प्रदेश	उ॰ श॰ ट्रा॰	अ॰ श॰ ट्रा॰	अ॰ अ॰ श॰ ट्रां॰	ट्रांसपोजर
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	विशाखापतनम	आदिलाबाद		विजयवाड़ा
		अमलापुरम		विशाखापत्तनम
		भद्राचलम		
		भीमाडोलू		
		चितौड़		
		गुन्टाकल		
		खम्मम		
		कोटागुडम		

1	2	3	4	5
		नालगोंडा		
		नन्दयाल		
		ओंगोले		
		प्रोद्दुतूर		
		रामागुंडम		
		सिरकाकुलम		
अरूणाचल प्रदेश	ईटानगर	पासीघाट	एलोंग	
		तेजू	अनिनी	
			बसार	
			बोमडिला	
			चांगलांग	
			दापोरिजो	
			दिरंग	
			हायुलियांग	
			खोंसा	
			मियाओ	
			नमसाई	
			रागा	
			रोईंग	
			सिप्पा	
			तवांग	
			जीरो	
असम	डिब्रूगढ़	धुबरी		गुवाहाटी
	सिलचर	दीफू		हाफलोंग
		गोयलपारा		
		जोरहाट		
		कोकराझार		

1	2	3	4	5
		नागांव		
		नजिरा		
बिहार		बेतिहा		रामगढ़ हिल
		बेगुसराय		
		बोकारो		
		बक्सर		
		चाईबासा		
		दरभंगा		
		देवघर		
		दुमका		
		फोरबेसगंज		
		गिरिडीह		
		गोड्डा		
		गोपालगंज		
		जमुई		
		खगरिया		
		मधुबनी		
		माधेपुरा		
		मोतीहारी		
		सहरसा		
		सासाराम		
		सीतामढ़ी		
		सिवन		
गुजरात	द्वारका	आहवा	काकरापार	
		अम्बाजी		
		अमरेली		
		भाब्यर		

1	2	3	4	5
		भुज ×		
		छोटा उदयपुर		
		देडियापाड़ा		
		धोराजी		
		देहाड		
		गोधरा		
		जामनगर		
		जूनागढ़		
		केवडिया कालोमी		
		कोसम्बा		
		मेहसाना		
		पालनपुर		
		प्रोबन्दर		
		सोसगढ़		
		सुरेन्द्रनगर		
		थराड		
		वलसाद		
		वेरावल		
हरियाणा		जिन्द		
		नरनौल		
		सिरसा		
हिमाचल प्रदेश		बिलसापुर	चम्बा	सोलन
		धर्मशाला	हमीरपुर	
		मनाली	काल्पा	
		मंडी	कैलोंग	
			ऊना	

1	2	3	4	5
जम्मू और कश्मीर	जम्मू		भदरवार	
	पूंछ		डोडा	
			किश्तवार	
			कुपवाड़ा	
			पहलगाम	
			राजौरी	
			रामबान	
			उधमपुर	
कर्नाटक		अथानी		
		बन्ठवाल		
		बिदर		
		चिकमंगलुर		
		चित्रदुर्ग		
		चिकोडी		
		हसन		
		कारवार		
		कोलर गोल्ड फील्ड		
		मेडिकेरी		
		रानीबेन्नूर		
		सन्दूर		
		सिर्सी		
		तिपतूर		
		उदिपी		
केरल	कोचीन	चंगनाचेरी		
		इडुक्की		
		कालपेट्टा		
		कासरगोड		

1	2	3	4	5
		कयामकुलम		
		मल्लापुरम		
		पथानामिथयिट्टा		
		सोरनपुर		
		तेलीचेरी		
		त्रिचूर		
मणिपुर	इम्फाल	ऊखरूल	चन्देल	
			सेनापति	
			चोकपोंग	
मध्य प्रदेश		अम्बिकापुर		
		बैलाडीला		
		बालाघाट		
		बेतुल		
		भिण्ड		
		चंदेरी		
		छतरपुर		
		छिन्दवाड़ा		
		दमोह		
		डूंगरगढ़		
		गुना		
		हर्धा		
		ईटारसी		
		जबलपुर*		
		झाबुआ		
		कांकेर		
		खण्डवा		
		खरगोंन		

1	2	3	4	5
		कोरबा		
		कुरासिया		
		कुर्वाई		
		मलांजखंड		
		मण्डला		
		मंदसौर		
		मणीद्रंगढ		
		नागदा		
		नरसिंहपुर		
		निमच		
		पन्ना		
		पंचमढ़ी		
		रायगढ़		
		राजगढ़		
		राजहरा झरन्दिली		
		सतना		
		सिवनी		
		शहडोल		
		शाहजहांपुर		
		श्योपुर		
		शिवपुरी		
		सीधी		
		सिंगरौली		
		टीकमगढ़		
मेघालय	शिलौंग	जोवई	नोगंस्तोई	
	तुरा			

1	2	3	4	5
मिजोरम	ऐजवाल		लुगलेई	
			सेहा	
महाराष्ट्र		अचलपुर		
		अमलनेर		
		बर्शी		
		बीड		
		बुलदाना		
		चालीसगांव		
		दिगलुर		
		गढ़चिरौली		
		हिंगोली		
		इंचलकरंजी		
		कराड		
		किनवट		
		मनमाड़		
		नंदुरबार		
		उस्मानाबाद		
		पंढरपुर		
		पुसाड		
		रत्नागिरि		
		सतारा		
		शहाड		
		यवतमाल		
		वर्धा		
नागालैंड	कोहिमा	दीमापुर	मोनवोखा	कोहिमा
		त्वेन्सांग	जुन्हेबोटो	

1	2	3	4	5
उड़ीसा		अंगुल		सुनाबेडा
		आनंदपुर		
		बोलनगिर		
		बालेश्वर		
		बलियापाल		
		बारगढ़		
		बारीपाड़ा		
		भद्रक		
		भर्जनगढ़		
		भवानीपाटन*		
		ब्रजराजनगर		
		जेपुर		
		जोधा		
		क्योंझरगढ़		
		पलखिमुंडी		
		फुलबनी		
		रायगढ़		
		सुंदरगढ़		
पंजाब	भटिण्डा	फाजिल्का		तलवाड़ा
		फिरोजपुर		
		गुरदासपुर		
राजस्थान		अनूपगढ़	रावतभाटा	लालसोट
		बासवाड़ा		जमुआ रामगढ़
		ब्यावर		
		बूंदी ×		
		चित्तौड़गढ़		
		चूरू		

1	2	3	4	5
		डीग		
		डूंगरपुर		
		हनुमानगढ़		
		जलौर		
		झालावाड़		
		झुंझनू		
		नागौर		
		पाली		
		पिलानी		
		सरदारशहर		
		सवाई माधोपुर		
		सीकर		
		सिरोही		
		टोंक		
सिक्किम			ग्यालसिंग	
			मंगन	
			नामची	
तमिलनाडु	मद्रास	कोन्नूर		डींडीगुल
	(दूसरा चैनल)	कोर्टलाम		कांचीपुरम
		कड्डलोर		उदगमंडलम
		धरमपुरी		
		नागरेकोइल		
		नेवेल्ली		
		रामेश्वरम		
		तंजावुर		
		टिंडीवनम		
		तिरूचेंडूर		

1	2	3	4	5
		तिरुनेलवेल्ली		
		तिरूपत्तूर		
		तिरुवन्नामलई		
		तूतीकोरिन		
		वनियमबदी		
		विलुपुरम		
त्रिपुरा	अगरतला			बेलोनिया
उत्तर प्रदेश		अकबरपुर	अल्मोड़ा	न्यू टेहरी
		आजमगढ़	भटियारी	श्रीनगर
		बलिया	घारचूला	
		बलरामपुर	गोपेश्वर	
		ांदा	हलद्वानी	
		बस्ती	कौसानी	
		फतेहपुर	मनकापुर	
		गौरीगंज	रानीखेत	
		गोंडा	उत्तरकाशी	
		हरदोई		
		जगदीशपुर		
		काशीपुर		
		लखीमपुर		
		लालगंज		
		ललितपुर		
		मैनपुरी		
		मथुरा		
		मऊ		
		ओबरा		
		उरई		

1	2	3	4	5
		पीलीभीत		
		पूरनपुर		
		सीतापुर		
		टनकपुर		
		तिरवा		
		बुआटुन*		
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	अलीपुरद्वार		
	(दूसरा चैनल)	दार्जिलिंग		
		कलिंपोंग		
		कृष्णानगर		
		मेदिनीपुर		
अंडमान और			कैंपबेल खाड़ी	
निकोबार			डिगलीपुर	
द्वीपसमूह			हटबे	
			मायाबुन्दर	
			नानकोवरी	
			रंगट	
चंडीगढ़		चंडीगढ़		
दादरा और			सिलवासा	
नगर हवेली				
दमण व दीव		दमण	दीव	
लक्षद्वीप			अगत्ती	
			अमीनी	
			अंड्रोट्ट	
			चेटलाट	
			कडमट	
			कलपेनी	

1	2	3	4	5
			किलटोन	
			मिनिकोय	
			कावारत्ती	
पांडिचेरी			कराइकल	
			माहे	
			यानम	

शीर्षक

उशट्रा – उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

अशट्रॉप – अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

अशट्रा – अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

× – अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति ट्रांसमीटर में परिवर्तित कर दिया गया है।

* – बन्द कर दिया गया है।

विवरण-दो

आठवीं योजना अवधि के दौरान गुजरात राज्य में परिकल्पित/कार्यान्वयनाधीन/शुरू किए गए टी॰ वी॰ ट्रांसमीटरों तथा आकाशवाणी केन्द्रों का ब्यौरा

स्थल	ट्रांसमीटर	अवस्थिति
1	2	3
दूरदर्शन		
भुज (अंतरिम सेटअप)	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (1 कि॰ वा॰)	चालू कर दिया है।
खम्भात	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (300 वाट)	–वही–
अहमदाबाद	–वही (100 वाट) (मैट्रो)	–वही–
धरंगधरा	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (300 वाट)	कार्यान्वयनाधीन
महुवा	–वही–	–वही–
मांगरोल (जिला जूनागढ़)	–वही–	–वही–
मांगरोल (जिला सूरत)	–वही–	–वही–
मोरवी	–वही–	–वही–
नखतराना	–वही–	–वही–
रापर	–वही–	–वही–

1	2	3
दौसा	–वही–	–वही–
आमोद	–वही–	–वही–
झगड़िया	–वही–	–वही–
ईदर	–वही–(100 वाट)	–वही–
पालीताना	–वही–	–वही–
राजुला	–वही–	–वही–
संजली/संतरामपुर	–वही–	–वही–
खबालिया	–वही–	–वही–
नेतरंग	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (10 वाट)	–वही–
देवगढ़ बरिया	–वही–	–वही–
भुज (उन्नयन)	1 किवा से 10 किवा (उ॰ श॰ ट्रा॰)	–वही–
सूरत	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर ×	स्कीम अनुमोदित की जानी है
पालीताना	–वही–	–वही–
बडोदरा	–वही–	–वही–
आकाशवाणी		
आहवा	1 किवा मीवे ट्रांसमीटर	चालू कर दिया गया है
अहमदाबाद (सीबीएस)	मौजूदा 1 किवा मीवे ट्रा॰ को 2×5 किवा एफएम ट्रा॰ में परिवर्तित करना	कार्यान्वयनाधीन
जूनागढ़	2×3 किवा एफएम ट्रा॰ सहित नया रेडियो केंद्र	–वही–
बडोदरा	2×3 किवा एफएम ट्रा॰, एम॰ पी॰ स्टूडियो (बहुउद्देशीय) स्टूडियो सहित स्थानीय रेडियो केंद्र	–वही–

[अनुवाद]

आई॰ एस॰ आई॰ की गतिविधियां

1716. श्री श्रीकान्त जेना :

श्री राम विलास पासवान :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस द्वारा हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में साम्प्रदायिक दंगे भड़काने की किसी योजना का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) यद्यपि, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में हाल ही में आई॰ एस॰ आई॰ द्वारा साम्प्रदायिक दंगे भड़काने जैसी किसी योजना के बारे में पता नहीं चला है, फिर भी सरकार को पाकिस्तान की आई॰ एस॰ आई॰ द्वारा भारत में जासूसी, विघटनकारी और तोड़-फोड़ की गतिविधियां चलाने के उसके इरादों की पूर्ण जानकारी है तथा इस प्रकार की गतिविधियों के प्रति सरकार पूर्णत: सतर्क और चौकस है।

ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य सहायता

1717. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण लोगों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध करने संबंधी सरकार की कोई नीति है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) और (ख) उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण आबादी को चिकित्सीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिए जनसंख्या संबंधी मानदंड और 31.3.1994 को कार्य कर रहे इन केन्द्रों की कुल संख्या इस प्रकार है :–

जनसंख्या संबंधी मानदंड

	मैदानी क्षेत्र	आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्र	31.3.94 को स्थापित किए केन्द्रों की कुल संख्या
उप केन्द्र	5000	3000	1,31,471
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	3000	20000	21,214
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	12000	80000	2,321

मुंह द्वारा दिए जाने वाले रैबीज के टीके

1718. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन मुंह से दिया जाने वाला रैबीज का टीका विकसित करने में और उसका प्रयोग विभिन्न पागल पशुओं पर करने में सफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टीकों की सक्षमता सुनिश्चित कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन रैबीज का टीका विकसित करने और गीदड़ों और लोमड़ियों जैसे जंगली जानवरों जिनसे पालतू जानवरों में रैबीज के फैलने की संभावना होती है, पर उसका प्रयोग करने में सफल हुआ है।

(ग) और (घ) इन टीकों की सक्षमता का मूल्यांकन करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन कुछ देशों में कुत्तों को मुंह से दिए जाने वाले टीके पर बड़े पैमाने पर क्षेत्र परीक्षण करने की योजना बना रहा है।

[हिन्दी]

नकली दवाएं

1719. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** :

श्री तारा सिंह :

श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जुलाई, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "34 ड्रग्स डिक्लेअर्ड सब-स्टैन्डर्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस बारे में कोई कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार आमतौर पर राज्य औषध नियंत्रकों को उस समय सचेत करती है जब घटिया औषधों के विनिर्माण अथवा बिक्री के मामले जानकारी में आते हैं।

महाराष्ट्र राज्य के खाद्य औषध प्रशासन जिसके क्षेत्राधिकार में फर्में स्थित हैं ने पहले ही औषधों की बिक्री रोकने/बाजार से वापस उठाने/लाइसेंस रद्द करने/निरस्त करने के आदेश दिए हैं जैसा कि प्रत्येक मामले में आवश्यक होती है तथा अन्य राज्यों को भी सावधान किया है।

बिहार में स्वयंसेवी संगठन

1720. **श्री मंजय लाल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान बिहार के स्वयंसेवी संगठनों से वित्तीय सहायता के लिए प्रतिवर्ष कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) सरकार ने कितने आवेदन पत्रों को स्वीकृति दी है और उक्त अवधि के दौरान कितनी वित्तीय सहायता दी है;

(ग) कितने आवेदन पत्र स्वीकृति के लिए लम्बित हैं; और

(घ) इन्हें कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) :

(क)

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या
1991-92	45
1992-93	67
1993-94	83
	195

(ख)

वर्ष	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	संस्वीकृत राशि (रू० लाख में)
1991-92	28	62.49
1992-93	33	86.84
1993-94	39	137.74
कुल :	100	287.07

(ग) 36 आवेदन लम्बित हैं, 59 आवेदनों को अस्वीकार किया गया था।

(घ) लम्बित पात्र आवेदनों पर निधियों की उपलब्धता तथा संगठनों और राज्य सरकार से जहां कहीं जरूरी हो आवश्यक सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर वित्तीय सहायता हेतु चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

फाइलों का गायब होना

1721. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जून, 1994 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "फाइल्स आन ग्रेव्ह प्लाट मिसि शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गयी है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष है; और

(ङ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है/करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एस० सईद) : (क) जी हां, श्रीमान:

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच की गयी थी, जैसा कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने निदेश दिए थे।

(घ) मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। जांच रिपोर्ट में दो कार्रवाईयां प्रस्तावित की गयी हैं :

(i) विवादित भू-खण्ड का पुन:सीमांकन :

(ii) चूककर्ता अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करना।

(ङ) चूककर्ता अधिकारी के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए निदेश जारी कर दिए गए हैं।

कोयले की आपूर्ति

1722. श्री बसुदेव आचार्य : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत, इस्पात, एफ० सी० आई० जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र घटिया कोयले की सप्लाई के लिए कुछ धनराशि काट कर कोयले की कीमत का भुगतान कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० (को० इं० लि०) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ता यथा विद्युत, इस्पात एवं एफ० सी० आई० में उपभोक्ता विभिन्न कारणों से जिमनें कोयले की गुणवत्ता में गिरावट भी शामिल है, कोयला मूल्य में कटौती करते हैं। वर्ष 1993-94 के दौरान गुणवत्ता में गिरावट के कारण की गई कटौती सहित कटौती की गई कुल राशि को नीचे दर्शाया गया है :-

कोयला कंपनिया	विद्युत क्षेत्र		इस्पात क्षेत्र		एफ० सी० आई०	
	कटौती की गई कुल राशि	गुणवत्ता के कारण की गई कटौती	कटौती की गई कुल राशि	गुणवत्ता के कारण की गई कटौती	कटौती की गई कुल राशि	गुणवत्ता के कारण की गई कटौती
1	2	3	4	5	6	7
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (ई० को० लि०)	36.23	10.85	29.30	11.43	-	-
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० (से० को० लि०)	282.38	137.13	82.90	52.04	0.97	-
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (वे० को० लि०)	98.26	75.10	5.03	0.48	-	-

1	2	3	4	5	6	7
साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि॰ (सा॰ ई॰ को॰ लि॰)	211.13	77.56	10.60	5.82	–	–
महानदी कोलफील्ड्स लि॰ (म॰ को॰ लि॰)	79.13	41.07	23.86	4.49	3.77	
भारत कोकिंग कोल लि॰ (भा॰ को॰ को॰ लि॰)	351.09	220.87	146.67	111.74	7.39	–
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि॰ (ना॰ को॰ लि॰)	131.64	18.91	–	–	–	–
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (ना॰ ई॰ को॰)	–	–	0.46	–	–	–
जोड़	1189.86	581.49	298.82	186.00	12.13	–

[हिन्दी]

जनसंख्या वृद्धि

1723. **श्री पंकज चौधरी :**

प्रो॰ प्रेम धूमल :

श्रीमती दीपिका एच॰ टोपीवाला :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्र-वार जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है;

(ख) 1994-95 के लिए वस्तुत: वृद्धि की क्या दर निर्धारित की गई है;

(ग) अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) स्थिर वृद्धि दर को प्राप्त करने तथा जनसंख्या नियंत्रण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) वृद्धि दर के लक्ष्य वर्ष दर वर्ष आधार पर निर्धारित नहीं किए जाते। आठवीं योजना (1992-97) में प्रतिवर्ष 1.78 प्रतिशत की वृद्धि दर की बात कही गयी है।

(ग) जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर अनेक पहलुओं पर आधारित होती है जैसे सामाजिक रीति-रिवाज तथा विश्वास, लड़के की महती इच्छा, महिला साक्षरता, शिशु मृत्यु, परिवार का आर्थिक स्तर।

(घ) एक कार्य योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसमें शामिल हैं कम कार्यनिष्पादन दर्शाने वाले क्षेत्रों के लिए एक अलग कार्यनीति अपनाना, सूचना शिक्षा तथा संचार के अधिकाधिक प्रयास, गैर-सरकारी संगठनों की अधिकाधिक भागीदारी, लोगों की सक्रिय भागीदारी आदि।

विवरण

××1990, 1991 और 1992 के दौरान जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर (नमूना पंजीयन पद्धति अनुमान)

	प्राकृतिक वृद्धि दर (प्रतिशत)		
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	1990	1991	1993
1	2	3	4
बड़े राज्य			
आंध्र प्रदेश	1.72	1.63	1.53
असम	192.	1.94	2.04
बिहार	2.23	2.09	2.14
गुजरात	2.07	1.90	1.89
हरियाणा	2.35	1.49	2.33
कर्नाटक	1.99	1.79	1.78
केरल	1.36	1.23	1.14
मध्य प्रदेश	2.45	2.20	2.20
महाराष्ट्र	2.01	1.80	1.74
उड़ीसा	1.83	1.60	1.61
पंजाब	1.98	1.99	1.89
राजस्थान	2.40	2.09	2.44
तमिलनाडु	1.31	1.20	1.23
उत्तर प्रदेश	2.36	2.44	2.35
पश्चिम बंगाल	1.98	1.87	1.64

1	2	3	4
छोटे राज्य			
हिमाचल प्रदेश	1.89	1.96	1.93
जम्मू कश्मीर	2.35	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
मणिपुर	1.52	1.47	1.39
मेघालय	2.40	2.36	2.13
नागालैंड	1.21	1.52	1.54
सिक्किम	1.90	1.50	1.62
त्रिपुरा	1.78	1.68	1.55
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	1.59	1.42	1.48
अरूणाचल प्रदेश	1.69	1.74	1.72
चंडीगढ़	1.44	0.93	1.23
दादर व नगर हवेली ×	2.69	1.97	2.64
दिल्ली	1.77	1.84	1.95
गोवा	0.89	0.93	0.73
दमण व दीव	1.89	1.89	1.73
लक्षद्वीप	1.94	2.24	1.89
पांडिचेरी	1.42	1.26	1.30
भारत	**2.05**	**1.97==**	**1.91==**

× दादरा व नगर हवेली में कोई शहरी नमूना नहीं है।

== जम्मू व कश्मीर शामिल नहीं है।

×× वार्षिक जन्म और मृत्यु दरों के बीच प्राप्त हुए अंतरों पर आधारित

स्रोत : महापंजीयक, भारत–नमूना पंजीयन पद्धति

[अनुवाद]

परिवार कल्याण कार्यक्रम

1724. श्री बसंत पवार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक जिलों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत असंतोषजनक प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें से अधिकांश जिलों में अल्पसंख्यक जनसंख्या का बाहुल्य है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाएंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) से (ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत कम कार्यनिष्पादन वाले 90 जिलों का पता लगाया गया है और यह पहचान 1981 की जनगणना के आधार पर प्रति एक हजार की आबादी पर 39 की उच्च जन्म दर होने पर आधारित है। इनमें से कुछ जिलों में अल्पसंख्यक लोगों की काफी संख्या है।

(घ) विश्व बैंक सहायता प्राप्त सामाजिक सुरक्षा नेट योजना के अंतर्गत बड़े राज्यों के जनांकिकीय दृष्टि से पिछड़े 90 जिलों में हर जिले में पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को पिछले दो वर्षों से प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रतिवर्ष 10.00 लाख रुपये की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

गीत और नाट्य एकक

1725. डा॰ साक्षीजी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गीत और नाट्य एकक कितने हैं और ये कहां-कहां पर हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक एकक ने 1993-94 के दौरान कितने कार्यक्रम प्रस्तुत किए;

(ग) क्या इनमें से प्रत्येक एकक के संबंध में जनता की प्रतिक्रिया के बारे में कोई समीक्षा की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) गीत एवं नाटक प्रभाग के दो कार्यालय लखनऊ तथा नैनीताल में अवस्थित हैं।

(ख) लखनऊ केंद्र तथा नैनीताल उपकेंद्र ने 1993-94 के दौरान क्रमशः 1864 तथा 144 कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

(ग) और (घ) यद्यपि इन दोनों कार्यालयों की बाबत कोई विशिष्ट समीक्षा नहीं दी गई है तथापि भारतीय जनसंचार संस्थान ने 1993 के दौरान उत्तर प्रदेश में चलाए गए सद्भावना समारोह अभियान के प्रभाव का अध्ययन किया था जिसमें गीत व नाटक प्रभाग ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। इस अध्ययन से पता चला कि उक्त अभियान के दौरान प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया अच्छी थी और श्रोताओं ने उसे पसन्द किया। इस अभियान ने राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण आदि विषयों पर श्रोताओं में जागरूकता पैदा करने में मदद की थी।

[अनुवाद]

डिसपोजेबल सिरिंज

1726. श्री एस॰ एम॰ लालजान बाशा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डिस्पोजेबल सीरिंजों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि देशभर के सरकारी अस्पतालों में केवल डिसपोजेबल सिरिंजों का ही प्रयोग किया जाए, क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) से (ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का रख-रखाव राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संबंध में डिस्पोजेबल सुइयां प्रदान की जाती हैं। जहां तक राज्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का संबंध है, यह निर्णय करना उनका काम है कि इस संबंध में इसे कैसे अमल में लाया जाए।

[हिन्दी]

फर्जी नियुक्ति पत्र

1727. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सीमा सुरक्षा बल में भर्ती के लिए जारी किए जा रहे फर्जी नियुक्ति पत्रों की जानकारी है;

(ख) क्या हाल ही में फर्जी नियुक्ति पत्र रखने वाले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) सीमा सुरक्षा बल में कांस्टेबलों की भर्ती के लिए दलालों द्वारा जारी किए गए जाली नियुक्ति पत्रों के मामले जानकारी में आए हैं, और जब कभी ऐसे मामलों या सीमा सुरक्षा बल में भर्ती के लिए प्रयोजक पत्रों का पता लगता है तो आपराधिक मामले दर्ज करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाते हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने नई दिल्ली में दो मामले दर्ज किए हैं और हाल ही में एक और मामला थाना-शकरपुर, नई दिल्ली में दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस ने जाली "कार्य-ग्रहण प्रमाणपत्र" जारी करने के लिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

[अनुवाद]

आंसू गैस का उत्पादन

1728. श्री अनंतराव देशमुख : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसूं गैस के गोलों का निर्माण करने वाली बी॰ एस॰ एफ॰ अकादमी के टेनकपुर एकक की उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या इस एकक की उत्पादन क्षमता देश की पुलिस बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने में पर्याप्त हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) अश्रुगैस के 80,000 गोले प्रतिवर्ष।

(ख) अश्रुगैस के गोलों की मांग, उत्पादन क्षमता से अधिक है।

(ग) सीमा सुरक्षा बल से कहा गया है कि वे वर्तमान क्षमता में वृद्धि पर विचार करने की दृष्टि से इस परियोजना का पुन: मूल्यांकन करें।

कुष्ठ रोग का उन्मूलन

1729. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :

श्री जगजीत सिंह बरार :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1994 में हनोई में आयोजित कुष्ठ रोग उन्मूलन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था;

(ख) सम्मेलन में की गई चर्चा/घोषणा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या भारत सरकार को इस रोग से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है;

(ङ) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में गढ़वाल मंडल के कुछ क्षेत्रों में अधिक प्रतिशत से कुष्ठ रोग होने की जानकारी है; और

(च) यदि हां, तो गढ़वाल मंडल में कुष्ठ रोग की रोकथाम, उपचार तथा उन्मूलन करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) और (ख) जी, हां। सम्मेलन में की गई हनोई घोषणा की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) अनुमान है कि विश्व के कुल पंजीकृत कुष्ठ रोगियों में से 60 प्रतिशत रोगी भारत में हैं। सन् 2000 ईसवी तक इस रोग को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया था जो कि शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है।

अब तक कार्यक्रम के प्रभावशाली कार्यान्वयन से रोगियों की संख्या जो 1981 में 4 मिलियन थी से घटकर अनुमानतः 1944 के अंत तक 0.91 मिलियन हो गई है। इस कार्यक्रम में वर्तमान वर्ष के अंत तक सभी जिलों में बहु-औषध उपचार थिरेपी सेवाएं पहुंचाने का विचार है।

(ङ) और (च) जी, हां। गढ़वाल क्षेत्र में उत्तरकाशी को उत्तर प्रदेश में उच्च स्थानिकमारी वाला जिला निर्धारित किया गया है। इस क्षेत्र में सभी जिलों को बहुऔषध उपचार सेवाओं के अंतर्गत कवर किया गया है तथा संबंधित जिला कुष्ठ सोसायटियों को कुष्ठ रोगियों के चिकित्सा प्रबंध के लिए पर्याप्त धन भी दिया गया है।

विवरण

हनोई घोषणा

हनोई, वियतनाम में 4 से 7 जुलाई, 1994 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर आयोजित कुष्ठ निवारण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले को :

1. प्रत्याह्वान करते हैं याद है कि मई, 1991 में आयोजित विश्व स्वास्थ्य सभा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने डब्ल्यू. एच. ए. 44.9 संकल्प में "वर्ष 2000 ईसवी तक जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में सारे विश्व में कुष्ठ निवारण के लिए बहु-औषध उपचार और रोगियों का पता लगाने समेत सभी नियंत्रण उपाय जारी रखने" को अपनी वचनबद्धता की घोषणा की थी, निवारण से तात्पर्य "रोग व्याप्ति दर को घटाकर प्रति 1000 जनसंख्या पर एक तक लाना" था;

2. हम मानते हैं कि बहु-औषध उपचार जो कुष्ठ रोधी औषधों का सम्मिश्रण है जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सिफारिश की है, मानव जाति की हजारों वर्ष पुरानी महाविपत्ति पर नियंत्रण करने के लिए एक अतुल्य अवसर है;

3. स्वीकार करते हैं कि अब तक की गई उत्साहवर्धक प्रगति के बावजूद अभी अधिक गहन और लगातार प्रयास किये जाने आवश्यक हैं ताकि लक्ष्य की तारीख तक इसका निवारण हो सके और कुष्ठ के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय निकाय, दाता एजेंसियां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन और स्वास्थ्य व्यवसायी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध हों।

4. चिंता व्यक्त करते हैं कि रोग की व्याप्ता में कमी लाने में बहु-औषध उपचार द्वारा पहले प्राप्त आरंभिक सफलताओं को देखते हुए कुछ प्राधिकारी अपनी निगरानी में ढील कर सकते हैं;

5. कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए विश्वजनील नीति का अनुसमर्थन करते हैं तथा बहु-औषध उपचार का अभी तक जिन क्षेत्रों एवं लोगों को अभी तक लाभ नहीं हुआ है उन पर ध्यान देते समय लचीला दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल देते हैं।

6. सभी संबंधित व्यक्तियों से अनुरोध करते हैं कि :

– उन्मूलन लक्ष्य के समर्थन में तथा उन्मूलन पश्च चरण की तैयारी में राजनीतिक वित्तीय और सामाजिक प्रतिबद्धता को बराबर समर्थन देकर और स्वास्थ्य शिक्षा प्रयासों के जरिए सामुदायिक क्रियाशीलता को बढ़ावा दें।

– सभी स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में केस का पता लगाने और बहु–औषध उपचार कवरेज को सर्वोच्च स्तर तक बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

– राष्ट्रीय क्षमताओं को सुदृढ़ करें ताकि व्याप्तता में निरंतर कमी हो और उन्मूलन में होने वाली प्रगति पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके।

– अतिरिक्त संसाधनों को जुटाए तथा मौजूदा संसाधनों के उपयोग को भी समन्वित करें ताकि समय पर उन्मूलन लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।

– यह सुनिश्चित करें कि विकलांगता का निवारण और प्रबंध, कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रमों का एक अंतरंग हिस्सा बने ताकि सभी कुष्ठ रोगियों का पुनर्वास किया जा सके और उनके समुदायों में उन्हें पुनः शामिल किया जा सके।

7. हम वर्ष 2000 तक जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए विश्वजनीन कार्य योजना के इस लक्ष्य को प्राप्त के लिए कार्यरत सभी सरकारों एवं एजेंसियों की निकट भागीदारी में कार्यान्वयन की संस्तुति करते हैं।

[हिन्दी]

काठमाण्डू भेजा गया शिष्टमंडल

1730. श्री जनार्दन मिश्र : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान की खुफिया ऐजेन्सी इन्टर सर्विसिज इन्टेलीजेंस (आई॰ एस॰ आई॰) ने नेपाल के सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के जिलों में आतंक फैलाने के उद्देश्य से काठमाण्डू को अपना केन्द्र बनाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच हेतु उनके मंत्रालय का एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल 11 जनवरी से 14 जनवरी, 1994 के बीच काठमाण्डू भेजा था;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त शिष्टमंडल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है;

(घ) यदि हां, तो शिष्टमंडल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार को यह रिपोर्ट कब तक सौंप दी जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ एम॰ सईद) : (क) सरकार को रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं कि पाक आई॰ एस॰ आई॰ काठमाण्डू का प्रयोग भारत के विरुद्ध लक्षित गतिविधियों के लिए कर रहा है।

(ख) से (च) मित्र पड़ौसी देश के साथ हमारे सहयोग के एक भाग के रूप में आपसी हितों के मामलों में विभिन्न स्तरों पर बातचीत की जाती है। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में सतत् आधार पर सहयोग को बढ़ाने के लिए आपसी हित के क्षेत्रों में और संबंधित मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए इस मंत्रालय के एक सरकारी प्रतिनिधि मंडल ने जनवरी, 1994 में काठमाण्डू का दौरा किया था।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजनाएं

1731. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश में कार्यान्वयन हेतु किसी सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजना से कितनी कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि नियत की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश में क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना के अंतर्गत भारत द्वारा 10 उप परियोजनाएं अनुमोदित की गयी हैं। इन योजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्रम सं.	उप-परियोजना का नाम	राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना में शामिल करने की तारीख	कृष्य कमान क्षेत्र (हजार हेक्टेयर)	मूल अनुमानित लागत (मिलियन रुपए)	3/94 तक संचयी व्यय (मिलियन रुपए)
1	2	3	4	5	6
क. निवेश घटक					
1.	थांडवा	12/87	23	51.1	51.9
2.	मूसी	5/90	13	33.4	30.8
3.	दिन्दी	3/90	7	16.4	14.6
4.	भेरवानीथिप्पा	3/90	5	12.1	5.7
5.	अपर पेन्नार	5/90	4	9.9	8.7
6.	आरडीएस	7/88	25	61.4	28.8
7.	मैलवरम	9/90	30	75.6	41.9

1	2	3	4	5	6
8.	के॰ सी॰ नहर	3/92	31	89.4	19.3
9.	टी बी पी एल एल सी	3/92	11	33.2	2.0
10.	निजामसागर	3/92	94	230.5	39.0
	उप जोड़ (क)		243	613.0	242.7
(ख) इंजीनियरी और प्रशासन		–	–	149.0	32.3
कुल जोड़ (क + ख)			243	762.0	275.0

[हिन्दी]

दूरदर्शन का मैट्रो चैनल-डी. डी. 2

1732. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली दूरदर्शन के मैट्रो चैनल (डी. डी॰ 2) को चलाने के लिए कोई नीति बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। सम्प्रति, दूरदर्शन-2 के "साफ्टवेयर" (क) "इन आउस" निर्मितियों (ख) स्पोंसरशिप (ग) कमिशनिंग (घ) रायल्टी तथा (ङ) अभिग्रहण के जरिए हासिल किए जा रहे हैं।

परिवहन एजेंसियां

1733. प्रो॰ रीता वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में कोयले की ढुलाई के कार्य में कितनी निजी परिवहन एजेन्सियां, सहकारी समितियां और भूतपूर्व-सैनिकों की समितियां कार्यरत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कोयले की ढुलाई पर प्रतिवर्ष कितना खर्च किया गया;

(ग) क्या इन ठेकेदारों द्वारा रेलवे साइडिंगों पर उचित समय पर कोयला उपलब्ध कर दिया जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे:

(ङ) क्या उन ठेकेदारों की अकर्मण्यता के कारण रेलवे को विलम्ब शुल्क देना पड़ा था; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (भा॰ को॰ को॰ लि॰) द्वारा नियोजित की गई परिवहन एजेन्सियों की संख्या नीचे दी गई है :-

निजी परिवहन एजेन्सियों की संख्या	6
जिला प्रशासन द्वारा प्रायोजित नागरिक सरकारी समितियों की संख्या	2
भूतपूर्व सैनिकों की कम्पनियों की संख्या	9
भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समितियों की संख्या	1
जोड़	18

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले के परिवहन पर हुए व्यय को नीचे दिया गया है :-

वर्ष	राशि (लाख रुपए में)
1991-92	1267.66
1992-93	2017.00
1993-94	2778.87

(ग) से (च) सामान्यतः संविदाकर्ता को कोयले के संविदा के अनुसार रेलवे साइडिंग पर कोयला उपलब्ध किया जाता है। उनके किसी भी तरह की विफलता के लिए उन्हें दण्डित किया जाता है, जो कि उनके बिलों में कटौती करके किया जाता है और उनसे रेलवे द्वारा लगाए गए डैमरेज प्रभारों की सीमा तक दण्डस्वरूप क्षतिपूर्ति की जाती है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र

1734. श्री खेलन राम जांगड़े : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के बिलासपुर स्थित आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों का प्रसारण क्षेत्र कितना है;

(ख) क्या इन केन्द्रों के दर्जा बढ़ाए जाने संबंधी कोई योजना विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार बिलासपुर स्थित रिले केन्द्र को स्वतंत्र केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) बिलासपुर स्थित आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं; और

(छ) क्या कर्मचारियों की यह संख्या पर्याप्त है और इनमें से स्थानीय कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) आकाशवाणी बिलासपुर, मध्य प्रदेश 60 कि॰ मी॰ क्षेत्र व्यास को कवर करता है जबकि दूरदर्शन ट्रांसमीटर की परिधि सीमावर्ती क्षेत्रों सहित 25 कि॰ मी॰ की है।

(ख) से (ङ) आकाशवाणी/टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर की शक्ति के उन्नयन अथवा दूरदर्शन के रिले केन्द्र को पूर्ण सुसज्जित केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने की वर्तमान में कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। तथापि बिलासपुर, मध्य प्रदेश स्थित टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर टॉवर की ऊंचाई को बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिसके पूरा होने पर जिले की कवरेज में सुधार होने की आशा है।

(च) बिलासपुर (म॰ प्र॰) स्थित आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 27 तथा 13 है।

(छ) दूरदर्शन केन्द्र, बिलासपुर (म॰ प्र॰) में 6 स्थानीय कर्मचारी हैं जबकि आकाशवाणी में स्थानीय भर्ती प्रमुखतः समूह "घ" पदों पर है।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाएं

1735. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता पाने का कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वह कब से लंबित है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ?

शहरी विकास में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन) : (क) सिंचाई परियोजनाओं हेतु बाह्य सहायता प्राप्त करने के संबंध में महाराष्ट्र सरकार का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मोतियाबिन्द

1736. श्री राम कृपाल यादव :

श्री लाल बाबू राय :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेष तौर पर बिहार में अंधेपन का मूल कारण मोतियाबिन्द है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मोतियाबिन्द के मरीजों का आकलन करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले, और

(ङ) मोतियाबिन्द पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं उठाए जाएंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 1989 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार राज्य में दृष्टिहीनता की व्यवस्था 1.49 प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 1.28 प्रतिशत है। मोतियाबिन्द के कारण दृष्टिहीनता लगभग 80 प्रतिशत है।

(ङ) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन मोतियाबिन्द के ऑपरेशन जिला मोबाइल एककों, केन्द्रीय मोबाइल एककों, जिला अस्पतालों, मेडिकल कालेजों, क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थानों तथा अनेक स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किए जा रहे हैं। दूर-दराज के क्षेत्रों में मोतियाबिन्द शल्य चिकित्सा करने हेतु सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों दोनों द्वारा नेत्र शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मोतियाबिन्द शल्यचिकित्सा के लिए सेवाओं में वृद्धि करने हेतु अनेक जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसायटियां स्थापित की गई हैं।

महिलाओं में एड्स का प्रसार

1737. श्री रवि राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जुलाई, 1994 के "स्टेट्समैन" में "एड्स स्प्रेडिंग फास्टर अमंग वीमन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में महिलाओं में इस बीमारी के तीव्र प्रसार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) जी, हां। तथापि रिपोर्ट 12 जुलाई, 1994 के स्टेट्मैन में प्रकाशित हुई थी।

(ख) इतरलिंग मैथुन से संचालित होने वाले संक्रमणों का अनुपात बढ़ गया है जिससे संक्रमित महिलाओं के अनुपात में वृद्धि हो गयी है।

(ग) आरंभ किए जा रहे सामान्य जागरूकता अभियान के अलावा एच॰ आई॰ वी॰ एड्स निवारण एवं नियंत्रण संबंधी उपाय मौजूदा स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में शामिल किए जा रहे हैं और एच॰ आई॰ वी॰/एड्स/एस॰ टी॰ डी॰ सेवाओं को मातृ शिशु स्वास्थ्य/परिवार कल्याण सेवाओं में जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

एम॰ डी॰ में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण

1738. श्री राम विलास पासवान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम॰ डी॰ तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था गत दो वर्षों से समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन प्रत्याशियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था फिर से शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

आयुर्वेदिक औषधियां

1739. डा॰ परशुराम गंगवार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में आयुर्वेदिक और आधुनिक औषधियों पर अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जो एक स्वायत्तशासी निकाय है, का विभिन्न आयुर्वेदिक औषधों के सक्रिय सिद्धान्तों का पता लगाने और विभिन्न बीमारियों के उपचार में उनकी चिकित्सीय क्षमता का अध्ययन करने हेतु संयुक्त रूप से आयुर्वेदिक और आधुनिक औषधों पर अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

त्रिपुरा में इनर लाइन परमिट

1740. श्री चित्त बसु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार से त्रिपुरा सरकार ने राज्य के स्वायत्त जिला परिषद के क्षेत्रों में "इनर लाइन परमिट प्रणाली" शुरू करने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ एम॰ सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) इस समय भारत सरकार की अवधारणा पूर्वोत्तर राज्यों को खोलने को प्रोत्साहित करना है ताकि क्षेत्र में पर्यटन और निवेश को बढ़ाया जा सके।

सिंगरेनी कोयला खान

1741. श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरेनी कोयला खान ने रामागुंडम स्थित राष्ट्रीय ताप बिजली निगम को बिना किसी बाधा के कोयला सप्लाई सुनिश्चित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1993-94 के दौरान कुल कितनी मात्रा में कोयले की सप्लाई की गई;

(ग) किस सीमा तक यह मांग से कम था; और

(घ) क्या सिंगरेनी कोयला खान ने रामागुंडम स्थित राष्ट्रीय ताप बिजलीघर को कोयले की पूरी मात्रा की सप्लाई करने का आश्वासन दिया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (सिं० को० कं० लि०) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के० वि० प्रा०) द्वारा आंकलित कोयले की कुल मांग तथा वर्ष 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम (एनटीपीसी) रामागुंडम को की गई आपूर्ति नीचे की गई है :-

(लाख टन में)

	के० वि० प्रा० द्वारा आंकलित मांग	आपूर्ति	प्रतिशत संतोषप्रदता
एन० टी० पी० सी० रामागुंडम	86.10	92.63	108

(आंकड़े अनंतिम)

उपर्युक्त आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि वर्ष 1993-94 के दौरान कोयले की आपूर्ति इस विद्युत गृह के लिये आंकलित मांग से कहीं अधिक थी। वर्ष 1994-95 के दौरान भी एन० टी० पी० सी० रामागुंडम को उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप कोयले की आपूर्ति किए जाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

नमक पर प्रतिबन्ध

1742. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों ने नमक की बिक्री पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध नहीं लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केवल आयोडीनयुक्त नमक की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) छह राज्यों और 2 संघ राज्यक्षेत्रों ने अभी साधारण नमक की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया है।

(ख) इस संबंध में केन्द्र सरकार के पास स्पष्ट जानकारी नहीं है।

(ग) केन्द्रीय सरकार आयोडीनरहित नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को राजी करने हेतु सतत प्रयास कर रही है।

तम्बाकू से संबंधित बीमारियां

1743. प्रो॰ उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने तम्बाकू से संबंधित बीमारियों के इलाज पर होने वाले वार्षिक खर्च के संबंध में अध्ययन पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) और (ख) तम्बाकू संबंधी बीमारी की उपचार लागतों के अनुमान के बारे में परिषद से चल रहे अध्ययन में आंकड़ा संग्रह कार्य दिसम्बर, 1994 तक पूरा किए जाने की योजना है।

(ग) तम्बाकू के सेवन के नुकसानदायक प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों मेडिकल कालेजों/अस्पतालों तथा स्वैच्छिक संगठनों को सहायता भी दी जाती है।

सिंचाई परियोजनाएं

1744. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाएं लागू करने के लिए कितनी धनराशि की बाह्य सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) जिन सिंचाई परियोजनाओं को बाह्य सहायता दी गई है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं की सिंचाई संभाव्यता क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

शहर विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन) : (क) से (घ) उड़ीसा में अब तक पूरी की गई और इस समय निर्माणाधीन बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र॰ सं॰	परियोजना का नाम	वित्तपोषण अभिकरण	वचनबद्ध सहायता राशि (मिलियन)	सहायता की उपयोग की गई राशि	चरम सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टे॰)	क्रेडिट समाप्त होने की तिथि	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना	विश्व बैंक	116.30 डालर	116.30 डालर	190.36	अप्रैल, 89	पूर्ण
2.	उड़ीसा सिंचाई परियोजना-I	विश्व बैंक	58.00 डालर	58.00 डालर	173.86	अक्तूबर, 93	पूर्ण
3.	उड़ीसा सिंचाई परियोजना-II	विश्व बैंक	97.1 डालर	61.2 डालर		मार्च, 88	पूर्ण
4.	महानदी बैराज परियोजना	विश्व बैंक	63.3 डालर	63.3 डालर	स्थापित परियोजना	मार्च, 89	पूर्ण
5.	अपर कोलाब सिंचाई परियोजना	ओईसीएफ जापान	3769 येन	1681.80 येन	88.76	20.7.98	निर्माणाधीन
6.	अपर इंद्रावती सिंचाई परियोजना	ओईसीएफ जापान	3744.00 येन	1158.80 येन	218.60	20.1.99	"
7.	लिफ्ट सिंचाई परियोजना	केएफडब्ल्यू जर्मनी	55.00 डी एम	5.90 डीएम	28.50	30.12.2020	"

इसके अतिरिक्त उड़ीसा विश्व बैंक सहायता प्राप्त बहुराज्यीय बांध सुरक्षा परियोजना और राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना के अंतर्गत सहभागी राज्यों में से एक है।

×एसडीआर-विशेष आहरण अधिकार।

××डी एम-डयूच मार्क।

दिल्ली में हिरासत में हुए बलात्कार

1745. श्री हरिन पाठक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन महीनों के दौरान दिल्ली में हिरासत में हुई बलात्कार की संख्या और ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक मामले में दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ एम॰ सईद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया कि दिल्ली में 1.4.1994 से 30.6.1994 तक की अवधि के दौरान हिरासत में बलात्कार के किसी मामले की सूचना नहीं है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में आकाशवाणी केन्द्रों का दर्जा बढ़ाना

1746. श्री दत्ता मेघे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में आकाशवाणी केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में नए आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना की कोई मांग की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। आकाशवाणी के पास महाराष्ट्र प्रदेश के केंद्रों के उन्नयन की निम्नलिखित योजनाएं हैं :–

(i) बंबई स्थित 10 कि॰ वा॰ शार्ट वेव ट्रांसमीटर का 50 कि॰ वाट में उन्नयन।

(ii) परमनी स्थित अनुषंगी केंद्र का पूर्णांगी रेडियो केंद्र में उन्नयन।

(iii) परभनी स्थित 10 कि॰ वा॰ मीडियम वेव ट्रांसमीटर का 20 कि॰ वा॰ शक्ति में उन्नयन।

(ग) और (घ) जी, हां। महाराष्ट्र के अमरावती (जिला अमरावती) तथा सिंधुदुर्ग जिला के मलवान में नए आकाशवाणी केंद्रों की स्थापना हेतु विभिन्न क्षेत्रों से मांगें आई हैं।

स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम

1747. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान प्रति वर्ष प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य को प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के संबंध में दिए गए धन का ब्यौरा नीचे दिया है :–

(लाख रुपयों में)

	91-92	92-93	93-94
(1) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	922.94	1203.13	1840.65
(2) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	208.62	199.00	180.39
(3) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	115.00	280.00	350.00
(4) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	99.70	130.62	116.43
(5) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम ×	.–	50.55	62.29
कुल (स्वास्थ्य कार्यक्रम)	1346.26	1863.30	2549.76
(6) परिवार कल्याण कार्यक्रम	5834.65	7425.04	9779.89

×यह कार्यक्रम 1992-93 में शुरू किया गया था।

[अनुवाद]

आकाशवाणी केन्द्रों का दर्जा बढ़ाना

1748. श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993 के दौरान और जून, 1994 तक आकाशवाणी केन्द्रों का दर्जा बढ़ाया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार में कहां-कहां हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार 1994 की शेष अवधि तथा 1995 में भी और अधिक आकाशवाणी केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। जैसा कि संलग्न विवरण-एक में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। ब्यौरे संलग्न विवरण-दो में दिए गए हैं।

विवरण-एक

आकाशवाणी का राज्यवार उन्नयन स्कीमों को दर्शाने वाले ब्यौरा

क्र॰	स्थान/स्थल	से तक उन्नयन
1	2	3
1.	जम्मू (जम्मू और कश्मीर)	1 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ ट्रांसमीटर का 3 कि॰ वा॰ एफएम ट्रांसमीटर में उन्नयन/स्थानापन्न।

1	2	3
2.	बीकानेर (राजस्थान)	10 कि॰ वा॰ मीवे ट्रांसमीटर का 20 किवा मीवे शक्ति में उन्नयन।
3.	जैपोर (उड़ीसा)	20 कि॰ वा॰ मीवे ट्रांसमीटर का 100 किवा शक्ति में उन्नयन।
4.	कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	10 कि॰वा॰ शावे ट्रांसमीटर का 50 कि॰वा॰ शावे ट्रांसमीटर में उन्नयन।
5.	पासीघाट (अरूणाचल प्रदेश)	अस्थायी स्टूडियो का बहुद्देशीय स्टूडियो में परिवर्तन
6.	ईटानगर (अरूणाचल प्रदेश)	अस्थाई स्टूडियो को स्थाई टाइप 1 (आर) स्टूडियों में परिवर्तन।
7.	ईटानगर (अरूणाचल प्रदेश)	1 कि॰वा॰ मीवे ट्रांसमीटर का 100 किवा शक्ति में उन्नयन।
8.	तुरा (मेघालय)	अस्थाई स्टूडियो को स्थाई टाइप 1 (आर) स्टूडियो में परिवर्तन।
9.	भोपाल (मध्य प्रदेश)	1 किवा मीवे ट्रांसमीटर का 10 किवा शक्ति में उन्नयन।

विवरण-दो

1994 और 1995 में भी शेष अवधि के दौरान पूरा होने और चालू किएं जाने के लिए संभावित आकाशवाणी केन्द्र की उन्नयन स्कीमों का ब्यौरा

क्र॰ सं॰	स्थान/स्थल	स्कीम	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	10 किवा शावे ट्रा॰ का 50 किवा शक्ति में उन्नयन	23.7.94 को चालू किया गया
2.	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	50 कि॰ वा॰ का 200 कि॰ में उन्नयन	
3.	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	नई टाइप-4 स्टूडियो	
4.	भागलपुर (बिहार)	10 किवा॰ मी॰ वे॰ ट्रा॰ का 20 कि॰ वा॰ शा॰ वे॰ में उन्नयन	
5.	रांची (बिहार)	2 कि॰ वा॰ शा॰ वे॰ ट्रां॰ का 50 कि॰ वा॰ शा॰ वे॰ ट्रांसमीटर में उन्नयन	

1	2	3	4
6.	पणजी (गोवा)	स्थाई टाईप-3 (आर) स्टूडियो का प्रावधान	
7.	अहमदाबाद (गुजरात)	1 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ (सी॰ बी॰ एस॰) ट्रांसमीटर का 2×5 कि॰ वा॰ एफ॰ एम॰ ट्रां॰ में उन्नयन।	
8.	शिमला (हिमाचल प्रदेश)	2.5 कि॰ वा॰ शा॰ वे॰ ट्रां॰ का 50 कि॰ वा॰ शक्ति का उन्नयन	
9.	श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)	1 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ ट्रां॰ का 10 कि॰ वा॰ शक्ति में उन्नयन	
10.	गुलबर्गा (कर्नाटक)	10 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ ट्रां॰ से 20 कि॰ वा॰ शक्ति में उन्नयन	
11.	त्रिचूर (केरल)	20 कि॰ वा॰ मी॰ वे, ट्रां॰ का 100 कि॰ वा॰ शक्ति में उन्नयन.	
12.	कालीकट (केरल)	10 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ ट्रां॰ का 100 कि॰ वा॰ शक्ति में उन्नयन	
13.	त्रिवेन्द्रम (केरल)	स्टूडियो का उन्नयन (स्थाई टाइप-4 (आर) स्टूडियो का प्रावधान)	
14.	त्रिवेन्द्रम (केरल)	1 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ ट्रां॰ का 2×5 कि॰ वा॰ एफ॰ एम॰ ट्रां॰ में उन्नयन	
15.	भोपाल (मध्य प्रदेश)	10 कि॰ वा॰ शा॰ वे॰ ट्रां॰ का 50 कि॰ वा॰ शक्ति में उन्नयन।	30.7.94 को चालू किया गया
16.	जगदलपुर (मध्य प्रदेश)	10 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ का 100 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ में उन्नयन	

1	2	3	4
17.	ग्वालियर (मध्य प्रदेश)	10 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ का 20 कि॰ वा॰ शक्ति में उन्नयन	
18.	जबलपुर (मध्य प्रदेश)	सहायक स्टूडियो का टाइप-I (आर) स्टूडियो में परिवर्तन	29.7.94 को चालू किया गया
19.	बम्बई (महाराष्ट्र)	10 कि॰ वा॰ शा॰ वे॰ ट्रां॰ का 50 कि॰ वा॰ शक्ति में उन्नयन	
20.	परभणी (महाराष्ट्र)	स्थाई टाइप-I (आर) स्टूडियो का प्रावधान	
21.	परभणी (महाराष्ट्र)	10 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ ट्रां॰ का 20 कि॰ वा॰ में उन्नयन	
23.	कोहिमा (नागालैण्ड)	2 कि॰ वा॰ शा॰ वे॰ ट्रां॰ का 50 कि॰ वा॰ शक्ति में उन्नयन	
23.	सम्बलपुर (उड़ीसा)	20 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ ट्रां॰ का 100 कि॰ वा॰ शक्ति में उन्नयन	
24.	उदयपुर (राजस्थान)	10 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ ट्रां॰ का 20 कि॰ वा॰ शक्ति में उन्नयन	
25.	जोधपुर (राजस्थान)	1 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ ट्रां॰ का 2×3 कि॰ वा॰ एफ॰ एम॰ ट्रां॰ में उन्नयन	
26.	गंगटोक (सिक्किम)	स्थाई टाइप-I (आर) स्टूडियो	
27.	मद्रास (तमिलनाडु)	2.5 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ ट्रां॰ का 20 कि॰ वा॰ शक्ति में उन्नयन	
28.	मद्रास (तमिलनाडु)	10 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ ट्रां॰ का 50 कि॰ वा॰ शक्ति में उन्नयन	
29.	मद्रास (तमिलनाडु)	10 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ ट्रां॰ का 20 कि॰ वा॰ शक्ति में उन्नयन	

1	2	3	4
30.	कोयम्बतूर (तमिलनाडु)	10 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ ट्रां॰ का 20 कि॰ वा॰ शक्ति में उन्नयन	
31.	नागरकोइल (तमिलनाडु)	1 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ का 2x5 कि॰ वा॰ एफ॰ एम॰ ट्रांसमीटर में उन्नयन	
32.	इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	1 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ ट्रां॰ का 20 कि॰ वा॰ शक्ति में उन्नयन	
33.	रामपुर (उत्तर प्रदेश)	10 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ ट्रां॰ का 20 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ शक्ति में उन्नयन	
34.	आगरा (उत्तर प्रदेश)	10 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ ट्रां॰ का 20 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ शक्ति में उन्नयन	
35.	इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	1 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ (सी॰ बी॰ एस॰) ट्रां॰ का 2x5 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ ट्रां॰ में उन्नयन	
36.	कुर्सियांग (पश्चिम बंगाल)	20 कि॰ वा॰ शा॰ वे॰ ट्रां॰ का 50 कि॰ वा॰ शा॰ वे॰ ट्रांसमीटर में उन्नयन	
37.	दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)	10 कि॰ वा॰ मी॰ वे॰ ट्रां॰ का 50 कि॰ वा॰ शक्ति में 2 कि॰ वा॰ शा॰ वे॰ के 2 ट्रांसमीटरों का 50 कि॰ वा॰ में उन्नयन	

विश्व कप क्रिकेट 1996 का प्रसारण

1749. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने विश्व कप क्रिकेट 1996 के प्रसारण के लिए किसी विदेशी टेलीविजन कम्पनी से कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समझौते के परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा के बाहर जाने की संभावना है; और

(घ) किन परिस्थितियों में यह समझौता किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) दूरदर्शन द्वारा वर्ल्ड टैल इन्क यू॰ एस॰ ए॰ के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार, दूरदर्शन, भारत में खेले जाने वाले सभी मैचों के मामले में यह सह-निर्माता होगा। इसके अलावा, इस प्रतियोगिता के सभी मैचों के

संबंध में टेलीविजन और रेडियो के सभी रूपों के भारत में सीधे प्रसारण का उसे एकमात्र अधिकार होगा।

(ग) अधिकार शुल्क के रूप में 4,750,000 अमरीकी डालर।

(घ) दूरदर्शन ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उक्त करार किया है कि वर्ल्ड टेल इन्क, यू. एस. ए. के इस प्रतियोगिता के संबंध में भारत सहित विश्वव्यापी प्रसारण के अधिकार प्राप्त हैं और भारत में क्रिकेट मैचों के दर्शक काफी अधिक संख्या में हैं।

[हिन्दी]

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापन

1750. श्री ललित उरांव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को 1991-92, 1993-94 और 1994-95 (30 जून, 1994 तक) के दौरान विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापन दिए गए और विज्ञापनों का वर्षवार मूल्य रुपए में क्या है;

(ख) उक्त अवधि में दिए गए विज्ञापनों में से प्रत्येक दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और सामाजिक सामाचारपत्रों/पत्रिकाओं को अलग-अलग किए गए भुगतान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1 अप्रैल, 1994 को प्रत्येक दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार पत्र/पत्रिका के देय बकाया का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (ग) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने 1993-94 के दौरान 4529 प्रकाशनों को 31,49,60,257 रुपये के विज्ञापन तथा वर्ष 1994-95) 30 जून, 1994 तक) 1527 प्रकाशनों को 5,94,72,180/- रुपये के विज्ञापन जारी किये। वर्ष 1993-94 व 1994-95 के दौरान उन प्रकाशनों में से प्रत्येक को दिए गए विज्ञापनों के नाम, प्रकाशन स्थान, विज्ञापन की राशि संबंधी दो सूचियां संसद के पुस्तकालय को अलग से उपलब्ध कराई जा चुकी हैं।

विज्ञापन बिलों तथा उनके भुगतान की प्रक्रिया विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की सतत गतिविधियां हैं। बिलों पर कार्यवाही क्रमानुसार की जाती है, जैसे और जब वे प्रकाशकों से प्राप्त होते हैं। प्रत्येक प्रकाशन के मामले में भुगतान किए गए बिलों तथा बकाया राशि संबंधी सूचना का दिन-प्रतिदिन के आधार पर रखरखाव नहीं किया जाता। वर्ष 1993-94 के दौरान विज्ञापनों के लिए कुल 18,31,31,096/- रुपये का भुगतान किया गया।

[अनुवाद]

परामर्शदात्री चिकित्सालय

1751. श्री एस. बी. सिदनाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत कितने परामर्शदात्री चिकित्सालय हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार और विशिष्ट परामर्शदात्री चिकित्सालय खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा राज्यवार क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) आयुर्विज्ञान शिक्षा संस्थाओं से संबद्ध अस्पतालों और अन्य बड़े अस्पतालों में रेफरल सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाली दांतों की भराई

1752. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जुलाई, 1994 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "डेंटल फिलिंग्न कैन बी डेडली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश में मनुष्यों पर फिलिंग्स और अमालगम्स के प्रभाव के बारे में कोई अनुसंधान कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) चिन्ता का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोयले की मांग

1753. डा॰ अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश ने अपनी औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोयले का आयात करने हेतु भारत को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में स्थित उद्योगों की कोयले की मांग को पूरा करने में कोयले का स्वदेशी उत्पादन सक्षम है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य को कितनी मात्रा में कोयला सप्लाई किया गया ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इंडिया लि॰ (को॰ इं॰ लि॰) ने सूचित किया है कि उन्हें बंगला देश से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) निम्न राख वाले कोककर कोयले और उच्च ग्रेडों के अकोककर कोयले को छोड़कर,-कोयले का देशी उत्पादन देश की कोयले की आवश्यकताओं को सम्पूर्ण रूप में पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(घ) कोल इंडिया लि० (को० ई० लि०) और सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० (सिं० को० कं० लि०) के स्रोतों से वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के दौरान कोयले की राज्यवार की गई आपूर्ति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

कोल इंडिया लि० तथा सिं० को० कं० लि० के स्रोतों से कोयले की राज्य-वार आपूर्ति

(आंकड़े अनंतिम)

(लाख टन में)

राज्य का नाम	1991-91	1992-93	1993-94
आंध्र प्रदेश	244.76	243.28	255.46
असम	8.52	7.60	5.45
बिहार	190.86	208.70	194.46
दिल्ली	54.59	57.45	62.01
गुजरात	151.79	153.20	157.80
हरियाणा	38.15	46.35	32.57
हिमाचल प्रदेश	1.65	2.30	1.93
जम्मू एवं कश्मीर	2.57	1.19	0.49
कर्नाटक	36.71	41.10	49.12
केरल	2.76	3.46	3.01
मध्य प्रदेश	339.70	346.20	373.07
महाराष्ट्र	242.97	248.36	281.73
उड़ीसा	95.31	116.87	110.20
पंजाब	62.19	71.80	82.30
राजस्थान	52.06	52.23	55.15
तमिलनाडु	91.02	100.36	106.85
उत्तर प्रदेश	304.94	337.25	356.06
पश्चिम बंगाल	198.30	192.80	191.99
अन्य	3.65	8.14	6.19

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां

1754. श्री के॰ प्रधानी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की दर में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की दरों में संशोधन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम

1755. श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्ति :

श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा 31 मार्च, 1993 को समाप्त वर्ष की अपनी रिपोर्ट (1994 की संख्या 2) में परिवार कल्याण कार्यक्रम के संबंध में की गई टिप्पणियों की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) केन्द्र द्वारा प्रायोजित परिवार कल्याण कार्यक्रमों में संशोधन करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) यह रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है।

(ख) और (ग) क्रियाविधि के अनुसार की गई कार्रवाई संबंधी नोट भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के विधीक्षा के लिए भेजे जा रहे हैं।

(घ) परिवार कल्याण कार्यक्रम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

"एड्स" रोग का पता लगाने के केन्द्र

1756. **श्री हरचन्द सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य में कोबाल्ट थेरेपी एकक तथा "एड्स" रोग का पता लगाने के केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

परिवार कल्याण कार्यक्रम

1757. **श्री प्रेम चन्द राम :**

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण और आदिवासी लोगों के कल्याण के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि में विश्व बैंक ने कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) विश्व बैंक की सहायता से परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। ये योजनाएं कुछेक जनजातीय क्षेत्रों को भी कवर करती हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में विश्व बैंक से 622.55 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही परिवार कल्याण योजनाओं का ब्यौरा (रुपये करोड़ में)

योजना का नाम	राज्य	योजना की अवधि	योजना पर लागत
1	2	3	4
1. भारत जनसंख्या योजना-III	केरल के 4 जिले	1984-92	53.36
	कर्नाटक के 6 जिले	–तदैव–	71.31
2. भारत जनसंख्या योजना-IV	प. बंगाल के 4 जिले	1985-94	117.12
3. भारत जनसंख्या योजना-VI	उत्तर प्रदेश	1990-95	110.54
	आंध्र प्रदेश	–तदैव–	49.55
	मध्य प्रदेश	–तदैव–	42.57
4. भारत जनसंख्या योजना-VII	पंजाब	नवम्बर, 1990 से अक्तूबर, 1995 तक	48.66
	हरियाणा	–तैदव–	42.42
	गुजरात	–तदैव–	43.90
	बिहार	–तदैव–	88.18
	जम्मू व कश्मीर	–तदैव–	51.54
5. भारत जनसंख्या योजना-IX	असम	1994-95 से 2000-2001	101.22

	1	2	3	4
		कर्नाटक के 13 जिले	–तदैव–	114.75
		राजस्थान के 10 जिले	–तदैव–	108.57
6.	शिशु जीवनरक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम	यह कार्यक्रम 1991-92 के दौरान शुरू किया गया था तथा इसे देश के सभी जिलों में चरणवार ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है।	1991-92 से 1997–98 तक	1125.58
7.	सामाजिक सुरक्षा नेट योजना	इस स्कीम के अंतर्गत जनांकिकी रूप से कमजोर जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को धन दिया जाता है जहां आशोधित जन्म दर प्रति हजार 39 से अधिक है। प्राथमिक स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए प्रति वर्ष 10 लाख रुपये प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के हिसाब से धन दिया जाता है।	1992–93 से 1997–98 तक	320.00 (इसमें विश्व बैंक सहायता केवल 80 करोड़ रुपये है)

[अनुवाद]

राष्ट्रीय विकलांग न्यास

1758 प्रो॰ सावित्री लक्ष्मणन : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय विकलांग न्यास बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह न्यास कब तक बना दिया जाएगा ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं। तथापि, मानसिक मंदता तथा प्रमस्तिष्काघात वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय न्यास स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) ब्यौरे तैयार किए गए जा रहे हैं।

(ग) यथाशीघ्र न्यास स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अपर कृष्णा प्रोजेक्ट

1759. श्री एच॰ डी॰ देवगौडा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक की सरकार केन्द्र सरकार को अपर कृष्णा, सिंचाई परियोजना तृतीय चरण के लिये विश्व बैंक से सहायता लेने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राजस्थान में उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर

1760. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य के सीमावर्ती जिलों में उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर लगाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये ट्रांसमीटर कब से कार्य करना शुरू कर देंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के मामले में, बाड़मेर तथा जैसलमेर में उच्च शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटरों को चालू करने और अनूपगढ़ में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्टाफ संबंधी स्वीकृति प्रदान न किए जाने के कारण जैसलमेर में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (10 कि॰ वा॰) तथा बाड़मेर में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (1 कि॰ वा॰ अंतरिम स्थापना) को चालू करने का कार्य लंबित पड़ा है।

सार्वजनिक नलकूप

1761. श्री छीतूभाई गामीत : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में सार्वजनिक नलकूप लगाने के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन) : (क) गुजरात सरकार ने राज्य में सार्वजनिक नलकूप लगाने के बारे मे विश्व बैंक सहायता प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को कोई योजना नहीं भेजी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं

1762. श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :

श्री महेश कनोडिया :

श्रीमती दीपिका एच॰ टोपीवाला :

श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान जम्मू और कश्मीर में कितने गैर-सैनिक और सुरक्षा कार्मिक मारे गए और घायल हुए :

(ख) उक्त अवधि में कितने आतंकवादी मारे गए और गिरफ्तार हुए और उनसे कितने अस्त्र-शस्त्र तथा अन्य सामग्री जब्त की गई;

(ग) इनमें से कितने आतंकवादी पाक प्रशिक्षित हैं; और

(घ) ऐसे कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं और कानूनी कार्यवाही आरम्भ की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) जम्मू एवं कश्मीर की राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, अप्रैल से जून, 1994 तक की अवधि के दौरान लगभग 200 सिविलियन सुरक्षा बलों के 35 कार्मिक और 356 उग्रवादी मारे गए। इसी अवधि के दौरान 398 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए और उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए। इन उग्रवादियों में से बड़ी मात्रा में उग्रवादी पाकिस्तान प्रशिक्षित हैं लेकिन इस बारे में ठीक-ठीक संख्या बता पाना संभव नहीं है। भारी मात्रा में हथियार एवं गोली बारूद, 607 ए० के० राइफलें/स्नाइपर राईफलें/ मशीनगनें, 21 रॉकेट लांचर/बूस्टर और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, वायरलैस उपकरण, आदि उग्रवादियों से बरामद किए गए।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोद लेने सम्बन्धी व्यवस्था

1763. श्री मंजय लाल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान प्रतिवर्ष किन-किन देशों में गोद लिए गए बच्चे भेजे गए; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कितने बच्चों को गोद लिया गया ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) उन देशों के नाम जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय बच्चों को दत्तकग्रहण के उद्देश्य से भेजा गया है, विवरण-I में वर्षवार दिये गये हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गोद लिये गये बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है :-

	गोद लिए गए बच्चों की संख्या	
वर्ष	**देश में**	**देश से बाहर**
1991	936	1190
1992	1293	1007
1993	1382	1134

विवरण

उन देशों के नाम जहां पिछले तीन वर्षों (वर्षवार) के दौरान भारतीय बच्चों को दत्तकग्रहण पर भेजा गया है।

1991	1992	1993
अमेरिका	अमेरिका	अमेरिका
इटली	इटली	इटली
फ्रांस	फ्रांस	फ्रांस

1991	1992	1993
डेनमार्क	डेनमार्क	डेनमार्क
स्वीडन	स्वीडन	स्वीडन
स्वीटजरलैंड	स्वीटजरलैंड	स्वीटजरलैंड
बैलिगम	बैलिगम	बैलिगम
जर्मनी	जर्मनी	जर्मनी
नीदरलैंड	नीदरलैंड	नीदरलैंड
नार्वे	नार्वे	नार्वे
कनाडा	कनाडा	कनाडा
आस्ट्रेलिया	आस्ट्रेलिया	आस्ट्रेलिया
फिनलैंड	फिनलैंड	फिनलैंड
ब्रिटेन	ब्रिटेन	ब्रिटेन
आस्ट्रिया	आस्ट्रिया	आस्ट्रिया
स्पेन	स्पेन	स्पेन
संयुक्त अरब अमीरात	संयुक्त अरब अमीरात	सिंगापुर
आइरलैंड	सिंगापुर	आइरलैंड
न्यूजीलैंड	आइरलैंड	सेरा
	सलतनत ओमन	बाहाराइन
		जिम्बावे

[अनुवाद]

बाढ़ का पूर्वानुमान लगाना

1764. श्री एस॰ एम॰ लालजान बाशा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने आन्ध्र प्रदेश में नदी जल के प्रवाह का ठीक-ठीक अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे;

(ङ) क्या केन्द्रीय जल आयोग द्वारा गोदावरी नदी में बाढ़ के संबंध में पूर्वानुमान लगाया जाता था;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने पर प्रतिवर्ष कुल कितना व्यय किया गया, और

(ज) राज्य में बाढ़ संबंधी पूर्वानुमान की शुद्धता को बढ़ाने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा विश्वसनीय बाढ़ पूर्वानुमान जारी करने के साथ-साथ नदी प्रवाह का आकलन भी किया जा रहा है। वर्ष 1993 के दौरान, कृष्णा नदी प्रणाली के बारे में 465 पूर्वानुमान जारी किए गए जिनकी परिशुद्धता 99% रही। गोदावरी में 1993 में बाढ़ नहीं आई। 1992 में 213 पूर्वानुमान जारी किए गये थे जिनकी परिशुद्धता 92% रही।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्तमान बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली को यथेष्ट माना गया है।

(ङ) जी हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान गोदावरी थाले में बाढ़ पूर्वानुमान पर क्रमशः 59.16 लाख रुपए, 63.02 लाख रुपए और 72.63 लाख रुपए का व्यय किया गया।

(ज) वर्तमान बाढ़ पूर्वानुमान परिशुद्धता को यथेष्ट माना गया है।

[हिन्दी]

कश्मीर में पुलिस कर्मियों पर हमला

1765. **श्री जनार्दन मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादियों ने गत तीन महीनों के दौरान कश्मीर में पुलिस कर्मियों पर हमले किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा घाटी में आतंकवाद पर नियन्त्रण पाने के लिए अब तक किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, अप्रैल से जून, 1994 की अवधि के दौरान, पुलिस कार्मिकों पर हमले की 24 घटनाएं हुई थी, जिनमें अपहरण के सात मामले शामिल हैं, जिनमें एक महिला कांस्टेबल सहित तीन पुलिस कार्मिक मारे गए थे।

(ग) संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों में वृद्धि करने सहित, आतंकवाद-विरोधी अभियानों को और तेज किया गया है तथा बढ़ा दिया गया है।

[अनुवाद]

विजयवाड़ा में टी॰ वी॰ कैमरा एकक

1766. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के छायांकन के लिए विजयवाड़ा में एक टी॰ वी॰ कैमरा एकक की स्वीकृति के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो विजयवाड़ा में उक्त टी॰ वी॰ कैमरा एकक को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। एक कैमरा यूनिट को हैदराबाद से स्थानांतरित करके शीघ्र ही विजयवाड़ा में लगाने का निर्णय लिया गया है।

बाढ़ प्रवण क्षेत्र

1768. **श्रीमती बसुन्धरा राजे :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों का पता लगा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों में क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन) : (क) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने राजस्थान में 32.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रवण आंका है।

(ख) राजस्थान में बाढ़ की समस्या मुख्यत: भरतपुर, अलवर, धौलपुर, श्रीगंगानगर और सवाई माधोपुर जिलों में है।

(ग) तटबन्धों, जल निकास चैनलों और नगर सुरक्षा कार्यों का निर्माण करके मार्च, 1993 तक 1.159 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से समुचित सुरक्षा प्रदान की गयी है।

[हिन्दी]

कोयले की बिक्री

1769. **प्रो॰ रीता वर्मा :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने किन ताप बिजली केन्द्रों, इस्पात संयंत्रों तथा सीमेंट उद्योगों को उधार पर कोयला बेचा;

(ख) किस श्रेणी के कोयले उन्हें बेचे गए; और

(ग) 31 मार्च, 1994 तक कितनी राशि वसूल की गई और कितनी राशि बकाया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इंडिया लि॰ द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार वर्ष 1993-94 के दौरान भारत कोकिंग कोल लि॰ द्वारा, जिन विद्युत-गृहों तथा इस्पात संयंत्रों को उधार आधार पर कोयले की बिक्री की गई, उनके नाम नीचे दिए गए हैं :-

विद्युत गृह

1. चन्द्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, डी० वी० सी०, चन्द्रपुरा
2. बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन, बदरपुर
3. दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान, इन्द्रप्रस्थ स्टेशन
4. गुरुनानक देव थर्मल पावर स्टेशन, भटिण्डा
5. रोपड थर्मल पावर स्टेशन, रोपड
6. कोटा थर्मल पावर स्टेशन, कोटा
7. हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन, यू० पी० एस० ई० बी०, हरदुआगंज
8. पांकी थर्मल पावर स्टेशन, यू० पी० एस० ई० बी०, पांकी
9. परिछा थर्मल पावर स्टेशन, यू० पी० एस० ई० बी०, परिछा
10. तांडा थर्मल पावर स्टेशन, यू० पी० एस० ई० बी०, तांडा
11. ऊंचाहार थर्मल पवार स्टेशन, ऊंचाहार
12. वानकबोरी थर्मल पावर स्टेशन, जी० एस० ई० बी०, वानकबोरी
13. तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन, टी० एन० ई० बी०, तूतीकोरिन
14. बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, बी० एस० ई० बी०, बरौनी
15. मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन, बी० एस० ई० बी०, मुजफ्फरपुर
16. कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन, डब्ल्यू० बी० एस० ई० बी०, कोलाघाट
17. दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन, डी० वी० सी०, दुर्गापुर
18. दुर्गापुर स्टील प्लाण्ट (केप्टिव पावर प्लाण्ट), सेल (डीएसपी), दुर्गापुर
19. बोकारो स्टील प्लाण्ट (केप्टिव पावर प्लाण्ट), सेल (बीएसपी), बोकारो
20. टीटागढ़ थर्मल पावर स्टेशन, सी० ई० एस० सी०, कलकत्ता
21. दादरी थर्मल पावर स्टेशन, एन० टी० पी० सी०, दादरी
22. संथालडीह थर्मल पावर स्टेशन, डब्ल्यु, बी० एस० ई० बी०, संथालडीह

इस्पात संयंत्र

1. बोकारो स्टील प्लाण्ट, सेल, बोकारो
2. भिलाई स्टील प्लाण्ट, सेल, भिलाई
3. राउरकेला स्टील प्लाण्ट, सेल, राउरकेला
4. दुर्गापुर स्टील प्लाण्ट, सेल, दुर्गापुर

5. इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बर्नपुर

किन्तु सीमेण्ट उद्योग को कोयले की उधार रूप में कोई बिक्री नहीं दी गई है।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान भारत कोकिंग कोल लि॰ द्वारा आपूर्ति किए गए कोयले के ग्रेड नीचे दिए गए हैं :-

तापीय विद्युत गृह

(i) असंयोजित वाशरी ग्रेड-II, III, IV

(ii) अकोककर कोयला ग्रेड "सी", "डी", और "ई"।

इस्पात संयंत्र

(i) इस्पात ग्रेड-I और II

(ii) वाशरी ग्रेड-I, II, III, और IV

तापीय विद्युत गृहों और इस्पात संयंत्रों को क्रमशः 668.62 करोड़ रु॰ तथा 683.13 करोड़ रु॰ की कुल कीमत के कोयले की आपूर्ति की गई।

(ग) वर्ष 1993-94 के शुरु में विद्युत तथा इस्पात क्षेत्र की ओर 788.55 करोड़ रु॰ की कुल देय बकाया राशि थी। वर्ष 1993-94 के दौरान 1166.64 करोड़ रु॰ की वसूली की गई, जिनमें समायोजन की राशि शामिल है और 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार 973.66 करोड़ रु॰ की राशि की देय बकाया थी, जिसकी अभी वसूली की जानी है।

केन्द्रीय प्रायोजित सिंचाई परियोजनाएं

1770. श्री खेलन राम जांगड़े : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश में केन्द्रीय प्रायोजित सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है/की जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 23 योजनाएं शामिल की गई हैं (विवरण संलग्न है)। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों की पुनरीक्षा के आधार पर, राज्य सरकार को वर्ष 1993-94 के लिए 289.16 लाख रुपए तथा अप्रैल, मई, जून, 1994 माह के लिए 81.33 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की गई है।

विवरण

केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

क्रम सं०	परियोजनाओं का नाम
1.	तावा
2.	चम्बल
3.	औधा
4.	बरना
5.	हेलाली
6.	कोलार
7.	नरेन
8.	खेतन
9.	हसदेव
10.	खारंग
11.	मणियारी
12.	घोंगा
13.	महानदी
14.	पैकी
15.	तंदूला
16.	जोंक
17.	बलार
18.	कोदार
19.	अपर बेनगंगा
20.	बाग
21.	हार्गी
22.	रामपुर मकरोदा
23.	रानी अवन्ती बाई (बार्गी)

अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को सुविधाएं

1771. श्री राम कृपाल यादव :

श्री लाल बाबू राय :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने मंडल आयोग के मामले में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को छूट और अन्य सुविधाएं देने के संबंध में कोई निर्णय दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निर्णय को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जायेंगे ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने इन्दिरा साहनी तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य मामले में अन्य बातों के साथ यह टिप्पणी की है कि संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के अनुसरण में आरक्षण की अवधारणा के एक हिस्से के रूप में ही अनुपूरक तथा अनुशांगिक प्रावधानों की व्यवस्था हो सकती है।

(ग) यह मुद्दा विचाराधीन है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उपकेन्द्रों को अनुदान

1772. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उपकेन्द्र चलाने हेतु दी जा रही अनुदान राशि बहुत पहले निर्धारित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से अनुदान की राशि बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार इस पर क्या निर्णय ले रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) से (घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का रख-रखाव राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन किया जाता है। उप केन्द्रों के लिए सहायता केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन प्रदान की जाती है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण इन उपकेन्द्रों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा में वृद्धि करना संभव नहीं हो पाया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम :

1773. प्रो॰ उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय फाईलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की क्या उपलब्धियां रहीं;

(ख) उक्त अवधि में सरकार ने कितना धन दिया;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इसे पूर्णत: केन्द्रीय वितपोषित कार्यक्रम बनाकर सहायता में बढ़ोतरी करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 29 फाइलेरिया नियंत्रक यूनिटों, 4 क्लिनिकों तथा 2 सर्वेक्षण यूनिटों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों में की गई उपलब्धियां इस प्रकार हैं :–

	1991	1992	1993
जांच किए गए व्यक्तियों की संख्या	194947	205563	230322
पॉजिटिव रोगी	6206	7228	6696
पता लगाए गए एवं उपचार किए गए रोगी	8272	7975	9229
शामिल कस्बों की संख्या	29	29	29

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार को दिया गया धन इस प्रकार है :–

1991-92	1.04 लाख रुपये
1992-93	56.18 लाख रुपये
1993-94	41.94 लाख रुपय

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत कर्मचारी

1774. श्री दत्ता मेघे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में आकाशवाणी के केन्द्रों तथा दूरदर्शन केन्द्र में विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी कितने हैं;

(ख) इन आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पद खाली पड़े हैं; और

(ग) इन पदों को कब तक भरा जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करना

1776. श्री ललित उरांव :

श्री एस॰ बी॰ सिदनाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने संबंधी मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार कुरक, भुंडारी, हो, संथाली, भोजपुरी और मैथिली भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का है;

(ग) यदि हां, तो इन्हें कब तक शामिल किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ एम॰ सईद) : (क) भाषाओं को, संविधान की आठवीं अनुसूची मे शामिल करने संबंधी कोई मानदंड संविधान में निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ख) से (घ) क्या किसी एक या अधिक भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जा सकता है संबंधी प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

सिंचाई प्रस्ताव

1777. श्री हरचन्द सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास पंजाब राज्य की कुल सिंचाई परियोजनायें स्वीकृति के लिए लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो ये परियोजनायें कब से लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान संघ सरकार द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाओं का, उनकी अनुमानित लागत सहित, ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन) : (क) एक वृहद सिंचाई परियोजना नामशः "रिमॉडलिंग आफ चैनल्स आफ अपर बारी दोआब केनाल सिस्टम" और एक मझौली सिंचाई परियोजना अर्थात "माडरनाइजेशन एंड एक्सटेंशन आफ बादशाही केनाल आन लेफ्ट साइड आफ रिवर रावी" की तकनीकी आर्थिक जांच केन्द्रीय जल आयोग में की जा रही है।

(ख) वृहद सिंचाई परियोजना जनवरी, 1994 में प्राप्त हुई थी और परियोजना की लागत इंजीनियरी व सिंचाई आयोजना पहलुओं पर टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजी गई हैं जिनमें उनसे केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों को शामिल करके विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया है तथापि मझौली सिंचाई परियोजना मई, 1994 में प्राप्त हुई है।

(ग) परियोजना की स्वीकृति, राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की शीघ्र एवं संतोषजनक अनुपालना के साथ-साथ पर्यावरण और वन स्वीकृति प्राप्त करने पर निर्भर करती है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना आयोग द्वारा अनुमोदित पंजाब की सिंचाई परियोजनाएं नामशः 34.49 करोड़ रुपए की लागत पर "रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट आफ केनाल रेगुलेशन स्ट्रक्चर इन द केनाल सिस्टम आफ पंजाब" और 117.47 करोड़ रुपए की लागत पर "पंजाब इरिगेशन प्रोजेक्ट फेज-II लाइनिंग आफ वाटर कोर्सेस" है।

चिकित्सा अनुदान आयोग

1778. श्री प्रेम चन्द राम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भांति एक चिकित्सा अनुदान आयोग गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) और (ख) स्वास्थ्य विज्ञान में शिक्षा आयोग स्थापित करने का सिद्धान्त रूप से निर्णय किया गया है जो अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं में शैक्षिक संस्थाओं के विकास के लिए सहायता प्रदान करेगा।

धारावाहिकों का पुनः प्रसारण

1779. डा॰ अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली दूरदर्शन द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कितने धारावाहिकों का प्रसारण किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार कुछ उनमें से कतिपय धारावाहिकों को पुनः प्रसारित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) दूरदर्शन ने जनवरी 1991 से दिसम्बर, 1993 की अवधि के दौरान 80 धारावाहिकों का प्रसारण किया है।

(ख) और (ग) समय-समय पर दूरदर्शन की कार्यक्रम आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए दूरदर्शन द्वारा धारावाहिकों के पुनः प्रसारण संबंधी निर्णय लिया जाता है।

[अनुवाद]

थलासेमिया की औषधि

1780. प्रो॰ सावित्री लक्ष्मणन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी निजी कम्पनी ने स्थानीय रूप से थलासेमिया के रोगियों के लिए "डेफेरीप्रोन" नामक एक नई औषधि विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह आसानी से बाजार में उपलब्ध है;

(ग) क्या सरकारी अस्पतालों में रोगियों के लिए इस दवा का प्रयोग होता है;

(घ) यदि हां, तो क्या इससे जुड़े विषम प्रभावों का पता चला है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) इस औषध पर चार केन्द्रों में क्लीनिकल परीक्षण चल रहा है जहां 191 रोगी अनुमोदित रुधिर विज्ञानियों के उपचाराधीन हैं। क्लीनिकल परीक्षणों की रिपोर्टों की विशेषज्ञों के परामर्श से जांच की जा रही है। क्लीनिकल परीक्षणों के दौरान सूचित किए गए औषध के गौणप्रभावों में शामिल हैं–जोड़ों का दर्द न्यूट्रोपीनिया (सफेद रक्त सेलों की कमी), जठरान्त्र असह्यता तथा उल्टी आना। सूचित किए गए प्रतिकूल प्रभावों में यह दावा किया है कि ये अल्पकालिक है और औषध का सेवन बन्द कर देने से प्रतिवर्ती होते हैं।

[हिन्दी]

गुजरात में जनसंख्या नियंत्रण

1781. श्री छीतूभाई गामीत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में जनसंख्या नियंत्रण के लिए केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चिकित्सा उपकरणों का आयात

1782. श्री एस॰ एम॰ लालजान बाशा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन उद्यमियों को सहायता देती है जो अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों का आयात करना चाहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) और (ख) यथासंशोधित निर्यात आयात नीति, 1992-97 के अंतर्गत चिकित्सा उपकरणों का आयात बिना पाबंदी के अनुमत्य है। सीमा शुल्क की दरें वर्तमान वर्ष के दौरान कम कर दी गई हैं।

नागार्जुन सागर लिफ्ट नहर प्रणाली

1783. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश की नागार्जुन सागर लिफ्ट नहर प्रणाली के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस परियोजना के लिए और अधिक वित्तीय सहायता देने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन) : (क) और (ख) नागार्जुन सागर लिफ्ट नहर प्रणाली के संबंध में कोई प्रस्ताव तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्र में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ

1784. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन मंत्रालयों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की स्थापना की है; और

(ख) बकाया मंत्रालयों/विभागों में ऐसे प्रकोष्टों की कब तक स्थापना कर दी जाएगी ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) उन मंत्रालयों/विभागों के नाम जिन्होंने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की स्थापना की है, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) शेष मंत्रालयों/विभागों को शीघ्र ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की स्थापना करने की सलाह दी गई है।

विवरण

1. कृषि मंत्रालय, कृषि तथा सहकारिता विभाग
2. परमाणु ऊर्जा विभाग
3. नागर विमानन विभाग
4. पर्यटन विभाग
5. नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
6. कोयला मंत्रालय
7. वाणिज्य मंत्रालय
8. आपूर्ति विभाग
9. डाक विभाग
10. रक्षा मंत्रालय
11. रक्षा उत्पाद तथा आपूर्ति विभाग
12. रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग
13. इलैक्ट्रानिक विभाग
14. पर्यावरण तथा वन मंत्रालय
15. विदेश मंत्रालय
16. राजस्व विभाग
17. खाद्य मंत्रालय
18. स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय
19. गृह मंत्रालय
20. राजभाषा विभाग
21. संस्कृति विभाग
22. शिक्षा विभाग
23. युवा मामले तथा खेलकूद विभाग
24. महिला एवं बाल विकास विभाग
25. औद्योगिक विकास विभाग
26. भारी उद्योग विभाग
27. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

28. विधि कार्य विभाग
29. विधायी विभाग
30. खान मंत्रालय
31. महासागर विकास विभाग
32. संसदीय कार्य मंत्रालय
33. लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग
34. कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग
35. पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय
36. कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग
37. सांख्यिकी विभाग
38. ऊर्जा मंत्रालय
39. रेल मंत्रालय
40. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग
41. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग
42. जैव-तकनीकी विभाग
43. आंतरिक्ष विभाग
44. वस्त्र मंत्रालय
45. इस्पात मंत्रालय
46. शहरी विकास मंत्रालय
47. जल संसाधन मंत्रालय
48. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
49. संचार विभाग
50. सार्वजनिक उद्यम विभाग

कोयला धुलाई संयंत्र

1785. प्रो॰ रीता वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1991 तक भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में कितने कोयला धुलाई संयंत्रों की स्थापना की गई;

(ख) 1991-92, 1992-93, और 1993-94 के दौरान अलग-अलग कितने कोयला धुलाई संयंत्रों की स्थापना की गई;

(ग) किस वर्ष से इन संयंत्रों ने कार्य करना शुरू किया है;

(घ) इनमें से प्रत्येक संयंत्र के निर्माण पर कितना व्यय हुआ;

(ङ) 31 मार्च, 1994 तक कितने कोयला दुलाई संयंत्र कार्यरत थे;

(च) क्या कार्यरत कोयला दुलाई संयंत्रों ने अपनी अनुमानित क्षमता के अनुरूप कार्य किया था; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) राष्ट्रीयकरण के बाद से और अप्रैल, 1991 तक भारत कोकिंग कोल लि॰ (भा॰ को॰ को॰ लि॰) द्वारा आठ कोयला रख-रखाव संयंत्रों की स्थापना की गई है। इन कोयला रख-रखाव संयंत्रों के अतिरिक्त, राष्ट्रीयकरण के दौरान तीन कोयला रख-रखाव संयंत्रों को भा॰ को॰ को॰ लि॰ द्वारा अपने अधीन लिया गया था।

(ख) से (घ) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान स्थापित कोयला रख-रखाव संयंत्रों/फीडर ब्रेकरों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :-

वर्ष	कोयला रख-रखाव संयंत्रों (सी॰ एच॰ पी॰) फीडर ब्रेकरों की संख्या	किया गया व्यय (लगभग) (करोड़ रु॰ में)	कार्यकलाप शुरू करने का वर्ष
1991-92	–	–	–
1992-93	5	7.00	1992-93
1993-94	9	8.41	1993-94

(ङ) से (छ) 31 मार्च, 1994 तक की स्थिति के अनुसार 24 कोयला रख-रखाव संयंत्र/फीडर ब्रेकर्स कार्यरत थे। एक सी॰ एच॰ पी॰ अर्थात् बेरा संयंत्र इस अवधि के दौरान संशोधन की प्रक्रिया के अधीन था। कोयला रख-रखाव संयंत्रों/फीडर ब्रेकरों की वर्ष 1993 के दौरान समग्र रूप में उपयोगिता 57% थी। किन्तु सम्बद्ध ओपेनकास्ट खानों से (जहां कि कोयले की क्रेशिंग किए जाने की आवश्यकता है) उपलब्ध कोयले की उपयोगिता 91% रही है।

[अनुवाद]

मैला ढोने वाले लोग

1786. श्री के॰ प्रधानी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार मैला ढोने वाले लोग कितने हैं; और

(ख) सरकार द्वारा उनकी मुक्ति और पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) मार्च, 1992 में भारत सरकार ने सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को गंदगी उठाने के वर्तमान वंशानुगत घृणित तथा अमानवीय पेशे से मुक्त कराने एवं उन्हें पांच वर्षों की अवधि में दूसरे वैकल्पिक तथा प्रतिष्ठित पेशे में आने की एक राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मुक्ति तथा पुनर्वास योजना शुरू की थी।

योजना में, आठवीं योजना अवधि के दौरान 44 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता से चरणबद्ध तरीके से 4 लाख सफाई कर्मचारियों की पुनर्वास तथा 3.50 लाख सफाई कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण-कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। इसमें से अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 196.00 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता नियुक्त की गई है।

1992-93 के दौरान प्रशिक्षित किए गए पुनर्वासित सफाई कर्मचारियों की संख्या क्रमश: 15678 तथा 19913 (सफाई कर्मचारी) थी।

इस योजना में, योजना की प्रगति को मानीटरिंग करने तथा मूल्यांकन के लिए केंद्रीय राज्य तथा स्थानीय स्तर समितियों का भी प्रावधान है।

सरकार ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आयोग स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 नामक विधान भी अधिनियमित किया है।

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शासित कम लागत स्वच्छता (एकीकृत योजना) योजना के तहत, सफाई कर्मचारियों की मुक्ति के लिए शुष्क शौचालयों को जलवाहित शौचालयों में बदल गया है। 15.2.94 तक शामिल किए जाने वाले कस्बों की कुल संख्या 676 थी जिसमें 68184 सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे थे। हाथ से मैला उठाने वाले सफाई कर्मचारियों को रोजगार तथा शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 नामक एक विधान हाथ से मैला उठाने वाले सफाई कर्मचारियों को रोजगार तथा शुष्क शौचालयों हेतु प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियमित किया गया है।

विवरण

सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना के तहत पहचान किए गए सफाई कर्मचारियों की संख्या

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पहचान किए गए सफाई कर्मचारियों की सं॰
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	7453
2.	असम	5651
3.	बिहार	4710
4.	गुजरात	40000
5.	हरियाणा	18438

1	2	3
6.	हिमाचल प्रदेश	4760
7.	जम्मू और कश्मीर	3548
8.	कर्नाटक	5825
9.	केरल	1339
10.	मध्य प्रदेश	59000
11.	महाराष्ट्र	126691
12.	उड़ीसा	17122
13.	पंजाब	26819
14.	राजस्थान	87938
15.	तमिलनाडु	34326
16.	उत्तर प्रदेश	226189
17.	पश्चिम बंगाल	30000
18.	दिल्ली	17420
19.	पांडिचेरी	476
20.	नागालैंड	1800
	कुल :	7,19,505

बम विस्फोट

1787. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों में कुछ राज्यों में इंटर सर्विसेज की गतिविधियों में वृद्धि हुई है और कुछ महत्वपूर्ण स्थलों पर कई बम विस्फोट हुए हैं जिनसे भारी संख्या में निर्दोष लोग मारे गए या घायल हुए; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों में हुए उन बम विस्फोटों, जिनमें आई॰ एस॰ आई॰ के हाथ होने की सम्भावना है तथा अन्य आपत्तिजनक गतिविधियों का ब्यौरा क्या है; जो सरकार की जानकारी में आई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

प्रतिरक्षण टीके

1788. श्री प्रेम चन्द राम :

श्री मंजय लाल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रतिरक्षण टीकों के प्रतिकूल प्रभाव से राज्य/संघ क्षेत्र-राज्यवार कितने बच्चों की मौतें हुई; और

(ख) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) और (ख) देश में बच्चों की हुई कुछ मौतें सूचित की गई हैं। ये मौतें वैक्सीनों की विपरीत प्रतिक्रिया के कारण हुई हैं तथा इन मौतों में वे बच्चे भी हैं जिनकी मौत टीकाकरण के बाद हुई थी परन्तु जांच करने पर पाया गया कि उनकी मौत के कारण का संबंध टीकाकरण से नहीं था। वेक्सीनों को रखने एवं उनके इस्तेमाल में होने वाली त्रुटियों के कारण होने वाली मौत के खतरे को कम करने के लिए संबंधित कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तथा पर्याप्त सप्लाइयां की जाती हैं। टीकाकरण के पश्चात् हुई सूचित मौतों की जांच विशेषज्ञ दलों द्वारा भी की जाती है ताकि मौत के कारण का पता चल सके। राज्यवार रिपोर्ट दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान रोग प्रतिरक्षण के प्रतिकूल प्रभाव के कारण हुए बच्चों की सूचित मौतों का राज्यवार

राज्य	1991	1992	1993
आन्ध्र प्रदेश	2	6	4
असम	5	–	1
बिहार	–	–	3
हरियाणा	1	1	4
कर्नाटक	8	–	–
केरल	1	–	–
मध्य प्रदेश	–	1	–
महाराष्ट्र	–	9	9
राजस्थान	–	–	4
तमिलनाडु	2	–	–
उत्तर प्रदेश	2	5	2
पश्चिम बंगाल	–	1	–
दिल्ली	–	–	1

एड्स नियंत्रण

1789. डा॰ अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई देशों ने एड्स की भारत में रोकथाम और नियंत्रण हेतु स्वयंसेवी संगठनों/सरकारी एजेंसियों को वित्तीय सहायता/दान देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) और (ख) भारत में एड्स के निवारण और नियंत्रण के लिए स्वैच्छिक संगठनों/सरकारी अभिकरणों को दी गई सहायता/दान के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

स्रोत	रकम (अमरीकी डालर)	अभ्युक्तियां
ओ॰ डी॰ ए॰ (यू॰ के॰)	(क) 35,000	उत्तर-पूर्वी राज्यों को 1991-92 की सहायता
	(ख) 2,500,000	पश्चिम बंगाल राज्य में कार्यक्रम कार्यकलापों के लिए प्रस्तावित सहायता, 1993-95
नोराड (नार्वे)	(क) 28,000	गैर सरकारी संगठन एड्स सेल को सहायता
	(ख) 110,000	ए॰ आई॰ आई॰ एच॰ एंड पी॰ एच॰ उपचार परियोजना, कलकत्ता को सहायता, 1992-93
	(ग) 300,000	नाको/सी॰ एम॰ ए॰ आई॰ प्रशिक्षण कार्यकलापों को वचनबद्ध सहायता, 1993-94
यू॰ एस॰ एड॰ (संयुक्त राज्य अमेरिका)	10,000,000	बातचीत चल रही है।
फोर्ड फाउंडेशन	110,000	पी॰ एस॰ आई॰ के साथ कंडोम को बढ़ावा देकर एम॰ सी॰ जी॰ बी॰ उपचार परियोजना को सहायता, 1991-92
अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (विश्व बैंक)	85,000,000	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम सहायता 1992-97

[अनुवाद]

दूरदर्शन के 21 चैनल

1790. श्री एस॰ एम॰ लालजान बाशा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर 21 चैनल केवल महानगरों में ही उपलब्ध होंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने सुविधाएं महानगरों के अतिरिक्त अन्य शहरों में भी उपलब्ध करने के लिये क्या कदम उठाए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) उक्त चैनल उपलब्ध होने पर, उपयुक्त डिश एंटिना पद्धति के प्रयोग से समूचे भारत में उनसे प्रसारण प्राप्त किया जाएगा।

लिग्नाइट पर रॉयल्टी

1791. श्री छीतूभाई गामीत : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने लिग्नाइट पर रॉयल्टी की दर में संशोधन करने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब से केंद्रीय सरकार के पास लम्बित है; और

(ग) इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) (क) से (ग) गुजरात सरकार लिग्नाइट पर रॉयल्टी की दरों में संशोधन किए जाने के लिए भारत सरकार, कोयला मंत्रालय से अनुरोध करती रही है। विगत में हाल ही में, इस संबंध में फरवरी, 1994 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। वर्तमान में यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा इस प्रस्ताव से संबंधित सभी पहलुओं की जांच करने के पश्चात् उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा। अत: इस बारे में निर्णय लिए जाने के लिए कोई समय सीमा निश्चित करना इस स्थिति में व्यवहार्य नहीं होगा।

विदेशियों का प्रवेश

1792. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी अध्यक्षता में 19 जुलाई, 1994 को नई दिल्ली में सम्पन्न उत्तर-पूर्वी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को बैठक में उन राज्यों में विदेशियों के प्रवेश के सम्बन्ध में छूट देने के लिए आम सहमति प्रगट की गई;

(ख) यदि हां, तो इस संदर्भ में बैठक में लिये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों में विदेशियो के प्रवेश की अनुमति देने के संबंध में औपचारिक आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ एम॰ सईद) : (क) से (ग) पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री आमतौर पर इस विचार के थे कि इन राज्यों में विदेशी राष्ट्रिकों के प्रवेश पर लगे वर्तमान प्रतिबन्धों को हटा दिया जाना चाहिए। अंतिम निर्णय लेने के लिए इस समय कोई निश्चित समय सीमा नहीं बतायी जा सकती है।

अनिवासी भारतीयों के लिए आरेंजकार्ड

1793. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों के लिए एक आरेंज-कार्ड योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और जटिलताएं क्या हैं; और क्या-क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(ग) अनिवासी भारतीयों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार को इस योजना के संशोधन संबंधी कतिपय सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए योजना में क्या परिवर्तन किए जायेंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (च) तथापि 8.4.93 को सरकार द्वारा गठित किए गए एक अन्तर मंत्रालयीय दल ने, भारतीय मूल के व्यक्तियों को पी॰ आई॰ ओ॰ कार्ड जारी करने का प्रस्ताव किया था जिससे वे विशेष छूटों/सुविधाओं के पात्र बन सकें। सरकार द्वारा इस पर, कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी हां, डा॰ भोई, कृपया अपनी बात शुरू कीजिये।

केरल में बाढ़ की स्थिति के बारे में

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि बाढ़ के संबंध में चर्चा हो रही है किन्तु अभी-अभी मुझे केरल से टेलीफोन से सन्देश मिला है कि सारे राज्य में बाढ़ आई है। इससे 150 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 500 करोड़ रुपये की क्षति होने का अनुमान है। यह एक गम्भीर मामला है और चूंकि कृषि मंत्री सभा में उपस्थित हैं, मैं चाहता हूं कि वे इस समबन्ध में उत्तर दें तथा मेरे राज्य में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए तत्काल कुछ राहत की तत्काल घोषणा करें।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर मध्याह्न पश्चात् चर्चा करेंगे। आपने अपने सभी मुद्दे उसी समय उठा सकते हैं।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय : आपको इसे उचित ढंग से, अर्थात् चर्चा के लिए मामला आने तथा आपका नाम पुकारे जाने पर उठाना चाहिये। इस समय मैंने डा॰ भोई से बोलने के लिए कहा है।

12.01 म॰ प॰

भारत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण आपरेशन के बारे में

डा॰ कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : महोदय, आज का दिन भारत के लोगों के लिए खुशी का दिन है क्योंकि इस समय डा॰ वेणुगोपाल ने सफलतापूर्वक पहला हृदय प्रत्यारोपित किया है। 1965 में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार डा॰ क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय शल्प चिकित्सा का कार्य शुरू किया था। अध्यक्ष महोदय, आपके प्रयासों से यह माननीय सभा मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक पारित कर सकी। इसलिए, मैं आपको और माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं क्योंकि इसी विधान की सहायता से हम आज अपने देश में पहला हृदय प्रतिरोपण आपरेशन कर सके हैं।

डा॰ वेणुगोपाल अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के हृदय शल्य-चिकित्सकों में से एक हैं। विश्व में बाईपास शल्प चिकित्सा के जनक डा॰ डेन्टन कूली ने उन्हें एक सन्देश भेजा है, जिसमें कहा है कि डा॰ वेणुगोपाल को सारा विश्व याद रखेगा क्योंकि इस तरह की शल्य-चिकित्सा अब तक विश्व में कहीं नहीं की गई है। इसमें यह भिन्नता है कि उन्होंने साइक्लोस्पोरिन की कम खुराक अर्थात् प्रतिरोधी चिकित्सा का उपयोग करके शल्य चिकित्सा की है। हम वास्तव में बहुत प्रसन्न हैं कि भारत जैसे निर्धन देश में एक आम व्यक्ति का प्रतिरोपण आपरेशन किया गया है और हृदय देने वाली एक 35 वर्ष की महिला है। मेरा विश्वास है कि यह शत-प्रतिशत सफल रहेगा। अतः हमें उनकी इस उपलब्धि पर बधाई देनी चाहिये।

मैं इस संबंध में कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में डा॰ वेणुगोपाल और उनके साथियों द्वारा कल की गई हृदय प्रतिरोपण शल्य चिकित्सा, चिकित्सा तथा वैज्ञानिक क्षेत्र में भारत की श्रेष्ठता की एक महत्वपूर्ण घटना है। हम, भारत के लोगों के प्रतिनिधि इस उपलब्धि के लिए अपने चिकित्सा विशेषज्ञों तथा चिकित्सक समुदाय का अभिनन्दन करते हैं।

उन्नत प्रौद्योगिकी वाली जटिल शल्य चिकित्सा देश में विकास तथा आयुर्विज्ञान के विकास के लिए युग की परिचायक होनी चाहिये और यह हमारे देश को विश्व प्रौद्योगिकी के मानचित्र में गौरव का स्थान प्रदान करने हेतु अन्य व्यवसायों के लिए एक आदर्श बननी चाहिये। हमारे लिए यह भी सन्तोष की बात है कि जटिल हृदय रोग से पीड़ित आम व्यक्ति अब अपने जीवन को बचाने के लिए देश में ही चिकित्सा सुविधाओं की अपेक्षा कर सकता है।

अतः, आज हम डा॰ पी॰ वेणुगोपाल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के उनके दल के समर्पित डाक्टरों द्वारा किए गये प्रशंसनीय कार्य के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

प्रो॰ सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : महोदय, डॉ॰ भोई के साथ मैं भी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रख्यात शल्य चिकित्सक डा॰ वेणुगोपाल को भारत के प्रथम सफल हृदय प्रतिरोपण के लिए बधाई देती हूं।

महोदय, डा॰ वेणुगोपाल ने अपने दल के साथ इस विलक्षण कार्य की सफलता के लिए आप्रेशन कक्ष में पांच घन्टे बिताए, यह हमारे आयुर्विज्ञान के इतिहास की अद्वितीय घटना है जिसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं। मैं दाता परिवार के प्रियजन की मृत्यु पर उनके परिवार के दुःख में सहभागी हूं किन्तु मृत व्यक्ति का हृदयदान करने के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए उनकी प्रशंसा करती हूं। यद्यपि आपरेशन पर लगभग 40,000/- रुपये खर्च आता है, किन्तु विदेशों में ऐसे ही मामलों में आने वाली खर्च की अपेक्षा यह कम है, आपरेशन के बाद प्रतिवर्ष लगभग 40,000 रुपये खर्च आता है, ऐसा आपरेशन कराना आम बात नहीं है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि जरूरतमंद लोगों को पूर्ण वित्तीय सहायता देने हेतु आवश्यक प्रबन्ध किए जायें।

डा॰ वसंत पवार (नासिक) : महोदय, डा॰ भोई के साथ मैं भी डा॰ वेणुगोपाल को बधाई देता हूं। यह भारत में हृदय प्रतिरोपण का प्रथम मामला नहीं है। डा॰ एस॰ के॰ सेन ने मुम्बई में यह प्रयास किया था, किन्तु रोगी जीवित नहीं रहा, किन्तु इस मामले में आपरेशन के 30 घन्टे बाद रोगी जीवित है।

मैं मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक पारित करने के लिए सरकार को भी बधाई देता हूं। केवल इसी कारण वह महिला अपने जीवित हृदय को दान कर सकी।

मैं उस परिवार को भी बधाई देता हूं, जिसने पात्र व्यक्ति को जीवित हृदय दान करके पूरे देश में अच्छा सन्देश दिया है। उसने इसे इस कारण दान किया क्योंकि वह मस्तिष्क रुधिर स्राव अथवा मस्तिष्क वृन्त से पीड़ित थी। उसकी मृत्यु होने ही वाली थी, किन्तु उसका दिल धड़क रहा था। मैं इसके लिए दाता परिवार को बधाई देता हूं। यद्यपि जीवित रहने की दर लगभग पांच प्रतिशत है, किन्तु रोगी लगभग 20 वर्ष तक जीवित रह सकता है। हम सभी को भारत में अंग प्रतिरोपण के क्षेत्र में नया युग आने की आशा करनी चाहिये और हम सदैव ऐसे चिकित्सा विशेषज्ञों का समर्थन करते हैं और डा॰ वेणुगोपाल को बधाई देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह सभा इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए डा॰ वेणुगोपाल और उनके दल तथा इस अंग को दान करने हेतु सहमत होने के लिए दाता परिवार को बधाई देती है।

12.09 म॰ प॰

केरल में बाढ़ की स्थिति के बारे में–जारी

श्री पाला के॰ एम॰ मैथ्यू (इडुक्की) : महोदय, मैं सभा का ध्यान अत्यावश्यक लोक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, मुझे पिछले कई दिनों से अनेकों टेलीफोन कॉल प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें यह बताया जा रहा है कि लगभग सारा केरल राज्य पानी में डूबा है। केरल में पिछले तीस वर्षों में सबसे भयंकर बाढ़ आई है। यह समाचार आज प्रातः 'दि हिन्दू' में प्रकाशित हुआ है। पिछले एक सप्ताह से यह समाचार केरल के सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहा है, जिनमें कि स्थिति की अति गम्भीरता तथा अन्य बातें प्रकाशित हो रही हैं। बाढ़ से 143 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दो या तीन दिन पहले यह संख्या 109 थी। प्रतिदिन मरने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। घायलों की संख्या 253 हो गई है। लगभग 17,000 मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए हैं और

40,000 से अधिक मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। अब, 1280 राहत शिविरों में लगभग 40,000 लोग रह रहे हैं। केरल के वित्त मंत्री ने कल विधान सभा में कहा था कि कुल 500 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। केवल केरल में ही विधान सभा की बैठक स्थगित कर दी गई है ताकि सदस्य लोगों के राहत और बचाव के लिए अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जा सकें।

अत:, यह केवल आपदा की ही स्थिति नहीं है बल्कि यह अपने ही विस्फोटक रूप धारण कर चुकी है। गत दो महीनों से केरल में, विशेष रूप से राज्य के उत्तरी भाग में भारी वर्षा हो रही है। पिछले एक सप्ताह से सारे राज्य में दिन-रात मूसलाधार वर्षा हो रही है।

जैसा कि मैंने कहा, कुल नुकसान लगभग 500 करोड़ रुपये का हुआ है। सरकार द्वारा दी गई सहायता बहुत कम है। अत:, मेरा सरकार से अनुरोध है कि सारी स्थिति का पुन: आकलन किया जाये तथा राज्य में नवीनतम घटनाओं, विशेषरूप से पिछले एक-दो दिनों की घटनाओं का नए सिरे से अध्ययन किया जाये और सहायता में पर्याप्त वृद्धि की जाये।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : मेरे मित्र श्री पाला के॰ एम॰ मैथ्यू ने ब्यौरा दे दिया है, इसलिये मैं उनकी फिर से चर्चा नहीं कर रहा हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित है। केरल का पूरा दक्षिणी भाग भी प्रभावित है।

पूरे देश में, कुल 500 व्यक्तियों की मृत्यु हुई; केरल में, 143 व्यक्तियों की मृत्यु हुई; एक-चौथाई से अधिक मौतें केरल में हुई। परन्तु समस्या यह है कि वित्त आयोग के द्वारा किये गये आवंटन के अनुसार हमें आपदा राहत कोष से केवल 23 करोड़ रुपये मिले हैं। राज्य को कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं मिली है। स्थिति अत्यंत गंभीर है।

यदि केन्द्र सरकार केरल राज्य को कुछ विशेष धन का आवंटन नहीं करती है तो स्थिति गंभीर और अति कठिन हो जायेगी।

लगभग 50,000 लोग पहले ही राहत शिविरों में हैं; 17,000 घर नष्ट हो गये हैं; 15,000 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। कृषि फसल को हुई हानि का अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। परन्तु राज्य विधान सभा में यह घोषणा की गयी है कि वह कम से कम 500 करोड़ रुपये है।

कृषि मंत्री जी यहाँ पर हैं मैं आपसे सरकार को यह निदेश देने का अनुरोध करता हूं कि वित मंत्री महोदय को स्थिति की गंभीरता को समझना चाहिये और बाढ़ राहत के लिये अतिरिक्त धनराशि का आवंटन करना चाहिये ताकि हमें केरल राज्य के लिये कम से कम अस्थायी राहत के रूप में 100 करोड़ रुपये मिले।

आज मुझे टेलीफोन पर मेरे राज्य से अनेक संदेश प्राप्त हुए हैं। स्थिति अत्यंत गंभीर है। मैं आपसे केरल राज्य की सहायता करने का अनुरोध करता हूं।

श्री ई॰ अहमद (मंजेरी) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से हमने इन मुद्दों को माननीय कृषि मंत्री के समक्ष उठाया था। अब भी, केरल में बाढ़ की स्थिति में कोई अंतर नहीं आया है। जब राज्य बाढ़ में डूबा हुआ है, तो मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि केन्द्र सरकार किस प्रकार चुप रह सकती है और यह कह सकती है कि वित्त आयोग के अंतर्गत किये गए आवंटन के अनुसार केरल को 23 करोड़ रुपये दिये गये हैं। इस बात

का कोई पूर्वानुमान नहीं कर सकता है। सरकार को लोगों की भावनाओं को और हमारी स्थिति को भी समझना चाहिये।

हम इस समय केरल में 1200 अथवा इससे भी अधिक राहत शिविर चला रहे हैं। राज्य सरकार को केवल उनके रख-रखाव हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता है ? हमारी वर्तमान स्थिति क्या है ?

मैंने सभा में पहले ही इन बातों का उल्लेख किया है। जहां तक केरल के वित्त का संबंध है वह राजकोष से आता है; राजकोष से हमें जो कुछ मिलता है, उसका हम वेतन आदि के रूप में वितरण कर देते हैं। इसलिये हमारी स्थिति अत्यंत गम्भीर है। मैं यह नहीं समझ सकता कि केन्द्र सरकार इस मामले पर चुप्पी क्यों साधे हुए है ?

महोदय, इसलिये हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप कृषि मंत्री को अपने अन्य साथियों के साथ विचार विमर्श या चर्चा, जो कुछ वह ठीक समझें, करने तथा केरल के लिये कम से कम विशेष राहत राशि के रूप में 100 करोड़ रुपये का तत्काल आवंटन करने का निदेश दें।

अध्यक्ष महोदय : क्या कृषि मंत्री अब अथवा मध्याह्न पश्चात उत्तर देना चाहेंगे ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : हम इस पर मध्याह्न पश्चात चर्चा करेंगे। ...(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया यह समझें कि मंत्री महोदय सूचना प्राप्त किये बिना उत्तर नहीं दे पायेंगे। यदि आप चाहते हैं कि वह बिना सूचना प्राप्त किये उत्तर दें तो हम इस बारे में नहीं जानते।

.....(व्यवधान).....

प्रो॰ के॰ वी॰ थामस (एरणाकुलम) : महोदय, लम्बी दूरी की रेल गाड़ियों में यात्रियों को प्राय: परेशान किया जाता है और लूटा जाता है। जो केरलवासी लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में यात्रा करते हैं उन्हें इन गाड़ियों में परेशान किया जा रहा है।

12.15 म॰ प॰

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कुछ दिन पहले मेरे निर्वाचन क्षेत्र का एक परिवार वाराणसी से कुची की यात्रा कर रहा था और आंध्र प्रदेश के बीच उन्हें लूट लिया गया और परिवार के दो लाख रुपये से अधिक लूट लिये गये।

शिकायत लिखाने पर भी, न तो रेलवे सुरक्षा बल और न ही राज्य पुलिस कोई कार्यवाही कर रही है। मैं उन पर यह आरोप नहीं लगा रहा हूं कि रेलवे सुरक्षा बल और राज्य पुलिस लुटेरों की सहायता कर रहे हैं। परन्तु वे कुछ कर नहीं रहे हैं। इसलिये रेल मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में यात्रियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाये और और जो शिकायतें प्राप्त हुयी हैं उन की समुचित जांच की जाये और कार्यवाही की जाये।

[हिन्दी]

श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर (खंडवा) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 16 लाख पावरलूम पर करीब 60 लाख पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक जाति के बुनकर कार्यरत हैं और 3 करोड़ लोगों की आजीविका पावरलूम पर निर्भर करती है। आज की स्थिति में 40 प्रतिशत पावरलूम बंद पड़े हुये हैं कारण सूत के दामों में अत्यधिक वृद्ध होना है। मिल मालिकों ने स्थिति का फायदा उठाते हुये सूत के भाव मनमाने ढंग से बढ़ा दिये हैं। सूत का निर्यात भी अत्यधिक किया गया है। इस कारण लाखों ग्रामीण बुनकर भुखमरी के शिकार हो गये हैं। समस्या दिन प्रतिदिन भयंकर होती जा रही है।

पावरलूम बुनकरों को बैंक से कर्जा नहीं मिल रहा है। व्यापारिक ब्याज दर पर इन्हें रोजगार करना पड़ रहा है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा इस विषय पर विशेष ध्यान देकर पावरलूम बुनकरों को कर्ज दिलाने की आवश्यकता है। सूत के दाम कम करने के लिये सूत का निर्यात एकदम से बंद करना चाहिये नेशनल पावरलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना आवश्यक है। सूत का अधिकतम दाम की छपाई सिर्फ सूत मिलों द्वारा असेशियल कामोडिटी एक्ट के तहत तुरंत लागू करना चाहिये और पावरलूम द्वारा निर्मित वस्त्रों का निर्यात कोटा 45-50 परसेंट कर देना चाहिये। यह भी उचित होगा कि पावरलूम के लिये अलग से एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल की स्थापना की जाये जिसमें बुनकर स्वयं अपने द्वारा निर्मित वस्त्रों को बाहर भेज सकें और अपनी जीविका चला सकें।

[अनुवाद]

श्री पी॰ जी॰ नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : आज तीसरा दिन है जब विपक्षी दल संसदीय कार्यवाही का बायकाट कर रहे हैं और इस स्थिति से अभूतपूर्व गतिरोध उत्पन्न हो गया है।

मेरा निवेदन है कि यह संसदीय प्रणाली के समुचित कार्यकरण के लिये कोई अच्छा शकून नहीं है। सत्तारूढ़ दल तथा विपक्षी दलों, दोनों को ही संसद में उपस्थित रहना चाहिये। महत्वपूर्ण चर्चाएं चल रही हैं और विपक्षी दलों को चर्चा में भाग लेना और अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहिये। विपक्षी की भूमिका महत्वपूर्ण है और उसे किसी तरह भी कम नहीं आंका जा सकता है।

जहां तक माननीय अध्यक्ष जी का संबंध है वह इस समस्या का समाधान करने के बहुत प्रयास कर रहे हैं। उनके प्रयास की सभी को सराहना करनी चाहिए। इस समस्या के समाधान में प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने से कोई काम नहीं चलेगा। इसलिये सरकार को इस समस्या का एक मान्य समाधान ढूंढने के लिये लचीला रुख अपनाना चाहिये।

हम विपक्ष मांगों और तर्कों की पूर्ण उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिये इस गतिरोध को समाप्त करने के लिये कोई मान्य हल ढूंढा जा सकता है। इस गतिरोध को हम निरंतर जारी नहीं रख सकते हैं और इसे और आगे नहीं खींचना चाहिये।

इसलिये यह सुनिश्चित करने हेतु कुछ नवीन कदम उठाने पर विचार किया जाना चाहिये ताकि सभा की कार्यवाही पुनः सामान्य रूप से चल सके।

श्री ई॰ अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, यह अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। हमारी सभा में यह गतिरोध चल रहा है और वह अभूतपूर्व है। जैसा कि श्री नारायणन ने ठीक ही कहा कि विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। विपक्ष के बिना हम सत्र की कार्यवाही किस प्रकार चला सकेंगे ? निस्सदेह, सरकार ने पहले ही समुचित विचार किया है। परन्तु मैं सरकार से पुनः यही अनुरोध करूंगा कि वह किसी झूठी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाये और विपक्षी नेताओं के साथ चर्चा आरम्भ करे। अब तक, केवल अध्यक्ष महोदय ने ही कुछ कदम उठाये हैं। अध्यक्ष महोदय काफी समय से प्रयास कर रहे हैं सरकार तथा विपक्ष को एक साथ लाने का सारा उत्तरदायित्व ले लिया है। सरकार इस सभा की सुचारु कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु इस गतिरोध को समाप्त करने के लिये तत्काल कदम उठाये।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, मैं श्री नारायणन का समर्थन करता हूं। हम सभी जानते हैं कि विपक्ष की भूमिका के बिना, लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। अतः, मैं श्री नारायणन के कथन से सहमत हूं। .....(व्यवधान).....

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नारायणन, वह आपसे सहमत हो रहे हैं।

श्री याइमा सिंह युमनाम : अतः, महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह नया प्रस्ताव लाये ताकि इस कठिनाई पर विजय पायी जा सके।

श्री पी॰ सी॰ थामस (मुवतुपुजा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बंध में मैं एक सुझाव दे रहा हूं। अब प्रश्न यह है कि क्या की गई कार्यवाही रिपोर्ट वापस ली जाए अथवा नहीं। अब विपक्ष ने अत्यधिक कठोर कदम यह उठाया है कि वह केवल इसके वापस लिए जाने के पश्चात् ही सदन में आएगा। सरकार को इसमें कठिनाई हो रही है और यह स्वाभाविक भी है। अब मैं एक सुझाव देता हूं। इसे अब वापस लेना बहुत कठिन है। किन्तु मैं यह सोच रहा था कि क्या इसे मामले पर चर्चा किए जाने तक निलंबित रखा जा सकता है। सरकार इसे केवल कुछ समय के लिए ही निलंबित रखे जिससे हम संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर की जाने वाली कार्यवाही के प्रश्न पर चर्चा कर सकें। और मेरे विचार से कुछ सुझाव सामने आएंगे और फिर इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए सरकार वर्तमान रिपोर्ट में परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकती है। और इसमें मुझे विश्वास है कि कोई कठिनाई भी नहीं आएगी। अतः मेरा विपक्ष और सरकार से यह अनुरोध है कि इसका हल ढूंढा जाए और यह देखा जाए कि क्या मेरा सुझाव स्वीकार किया जा सकता है।

श्री लाईता उम्ब्रे (अरूणाचल पूर्वी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं।

महोदय इस वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में बी॰ ए॰ और बी॰ एस॰ सी॰ में दाखिले के इच्छुक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के साथ घोर अन्याय किया गया है। आवेदन-पत्र जमा कराने के आखिरी दिन कुछ ही घंटे का समय दिया गया था। जब दो नगा स्नातकोत्तर विद्यार्थियों ने दिल्ली विश्व विद्यालय में अपने फार्मों के बारे में जाकर पूछा तो उन्हें बन्दूक की नोक पर शारीरिक रूप से उत्पीड़ित किया गया और बेइज्जत किया गया। अब विद्यार्थी हड़ताल पर हैं। किन्तु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति से संबंधित देश के सुदूर

क्षेत्र से आए इन गरीब विद्यार्थियों को दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा। अत: सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि वह दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरता से निपटे और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ बातचीत करे।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी इस समय सदन में मौजूद हैं और मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर ले जाना चाहता हूं।

काशी हिन्दू विश्व-विद्यालय, वाराणसी के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के अंतर्गत साइको सोमैटिक एण्ड बायो फीड मैडिसिन केन्द्र में काफी समय से आयुर्वेदिक छात्र शोध करते आ रहे हैं। आयुर्वेद से संबंधित इस डिपार्टमेंट में अनेक प्रकार के शोध किये जाते हैं। अभी वहां एक बहुत ही बहुमूल्य अनुसंधान में उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। वहां के छात्रों ने डा० पी० जी० दूबे के नेतृत्व में ब्राह्मी नाम के पौधे से मानवीय स्मृति के क्षरण को रोकने के लिये बहुत ही बहुमूल्य औषधि तैयार की है जिससे माननीय स्मृति के निरंतर होने वाले क्षरण को रोका जा सकता है। हमारे देश के वैद्यों ने उस औषधि की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। इसके अतिरिक्त सभी महत्वपूर्ण अखबारों ने इस औषधि के बारे में विशेष संस्करण छापे हैं या मुख्य रूप से जानकारी प्रकाशित की है क्योंकि उन्होंने इसे बहुत बड़ी सफलता माना है। सैकड़ों आदमियों और बच्चों पर इसका प्रयोग किया गया है और यह औषधि काफी सफल सिद्ध हुई है।

इतना ही नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैल्थ ने 1993 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इस औषधि का जिक्र किया है, इस औषधि की सराहना की है। अमरीका ने तो यहां तक कहा है कि एंजाइम नाम के रोग में इस औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। आज यह भी खुशी की बात है कि प्रश्न संख्या 168 और 169 के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम भारतीय औषधियों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया था कि सभी भारतीय आयुर्वेदिक औषधियों के विस्तार पर पूरा पूरा ध्यान भारत सरकार की ओर से दिया जायेगा लेकिन आज मुझे यह कहते हुये दुख है कि जहां अमेरिका और जर्मनी आदि देश हमारी औषधियों में रुचि ले रहे हैं, वहां काशी हिन्दू विश्व-विद्यालय के इस अनुसधान को प्रमुखता दी जा रही है, अखबारों में मुख्य रूप से प्रकाशित किया जा रहा है, अनेकों विदेशी लोग यहां आकर इस औषधि को ले जा रहे हैं, वहीं हमारी सरकार और आयुर्वेद से संबंधित चिकित्सा विज्ञान संस्थान मौन बैठा हुआ है। अनेकों पूंजीपति कम्पनियां इस शोध को प्राइवेट रूप से खरीदने के लिये तैयार हैं, डा० पी० जी० दूबे पर अनेक तरह से दबाव डाला जा रहा है कि अपने इस अनुसंधान को, इस औषधि को उन्हें बेच दें और वे हमारी सरकार को बार-बार लिख रहे हैं कि इस औषधि को पेटैंट कर दिया जाये परन्तु उनके प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारी सरकार खामोश बैठी है।

इतना ही नहीं, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्रो० (डा०) जे० एन० ओझा द्वारा काशी हिन्दू विश्व-विद्यालय में डायबिटीज से संबंधित एक बहुत ही प्रभावी और बहुमूल्य औषधि इजाद की गयी

है जिसके केवल एक महीने के सेवन से डायबटीज जैसी बीमारी एकदम हमेशा हमेशा के लिये समाप्त हो जाती है। अनेकों विदेशी लोग वहां आकर इस औषधि को ले जा रहे हैं लेकिन हमारी सरकार इस मामले में भी खामोश है।

मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि काशी हिन्दू विश्व-विद्यालय में जो लोग इन दिनों रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, उनके द्वारा आविष्कार की गयी औषधियों को पेटैंट कराने की व्यवस्था तुरन्त भारत सरकार को करनी चाहिये तथा कारगर ढंग से उन औषधियों को देश में प्रचारित भी कराया जाये।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार की सहरसा कोसी प्रमंडल औद्योगिक रूप से काफी पिछड़ा है, पिछड़ा हुआ तो वह है ही और मैं भी पिछड़े वर्ग से आता हूं। मेरा इलाका औद्योगिक रूप से बहुत पिछड़ा है जिसे 10 वर्ष पूर्व भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा घोषित किया गया था। यहां पर अनेकों बार, आपके सामने वहां की समस्याओं को उठाने के बाद बिहार सरकार की आंख खुली, नींद खुली तो उसने 2-3 चीनी मिलों को खोलने का प्रस्ताव भारत सरकार के पास अनुशंसित करके भेजा लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि वह प्रस्ताव जो कि अब तक यहां के खाद्य मंत्रालय से स्वीकृत होकर वापस भेज दिया जाना चाहिये था, वह अभी तक वापस नहीं भेजा गया है, उसकी फाइल में औब्जैक्शन लगाया गया है और उसे पैंडिंग डाल दिया गया है।

वह पिछड़ा इलाका है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि सहरसा, सुपौल और मधेपुरा के लिए चीनी मिल की स्वीकृति प्रदान करें।

[अनुवाद]

***श्री वी. एस. विजयराघवन** (पायलट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे गृह राज्य केरल में घटित एक महत्वपूर्ण मामले की ओर इस सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजनैतिक नेताओं के लिए आज हमारे प्रिय राष्ट्रीय नेताओं के बारे निंदात्मक टिप्पणी करना आम बात हो गई है। सी. पी. एम. के एक शीर्ष नेता ने हाल ही में एक सार्वजनिक वक्तव्य में कहा कि महात्मा गान्धी, पटेल, लोकमान्य तिलक, मौलाना आजाद और फ्रंटियर गान्धी जैसे राष्ट्रीय नेता धार्मिक कट्टरवादी थे और उनके तथा इब्राहिम सुलेमान सेट और मदानी जैसे लोगों के बीच कोई फर्क नहीं है। यह वक्तव्य न केवल असत्य है बल्कि इससे हमारे देश के इन सम्मानीय नेताओं के प्रति जन सामान्य के दिमाग में बहुत ही गलत धारणाएं पैदा हो जाएंगी। मेरे विचार से ऐसे निंदनीय प्रयासों के विरुद्ध जिनमें इन नेताओं की निंदा की गई ये जनमत तैयार करना संसद की जिम्मेदारी है। मैं यही कहना चाहूंगा कि संसद को इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री अनादिचरण दास (जाजपुर) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह मामला उठाना चाहूंगा।

भारतीय कपड़ा निगम (पूर्वी क्षेत्र) की केवल सूती धागे का उत्पादन करने वाली सहायक कम्पनियों में से एक उड़ीसा काटन मिल्स है। इस मिल में इस समय कुल 850 श्रमिक (तकनीकी और गैर-तकनीकी को मिलाकर)

*मूलत: मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

कार्यरत हैं। यह मिल प्रबंधन की ओर से कुप्रबंध और कुप्रशासन के कारण कथित रूप से भारी हानि उठा रही है। यद्यपि इस मिल को 1988 में "बेहतर कार्यकरण प्रमाण-पत्र" प्रदान किया गया था। फिर भी यह देखकर आश्चर्य होता है कि प्रबंधन को अब श्रमिकों अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन दिए जाने में ही कठिनाई हो रही है। प्रबंधन ने कर्मचारियों से विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृति लेने के लिए पहले ही कह दिया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कर्मचारियों को प्रबंधन द्वारा बेहद तंग किया जा रहा है। दूसरी ओर वहां के महाप्रबंधक ने अवैध तरीके से भारी सम्पत्ति अर्जित कर ली है।

अत: मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वह मिल को चलाने के लिए आवश्यक प्रबंध करे और प्रबंधकों द्वारा सम्पत्ति अर्जित किए जाने के संबंध में जांच भी करे।

श्री ओस्कर फर्नान्डीज (उदीपी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर होनावर में आवती पुल को कई वर्षों से असुरक्षित घोषित कर रखा है और वहां से भारी यातायात के गुजरने पर पाबंदी लगी हुई है। इस संदर्भ में वैकल्पिक व्यवस्था यह है कि भारी वाहनों और बसों को नौकाओं के द्वारा रास्ता पार कराया जाता है। इसके कारण दुर्घटनाएं भी हुई हैं। मेरे विचार से यदि इस महत्वपूर्ण पुल पर मरम्मत का कार्य शीघ्र नहीं शुरू कराया जाता तो कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ेगा यदि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 जैसे महत्वपूर्ण मार्ग पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो पूरे स्थानीय जन-जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अत: मेरा जलभूतल परिवहन मंत्रालय से यह विनम्र अनुरोध है कि वह इस पुल पर मरम्मत कार्य शीघ्रताशीघ्र आरम्भ करे।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल सिंह यादव (शाहजहांपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एडलटरेटेड शराब बिकने से दिल्ली और बाहर हर साल अनेकों मौतें होती हैं। जगतजीत इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पंजाब, जो तथाकथित रैपुटेड फैक्ट्री है, ऐरीस्टोक्रैट शराब बनाती हैं। उनकी शराब की बोतल में मक्खी पड़ी हुई थी। मैंने लिखकर दिया था और साथ में फोटो भी दिया था जिसमें ऐरीस्टोक्रैट शराब की बोतल में मक्खी पडी है। यदि ऐसी कम्पनी में शराब में भी मक्खी पड़ी होगी तो यह बहुत खतरनाक है। मेरी सरकार से मांग है कि इसे गंभीरता से लें और इसकी जांच कराए ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति न हो।

[अनुवाद]

12.36 म॰ प॰

सभा पटल पर रखे गये पत्र

प्रधान मंत्री की रूस यात्रा के बारे में 25 जुलाई, 1994 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया) : मैं प्रधान मंत्री की रूस यात्रा के बारे में डा॰ साक्षीजी महाराज स्वामी द्वारा 25 जुलाई, 1994 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 6194/94]

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (संशोधन) नियम, 1994 और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1994

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (संशोधन) नियम, 1994, जो 21 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 233 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 6195/94]

(2) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1994, जो 2 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 155 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 6196/94]

हास्पिटल सर्विसेज कंसल्टेन्सी कारपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

(एक) हास्पिटल सर्विसेज कंसल्टेन्सी कारपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हास्पिटल सर्विसेज कंसल्टेन्सी कारपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 6197/94]

भारतीय परिचर्या परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों आदि को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) भारतीय परिचर्या, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय परिचर्या परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 6198/94]

(3) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड तथा परिवार कल्याण विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) के बीच वर्ष 1994-95 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 6199/94]

(4) (एक) केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 6200/94]

12.37 म॰ प॰

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) चांदा फोर्ट रेलवे स्टेशन को ऐतिहासिक स्मारक के रूप में सुरक्षित रखने की आवश्यकता

श्री शांताराम पोतदुखे (चन्द्रपुर) : महोदय, चांदा फोर्ट रेलवे स्टेशन दक्षिण पूर्व रेलवे का छोटी लाइन वाला टर्मिनल स्टेशन है। चूंकि इस मार्ग को बड़ी लाइन से बदलने की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए टर्मिनल स्टेशन के लिए बड़ी लाइन नए स्थान पर रेलवे स्टेशन का प्रस्ताव किया गया है। यह रेलवे स्टेशन चन्द्रपुर शहर नगरपालिका की सीमा में स्थित है। चांदा फोर्ट टर्मिनल स्टेशन होने के कारण यहां टर्न टेबिल, रेलवे स्टेशन का पुराना भवन, पानी की टंकी आदि जैसी सुविधाएं थी। आमान परिवर्तन के बाद इस टर्मिनल को आदर्श लघु रेलवे ऐतिहासिक दर्शनीय स्मारक के रूप में बदला जा सकता है। इस स्टेशन के संरक्षण के लिए चन्द्रपुर के लोगों ने रेल मंत्रालय को इस लघु रेलवे प्रदर्शनी के रखरखाव तथा संरक्षण और इस क्षेत्र में वन रोपण संबंधी प्रस्ताव भेजा है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में इस स्टेशन का संरक्षण किया जाये तथा चन्द्रपुर के लोगों द्वारा भेजे गये इसके संरक्षण और रखरखाव संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाये।

(दो) मुम्बई और नासिक के बीच एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता

डा॰ वसंत पवार (नासिक) : महोदय, महाराष्ट्र में नासिक जिला कृषि और उद्योग के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। इसके अतिरिक्त इसके चारों ओर त्रयम्बकेश्वर, सिरड़ी आदि जैसे तीर्थ स्थल हैं। यहां से अनेक औद्योगिक और कृषि उत्पाद देश के विभिन्न भागों में भेजे जाते हैं तथा विदेशों को निर्यात किए जाते हैं। काफी समय से दी जा रही जोरदार मांग के बाद मुम्बई और नासिक के बीच तपोवन एक्सप्रैस चलाई गई थी। किन्तु बाद में इसे परभनी तक चलाया गया। इसके परिणाम स्वरूप परभनी और नासिक दोनों स्थानों के दैनिक यात्रियों का अहित हुआ है। मराठवाड़ा के यात्रियों को बिना शयनयानों के घंटों चेयर कार रेलगाड़ी से यात्रा करनी पड़ती है और नासिक के यात्रियों को तपोवन एक्सप्रैस में अधिक स्थान नहीं मिलता है इससे मुम्बई और नासिक के बीच आने-जाने वाले व्यापारियों तथा तीर्थयात्रियों को असुविधा हुई है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि पुणे और मुम्बई की ही तरह मुम्बई और नासिक के बीच एक नई सुपरफास्ट चेयर कार रेलगाड़ी चलाई जाये। चूंकि नासिक में विद्युत अनुसन्धान संस्थान स्थित है, इसलिए यदि इस सुपरफास्ट रेलगाड़ी के लिए नासिक ओधा को अन्तिम स्टेशन बना दिया जाये, तो रेलगाड़ी रखरखाव की सुविधा काफी किफायती हो जायेगी। नासिक में मोटर कर्षण कार्यशाला भी है, जो नई रेल सेवा के रखरखाव में भी उपयोगी होगी।

(तीन) मेट्रो रेलवे द्वारा किए गए निर्माण कार्यों के कारण चित्तरंजन एवेन्यू, कलकत्ता में एक भवन के गिर जाने से प्रभावित परिवारों को पर्याप्त सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा॰ देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर-पश्चिमी) : महोदय, मैं सभा का ध्यान मेट्रो रेलवे के निर्माण कार्यों के कारण अपने चुनाव क्षेत्र में 191, चित्तरंजन एवेन्यू, कलकत्ता में एक छः मंजिली इमारत के गिर जाने के कारण हुई तबाही की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसके कारण 21 परिवार गम्भीर रूप से प्रभावित हो गए हैं और छः दुकानें भी प्रभावित हुई हैं। बेघर हुए ये परिवार पर्याप्त सुरक्षा और भोजन के अभाव में एक कमरे में ही रह रहे हैं। मेट्रो रेलवे के निर्माण कार्य के कारण इस क्षेत्र की कुछ अन्य इमारतों के भी गिरने की संभावना है।

मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करें और मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वह जांच करने के लिए एक केन्द्रीय दल वहां भेजे और प्रभावित परिवारों को पर्याप्त राहत दे तथा उनका शीघ्र पुनर्वास करे। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में अन्य इमारतों को गिरने से बचाने के लिए शीघ्र उपाय किए जायें।

(चार) तमिलनाडु के चिंगल पट्टु जिले में नई बस्तियों के निवासियों को बेहतर रेल सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता

श्री एस॰ एस॰ आर॰ राजेन्द्र कुमार (चिंगलपट्टु) : महोदय, चिंगलपट्टु की सीमाएं तेजी से विकसित हो रहे मद्रास महानगर से लगी हैं। इन उपनगरीय क्षेत्रों में नई बस्तियों के साथ-साथ व्यावसायिक केन्द्र, फैक्ट्रियां तथा शिक्षा संस्थाएं स्थित हैं। मद्रास और चेंगलपेट के बीच एक नया टाऊनशिप मरईमलई नगर बसा है। इन उपनगरीय क्षेत्रों में बहुत से लोग बसे हैं। मैं एक महत्वपूर्ण समस्या की जानकारी केन्द्रीय सरकार को देना चाहता हूं जिसका सामना यहां के निवासियों को अपने दैनिक जीवन में करना पड़ता है। वहां के निवासियों को प्रतिदिन दफ्तर, शिक्षा

संस्थाओं या व्यावसायिक केन्द्र जाने के लिए उपनगरीय विद्युत रेलगाड़ियों पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। मद्रास और चेंगलपेट के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों की संख्या समिति है। इससे इस क्षेत्र के दैनिक रेलयात्रियों को काफी कठिनाई होती है। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि मद्रास और चेंगलपेट के बीच चलने वाली सभी उपनगरीय रेलगाड़ियां पोथेरी और मरईमलई नगर स्टेशनों पर रूकें।

(पांच) आचार्य विनोवा भावे की जन्मशती मनाने की आवश्यकता

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : हमारे राष्ट्र के एक महान आध्यात्मिक चिन्तक और महात्मा गांधी के एक महान शिष्य आचार्य विनोबा भावे की जन्म शताब्दी 11 सितम्बर 1994 से आरंभ होती है। उन्होंने अहिंसा और शान्तिपूर्ण उपायों से सामाजिक और आर्थिक समानता लाने संबंधी अपने महान उद्देश्य के निमित 13 वर्षों से अधिक समय तक पूरे देश की पदयात्रा की। वह महान स्वतन्त्रता सेनानी और शांतिदूत थे जिन्होंने मानवता की भलाई के लिए विज्ञान को आध्यात्मिकता से जोड़ा।

राष्ट्र के अन्य सभी राष्ट्रीय नेताओं की भांति सर्वोदय आन्दोलन के इस प्रणेता के प्रति सम्मान व्यक्त करना राष्ट्र का कर्तव्य है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह आचार्य विनोवा भावे की जन्म शताब्दी जो 11 सितम्बर, 1994 से आरंभ होती है, मनाने के लिए राष्ट्र व्यापी कार्यक्रम आरंभ करे।

(छः) दिल्ली-भुवनेश्वर के बीच रविवार को उड़ानें पुनः चालू करने और भुवनेश्वर झारसुगुड़ा-राउरकेला और झारसुगुड़ा-राउरकेला-कलकत्ता के बीच एअर टैक्सी सेवाएं भी चालू करने की आवश्यकता

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : महोदय, भुवनेश्वर, राज्य की राजधानी होने के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल भी है और विश्व प्रसिद्ध स्वार्णिम त्रिकोण पुरी, कोणार्क तथा भुवनेश्वर में प्रवेश के लिए पर्यटकों का प्रवेश स्थल है। इस प्रकार दुनिया के विभिन्न भागों और विशेषकर केन्द्र की राजधानी दिल्ली से भारी संख्या में अधिकारी, व्यवसायी, तीर्थयात्री तथा पर्यटक विमान से भुवनेश्वर आते हैं। गत कई महीनों से दिल्ली-भुवनेश्वर के बीच रविवार की उड़ान बन्द किए जाने के कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी तथा संसद सदस्य जैसे जनप्रतिनिधियों को भी, जो दिल्ली में अगले दिन अपने काम पर जाने के लिए रविवार की यात्रा करना पसन्द करते हैं—इस क्षेत्र में रविवार की उड़ान न मिलने के कारण असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं नागर विमानन मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह स्थिति को भुवनेश्वर के बीच रविवार की उड़ान को पुनः शुरु करने के लिए तुरंत कदम उठाएं। इसके अतिरिक्त पश्चिम उड़ीसा के प्रवेश द्वार झारसुगुड़ा के बढ़ते महत्व को देखते हुए यहां स्थित विमानपत्तन को बन्द न किया जाए। साथ ही विमानपत्तन के नवीनीकरण किये जाने तथा इसके उचित रख-रखाव की आवश्यकता है। राज्य के इस औद्योगिक क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए भुवनेश्वर-झारसुगुड़ा-राउरकेला और झारसुगुड़ा राउरकेला-कलकत्ता के बीच एअर टैक्सी सेवा शुरु करने के लिए कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।

(सात) मणिपुर में लोकटक डाउन स्ट्रीम पनबिजली परियोजना को स्वीकृति देने की आवश्यकता

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, मणिपुर सरकार ने लोकटक डाउन स्ट्रीम

पनबिजली परियोजना पर स्वीकृति देने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है। परन्तु, यह प्रस्ताव पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास गत दो वर्षों से लंबित है। इसे योजना और विकास विभाग ने स्वीकृत कर दिया है।

मैं केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस परियोजना को लोकहित में यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान करे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधायी कार्य करेंगे। श्री एच० आर० भारद्वाज।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इससे पहले कि मंत्री महोदय विधायी कार्य आरम्भ करें विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक पर चर्चा हो जाने के पश्चात् हम मणिपुर राज्य के अनुदानों की मांगों पर विचार आरम्भ करेंगे और उसके बाद नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन विधेयक पर विचार किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आशा करता हूं कि यह सभा इस प्रस्ताव से सहमत है।

12.46 म० प०

विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1987, राज्य सभा द्वारा यथा पारित में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

संविधान के अनुच्छेद 39क के अनुसार कानूनी सहायता संवैधानिक आदेश है जो यह देखता है कि कोई नागरिक आर्थिक और अन्य कमी के कारण न्याय पाने की सुविधाओं से वंचित न रहे।

भारत सरकार ने अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करते हुए कानूनी सहायता योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संकल्प दिनांक 26 दिसंबर, 1980 के द्वारा पहले तीन वर्षों के लिए उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी० एन० भगवती की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। उक्त समिति को देशभर में समानरूप से व्यापक कानूनी सहायता योजनाएं तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। उक्त समिति का कार्यकाल समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है। वर्तमान समिति का पुनर्गठन करने के पश्चात् भारत के मुख्य न्यायाधीश को मुख्य संरक्षक (पैट्रन-इन-चीफ) बनाया गया है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए० एम० अहमदी को इसका कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और अन्य पदाधिकारी रखे गए हैं तथा इस समिति का कार्यकाल 13.11.1994 तक अथवा विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम के प्रभावी होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दी गई है।

उक्त समिति ने अपने गठन के बाद यह देखा कि देश में किसी न किसी रूप में कानूनी सहायता दी जा रही है। समिति ने, कानूनी सहायता सेवाओं के समानरूप से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, एक माडल योजना तैयार की है जिसमें कानूनी सहायता कार्यक्रम का ढांचा दिया गया है। इसमें यह परिकल्पना भी

की गई है कि राज्य में शीर्ष संस्था के रूप में राज्य कानूनी सहायता और परामर्श बोर्ड और उच्च न्यायालय, जिला और ताल्लुक स्तर पर समितियां गठित की जायें ताकि मुकद्मा लड़ने वालों को शीघ्रता से और कम खर्चे में न्याय मिल सके।

भारत सरकार ने जुलाई, 1981 में उच्चतम न्यायालय कानूनी सहायता समिति भी गठित की है जिसकी, इस समय, अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी॰ बी॰ सावंत कर रहे हैं।

माडल योजना के अनुसार कोई नागरिक जिसकी सभी स्रोतों से आय 6,000 रुपये में अधिक नहीं है वह निचली और उच्च न्यायालय के मामलों के संबंध में नि:शुल्क कानूनी सहायता पाने का हकदार है और उच्चतम न्यायालय के मामलों के संबंध में यह सीमा 9,000 रुपये है।

इसके अलावा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग, महिलाएं, और बच्चे, चाहे उनकी आय सीमा कुछ भी हो, इसी तरह से नि:शुल्क कानूनी सहायता पाने के हकदार हैं। इस विधेयक में उक्त सीमा को उच्च-न्यायालय के मामले में 9,000 रुपये और उच्चतम न्यायालय के मामले के लिए 12,000 रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

देशभर में राज्य कानूनी सहायता और परामर्श बोर्ड और कानूनी सहायता समितियों द्वारा कानूनी सहायता दी जा रही है। 10 मई, 1994 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में 10,01,289 लोगों को, और अनुसूचित जातियों के 3,10,462 लोगों को अनुसूचित जातियों के 1,70,118 लोगों को, पिछड़े वर्गों के 64,259 लोगों को, 1,73,879 महिलाओं को और 7,491 बच्चों को नि:शुल्क कानूनी सहायता दी गई है।

समिति ने कानूनी सहायता कार्यक्रम के नीतिगत मामले में जिन विषयों पर बहुत जोर दिया वह इस प्रकार हैं—कानूनी जानकारी को बढ़ावा देना; विश्वविद्यालयों और विधि महाविद्यालयों में कानूनी सहायता केन्द्रों की स्थापना; अर्द्ध विधिवेत्ताओं को प्रशिक्षण, जनहित मुकदमों को बढ़ावा देना; ग्रामीण अर्हता और कानूनी सहायता केन्द्रों की स्थापना; कानूनी सहायता शिविरों और लोक अदालतों का आयोजन। कानून साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत समिति हिन्दी और अंग्रेजी में पृथक-पृथक "लीगल एड न्यूज लेटर" नामक त्रैमासिक 'हाउस बुलेटिन' प्रकाशित कर रही है। इसके लिए टेलिविजन, आकाशवाणी जैसे जन प्रचार माध्यमों का भी उपयोग किया जा रहा है। लोक अदालतें और कानूनी सहायता के विभिन्न पहलुओं के बारे में वृत्त चित्र और विडियो फिल्में तैयार की जा रही हैं। कानूनी जानकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए बुकलेट, फैमफ्लेट, ब्रोचर और पोस्टर आदि के प्रकाशन हेतु उक्त समिति विभिन्न संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

लोक अदालत जो कानूनी सहायता शिविर का नवीनतम रूप है और यह निचले स्तर पर विवादों को निपटने के मामले में कारगर और सफल वैकल्पिक मंच रहे हैं। 10 मई, 1994 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देशभर में 9,331 लोक अदालतें आयोजित की गई जिसमें 44,61,565 मामले निपटाये गए और इसमें मोटर दुर्घटनाओं के 2,30,276 दावे निपटाए गए जिसमें 503,18,24,862 रुपये के हर्जाने का भुगतान किया गया।

चूंकि ये सभी कार्यक्रम अस्थायी आधार पर चल रहे हैं, सरकार ने विधिक सेवाएं प्राधिकारी विधेयक, 1987 को इस सम्मानित सभा में 27.8.1987 को पारित कराया और राज्य सभा ने इस विधेयक को 31.8.1987

को पारित किया और राष्ट्रपति ने उक्त विधेयक पर 11.10.1987 को स्वीकृति प्रदान की। परन्तु, यह लागू नहीं हो सका क्योंकि कुछ माननीय न्यायाधीशों ने इसमें कतिपय संशोधन करने की इच्छा प्रकट की ताकि इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी भागीदारी के अनुरूप बनाया जा सके। दिल्ली में 23-24 अप्रैल, 1988 को भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर॰ एस॰ पाठक की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ और इसमें कुछ माननीय न्यायाधीशों और राज्य कानूनी सहायता बोर्ड के चेयरमैन के विचार प्राप्त कर तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिश के आधार पर कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया गया था और इन्हें विधेयक में अंतर्विष्ट किया जा रहा था।

इस प्रस्ताव पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् ये संशोधन उपयुक्त पाए गए और इसी कारण से इन्हें पुर:स्थापित किया जा रहा है। इस सम्मानित सभा द्वारा विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किए जाने से पहले नौवी लोक सभा भंग हो गई और इसके परिणामस्वरूप विधेयक असंगत हो गया।

इसलिए यह विधेयक राज्य सभा में पुन: पुर: स्थापित किया जाना था, जिसने इसे 3.3.1992 को पारित कर दिया था। वर्तमान विधेयक में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और ताल्लुक स्तर पर क्रमश: खण्ड 3क, 8क, और 11क के अंतर्गत कानूनी सहायता समितियों के गठन संबंधी प्रावधान शामिल हैं। इस प्रकार के प्रावधान फिलहाल पूर्व अधिनियम में नहीं रखे गए हैं।

सामने आए व्यावहारिक अनुभव के आधार पर लोक अदालतों को अधिक क्रियाशील और प्रभावी बनाने के विचार से धारिता और क्षेत्राधिकार से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 19 और 20 को नया रूप प्रदान किया गया है।

खण्ड 2, 27 और 28 में परिभाषाएं की गई हैं और परिणामी स्थिति में नियम तथा विनियम बनाने का प्रावधान भी है।

इस तथ्य के विचारार्थ कि कानूनी सहायता कार्यक्रमों को वर्तमान में न्यायपालिका द्वारा चलाया जाता है और इनकी निगरानी रखी जाती है, इसलिए सरकार ने इस विधेयक को पुन:स्थापित करके भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीशों के सुझावों को स्वीकार करने का निर्णय लिया जिसमें (i) राज्य कानूनी सहायता बोर्डों के गठन में एकरूपता; (ii) मुन्सिफ-न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक नि:शुल्क कानूनी सेवाएं हासिल करने हेतु पात्रता के मामले में आय की अधिकतम सीमा में वृद्धि करना (iii) देश में कानूनी सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में न्यायपालिका की सक्रीय भागीदारी; और (iv) लोक अदालतों को अधिक प्रभावी और क्रियाशील बनाने के उद्देश्य से इन्हें एक संस्था का रूप प्रदान करने संबंधी प्रावधान किए जाने की बात कही गई है।

इसलिए मैं इस विधेयक को विचार तथा पारित किए जाने हेतु इस सम्माननीय सभा के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राज्य सभा द्वारा यथापारित विधि सेवाएं प्राधिकार अधिनियम 1987 में संशोधन हेतु विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस विषय हेतु दो घंटे का समय आबंटित किया गया है। अभी यहां पर आठ लोगों के नाम हैं। मैं श्री विजय एन. पाटील को बोलने का अवसर प्रदान करता हूं।

श्री विजय एन॰ पाटील (इरनदोल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। किन्तु इसके साथ-साथ मुझे यह बात समझ में नहीं आई है कि सरकार ने इस माननीय सभा में यह विधेयक प्रस्तुत करने में इतना अधिक समय क्यों लिया है जबकि राज्य सभा ने इसे $2\frac{1}{2}$ वर्ष पूर्व ही पारित कर दिया था। यह विधेयक पहले ही लाया जाना चाहिए था।

हमारे देश में मुकद्दमेबाजी बढ़ रही है। केवल उच्चतम न्यायालय में ही प्रतिवर्ष लगभग 30,000 अथवा इससे भी अधिक विशेष अनुमति याचिकाएं दर्ज की जाती हैं और इन हजारों अनुमति याचिकाओं में से कई मामलों में प्रतिवादी अथवा वादी बहुत गरीब होते हैं। अत: इन प्रतिवादी अथवा वादियों को कानूनी सहायता प्रदान करने का मामला अत्यधिक महत्त्व रखता है। किन्तु यदि हम कानूनी सहायता के लिए इस समिति को प्रदान किए गए धन को देखें तो पाएंगे कि प्राधिकरण का बजट और अन्य खर्चे 10 करोड़ रुपए के भी नहीं हैं और इससे अत्यधिक लाभ उठाया जाना है। अत: इस प्रयोजन हेतु बजट में वृद्धि की जानी चाहिए।

माननीय मंत्री महोदय ने लोक अदालतों के बारे में उल्लेख किया है। ये काफी उपयोगी सिद्ध हुई हैं। इसी प्रकार से कानूनी सहायता प्राधिकरण के माध्यम से कानूनी विभाग के कार्यक्रम में भी कानूनी जानकारी कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने के लिए पर्याप्त धन और प्रयास तथा विभिन्न स्तरों पर संगठन की जरूरत है। अन्यथा कानूनी जागरूकता नहीं पैदा की जा सकती। प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी जानकारी होने भी अपेक्षित है। हमारे में से कई लोग कानून नहीं पढ़ते। जब हमारे विरुद्ध कोई मामला दर्ज होता है अथवा कोई कानूनी कार्यवाही होती है तभी हम कानूनी संबंधी दस्तावेजों अथवा विभिन्न प्रकार के कानूनों को पढ़ते हैं। किन्तु देश में प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा है कि उसे कानून की जानकारी हो और इसमें हुए संशोधनों तथा नए कानूनों की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए कानूनी शिक्षा कार्यक्रम का बहुत महत्व है और यह व्यापक होना चाहिए, यह बड़े पैमाने पर चलाया जाना चाहिए, इसे गांव के स्तर पर चलाया जाना चाहिए और दूर-दराज के क्षेत्रों के गरीब लोगों तक चलाया जाना चाहिए। यह कार्यभाग कानूनी सहायता प्राधिकरण द्वारा नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए सरकार को विशिष्ट प्रयास करने होंगे।

आजकल जनहित में मुकद्दमे चलाने की अवधारणा भी जोर पकड़ती जा रही है। यह बात हाल ही में उत्पन्न हुई है और कई लोग न्यायालय में बहुमत का पक्ष लेने के लिए आते हैं और यही प्रक्रिया जनहित मुकद्दमेबाजी की है। यह केवल मेरी शिकायत ही नहीं है बल्कि यह तो क्षेत्र अथवा राज्यों से भी लोगों की शिकायत है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने पिछले कई वर्षों में लगी लोक अदालतों की संख्या नौ हजार बताई है। यदि तालुक स्तर पर लोक अदालत खोली जाएं तो हमारे पास देशभर में लगभग 550 जिले हैं और प्रत्येक जिले को दस तालुकों से गुणा किया जा सकता है। इस प्रकार से यह संख्या पांच हजार से भी अधिक बनती है और इसके अतिरिक्त ऐसे कस्बे भी हैं जहां पर इन तालुकों के अतिरिक्त लोक अदालतों की स्थापना की जा सकती है। इस प्रकार से यह आंकड़ा कुल मिलकर छ: हजार से भी अधिक पहुंच जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण मध्याह्न भोजन के बाद जारी रख सकते हैं। सभा की बैठक 2 म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

1.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.12 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.12 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विजय एन० पाटील, आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री विजय एन० पाटील (इरनदोल) : महोदय, मैं लोक अदालत का जिक्र कर रहा था। न्यायाधीश भगवती द्वारा प्रचारित और न्यायाधीश चन्द्रचूड़ और उनके बाद के न्यायाधीशों द्वारा प्रोत्साहन किए जाने से लोक अदालत की अवधारणा को पर्याप्त समर्थन मिला है। किन्तु यह देखने के लिए प्रयास किए जाने की जरूरत है कि ये लोक अदालतें नियमित रूप से और जरूरत के प्रायः सभी स्थानों पर लगाए जाने की आवश्यकता है।

जैसा कि हम जानते हैं कि लोक अदालतों में पार्टियों के बीच एक समझौता कराया जाता है। इस प्रकार से मुकद्दमेबाज भाई-भाई और पति तथा पत्नी एक हो जाते हैं। उनमें दुश्मनी कम हो जाती है। विशेष रूप से मोटर दुर्घटना के दावों में ये अदालतें काफी सफल सिद्ध हुई हैं। यह अनुमान है कि मोटर दुर्घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों को 500 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया जाता है। इसीलिए मैं जोर दे रहा हूं कि लोक अदालतों को अधिक लोकप्रिय बनाया जाए। इस प्रयोजन के लिए, राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार और विधि विभागों को सामूहिक और समन्वित प्रयास करने चाहिए।

यह अच्छी बात है कि कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए आय सीमा बढ़ा दी गयी है। किन्तु बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए यह सीमा अभी भी कम रही है। आय सीमा के सम्बन्ध में अब यह प्रावधान किया गया है :–

"(ज) यदि मामला उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त अन्य किसी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो, तो नौ हजार रुपए से कम अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित इस प्रकार की कुछ अधिक राशि और मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने की अवस्था में बारह हजार रुपए से कम अथवा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित इस प्रकार की कुछ अधिक राशि, वार्षिक आय के रूप में प्राप्त की जा रही हो।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं। ऐसे मामलों में भी, जिनमें निचली अदालत और उच्च न्यायालय गरीब व्यक्ति के पक्ष में समवर्ती निर्णय दे देता है, प्रतिपक्षी जो धनी हो, उसे उच्चतम न्यायालय में घसीटने का प्रयास करता है। इससे गरीब आदमी को कष्ट का अनुभव होता है क्योंकि उसे अपने जन्मस्थान से उच्चतम न्यायालय में कभी प्रतिकारक शपथ पत्र दाखिल करने और कभी याचिका दायर करने के लिए दिल्ली

आना पड़ता है। इस संबंध में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि यदि निचली अदालत और उच्च-न्यायालय ने उसके पक्ष में समवर्ती निर्णय दिया है और उच्चतम न्यायालय के मामले में वह अकेला प्रतिवादी है तो उसे कानूनी सहायता के अतिरिक्त आने-जाने के लिए द्वितीय श्रेणी का रेल किराया भी दिया जाना चाहिए। इससे उसका वित्तीय भार कुछ कम होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इसके लिए बहुत कम वित्तीय आवंटन किया गया है। 1987 के बजट प्राक्कलन में, जैसा कि वित्तीय ज्ञापन में बताया गया है, इस प्रयोजनार्थ केवल 73 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी। वर्ष 1991-92 के स्वीकृत बजट में इसके लिए 59 लाख रुपये मंजूर किए गये। निर्वाह-व्यय में वृद्धि को देखते हुए यह राशि बहुत कम है। मेरा अनुरोध है कि इस स्थिति में कानूनी सहायता के लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन हेतु कोई कार्यवाही की जानी चाहिए। वित्तीय ज्ञापन के पैरा 5 में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस विधेयक में केन्द्रीय प्राधिकरण और उच्चतम-न्यायालय कानूनी सहायता समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान के अलावा और किसी प्रकार के अतिरिक्त वित्तीय परिव्यय की व्यवस्था नहीं की गई है। हम अच्छे अधिवक्ताओं को नियुक्त करके मुफ्त कानूनी सहायता देने के बारे में सोच रहे हैं ताकि गरीब लोगों को गरीबी की बाधा दूर करके न्याय दिलाया जा सके। यदि इसके लिए आवंटन कम किया जाएगा तो यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। बहुधा हम यह देखते हैं कि वरिष्ठ और प्रसिद्ध अधिवक्ता कानूनी सहायता के मामलों को नहीं लेते हैं। इस मामले में भी सरकार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कुछ कर सकती है क्योंकि अधिकांश बातें सरकार के हाथ में हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में गरीब व्यक्तियों के लिये कानूनी सहायता के मामलों को अच्छे अधिवक्ता लड़ें उसके लिए सरकार को अधिवक्ताओं का पैनल नियुक्त करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने कानूनी सहायता के कितने मामलों को सफलतापूर्वक लड़ा है। यदि इस प्रकार का मानदंड निर्धारित कर दिया जाए तो अनेक अधिवक्ता कानूनी सहायता के मामलों को स्वेच्छा से लड़ेंगे और उच्च न्यायालयों तथा उच्च न्यायालय में गरीब मुवक्किलों के पक्ष में पेश होंगे। यह कार्य बड़ी आसानी से किया जा सकता है क्योंकि यह पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है। इस कानूनी सहायता प्रणाली के माध्यम से गरीब व्यक्तियों की ओर से अच्छे वकीलों को अदालत में पेश होने का निर्देश देने अथवा उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करने का अप्रत्यक्ष तरीका है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम इस प्राधिकरण का गठन और विनियमन संविधान के अनुच्छेद 39क के अन्तर्गत कर रहे हैं जिसमें यह कहा गया है :

"राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समय अवसर के आधार पर यह न्याय सुलभ हो और वह विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।"

हमें यहां एक अत्यन्त विचित्र बात दिखायी देती है। एक तरफ हम गरीब लोगों की सहायता कर रहे हैं ताकि उन्हें उचित न्याय मिल सके। दूसरी ओर, न्यायालयों में क्या हो रहा है ? धनी लोग जैसे व्यापारी वर्ग अच्छे

वकीलों को उनकी भारी फीस देकर केवल अपना मुकदमा ही नहीं लड़ते हैं बल्कि अन्य वकीलों को रोका जाता है। ताकि वे विरोधी पक्ष के लिये पेश न हो सकें। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूं कि न्याय खरीदने के इस प्रकार के प्रयासों को रोकने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि न्याय खरीदा जा सकता है परन्तु इस प्रणाली से अच्छे वकीलों को अग्रिम धनराशि देकर उन्हें इस प्रकार के मुकद्मे लड़ने से रोका जा सकता है ताकि वे किसी विशेष मामले में अपने प्रतिपक्षियों के विरुद्ध पेश न हो सकें। अत: इस प्रथा को रोका जाना चाहिए। मेरे विचार से इस उपाय के द्वारा अनुच्छेद 39 को समुचित ढंग से लागू किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : वे कितने वकीलों को अग्रिम फीस दे सकते हैं ?

श्री विजय एन. पाटील : वे ऐसे चार-पांच वकीलों से अपना मुकद्मा लड़वा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर भी अच्छे और वरिष्ठ वकील बहुत से हैं।

श्री विजय एन. पाटील : यह ठीक है। लेकिन फिर भी मेरे विचार से इस प्रकार की प्रथा रोकी जानी चाहिए क्योंकि यह उचित नहीं है। बल्कि यह धन का दुरुपयोग है। अनुच्छेद 39 की सहायता से हम चाहते हैं कि किसी के पास अनुचित ढंग से धन जमा न हो क्योंकि इस प्रकार के धन जमाव से धनी लोग अच्छे अधिवक्ताओं को खरीद सकते हैं और उनके माध्यम से अपने पक्ष में न्याय कराने का प्रयास करते हैं। मेरे विचार से अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 39क दो अलग-अलग नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और पहलू का उल्लेख करना चाहता हूं। केवल केन्द्रीय प्राधिकरण का ही कोई कार्यालय नहीं है। किसी भी अन्य केन्द्रीय प्राधिकरण जैसे दिल्ली विकास प्राधिकरण, भारतीय गैस प्राधिकरण, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण आदि को लीजिए। इन सभी प्राधिकारियों के शानदार कार्यालय हैं। बजट आवंटन कम होने के कारण विधिक सहायता प्राधिकरण का कोई भी कार्यालय नहीं है। उनके पास आवश्यक सुविधाएं भी नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से पुन: अनुरोध करता हूं कि केन्द्रीय सरकार को इसके लिए पर्याप्त आवंटन करना चाहिए ताकि कानूनी सहायता प्रणाली उच्चतम-न्यायालय और उच्च न्यायालयों के स्तर से लेकर निचली अदालतों तक समुचित ढंग से कार्य कर सके ?

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर-मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधि मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1991 का पूरी तरह समर्थन करता हूं।

महोदय, सभा के समक्ष यह पहले ही बताया जा चुका है कि गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने का विचार हमारे संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों में पहली बार 1977 में सम्मिलित किया गया था। 1976 में संविधान के 42 वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 39 (क) को संविधान में शामिल किया गया। यह अनुच्छेद 1 जनवरी, 1977 से लागू हुआ। अनुच्छेद 39 (क) में, जो उस समय संविधान में शामिल किया गया था, अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है : "राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से नि:शुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।"

इस दृष्टि से प्रत्येक नागरिक को कानूनी सहायता मिलनी चाहिए चाहे वह आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो नीति-निर्देशक सिद्धान्तों में कानूनी सहायता का यह विचार तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने शामिल किया था। उस समय इन्दिरा गांधी ने इस योजना को "न्याय व्यवस्था नीति" का नाम दिया था उन्होंने इसे सामाजिक अनिवार्यता बताया था। उन्होंने इसे हमारी कानूनी व्यवस्था का एक अभिन्न अंग, गरीबी के विरुद्ध हमारी लड़ाई अथवा गतिशील प्रगतिवाद बताया था।

उस समय नीति-निर्देशक सिद्धान्तों का ... महत्व था। अत: इसे बाद में अनुच्छेद 39क में शामिल कर दिया गया।

तथापि, कुछ समय तक इसे कानूनी दर्जा नहीं दिया जा सका और इसलिए विधिक सहायता योजना के कार्यान्वयन हेतु इस समिति का गठन किया गया जिसने अनेक वर्षों तक कार्य किया। अन्त में 1987 में हमने यह विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि 1987 में इस अधिनियम के पारित होने के बावजूद भी इसे विधि वेत्ताओं और न्यायपालिका के विरोध के कारण लागू नहीं किया जा सका।

इस संदर्भ में उद्देश्य तथा कारणों को दर्शाने वाले कथन में जो कुछ कहा गया है वह निम्नलिखित है :

"संविधान की धारा 39क के अधिदेश के अनुसार आर्थिक अथवा अन्य रूप से पिछड़े लोगों को न्याय के अवसर सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 संसद द्वारा पारित किया गया। हालांकि वकीलों तथा न्यायाधीशों ने अधिनियम के कुछ प्रावधानों को ठीक नहीं समझा है। अत: चूंकि अधिनियम 1987 में ही पारित कर दिया गया था उसके बावजूद भी यह अब तक लागू नहीं किया जा सका है।"

अत: सरकार कानूनी तथा न्यायालयी अड़चनों के कारण उसे सात वर्षों तक लागू नहीं कर पाई। यह एक अति प्रशंसनीय विधान था। वह वर्ष 1987 में पारित किया गया।

हालांकि विधि मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि संवैधानिक अधिदेश की पूर्ति हेतु 26 सितंबर 1980 को गठित की गई यह समिति कुछ समय तक कार्य करती रही है और समय-समय पर इसकी अवधि बढ़ाई जाती रही है और अब इसकी अवधि 13 नवंबर 1994 अथवा नए अधिनियम को लागू होने, इसमें से जो भी पहले हो, तक बढ़ाई गई है।

अत: उद्देश्य तथा कारणों के कथन और समिति की कार्य अवधि को बढ़ाए जाने वाले आदेश में किए गए वायदों के अनुसार सरकार इसे कम से कम अगस्त माह तक लागू करने का प्रयास कर रही है ?

नई दिल्ली में 4 दिसंबर 1993 को हुए मुख्य मंत्रियों तथा मुख्य न्यायाधीशों के एक दिवसीय सम्मेलन में, हमारे प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी कि एक साल कम खर्चीली व्यवस्था के द्वारा निचले स्तर के विवादों के निपटारे को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा देश के गरीब लोगों को समय पर न्याय दिलाना चाहिए। उस समय यह भी बताया गया कि उच्चतम न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालयों में 2.6 मिलियन मामले कथित रूप से लंबित हैं। जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में तो स्थिति और भी बुरी है। अत: बकाए मामलों के निपटारे हेतु गरीब लोगों के लिए कानूनी सहायता प्रदान करने की योजना तथा समझौतों की संभावना वाले मामलों में लोक अदालतों को आयोजित करने का काम किया जा रहा है।

इसी सम्मेलन में प्रधान मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार लोक अदालतों को जल्द ही सांविधिक दर्जा देने हेतु प्रक्रिया शुरू कर रही है क्योंकि इससे सम्पूर्ण देश में शीघ्र संतोषजनक न्याय दिलाने तथा आर्थिक मामलों के निपटारे में सहायता मिली है। यह संशोधन उसी आश्वासन के फलस्वरूप लाया जा रहा है, और इसका प्रथम उद्देश्य 1987 के अधिनियम में कुछ शर्तों से संबंधित कानूनी तथा न्याय संबंधी प्रावधानों की पूर्ति करना है।

उस समय तक शायद यह महसूस किया गया कि इसमें कम से कम सरकारी हस्तक्षेप एवं नियंत्रण होना चाहिए और इसीलिए इस प्रावधान के द्वारा विभिन्न स्थानों पर "मुख्य न्यायाधीश की सलाह से" जोड़ दिया गया है जहां तक कानूनी सहायता को लागू किए जाने का प्रश्न है, यह शायद उनकी शर्तों की पूर्ति के लिए किया गया है।

मैंने इस संविधान संशोधन विधेयक का स्वागत किया है क्योंकि इससे कानूनी पेशे तथा न्यायिक सेवाओं में आरक्षण समाप्त होगा और इन योजनाओं में सरकार के कुछ नियंत्रणों को हटाने तथा न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को और अधिकार देकर इस अधिनियम की खामियों को ही केवल कम नहीं किया जा सकेगा बल्कि उससे गरीब लोगों की कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु लोक अदालत योजना के कार्यान्वयन में भी निश्चित रूप से मदद मिलेगी।

हालांकि अनुभव से पता चला है कि सिर्फ ऐसी व्यवस्था करने से समस्या का पूर्ण निदान नहीं हो सकता है और जहां तक इस योजनाओं का संबंध है। यदि हम उचित न्याय से कानूनी प्रक्रिया रहित सेवा तक पहुंचना चाहते हैं तो महज पिरामिडी प्रशासन व्यवस्था जिसका अधिकतर गठन दिल्ली अथवा राज्य की राजधानियों से अफसर शाही के सौजन्य से होता है, से ज्यादा प्रगति नहीं हो सकती है। इससे निश्चय ही फायदा होगा, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि समर्पित कार्यकर्त्ताओं वाली गैर-सरकारी समितियां जिसका कानूनी सहायता प्रदान करने का उत्तम रिकार्ड है तथा जो विशेष 'नीति निर्देशक सिद्धान्त के प्रति समर्पित है, को इन योजनाओं को सफल बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। केवल कानूनी सहायता अथवा दिल्ली व राज्य की राजधानियों से मूल्य न्यायाधीशों के नियंत्रण मात्र से ही जब तक कि वे गरीबी समाप्त किए जाने की अवधारणा के प्रति समर्पित न हों, कोई फायदा नहीं होगा।

इसलिए मैं सरकार से ऐसे माहौल का निर्माण करने के लिए भी कहूंगा और यह भी कहूंगा कि योजनाओं पर इस तरह से निगरानी हो कि इस प्रसंशनीय कार्य के लिए समर्पित कार्यकर्ता आगे आ सकें तथा गरीबों की सही अर्थों में मदद पहुंचाने हेतु विभिन्न स्थानों पर अदालतें बैठा सकें और कानूनी सहायता प्रदान कर सकें। अनुभव से पता चलता है कि कभी-कभी जब अदालतें कुछ माह के लिए बैठने वाली होती हैं तो उसकी सूचना मिलते ही न्यायाधीश गण कुछ मामलों को इन अदालतों में भेजने का प्रयास यह कहते हुए करने लगते हैं कि सुलह का मामला है और उन्हें इन्हीं अदालतों में भेजा जाना चाहिए। वे कहते हैं कि वे उन मामलों में निर्णय नहीं देंगे।

प्रायः वे कुछ काम को सिर्फ प्रदर्शन मात्र हेतु इन अदालतों के लिए रखते हैं अथवा यह श्रेय लेने के लिए कि किसी जिला विशेष में इन अदालतों में काम हो रहा है के लिए लेते हैं। अधिनियम का मूल भाव यह

नहीं है। अधिनियम का मूल भाव जैसे गरीब लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है जो वकील को रखने तथा कानूनी प्रक्रिया में अन्य खर्चों को वहन कर पाने में समर्थ नहीं है। इसका उद्देश्य पार्टियों के बीच सुलह को प्रोत्साहन देना अथवा बिना कानूनी अड़चनों के निपटाए जाने वाले सभी मामलों को नेक व्यक्तियों के हस्तक्षेप द्वारा निपटाना है।

निःसंदेह सभी मामलों को न्यायाधीश ही निपटाते हैं ताकि विशेष कानूनी जानकारी मिल सके। लेकिन इन लोगों के साथ-साथ समर्पित कार्यकर्ताओं को भी होना चाहिए तथा उसमें न्यायाधीशों का चयन भी इस तरह से किया जाना चाहिए कि वे न सिर्फ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने वाले हों बल्कि इस प्रशसंनीय कार्य के प्रति उनका पूरा समपर्ण हो।

मैंने समाचार पत्रों में यह रिपोर्ट पढ़ी है कि कुछ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में मुफ्त कानूनी सहायता कोष की बरबादी हो रही है। मेरे पास इस समय कुछ आंकड़े हैं, लेकिन मुझे यह जानकारी नहीं है कि क्या यह सही है। कानून मंत्री इसकी जांच कर सकते हैं।

25 राज्यों में से सिर्फ तीन राज्य कर्नाटक, हरियाणा तथा गुजरात और चार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, गोवा, पांडिचेरी तथा अंडमान और निकोबार ने ही कथित रूप से कोष का उपयोग किया है जो 1991-92 तथा 1992-93 में केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया था। मुझे 1993-94 की स्थिति की जानकारी नहीं है। उसके बारे में भी पता लगाया जाना चाहिए।

विभिन्न राज्य सरकारों को इस अच्छे कार्य के लिए निर्धारित की गई राशि को खर्च करने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए और उन्हें योजनाओं को इस तरह से लागू करने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि उनका मूल भाव बरकरार रहे।

इन्हीं सुझावों के साथ मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं जिससे यह अधिनियम लागू हो सकेगा, जिसे 1987 में ही पारित कर दिया गया था। मुझे पूरी आशा है कि विधि मंत्री इन योजनाओं को प्रत्येक राज्य में लागू करने पर पूरा ध्यान देंगे और इस उद्देश्य के लिए जो भी निर्धारित राशि उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी उसका पूरा उपयोग किया जाएगा।

मैं विधि मंत्री को इस विधान को पेश करने के लिए धन्यवाद देता हूं हालांकि यह कुछ विलंब से पेश किया गया है, लेकिन अब इसे बिल्कुल सही ढंग से पेश किया गया है ताकि योजना का कार्यान्यवन शीघ्रता से किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : आदरणीय उपाध्यक्षजी, मैं सर्वप्रथम इस महत्वपूर्ण बिल का समर्थन करता हूं। विधिक सेवा प्राधिकरण विधेयक 1991 को मंत्रीजी ने यहां पेश किया है, यह निश्चित ही एक ऐतिहासिक कदम है। आज प्रजातंत्र का तकाजा है कि सबको सही न्याय मिले, सबको तुरंत न्याय मिले और सबको सस्ता न्याय मिले। हमें खेद है और हम इस बात की ओर मंत्रीजी का तथा सदन का ध्यान खींचना चाहते हैं, हालांकि सभी इस बात को जानते हैं कि आज न्याय अदालतों में खरीदा जाता है। न्याय जातिवाद के हिसाब से

देखा जाता है। न्याय में भाई-भतीजवाद प्रवेश कर गया है। न्याय में ऐसे घिनौने कीड़े प्रवेश कर गये हैं जो हमारे प्रजातंत्र के लिए कलंक हैं। यह विधेयक ऐसी अव्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में यदि कुछ भी आगे बढ़ा तो यह हमारे मुल्क के लिए, छोटे वर्गों के लिए, पिछड़े हुए लोगों के लिए, देश की महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए सरकार का बहुत बड़ा एहसान होगा। इन परिस्थितियों में हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं।

आज जरूरत इस बात की है कि हमारे देश के गरीबों को सही न्याय मिले। आज देखा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। मत्स्य न्याय की ओर हम चल रहे हैं। यह विधेयक यदि इन सब बातों को खत्म करने में कुछ भी सफल हुआ तो यह बहुत बड़ी बात होगी। कानून मंत्री यहां बैठे हुए हैं। मैं एक न्याय का उदाहरण देना चाहता हूं। हालांकि मैं नहीं जानता कि इसका क्या असर होगा। लेकिन अभी हाल की घटना है। झांसी जनपद यहां से नजदीक है। उसमें मोठ नामक स्थान है। वहां एक अनुसूचित जाति की महिला प्रधानाध्यापक थी। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 90 हजार रुपये स्कूल के भवन निर्माण के लिए मिले। नियम है कि ऐसे रुपयों को प्रधानाध्यापक और वहां एक प्रधान दोनों अपने हस्ताक्षर से निकालें और भवन का निर्माण करायें। प्रधानाध्यापक को अनुसूचित जाति की महिला समझकर, कमजोर समझकर प्रधान उसके यहां रोज जाता था और 90 हजार रुपये की राशि में से उसने 84 हजार रुपये निकाल लिये। जब उस महिला ने कहा कि मेरी नौकरी का सवाल है, तुम हिसाब दो तो उसने यह हिसाब दिया कि 100 रुपये शराब में खर्च किये, 150 रुपये बी॰ डी॰ ओ॰ को दिए और 50 रुपये पैसा निकलवायी के दिए तथा 30 हजार रुपये का बालू, सीमेंट और लोहा आया। जब वह प्रधान शेष राशि निकलवाने पुनः उनके पास आया तो उस महिला ने कहा कि मैं एक कमजोर औरत हूं इसलिए तुम सही हिसाब बनाकर दो। इस पर प्रधान को बुरा लगा और उसने वहां स्कूल में खड़े होकर उस महिला को पीटा। जब वह महिला मोठ थाने में रिपोर्ट लिखाने गयी तो नौ दिन तक उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। इस सदन में जब इस मामले को उठाया गया तो रिपोर्ट लिखी गयी और मुकदमा दर्ज हुआ। थाने में उस महिला को ले जाया गया और कहा गया कि तुम मुकदमे में तारीख में न जाओ। अस्पृश्यता का भी मुकदमा दर्ज हुआ। काफी गड़बड़ हुई और उसको धमकी दी गई कि तुम्हारी हत्या कर दी जायेगी। जब वह कोर्ट गयी और वहां उसने निवेदन किया।

तो एक ईमानदार मैजिस्ट्रेट था उसके दिमाग में आ गया और उसने अदालत को निर्देश दिया कि उस महिला के साथ अंगरक्षक लगाया जाय और वह अपना बयान दे और जब उसने अपना बयान दे दिया तो उसके बाद जज साहब की मृत्यु हो गयी। तब नये जज साहब आये। उसके बाद प्रतिवादी पार्टी ने मैजिस्ट्रेट को प्रभावित किया। परिणामस्वरूप महिला के अंगरक्षक को हटा दिया गया और महिला को धमकी दी जा रही है कि अपना बयान बदलो और इस मुकदमे की फिर से जिरह होगी। अब नतीजा यह हो रहा है कि महिला के खिलाफ वारंट निकाला जा रहा है। यह झांसी का किस्सा है। अब 20 अगस्त की पेशी है तो महिला पर क्या गुजर रही होगी ?

मान्यवर, हम लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, हमारा देश किधर जा रहा है। वह मजिस्ट्रेट ईमानदार है या नहीं, यह बात नहीं है लेकिन हमारे देश में लाखों ऐसी घटनायें बिहार, उ॰ प्र॰ उड़ीसा में होती रहती हैं। यदि माननीय मंत्री जी को पता भी चलेगा तो उनके यहां से एक चिट्ठी चली

जायेगी, उसका क्या असर होगा ? यह सब यह सदन जानता है। आज न्याय की स्थिति बहुत विषम हो गयी है। जब हमारी स्व. प्रधानमंत्री इन्दिरा जी जीवित थी तो उस समय हमने यह मामला उनके सामने उठाया था तो उन्होंने चिन्ता प्रकट की थी। 40 वर्ष से पहले के मुकद्दमे आज भी इलाहाबाद कोर्ट में विद्यमान हैं। एक पीढ़ी मर गयी, दूसरी पीढ़ी यह मुकद्दमा लड़ रही है। इसमें खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग उलझे हुये हैं। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर ले जाना चाहता हूं कि इस बिल में इस बात की व्यवस्था नहीं है। आप मंत्री महोदय समझदार हैं, आशा है उस ओर ध्यान देंगे। मेरा स्वयं एक मुकद्दमा 38 साल से चल रहा है। मेरे पिता का देहांत हो गया है और हो सकता है कि मेरे बच्चों को भी लड़ना पड़े इसलिये कहता हूं कि इस बिल में यह प्रावधान किया जाये वरना यह बिल अधूरा है।

उपाध्यक्ष महोदय, 3.2.94 तक एडमिशन मैटर के 57398 मुकद्दमें काफी अरसे से सुप्रीम कोर्ट में लम्बित हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 6 लाख 95 हजार 880, मद्रास हाई कोर्ट में 3 लाख एक हजार 91 मुकद्दमे 30.6.93 तक पैंडिग हैं। और जहां तक इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, गुजरात, पटना राजस्थान और सिक्किम आदि हाईकोर्ट में 26 लाख 82 हजार 605 मुकदमें पैंडिग हैं। मंत्री जी इस बिल में ऐसा प्रावधान करें कि अदालतों को निर्देश दिया जाये कि बहुत भारी मात्रा में मुकद्दमे हाईकोर्टों में पैंडिग न रखे जायें।

मान्यवर, इस बिल में लोक अदालत का वर्णन है। मैं इस भावना का स्वागत करता हूं। लोक अदालत बहुत महत्वपूर्ण है और खास तौर से पूर्वी भारत में लोक अदालत गांवों में काफी महत्व रखती हैं। इसके लिए सरकार को लोगों की बधाई मिल रही है। हमारे बहुत से साथियों ने जिक्र किया कि गरीब लोगों को इससे सहायता नहीं मिलती है। इसमें आप प्राधिकरण बनाने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन आप यह भी देखें कि जो लोक अदालतें हैं, उनके जो आंकड़े आपके पास आ रहे हैं, क्या वह सही हैं या नहीं। मैं समझता हूं कि ये आंकड़े बहुत ज्यादा गलत हैं। चंदौली, वाराणसी में एक तहसील है जहां एक लोक अदालत बैठी। वहां 20-25 मुकदमों का फैसला हुआ। सवेरे अखबार में हमने पढ़ा तो मालूम हुआ कि करीब 70 मुकदमे एक घंटे में निपटाए गए। यह क्या बला है मैं नहीं समझता। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि यह जो लोक अदालतों के माध्यम से फर्जी आंकड़े आ रहे हैं, इनको भी आप देखें और इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएं या ऐसा प्रावधान रखें कि इसकी भी जांच होती रहे। इसके लिए हमारे दिघे साहब कह रहे थे कि इसमें हमें स्वैच्छिक संगठनों को भी लेना चाहिए जो गांवों और शहरों में काम करते हैं। इनकी भूमिका निश्चय ही बहुत महत्वपूर्ण होगी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि गांवों में ग्राम सभाएं हैं, कहीं कहीं न्याय पंचायतें काम कर रही हैं। इनके माध्यम से भी लोक अदालतों की ओर आगे लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए। यहां एक बात मैं कहूंगा कि छोटे-छोटे स्थानों में छोटे-छोटे ज़िलों में, छोटे-छोटे तहसील हैडक्वार्टर्स में लोक अदालतों के संचालन और गठन में वकील लोग बाधक हैं। वहां के दूसरे छोटे-छोटे वकील सोचते हैं कि हमारे पेशे पर कुठाराघात हो रहा है। ऐसी कोई प्रक्रिया अपनानी चाहिए जिससे उनके मन की यह भावना निकले और हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए।

मान्यवर, हम समझते हैं कि इसमें कानूनी सलाहकारों को भी समाहित करना होगा। वे केवल रिवाज समझकर, सरकार की प्रेरणा समझकर या वहां के जज की प्रेरणा समझकर लोक अदालतों में न जाएं बल्कि उसे अपना फर्ज़ समझें और मुकद्दमे को जल्दी से निपटा लेने की भावना को ध्यान में रखकर वहां जाएं।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। मैं माननीय कानून मंत्री को अपनी ओर से बधाई देता हूं कि इन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण बिल को यहां पेश किया। यह बिल तो बहुत पहले लाना चाहिए था। 10-20 साल पहले लाना चाहिए था, लेकिन 1987 से यह बिल चला आ रहा है। मैं इस पर अपनी हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। निश्चय ही यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है और इसको पास होना चाहिए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

प्रो. के. वी. थामस (एरणाकुलम) : महोदय, प्रारम्भ में मैं माननीय विधि मंत्री भारद्वाज जी द्वारा लाये गये इस विधेयक का पूरे मन से समर्थन करता हूं। इस विधेयक के पीछे हमारी स्वर्गीया प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की अभिलाषा है। 1980 में, जब इन्दिरा जी प्रधानमंत्री बनी तब उन्होंने ऐसे तरीकों का पता लगाने के लिये एक समिति का गठन किया जिनसे गरीबों और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को पर्याप्त कानूनी सहायता मिल सके। उन्होंने इस नीति का नाम 'न्याय-रक्षा नीति' ('जुडीकेयर पालिसी') रखा।

इस समिति ने अनेक सिफारिशें की और जब राजीव जी प्रधान मंत्री बने तब उन्होंने इस सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया और उसे पारित कर दिया था-परन्तु कुछ आशंकाएं थीं। अत: इस सभा के अन्दर तथा बाहर और न्यायिक प्रणाली की चर्चाएं हुयीं। नवंबर 1991 में तत्कालीन विधि मंत्री श्री विजय भास्कर रेड्डी ने इस विधेयक को राज्य सभा में प्रस्तुत किया। परन्तु इसमें एक वर्ष और लगा, मार्च, 1992 में यह विधेयक राज्य सभा में पारित किया गया और अब वह हमारी सभा में आया है। न्यायिक प्रणाली में ही काफी चर्चा के बाद, मैं कह सकता हूं कि विधेयक की संरचना बहुत मजबूत है। इस संरचना पर किसी को विवाद नहीं हो सकता। राष्ट्रीयस्तर पर तथा राज्यस्तर पर कानूनी सेवा प्राधिकरण है। इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों तथा यहां तक कि तालुक न्यायालयों में भी विधि सेवा समितियां हैं। कानूनी सेवा प्राधिकरण समिति तथा प्राधिकरण दोनों का गठन या तो भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा राज्यों में उच्च न्यायालयों के साथ विचार-विमर्श करके किया जाता है। अत: मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इन प्रणालियों से हमारे उन गरीब लोगों को सहायता मिल सकेगी जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं।

कुछ बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। इस देश में मुकदमे बाजी बहुत खर्चीली हो गयी है। उसमें समय बहुत लगने लगा है। इसके परिणामस्वरूप लोगों का कानूनी व्यवस्था पर से विश्वास धीरे-धीरे उठता जा रहा है। महोदय, न्याय यदि देर से मिले तो वह न मिलने के समान है (विलंबित न्याय अन्याय है)। हमारी सरकार और कानूनी व्यवस्था एवम् ढांचे का एक प्रयास यह सुनिश्चित करना होना चाहिये कि निर्णय यथा संभव शीघ्र से शीघ्र लिये जाये।

उस दिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने इस सभा में बताया कि राष्ट्रपिता के हत्यारे अपराधी को दंडित करने में चार वर्ष लगे। यह दर्शाता है कि हमारी न्यायिक प्रणाली कितनी सुस्त है। अत:, सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह ऐसे कदम उठाये जिनसे कि निचली अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक बड़ी संख्या में विचाराधीन तथा संचित मामले शीघ्रतिशीघ्र निपटाये जा सकें।

दूसरी बात खर्चीली न्यायिक प्रणाली से संबंधित है।

3.00 म० प०

आम आदमी अदालतों में जाने का खर्च नहीं उठा सकता और कोई सीमा बन्धन नहीं है। हमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी का वेतन ज्ञात है, हम जानते हैं कि चिकित्सक की आय कितनी है। परन्तु न्यायिक प्रणाली में ऐसे वकील भी हैं जिनके पास मुकदमे का कोई मामला नहीं है और उन्हें कोई आय नहीं होती है। ऐसे वकील भी हैं जिनके पास केस भी हैं और धन भी। ऐसे वकील भी हैं जिनके पास बहुत अधिक पैसा है। अतः, हमें प्रख्यात विधि वेत्ताओं के साथ विचार-विमर्श करके यह पता लगाना चाहिये कि उच्चतम न्यायालय से स्थानीय न्यायालयों तक विभिन्न स्तरों पर वकीलों की क्या फीस हो सकती है। वकीलों द्वारा अपने मुवक्किलों से फीस लेकर उन्हें रसीदें देना बाध्यकारी होना चाहिये।

तीसरी बात यह है, कि आजकल न्यायालयों की बड़ी तेजी से हड़तालें होती हैं। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक प्रसिद्ध निर्णय में कहा है कि वकील हड़ताल पर नहीं जा सकते क्योंकि वे न्यायपालिका और इस देश के लोगों के बीच बिचौलिये हैं। यदि वे हड़ताल पर जाते हैं तो मुवक्किलों का क्या होगा। अतः इस मामले में किसी प्रकार का समझौता किया जाना चाहिये।

महोदय, सर्वत्र भ्रष्टाचार है, परन्तु न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली नष्ट हो जायेगी। मेरा विचार है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में अधिक सावधानी बरती जानी चाहिये तथा पिछड़े समुदायों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। भारत सरकार द्वारा बनाये गये त्वरित कार्य बल के गठन में भी विभिन्न समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। ऐसा नहीं है कि वे साम्प्रदायिक हों, अपितु ऐसा यह सुनिश्चित करने हेतु किया गया है कि लोगों को इस बल में विश्वास हो। अतः, लोगों को हमारी न्यायिक प्रणाली में विश्वास होना चाहिये। यदि लोगों में न्यायिक प्रणाली के प्रति विश्वास पैदा करना है तो हमें इसमें पिछड़े समुदायों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना होगा।

महोदय, मंत्री जी की जानकारी में एक और बात मैं मोटर दुर्घटना संबंधी दावों की बावत लाना चाहूंगा। किसी मोटर दुर्घटना के बाद, दावे का निपटारा करने में वर्षों लग जाते हैं और आजकल इस व्यवस्था में एक नयी प्रवृत्ति ने जन्म ले लिया है। यदि कोई मोटर दुर्घटना होती है तो किसी वकील का प्रतिनिधि तुरन्त आ जाता है, दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्ति को कुछ धन का भुगतान करता है और मुकदमा हाथ में ले लेता है। 10 या 15 वर्षों के बाद, जब निर्णय सुनाया जाता है तो क्षतिपूर्ति राशि का कुछ प्रतिशत वकील ले लेता है तथा शेष धनराशि संबंधित व्यक्ति को मिल जाती है। इसलिये, मोटर दुर्घटना संबंधी दावों का निपटारा एक निर्धारित अवधि के भीतर किया जाना चाहिये। इन्हें लोक अदालतों में नहीं भेजा जा सकता क्योंकि बीमा कंपनियां इसे स्वीकार नहीं करती। मैं सभा के समक्ष जो अन्य मुद्दा लाना चाहता हूं वह उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में ग्रन्थालयों के आधुनिकीकरण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित है। हमारी न्यायिक प्रणाली के समक्ष आने वाले मामलों भिन्न प्रकृति के होते हैं। जैसे-जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, हमारी न्यायिक प्रणाली को पर्याप्त आधुनिक ज्ञान से युक्त बनाया जाना चाहिये। अतः, उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में कुछ 'डाटा प्रोसेसिंग यूनिटें' शुरू की जानी चाहिये।

महोदय, मैं सरकार की जानकारी में नये वकीलों को दी गयी सुविधा की बात भी लाना चाहता हूं। नये प्रवेशकों को अपनी जीविका हेतु कुछ पाने में 10 से 15 वर्ष का लम्बा समय लगता है।

शुरू-शुरू में वकीलों को कुछ सहायता भी दी जानी चाहिये। सामाजिक समस्याओं पर लोकहित मुकदमों को उचित महत्व दिया जाना चाहिये। कुछ कारखाने प्रदूषण फैलाते हैं। सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध मामले हैं। सामाजिक समस्याएं हैं। इन मामलों में सरकार को वादकारियों की सहायता करनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं जिससे इस देश में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को अवश्य सहायता मिलेगी।

डा॰ वसंत पवार (नासिक) : मैं विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1992 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

हमारे देश में न्याय बहुत महंगा है। साथ ही विचाराधीन मामलों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। लेकिन 39 (ए) अनुच्छेद के अनुसार संवैधानिक अधिदेश है कि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य किसी अयोग्यता के कारण न्याय प्रस्ताव करने के अवसर से वंचित नहीं होना चाहिए। इस संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने विधिक सहायता योजनाओं को लागू करने के लिए 1980 में माननीय न्यायमूर्ति श्री पी॰ एन॰ भगवती की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है और अब इसके अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश अहमदी हैं।

3.07 (म॰ प॰)

[श्रीमती संतोष चौधरी पीठासीन हुईं]

इस समिति ने विधिक सहायता कार्यक्रम के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए एक आदर्श योजना बनाई है ताकि वादियों को शीघ्र और सस्ता न्याय मिल सके। दिल्ली के तीस हजारी न्यायालय में तलाक के 40,000 मामले लम्बित हैं।

हमें कानून का सम्मान करने वाला समाज बनाना है। इस उद्देश्य के लिए, भारत सरकार ने माननीय न्यायाधीश श्री पी॰ बी॰ सावंत की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सहायता समिति गठित की है। आदर्श योजना के अनुसार अन्य न्यायालयों में 6000 रुपये तक तथा सर्वोच्च न्यायालय में 9000 रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को मुफ्त विधिक सहायता दी जाएगी। मैं सरकार के इस कदम का स्वागत करता हूं कि वह सभी महिलाओं और बच्चों तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सभी व्यक्तियों की आय को आधार न मानते हुए मुफ्त कानूनी सहायता दे रही है।

इस विधेयक में, अधिकतम सीमा को निचली अदालतों में 9,000 रुपये और सर्वोच्च न्यायालय में 12000 रुपए तक बढ़ा दिया है। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए मैं विधि मंत्री माननीय श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज को बधाई देता हूं।

मुफ्त कानूनी सहायता योजना के अनुसार, 10 मई, 1994 तक 18,01,289 लोगों को मुफ्त कानूनी सदस्यता और परामर्श दिया गया। इनमें से अनुसूचित जातियों, के व्यक्तियों की संख्या 3,10,462, अनुसूचित जन जातियों

के व्यक्तियों की संख्या 1,70,118 पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की संख्या 64,259 महिलाओं की संख्या 1,73,879 और बच्चों की संख्या 7,491 थी।

ये सभी व्यक्ति सरकारी नीति के कारण मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सके लेकिन ये आंकड़े बढ़ने चाहिए मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़नी चाहिए। हमें सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए अधिकतम मुफ्त कानूनी सहायता देनी चाहिए। कानूनी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत कानूनी जानकारी को बढ़ावा देना, विश्व विद्यालयों, कालेजों और जहां कहीं भी संभव हो कानून सहायता केन्द्र खोलना; अर्धकानून विदों को प्रशिक्षण देना, जनहित के मुकदमों को बढ़ावा देना, ग्रामीण हक और कानूनी सहायता केन्द्रों की स्थापना करना और कानूनी सहायता शिविर और लोक अदालतें लगाना शामिल है। कानूनी जानकारी कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार कानूनी सहायता न्यूजलेटर के प्रकाशन में सहायता दे रही है तथा दूरदर्शन और रेडियो का भी उपयोग कर रही है। कानूनी सहायता के विभिन्न पहलुओं पर वृत्त चित्र और वीडियो फिल्में भी बनाई जा रही हैं। सरकार पुस्तिकाओं और इश्तहारों के प्रकाशन के लिए विभिन्न संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस विधेयक के माध्यम से उठाए गए कदमों में से यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है।

लोक अदालतों और कानूनी जानकारी कार्यक्रमों को आयोजित करने वाले स्वयं सेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक का यह महत्वपूर्ण प्रावधान है। मैं इस प्रावधान का स्वागत करता हूं।

लोक अदालत कानूनी सहायता शिविर का नवीन तरीका है जो निचले स्तर के विवादों को सुलझाने में अत्यधिक प्रभावकारी और सफल रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 10 मई, 1994 तक देश में 9,331 लोक अदालतें लगाई गई थीं जिनमें 44,61,505 मामले सुलझाए गए थे। इसमें मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के 2,30,276 मामले शामिल थे। रिकार्ड के मुताबिक 503,18,24,862 रुपये की धनराशि के मुआवजे का भुगतान किया गया। इन लोक अदालतों ने ऐसा विलक्षण कार्य किया है और इसे सभी राज्यों में लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए मैं समझता हूं कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने का यही कारण है।

इस विधेयक को लोकसभा और राज्य सभा ने 1987 में पारित कर दिया था परन्तु उसे लागू नहीं किया गया था क्योंकि इसके प्रावधानों में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता थी। तत्पश्चात कहा गया है कि माननीय न्यायमूर्ति श्री पाठक की अध्यक्षता में एक सम्मेलन आयोजित किया था और उन्होंने अनेक संशोधन का प्रस्ताव दिया है। उन संशोधनों पर विचार करने के बाद यह विधेयक प्रस्तुत किया गया था और इसे 11 जनवरी 1991 को पारित किया गया। इसे लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सका क्योंकि तब तक लोकसभा भंग हो चुकी थी। मैं आशा करता हूं कि इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी और दसवीं लोकसभा की अवधि समाप्त होने से पहले हम इन उपायों को लागू कर पाएंगे ताकि गरीब लोग लाभान्वित हो सकें।

महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य कानूनी सहायता समितियों और राज्य कानूनी सहायता और परामर्श बोर्डों की स्थापना में समरूपता लाना है। मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए आय की अधिकतम सीमा बढ़ा दी गई है। मुफ्त कानूनी सहायता कार्यक्रम को लागू करने में न्यायपालिका का शामिल होना अति महत्वपूर्ण है। जब तक वैधानिक अधिकारीगण रुचि नहीं लेते, कोई अदालत या कानूनी जानकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता है।

लोक अदालत को लोकप्रिय बनाने के लिए, हमें इन्हें संस्थागत बनाना चाहिए जिससे ये लोक अदालतें अधिक प्रभावकारी और व्यावहारिक होंगी।

जहां तक इस विधेयक के वित्तीय ज्ञापन का प्रश्न है तो ऐसी अनेक बातें हैं जो इस वित्तीय ज्ञापन में की जाती हैं। 1987 में ऐसा अनुमान था कि राज्य प्राधिकरण और स्वयंसेवी संगठनों को दी जाने वाली अनुदान सहायता सहित बजटीय प्रावधान 73 करोड़ 25 लाख रुपए होगा।

1991-92 में 59.90 लाख रुपए मंजूर किए गए थे और इसमें से 40 लाख की राशि कानूनी सहायता कार्यक्रम के लिए अनुदान सहायता के रूप में दी गई थी।

जब स्वयंसेवी संगठन जैसे रोटरी कलब, लायंस क्लब और अन्य संगठन लोक अदालतों को सही प्रकार से आयोजित कर सकते हैं और गरीबों और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता दे सकते हैं तब इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमें बजट सम्बंधी प्रावधानों में बढ़ोत्तरी करनी होगी।

इस विधेयक में राष्ट्रीय कानूनी सहायता कोष, राज्य कानूनी सहायता कोष और जिला कानूनी सहायता कोष की स्थापना करने का प्रावधान है। पूरी राशि देने के लिए इस धनराशि से पर्याप्त बढ़ोत्तरी करनी होगी ताकि इसका समुचित उपयोग हो सके। जैसाकि अभी-अभी उल्लेख किया गया है कि कुछ राज्य इस राशि का उपयोग नहीं कर रहे हैं इसलिए इस विधेयक के कार्यान्वयन के लिए प्रेरित करना अत्याधिक महत्वपूर्ण है। हमारे देश में लोग अपने झगड़ों को निपटाने के लिए लोक अदालतों का प्रयोग निःसंदेह रूप से कर रहे हैं पर राज्यों की इसमें रुचि नहीं है। अतः यह विधेयक व्ययगत हो जाएगा। अतः हमें राज्य सरकारों, जिला न्यायालयों और सभी ताल्लुक स्तर के न्यायालयों को प्रेरित करना होगा ताकि इन लोक अदालतों को इस प्रकार आयोजित किया जाए कि ये अदालतें सभी लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हों।

इस सन्दर्भ में मेरे राज्य महाराष्ट्र में विशेष रूप से मेरे चुनाव क्षेत्र नासिक में अच्छा काम हो रहा है और अनेक लोक अदालतें आयोजित की गई हैं और इनमें अनेक निपटाए गए मामलों में लाभ दिया गया है।

मुझे आशा है कि इस विधेयक से लोक अदालत प्रणाली और अधिक लोकप्रिय होगी और मुफ्त कानूनी सहायता सभी लोगों को मुख्य रूप से महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त होगी।

मेरा एकमात्र सुझाव है कि इन समितियों को बनाते समय सरकार को इन समितियों में ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो समाज में समाज सेवक के रूप में कार्यरत हैं और जिन लोगों का समाज में सम्मान है। ऐसे लोगों को शामिल करने से लोग लोक अदालत के निर्णयों पर भरोसा करेंगे और ये अदालतें अधिक लोकप्रिय हो सकेंगी।

मैं सरकार को विशेषरूप से विधिमंत्री श्री एच० आर० भारद्वाज जी को इस विधेयक को इस सभा में प्रस्तुत करने में प्रयास करने के लिए एक बार फिर बधाई देता हूं।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदया, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। हमारे

समक्ष जो विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1991 है वह विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में संशोधन करने के लिए है।

1987 के अधिनियम में इस विधेयक द्वारा संशोधन किया जाना है। मेरे विचार में इस अधिनियम को लागू किया जाना बाकी है। यदि मैं गलत हूं तो मुझे माननीय मंत्री सुधारने का कष्ट करेंगे। यह बहुत ही विचित्र स्थिति है। एक अधिनियम जो अब सात साल पुराना हो चुका है, को लागू नहीं किया जा सका है क्योंकि इस अधिनियम के कुछ प्रावधान न्यायपालिका को मंजूर नहीं थे। न्यायपालिका के सदस्यों, कानूनी व्यवसाय से जुड़े हुए सदस्यों, न्यायाधीशों आदि के बीच काफी ज्यादा विवाद था। ऐसी धारणा थी कि इस अधिनियम के द्वारा न्यायपालिका को कार्यपालिका के अधीन बनाया गया है। इससे न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीनस्थ हो गई–चाहे वह गलत तरीके से ही क्यों न हो। उसके बाद विभिन्न मंचों से, मुख्य न्यायाधीशों, मंत्रियों के सम्मेलनों में तथा इसी प्रकार के अन्य मंचों में इस पर परिचर्चा, बहस की गई है और ऐसे सम्मेलनों की सिफारिशों के आधार पर, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर० एस० पाठक ने सरकार को कुछ प्रस्ताव एवं सुझाव पेश किए। उसी के अनुसार इस अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है।

इस कानून के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए देश में अनुकूल वातावरण का होना उचित ही है। अतएव, यह स्वागत योग्य बात है कि न्यायपालिका आदि के बीच जो भी मतभेद थे तथा परस्पर विरोधी विचारधाराएं थी वे सभी इस संशोधन द्वारा समाप्त हो जायेंगे।

संविधान हमारे लिए बाइबल और गीता की तरह है। सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार चलती है। हमें संविधान का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के चौथे भाग में दिए हुए हैं। इस अध्याय के एक छोटा सा पैरा ही हमारे पास अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इस अध्याय में अनुच्छेद 39क समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। इसके अनुसार :

> "राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य नियोग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के लिए अवसर से वंचित न रह जाय, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा"

उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमारे संविधान का अध्याय-4 मूलभूत अधिकार के अध्याय-3 की तरह लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने नीति निर्देशक सिद्धान्तों के विभिन्न प्रावधानों को मूर्त रूप देने के लिए उचित समय समझकर इस दिशा में कानून बनाने हेतु प्रारूप तैयार किये हैं। 1947 मे तीन दशकों के बाद 1977 में हमारे देश में इस प्रावधान अर्थात् अनुच्छेद 39क के बारे में सकारात्मक प्रगति हुई। 31 अगस्त, 1977 को पी० एन० भगवती की अध्यक्षता मे गठित समिति ने जैसा कि आपको ज्ञात है कि वह बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने सामाजिक मुकदमों और कानूनी सहायता आदि के बारे में उनके अपने विचार थे तथा वह गरीबों के मित्र भी माने जाते थे–एक राष्ट्रीय विधिक सेवा विधेयक का प्रारूप तैयार किया था जिसमें

राष्ट्रीय विधिक सेवा की स्थापना करने के लिए कहा गया था जोकि राज्य की शक्तियों के संबंध में एक राष्ट्रीय प्राधिकरण होगा।

स्वर्गीय प्रधान मंत्री इंदिरा जी भी हर समय, गरीब नागरिकों के न्यायालयों में इनके विभिन्न मामलों में प्रताड़ित होने एवं इस प्रयोजनार्थ वकील नियुक्त करने में उनकी असमर्थता के विषय पर बहुत ज्यादा चिंतित रहती थीं। उनमें से बहुत से व्यक्ति उनके साथ हुए अन्याय को चुपचाप सहन कर लेते थे। आज भी काफी संख्या में गरीब लोग उनके साथ जो भी अन्याय होता है उसे चुपचाप सहन कर लेते हैं। समाज तथा समाजिक स्थितियां ही कुछ इस प्रकार की हो गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। इस समय मैं आर्थिक समानता की बात नहीं कर सकता हूं। विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जबकि हम समाजवाद को कड़ाई से लागू करने नहीं जा रहे हैं वह एक अलग बात है। वह वास्तविकता से परे है। हम सामाजिक समानता के बारे में अपनी प्रणाली के अन्दर रहकर सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन हम निश्चित रूप से सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करने हेतु आगे बढ़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना है।

देश में गरीब लोग हैं, ऐसे भी व्यक्ति हैं; जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, ऐसे लोग हैं जो दो वक्त का खाना नहीं जुटा पाते हैं जब तक कि उन्हें आवश्यक मदद न दी जाये। ऐसी स्थिति में वे किस तरह से न्यायालयों में अपने मामले लड़ सकते हैं अथवा उनके ऊपर हो रहे अन्याय का मुकाबला कैसे कर सकते हैं ? इस परिप्रेक्ष्य में यह प्रावधान स्वागत योग्य है। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यह एक सही कदम है तथा उस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। मेरा कहना है कि यह एक संतोषजनक शुरूआत है। यह अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं है। यह अपने आप में पर्याप्त भी नहीं है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह आवश्यकता को पूरा नहीं कर पायेगा। लेकिन यह एक अच्छी शुरूआत है। हमें इसे परीक्षण के तौर पर इस्तेमाल करके अनुभव प्राप्त करना है। सरकार अनुभव के आधार पर आगे संशोधन पेश कर सकती है। अतएव, यह विधेयक जैसा कि मैंने कहा, 1987 के अधिनियम में सुधार है क्योंकि केन्द्र व राज्य प्राधिकरण के अफसर व कर्मचारी प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए जाएंगे न कि सरकार द्वारा। इन प्राधिकरणों को कुछ और स्वायत्तता भी प्राप्त होगी। इस विधेयक में तीन स्तर पर शासन व्यवस्था स्थापित करने की व्यवस्था अर्थात् राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर तथा जिला स्तर पर तथा समितियां भी विभिन्न स्तर पर अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय स्तर पर, उच्च न्यायालय स्तर पर तथा ताल्लुक स्तर पर। ताल्लुक स्तर पर एक ताल्लुक या ताल्लुकों के समूह के लिए एक समिति राज्य समिति द्वारा जिला प्राधिकरण से सलाह करके स्थापित की जायगी। अतएव, हम एक ढांचे की, एक संगठन की व्यवस्था करने जा रहे हैं। एक ढांचा और एक मशीनरी का होना आवश्यक है। अन्यथा, कौन इसे लागू करेगा। परन्तु ढांचे अथवा संगठन की व्यवस्था करना ही काफी नहीं होगा। उन्हें आर्थिक सहायता दिए जाने की आवश्यकता है। धनराशि उपलब्ध करानी होगी तथा सहायता देनी होगी। आवश्यक धनराशि उपलब्ध करानी होगी। लोगों को इस बारे में जागरूक बनाना होगा इन सभी चीजों पर ध्यान देना होगा।

मैं यह कहना चाहूंगा कि विभिन्न समितियों के लिए सही लोगों का चुनाव किया जाना चाहिए। विभिन्न समितियों अथवा प्राधिकरणों के लिए जब तक ऐसे लोग न चुने जाये जिनमें गरीब लोगों के प्रति सहृदयता एवं

उनके प्रति प्रतिबद्धता और निष्ठा का भाव न हो, मैं प्रतिबद्धता और निष्ठा पर विशेष बल दे रहा हूं क्योंकि जब तक इन व्यक्तियों में ये गुण नहीं होंगे, मुझे इसमें संदेह है कि इस उद्देश्य को पूरा किया जा सकेगा।

इस संबंध में हमें स्वयंसेवी संगठनों से मदद लेनी चाहिए क्योंकि यह प्रश्न अशिक्षितों के बीच चेतना जगाने तथा उनमें विश्वास उत्पन्न करने संबंधी है।

मेरे विद्वान मित्र कानूनी अशिक्षा की बात कर रहे थे। कानूनी अशिक्षा की बात तो छोड़ो लगभग दो तिहाई लोग अशिक्षित हैं। अतएव यह काफी कठिन कार्य हो लेकिन कोई भी काम असंभव नहीं होता है। हमारे लिए यह अच्छी बात है कि हमारे पास प्रतिबद्ध सामाजिक कार्यकर्त्ता मौजूद हैं जो इन क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार हैं।

मैं माननीय मंत्री को एक और सुझाव देना चाहूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वे इन प्रावधानों को लागू कराने तथा इसलिए कि ये प्रावधान सही अर्थों में लागू किए जा सकें इसके प्रति काफी ईमानदार हैं। हमारे विषमता भरे समाज में, वकील भी कई दर्जे के पाए जाते हैं। अच्छे वकील जो सक्षम तथा गुणवान हैं वे काफी ज्यादा पैसे मांगते हैं। अमीर तबके लोग उन्हें नियुक्त करते हैं। इस स्थिति में प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती है। कोई तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन जब तक वकील अपने मुवक्किल के प्रति प्रतिबद्ध न हों कुछ मामलों में ऐसे वकील भी निकले हैं जिन्हें खरीद लिया गया है। ऐसे मामले अब बढ़ते जा रहे हैं। यहां तक कि सरकारी वकील भी अब खरीद लिए जाते हैं। मैंने ऐसा होते हुए अपनी आंखों से देखा है जब मैं उड़ीसा के कानून विभाग में कुछ समय के लिए था यहां तक की सरकारी वकील काला बाजारियों की जमानत याचिका का भी विरोध नहीं करते हैं। इसलिए कुछ वकीलों को बदल दिया गया था। यहां तक कि कुछ निर्देश भी जारी किए गए। पैसों की लोलुपता का अपना प्रभाव है और यह हर क्षेत्र में होता है कानूनी व्यवसाय भी इससे अछूता नहीं है।

जब समितियां उनके लिये वकीलों की सेवायें लेंगी तो मेरा विचार है कि इस उपबन्ध द्वारा जिन गरीब मुवक्किलों को सहायता प्रदान की जाती है उन्हें भी यह पसन्द करने का अधिकार होना चाहिये किस वकील की सेवायें ली जाये। यदि उतना पारिश्रमिक देकर उनकी पसन्द के किसी वकील की सेवाएं ली जा सकें तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। यह वकीलों और चिकित्सकों पर विश्वास और आस्था का प्रश्न है इसलिये यही कारगर है। इस प्रकार यह एक सुझाव मात्र है।

मैं कहना चाहूंगा कि यह इस विषय पर सोचने, अपना दिमाग लगाने और वर्तमान न्यायपालिका तथा वर्तमान विधिशास्त्र के प्रति अपने दृष्टिकोण को डालने का समय है। अपराधों में जिस प्रकार वृद्धि हो रही है वह खतरे की घंटी है। आज राजधानी दिल्ली में ही क्या हो रहा है ? आज के समाचार पत्रों में हमने पढ़ा कि गुमशुदगी के लगभग दस हजार मामले प्रतिवर्ष होते हैं। दस हजार व्यक्ति भाग जाते हैं; उनमें से एक-तिहाई व्यक्तियों का ही पता चल पाता है, परन्तु दो-तिहाई व्यक्तियों का किसी को अता-पता नहीं होता। अपहरण, हत्या, नाबालिकों के साथ बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। बच्चों के माता-पिता को अब चिन्ता रहती है। गृह राज्य मंत्री श्री सईद भी यहां उपस्थित हैं। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि बच्चों के माता-पिता आजकल स्कूल जाने वाले बच्चों के अपहरण की घटनाओं में तेजी से हो रही वृद्धि से चिन्तित हैं। अन्य विभिन्न स्कूलों और पार्कों में सुरक्षा

व्यवस्था मजबूत कर दी गयी है। इसे जारी रखना पड़ेगा। गृह मंत्रालय ने यह अच्छा कार्य किया है। परन्तु इस अपराध में जो गिरोह लगे हैं उन्हें सही सबक सिखाना होगा क्या वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत हम यह कर सकते हैं ? यह प्रणाली निरापद नहीं है। इस प्रणाली पर बोलते समय मैं इस बाबत सचेत हूं। परन्तु अपराधी न्यायालयों की शरण ले रहे हैं, वे अच्छे वकीलों की सेवाएं लेते हैं और सही-सलामत छूट जाते हैं। इसमें वे अपराधी भी शामिल हैं जो दिनदहाड़े हत्या कर देते हैं। इस प्रकार हमारी वर्तमान न्याय-व्यवस्था जो एक एंग्लो-सैक्सन प्रणाली है और जिसे हमने अपने समाज में अंग्रेजों से विरासत में पाया है, वह किस प्रकार उपयुक्त है ? हमें अपना दिमाग लगाना है; हमें इस न्यायपालिका, इस न्यायिक प्रणाली, इस विधिशास्त्र, इन सब बातों की पुनः समीक्षा करनी है। यह सब करने, इस पर शांतिपूर्वक विचार करने और यदि आवश्यक हो तो एक राष्ट्रीय बहस करने का यही समय है। वर्तमान न्यायिक प्रणाली के हमारे राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति कहां तक हो सकती है ? परिणाम चाहे जो निकले किन्तु हमें अपनी न्यायिक प्रणाली में प्रगतिशील और क्रान्तिकारी सुधार करने होंगे।

मुझे प्रशंसा के दो शब्द भी कहने हैं। मैं भारत सरकार, विशेष रूप से विधि मंत्री के प्रयासों, की सराहना करता हूं। देर से ही सही, यह सही दिशा में उठाया गया कदम है। मैं अनुरोध करूंगा कि इसे पूरी तरह परखा जाये, इसकी प्रगति पर दृष्टि रखी जाये और अपने अनुभव से भी हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसे कितना बेहतर बनाया जा सकता है।

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : उपसभापति महोदया, मैं अपने माननीय विधि मंत्री श्री भारद्वाज द्वारा पुरःस्थापित किये गये विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

भारत सरकार गत चौदह वर्षों से इस कार्यक्रम को एक क्रमबद्ध तरीके से लागू करने का प्रयास कर रही है। हमारी न्यायिक प्रणाली के गरीबों को कानूनी सहायता देने के संबंध में सदन के भीतर और बाहर काफी चर्चा की गयी है। हमारी स्वर्गीया प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समय से ही यह चर्चा आरम्भ हुयी थी और इन चौदह वर्षों के दौरान हमारा विधि मंत्रालय हमारे समाज में गरीबों और पददलितों को सहायता प्रदान करने के इस कार्यक्रम को लागू करने हेतु प्रयास करता रहा है महोदया, इस कानूनी सेवा में प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक का उद्देश्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (क) के आदेश का पालन करना है जिसमें गरीबों को समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता देने की बाबत कहा गया है। विधेयक का उद्देश्य हमारे समाज के गरीब लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु एक समुचित सांविधिक प्राधिकरण की स्थापना करने का है। निस्संदेह, राज्य सभा ने यह विधेयक पारित कर दिया है परन्तु इस विधेयक को अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने के कारण पारित नहीं कर सके। परन्तु आज मेरे विचार से हम इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं और इस अधिनियम के अंतर्गत और अधिक शक्तियां प्रदान कर रहे हैं ताकि संविधान के अनुछेद 39 (क) में निहित विचार को सम्पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जा सके। यह कानूनी सहायता क्रियान्वयन समिति काफी समय से कार्य कर रही है। मेरे विचार से हमारे अनेक विधि विशेषज्ञों ने इस संबंध में अपनी राय दी थी और इस निरन्तर चर्चा से अब एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस प्रणाली और इस व्यवस्था से हमारे समाज में उन गरीब लोगों को अधिक राहत मिल रही है जिनके पास और कोई साधन नहीं है,' जिन्हें न्याय पाने से वंचित किया गया है और जो अपनी आर्थिक

कठिनाइयों के कारण न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। महोदया, इस कानूनी सहायता योजना क्रियान्वयन समिति ने काफी कार्य किया था और मैं उन्हें इस संबंध में अनेक अनुकरणीय कार्य के लिये बधाई देना चाहता हूं। महोदय, वर्तमान विधेयक इसके प्रयासों को एक सांविधिक समर्थन प्रदान करेगा। महोदया, यद्यपि अब देर हो चुकी है, तथापि हम कानूनी सहायता योजना क्रियान्वयन समिति के प्रयासों को सांविधिक समर्थन प्रदान कर रहे हैं। ये जो लोक अदालतें हम देख रहे हैं वे संवैधानिक रूप से युक्तियुक्त और व्यवहारिक हैं। यह व्यवहार्य है और लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं और इसके द्वारा अब लोगों को बहुत राहत मिल रही है और वे उनकी शिकायतों को दूर करने में समर्थ हैं। लोक अदालतों की स्थापना के बाद दुर्घटनाओं से संबंधित अनेक मामले और अन्य प्रकार के मामले इन अदालतों द्वारा निपटाये जाते हैं जिनसे संबंधित मुकदमेबाजी पर बहुत कम खर्च आता है। लोक अदालतों की प्रणाली को और भी मजबूत बनाया जा सकता है। मेरे विचार से आगे और अधिक चर्चा की आवश्यकता है। अतः, हमें इस प्रणाली को और मजबूत बनाना है ताकि समाज में गरीब लोगों को और अधिक राहत मिल सके। महोदया, हमारी वर्तमान विधि प्रणाली, जैसाकि हमारे माननीय साथियों ने यहां उल्लेख किया, अत्यधिक खर्चीली है और इसमें समय बहुत लगता है। गरीब लोग कानूनी सहायता पाने हेतु न्यायालयों की शरण लेने की स्थिति में नहीं हैं। महोदया, प्रत्येक न्यायालय में हम देख सकते हैं कि लंबित पड़े मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है और जब तक हमारे यहां मामले निपटाने हेतु सरल प्रणाली नहीं होगी तब तक गरीब लोगों को समय पर न्याय नहीं मिलेगा।

प्रथम समस्या मुकदमे बाजी पर आने वाला भारी खर्च है और दूसरी समस्या मामलों के निपटारे में विलम्ब की है जिसके परिणामस्वरूप अन्याय हो रहा है। यह ठीक ही कहा गया है कि 'विलंबित न्याय अन्याय है' (यदि न्याय विलम्ब से मिले तो वह न मिलने के समान है) अतः, ये दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। देश में आम आदमी को मुकदमे बाजी पर आने वाले भारी खर्च और मामलों का निपटारा करने में अत्यधिक विलम्ब, इन दो प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

भारतीय अधिवक्ता अधिनियम अथवा बॉर काउंसिल नियमों में इस बावत कोई उल्लेख नहीं है कि एक अधिवक्ता कितना शुल्क ले सकता है। यह उनमें नहीं लिखा है। हम देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में कुछ अधिवक्ताओं का एकाधिकार है। इनमें से अनेक अधिवक्ता प्रत्येक मामले के लिये एक लाख से अधिक शुल्क लेते हैं। एक पेशी के लिये भी, वे एक लाख रुपये से अधिक धनराशि वसूल कर रहे हैं। हम अपने जीवन में प्रतिदिन इसका अनुभव कर रहे हैं। इससे न्यायिक प्रणाली में बहुत ही अस्वस्थ परम्परा बनती जा रही है और इस प्रकार न्याय पाना अत्यधिक खर्चीला हो जाता है। वास्तव में, अब समय आ गया है जब हमें इस प्रणाली को सुस्पष्ट बनाना चाहिये। यदि इस प्रणाली में कोई सुस्पष्टता नहीं होगी तो ऐसा ही होता रहेगा, गरीब लोग न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। सरकार को अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करने पर विचार करना चाहिये। अन्यथा, यही होता रहेगा और इस देश में कोई आम आदमी न्याय पाने हेतु न्यायालय की शरण नहीं ले सकेगा। इसलिए मैं सरकार से वर्तमान अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करने का आग्रह करता हूं जिससे यह प्रक्रिया अधिक परदर्शी बन जाए तथा लोग पैरवी के लिए आसानी से अच्छे अधिकारियों की सेवा प्राप्त कर सकें और उन्हें उचित न्याय मिल सके।

मामलों को निपटाने में अत्यधिक विलम्ब के संबंध में दो या तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के पद रिक्त होना है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय विधि मंत्री ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पदों को भरने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। लेकिन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के और पद अभी भी रिक्त हैं; मैं समझता हूं कि ये पद भरे जाने चाहिए, क्योंकि प्रत्येक दिन ढेरों मामले दायर किए जाते हैं और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। मामलों को निपटाने में होने वाले अत्यधिक बिलम्ब के कारण हमारी न्यायिक प्रणाली को भारी क्षति हो रही है। मैं समझता हूं कि अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए और सरकार को विभिन्न न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में, प्रतिभा, मामलों को निपटाने की क्षमता और अनुभव को वरीयता दी जानी चाहिए। समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और इसमें कोई मतभेद नहीं हैं। लेकिन हमें उनकी प्रतिभा योग्यता और पुराने रिकार्ड को अधिक महत्व देना चाहिए, ताकि न्यायपालिका अपने कार्य स्वतन्त्रता से कर सके और उनके द्वारा लिए गए निर्णय अधिक सही हों।

कई मामले सालों तक खिचते रहते हैं, क्योंकि अधिवक्ता स्थगन मांगते हैं और न्यायाधीश उन्हें मंजूरी देते हैं। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। न्यायालयों में अधिवक्ता बार-बार तारीखें बढ़ाने की मांग करते हैं और न्यायाधीश अनुमति दे देते हैं। मैं समझता हूं कि इस पर कुछ प्रतिबन्ध लगाना चाहिए और विशेष मामले में एक अधिवक्ता कितनी बार तारीखें मांग सकता है, इसकी अधिकतम सीमा निश्चित की जानी चाहिए और न्यायालय संबंधी नियमों में उचित संशोधन करने चाहिए। अतएव, मेरा सरकार से अनुरोध है कि न्यायालय संबंधी नियमों में संशोधन करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि मामले विशेष में अनेक स्थगन न हों। लेकिन आजकल प्रत्येक मामले में अधिवक्ता तारीखें आगे बढ़ाने की मांग कर सकते हैं और न्यायाधीश भी हर बार इसकी अनुमति दे देते हैं। इसके कारण भी मामलों को निपटाने में बिलम्ब होता है।

'निर्धनों की कानूनी सहायता' योजना को लागू करने में राज्य सरकारों का प्रदर्शन बहुत धूमिल रहा है। एक अध्ययन के अनुसार, 25 राज्यों में से केवल कर्नाटक, हरियाणा और गुजरात ने केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का सदुपयोग किया है। इस संबंध में अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इस धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में अनेक शिकायतें हैं। राज्य सरकारें इस धनराशि का उपयोग कर्मचारियों को वेतन देने और अन्य प्रयोजनों के लिए कर रही है। भारत के माननीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रंगनाथ मिश्र ने अपने एक भाषण में कहा है कि पश्चिमी बंगाल में सत्ता पार्टी द्वारा इस धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने यह माना है और इसे ठीक करने का वायदा किया है। हम निर्धनों को कानूनी सहायता कैसे दे सकते हैं ? पश्चिम बंगाल में सत्ता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने इस उद्देश्य हेतु आवंटित धनराशि का दुरुपयोग किया था। पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रंगनाथ मिश्र ने इस मामले से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु को अवगत कराया था। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए कहा था। केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकारों को आवंटित की गई धनराशि के दुरुपयोग का यह एक उदाहरण है। इस समस्या को राज्य अधिकारियों के परामर्श से मंत्री

महोदय के साथ उठाया जाना चाहिए। इसकी उचित निगरानी होनी चाहिए ताकि धनराशि का उपयोग इसी उद्देश्य के लिए हो और हमारी न्यायिक प्रणाली सुदृढ़ हो सके।

वेतन भोगी वर्ग के लिए प्रशासकीय प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं। इन प्राधिकरणों को सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति करके और सुदृढ़ किया जाना चाहिए। इन प्राधिकरणों के संबंध में कुछ शिकायतें हैं। मैं समझता हूं कि वेतनभोगी कर्मचारी इन प्राधिकारियों में अपनी शिकायतों का निवारण करवा सकते हैं। इन प्राधिकरणों को और सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार को उचित उपाय कराने चाहिए।

इसी प्रकार जिन विभागीय संस्थाओं को इन प्राधिकरणों के अधिकार से बाहर रखा गया है उन्हें इनके अधिकार के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। प्राधिकरणों की शिकायत निवारण प्रक्रिया कम खर्चीली और प्रभावकारी है। ये प्राधिकरण उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी हैं। न्यायालय में जाने की बजाय, अपनी शिकायतों का निवारण इन प्राधिकरणों में करवा सकते हैं। अतः मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इन प्राधिकारियों को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

इसी प्रकार जिन विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है उनको इन प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए ताकि नियत आय वाले कर्मचारी भी अपनी शिकायतों का निवारण इन प्राधिकरणों में करवा सकें।

इन शब्दों के साथ, मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39क गरीब लोगों को अधिक सहायता और न्याय देने के लिए इस विधेयक को लाने के लिए श्री भारद्वाज जी को बधाई देता हूं।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आन्तरिक मणिपुर) : महोदया मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। लेकिन मैं खेद के साथ कहता हूं कि इस विधेयक को अब प्रस्तुत करने में बहुत देर हो चुकी है। यूं तो संविधान में एक अधिदेशात्मक प्रावधान है कि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य किसी कारण वश न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित नहीं रहना चाहिए-संविधान के अनुच्छेद 39क के अनुसार देश के पूर्व शासक आजादी के 45 वर्ष बाद भी इस प्रावधान को लागू नहीं कर पाए। इसके परिणामस्वरूप अनेक गरीब लोग इसके शिकार हुए हैं। वे इस प्रावधान के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाएं प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए मुझे इसके लिए खेद है। मेरा मानना है कि भावी सन्तानें उनको जिम्मेदार ठहराएंगी। मैं वो बातें नहीं बता रहा हूं कि यह अधिनियम कैसे प्रस्तुत किया गया। अब काफी विलम्ब हो चुका है। स्वतन्त्रता के चालीस वर्ष बाद संविधान के अपनाए जाने के काफी बाद भी यह प्रावधान लागू नहीं किया जा सका। हमारे देश का इतिहास दलितों और धनाढ्य लोगों के हाथ हुए शोषित लोगों का इतिहास है। अतएव यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन अधिनियमों को इतने विलम्ब से पारित और लागू किया गया।

लेकिन मैं माननीय विधि मंत्री को, विलम्ब से ही सही, इस विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक को प्रस्तुत करने में उनके प्रयासों के लिए तारीफ करता हूं।

अब, मैं इस विधेयक के कुछ प्रावधानों पर शीघ्रता से चर्चा करूंगा। मैं इस विधेयक की भावना की प्रशंसा करता हूं। लेकिन विधेयक के प्रावधानों के अन्तर्गत, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकारण

स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। राज्य प्राधिकरण स्थापित करने के लिए यह उल्लेख किया गया है कि इसे उच्च न्यायालय-वार स्थापित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत छोटे राज्य मणिपुर, नागालैंड मेघालय और असम से जिसका अर्थ है कि एक प्राधिकरण के अंतर्गत, विभिन्न राज्य कार्य करेंगे। छोटे राज्य गुवाहाटी उच्च न्यायालय के लिए स्थापित राज्य प्राधिकरण को अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत होंगे। इस संबंध में, यह हो सकता है कि यह प्रभावी सिद्ध न हो। अतः, मैं राज्य-वार, न कि उच्च न्यायालय-वार, राज्य प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव करता हूं। यदि किसी राज्य में उच्च न्यायालय की कोई स्थाई खण्ड पीठ है तो वहां राज्य प्राधिकरण होना चाहिए मेरा यह प्रस्ताव है। मुझे आशा है कि माननीय विधि मंत्री इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

जहां तक यह सुविधा प्राप्त करने के मानदंडों का प्रश्न है, आय की उच्चतम सीमा तय की गई है। प्रस्ताव के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के अन्येत्तर किसी भी न्यायालय के समक्ष वाद के लिए वार्षिक आय 9,000/-रु. से कम होनी चाहिए। यह शर्त स्वीकार्य नहीं है। साथ ही, उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वादों के संबंध में उच्चतम आय सीमा 12,000/- रुपए से कम है। यदि सरकार वकीलों की फीस निर्धारित कर सकती है, तो किसी प्रकार ऐसा किया जाना चाहिए। परंतु, वर्तमान परिस्थिति में, इसका लाभ बहुसंख्यक जरूरतमंद जनता को नहीं मिल पाएगा। इससे केवल थोड़े ही लोगों को लाभ मिलेगा।

4.00 म. प.

अतः, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अधिनियम और उच्च न्यायालयों के संदर्भ में आय सीमा को 9,000/- रुपए से बढ़ाकर 12,000/- रुपए कर दिया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में इस सीमा को 12,000/- रुपए से बढ़ाकर 15,000/- रुपए कर दिया जाना चाहिए।

मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि उन अत्यंत गरीब लोगों को, जिन्हें मणिपुर, नागालैंड आदि जैसे सुदूर स्थानों से उच्चतम न्यायालयों में जाने की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें द्वितीय श्रेणी के रेल किराए की सुविधा दी जानी चाहिए। अन्यथा निःशुल्क कानूनी सहायता का मूलभूत उद्देश्य ही निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि गरीब लोग भारी खर्च करके लम्बी यात्राएं नहीं कर सकते। अतः, मैं माननीय मंत्री जी से इस सुझाव पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। अंत में, मैं गैर-सरकारी स्वयंसेवी संगठनों द्वारा अदा की जाने वाली भूमिका का उल्लेख करना चाहूंगा। यदि हम उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल नहीं करते हैं, तो यह कानूनी सहायता कार्यक्रम कतई प्रभावी नहीं हो पाएगा और केवल कुछ निहित स्वार्थों द्वारा ही इसका दुरुपयोग किया जाएगा। अतः सक्रिय सह भागिता के लिए हमें स्वयंसेवी संगठनों को शामिल करना चाहिए ताकि जनता में मुफ्त कानूनी सहायता के विषय में चेतना का प्रसार हो सके। इस उद्देश्य से सरकार को आवश्यक धन राशि भी उपलब्ध करानी चाहिए। इन स्वयंसेवी संगठनों की सहायता से हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे देश के दूर-दराज और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में मुफ्त कानूनी सहायता का संदेश फैले। यद्यपि हमारे संविधान में कई कल्याणकारी उपाय अंतर्निहित हैं, अधिकांश लोगों को, विशेषतः उन्हें जिन्हें इन उपायों की सबसे अधिक आवश्यकता है, इनकी जानकारी नहीं है। यद्यपि उनके लिए सुविधाएं हैं। पर उन्हें इन बातों का पता नहीं है। सरकार का यह

कर्तव्य है कि वह जनता को इस सम्बन्ध में जागृत करे। हमें अपने कार्यक्रम में गैर-सरकारी निकायों और स्वयंसेवी संगठनों का सक्रिय सहयोग लेना है ताकि दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले हमारे लोगों में चेतना उत्पन्न करने या इसके प्रसार के कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन हो सके। समुचित जागृति कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन हो सके। समुचित जागृति कार्यक्रम भी तैयार किए जाने चाहिएं।

इन शब्दों के साथ, मैं पुनः विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : धन्यवाद, महोदया। मैं विधेयक में अन्तर्निहित भावना का समर्थन करता हूं, पर मैं चर्चाधीन इस संशोधन विधेयक के प्रति अपनाए गए दृष्टिकोण का समर्थन नहीं कर सकता। माननीय विधि मंत्री द्वारा प्रस्तुत मूल बात हमारे संविधान के अनुच्छेद 39 (क) में अंतर्निहित है। पर ये नीति निदेशक सिद्धान्त केवल राज्य सरकारों या केन्द्र सरकार को दिए गए निर्देशों के रूप में हैं। इस विधेयक को अधिनियम बना लेने से यही होगा कि हम नीति निदेशक सिद्धान्तों की मूल बातों के क्रियान्वयन के उत्तरदायित्व से छुटकारा पा लेंगे और इसकी जिम्मेदारी न्यायपालिका पर डाल देंगे। मेरे विचार से हम आवश्यकता या राज्य नीति के आधार पर अनुच्छेद 39 (क) का क्रियान्वयन करेंगे।

यदि आप इस संशोधन अधिनियम के सम्पूर्ण आयाम का अध्ययन करें, तो आप देखेंगे कि भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति पाठक की सिफारिशों के अनुसार, न्यायपालिका ने सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने का प्रयास किया है। गरीबों के लिए कानूनी सहायता के दृष्टिकोण पर चर्चा करते समय हमें इसके विभिन्न मुद्दों को देखना चाहिए। इस विधेयक में और सम्भवतः पहले के विधेयकों में भी जो बात हम नहीं पाते, वह यह है कि मुकदमों का निपटारा सस्ता और शीघ्र होना चाहिए। यह किसी भी अच्छी सरकार का मूल सार होना चाहिए। जैसा कि मेरे मित्र ने बताया, मुकदमे बाजी इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमी या मध्य वर्गीय व्यक्ति के लिए भी यह अब, विशेषतः इसमें होने वाली देर के कारण, आसान नहीं रह गया है। देर से मिलने वाला न्याय न्याय नहीं होता। इन सभी नए कारकों के कारण, जिन्हें हम इस विधेयक में शामिल कर रहे हैं, न्याय प्रणाली और भी जटिल हो जाएगी।

विभिन्न न्यायालयों में हजारों वादों का अम्बार लगता जा रहा है। निचली अदालतों से लेकर शीर्षस्थ न्यायालय तक हजारों मामले लम्बित पड़े हैं। बहुत सारे मामले में तो वादियों को सुनवाई के लिए ही कई वर्षों से प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। हमारे सामने आज यही स्थिति है। इसे ध्यान में रखते हुए क्या हम अपने न्याय तंत्र पर और अधिक बोझ डाल सकते हैं ?

इस विधेयक के अनुसार, दो समितियां होंगी। एक प्राधिकरण और एक समिति उच्चतम न्यायालय के स्तर पर होगी जिसमें दो न्यायाधीश होंगे और सम्भवतः किसी एक में एक भूतपूर्व न्यायाधीश होगा। परंतु, फिर भी उच्चतम न्यायालय स्तर पर समिति की अध्यक्षता और केंद्रीय स्तर पर प्राधिकरण की अध्यक्षता एक न्यायाधीश तो करेगा ही। ठीक ऐसा ही राज्य और जिला स्तरों पर भी है। अब, जब कि हमें मालूम है कि हमारी न्यायपालिका और न्यायालयों पर पहले से ही आवश्यकता से अधिक भार है, तो क्या हम उन्हें और भी ज्यादा काम दे सकते हैं ? मैं नहीं समझता कि इस प्रकार हम शीघ्र न्याय दिलाने की दिशा में काम करने जा रहे हैं। हालांकि हम

कानूनी सहायता का पूरा काम उच्चतम न्यायालय और निचले न्यायालयों को सौंप कर अपनी जिम्मेवारी से पीछा छुड़ा सकते हैं, पर हमने उन्हें पर्याप्त धनराशि नहीं दी है। जो भी धन उपलब्ध कराया जा रहा है, वह दोनों समितियों के सदस्यों के वेतनों में खर्च हो जाएगी। केंद्रीय और राज्य स्तर पर एक-एक समिति है। अब हम उच्चतम न्यायालय स्तर पर एक समिति और उच्च न्यायालय स्तर पर एक और समिति बनाने जा रहे हैं। इसी तरह जिला स्तर पर दो समितियां होंगी। तभी यह सभा इस पर विचार विमर्श कर पाएगी क्योंकि उनके वेतन और अन्य खर्चे भारत की संचित निधि पर प्रभारित होने हैं। किए जा रहे काम का आकलन भी हम समुचित रूप से नहीं कर पाएंगे। हमें यह भी मालूम नहीं हो सकेगा कि संविधान के प्रावधान के अनुरूप नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अंतर्गत हमारी गरीब जनता को सहायता मिल रही है अथवा नहीं। मेरे विचार से यह सफल प्रक्रिया नहीं है।

मैं समझता हूं कि 1987 के अधिनियम के अंतर्गत उल्लिखित कार्यपद्धति में कुछ कठिनाई थी। आप कह सकते हैं कि चूंकि अब लोक अदालत का प्रावधान हो गया है, अतः कोई कठिनाई नहीं है। हमें मालूम है, कितनी लोक अदालतें हैं। मुझे दूसरे राज्यों के बारे में तो मालूम नहीं है, लेकिन पंजाब में कुछ ही लोक अदालतें हैं। कारण यह है कि न्यायाधीशों को जिला मुख्यालयों में जाने का समय नहीं मिलता। एक जिले में एक वर्ष में आप एक लोक अदालत लगा सकते हैं। गरीबों को शीघ्र न्याय दिलाने का यह तरीका नहीं है। यदि हम वर्तमान न्यायाधीशों की और भी सेवाएं लेंगे तो वे कह सकते हैं कि विधि मंत्री पहले से ही भार से पीड़ित न्यायपालिका पर और भी बोझ लाद रहे हैं। हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि हम पूरी प्रक्रिया को ही अंतिम रूप देने जा रहे हैं, किन्तु मुझे इस बात की पक्की आशा है कि गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि हमारा देश समाजवादी देश है। हमें वकीलों का पारिश्रमिक निश्चित करने के लिए एक विधान लाना चाहिए। हम उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय से परामर्श कर सकते हैं और वकीलों की फीस निश्चित करने हेतु एक विधान ला सकते हैं। वकील अपने काम के लिए अत्यधिक फीस क्यों वसूल करें ? एक पहलू तो यही है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि गरीब लोग उचित फीस के भुगतान पर वकीलों की सेवाएं हासिल कर सकें।

कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही बढ़िया कार्य है और हमारे मित्रों ने इसके लिए विधि मंत्री को पहले से बधाई दे दी है। इससे किसको लाभ प्राप्त होगा ? इससे 9,000 रुपए प्रतिवर्ष अर्थात् 750 रुपए प्रतिमाह तक की आय वाले व्यक्ति इससे लाभ उठा सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि एक घरेलू नौकर भी इस वर्ग में नहीं आएगा। दैनिक वेतन भोगी श्रमिक को भी 40 से 50 रुपए तक प्रतिदिन मिलते हैं इस प्रकार से यह कैसे संभव हो सकता है कि जिला अथवा राज्य स्तर पर 750 रुपए प्रतिमाह से अधिक पाने वाले व्यक्ति के लिए इसका लाभ उठाना किस प्रकार से सम्भव हो सकेगा ? इसी प्रकार से उच्चतम न्यायालय स्तर पर 1,000 रुपए प्रतिमाह तक आय वाले व्यक्ति को यह लाभ मिलेगा। मेरे विचार से हमें पूरे देश में इसके लिए वाही-वाही नहीं मिलेगी क्योंकि इससे गरीब लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि उनके पास अधिक धन नहीं है इसलिए वे इस राशि में वृद्धि नहीं कर सकते। श्री दिघे ने इस कानूनी सहायता के लिए किए गए कुल आबंटन के उपयोग के बारे में कुछ आंकड़े दिए हैं। मैं कह नहीं सकता कि ये आंकड़े सही हैं अथवा नहीं, किन्तु इससे यह पता चलता है कि विगत् में इससे कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। बहुत ही कम लोगों को

इसका लाभ मिला है और मुझे आशंका है कि भविष्य में भी इससे कोई लाभ मिल पाएगा।

मुझे एक बात की आशंका है। मान लीजिए कि इस नए विधान के अंतर्गत दो पार्टियों में से एक पार्टी किसी मुकदमे में अपने मामले को लोक अदालत में भेजने के लिए कहती है, तो तब क्या होगा ? मान लीजिए कि यदि दूसरी पार्टी बाद में यह निर्णय लेती है कि मामले में विलम्ब कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा ? इसलिए इससे एक पार्टी द्वारा दूसरी को परेशान करने का तरीका मिल जाएगा। यह प्रक्रिया भविष्य में लाभकारी होने की बजाय घातक सिद्ध हो सकती है क्योंकि जो भी पार्टी बेहतर और लाभकारी स्थिति में होगी अथवा जिसके कब्जे में सम्पति आदि होगी, तो वह न्यायालय से यह अनुरोध करेगी कि वह अपने मामले का फैसला लोक अदालत में कराना चाहती है न्यायालयों में ये मामले महीनों तक लटक सकते हैं और जब वे लोक अदालतों में आएंगे तो दूसरी पार्टी इसका विरोध करेगी, क्योंकि उन्हें आपत्ति करने का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार इस नई प्रक्रिया से मामलों में विलम्ब भी होने लगेगा। अत: महोदय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और स्थानीय न्यायपालिका के लिए यह देखने हेतु नियम बनाए जाने चाहिएं कि न्याय में किसी प्रकार का विलम्ब न हो। न्याय शीघ्रता से मिले और सस्ता मिले।

मैं इस विधेयक की भावना से सहमत हूं जो कि संविधान के अनुरूप ही है किन्तु फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि गरीब व्यक्ति को उपयुक्त सहायता प्रदान की जानी चाहिए जो कि न केवल न्यायपालिका के लिए आवश्यक है बल्कि कार्यपालिका का भी इसमें अधिक सकारात्मक रवैया होना चाहिए। मैं यहां पर एक बात पर बल देना चाहूंगा। अब पूरी जिम्मेदारी उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय पर ही डाल दी गई है किन्तु मुझे यह बात समझ नहीं आती कि न्यायाधीश गरीबों के हितों का चुने हुए प्रतिनिधियों अथवा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से बेहतर ध्यान रख सकते हैं। मेरे विचार से किसी जिले का कलैक्टर अथवा जिला स्तर का अन्य कोई अधिकारी किसी जिला न्यायाधीश की तुलना में उनके हितों का बेहतर ध्यान रख सकता है। जैसा कि मैंने कहा है कि न्यायाधीश बहुत व्यस्त रहते हैं। न्यायालयों में पहले ही बहुत काम का बोझ है। यदि हम उन पर अधिक जिम्मेदारी डाल देते हैं अथवा अपनी जिम्मेदारी भी उन्हें सौंप देते हैं, तो संविधान द्वारा हम पर डाली गई जिम्मेदारियों का क्या होगा ? मेरे विचार से इस प्रतिनिधि मंडल से हमें कोई मदद नहीं मिलेगी। लोगों के प्रति आखिरकार हम ही जिम्मेदार हैं और हमें उनके पास जाकर उनका सामना करना है। इसलिए मेरा यह मानना है कि हम यह देखने की प्रमुख जिम्मेदारी अपने हाथ में ही रखें कि गरीब लोगों को शीघ्रतिशीघ्र न्याय मिले।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री पाला के॰ एम॰ मैथ्यू (इडुकी) : महोदया, मैं इस विधेयक का समर्थन करने और इस विधेयक को, जो 1987 में अल्पमत हो गया था पुनरुजीवित करने के लिए श्री भारद्वाज को बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं। चूंकि अधिकांश मुद्दों पर पूर्व वक्ताओं द्वारा प्रकाश डाल जा चुका है, अत: मैं उन एक-दो सामान्य मुद्दों पर ही केन्द्रीत रहना चाहूंगा, जिन पर मेरे विचार से अधिक जोर दिये जाने की आवश्यकता है।

महोदया, हमारे देश में कानूनों का पुलिंदा हमारे पास है। ऐसी बात नहीं है कि यहां समस्याओं के मामले में कानूनों की ओर से कोई कमी है, किन्तु यहां जो मुख्य अड़चन है, वह कानूनों को क्रियान्वित करने में इच्छा

शक्ति की कमी होना है। हमें अब तक बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए राजनैतिक इच्छा, नैतिक साहस और सच्ची ईमानदारी से ओत-प्रोत होना चाहिए। यह एक ऐसा विधेयक है जिसे हमारे संविधि-संग्रह में स्थान प्राप्त हो जाएगा किन्तु मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इसे उपयुक्त तथा व्यापक तरीके से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

महोदय, यह विधेयक संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों, संविधान के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुरूप है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की घोषित नीतियों के अनुरूप भी है, जिनका कई अवसरों पर, घोषणापत्र तथा अन्य अवसरों पर भी उल्लेख किया गया है।

आपत्तियों तथा कारणों संबंधी विवरणी में जो कहा गया है, उसको मैं यहां पर उद्धृत करता हूं :

"विधेयक यह सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है कि कोई भी नागरिक आर्थिक कारणों अथवा अन्य किसी कमी की वजह से न्याय हासिल करने से वंचित न रहे.......।"

अत: यह विधेयक गरीबों, उपेक्षितों तथा दलित वर्गों की सहायतार्थ लाया गया है। यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि हमारी न्याय प्रणाली अत्यधिक खर्चीली है। इसमें असाधारण विलम्ब होता है। मैं इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इस पहलु पर पहले ही काफी प्रकाश डाल दिया है। जिस बात का मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा, वह यह कि हमारे यहां असंगठित लोगों की बहुतायत है। कुछ वर्ष पहले ही देश की अग्रणी आवधिक पत्रिकाओं में से एक पत्रिका द्वारा अध्ययन कराया गया था और उन्होंने यह पाया कि देश में केवल दस प्रतिशत लोग ही संगठित हैं। इस दस प्रतिशत में से एक प्रतिशत लोग बड़े औद्योगिक और व्यापारिक घरानों से संबंधित हैं, चार प्रतिशत कुछ संघों से जुड़े हुए हैं और पांच प्रतिशत लोग कामगार श्रेणी से सम्बद्ध हैं। इस प्रकार कुल दस प्रतिशत लोग ही संगठित हैं। इस प्रकार से शेष 90 प्रतिशत जनसंख्या असंगठित है। उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। एक महान् लेखक ने इन्हें "मौन अधिसंख्यक" कहकर पुकारा है अत: इनका भी ध्यान रखा जाए। इस विधेयक का प्रमुख लक्ष्य यही है।

हम प्रतिदिन दहेज-हत्याओं, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, महिलाओं के साथ बलात्कार अथवा तंग करना अथवा उत्पीड़न और इस प्रकार की अन्य घटनाओं के बारे में सुन रहे हैं। इसलिए हमारे यहां समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं जो कानूनी सहायता के रूप में विशेष सहायता के हकदार हैं।

अत: मेरा यही निवेदन है कि इस विधेयक का, जिसे 90 प्रतिशत गरीब लोगों और वंचित तथा असंगठित लोगों की सहायतार्थ लाया जा रहा है, सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। यह विधान मात्र हमारे संविधि-संग्रह में शामिल करने के लिए ही नहीं होना चाहिए।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री पी॰ सी॰ थामस (मुवत्तुपुज़ा) : महोदया, इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं केवल दो या तीन मुद्दों पर चर्चा करूंगा।

महोदया, यह दु:ख कि बात है कि हम निर्धनों के लिए 1987 में पारित किए गये कानून को कार्यान्वित नहीं कर पाये। यह दुर्भाग्य की बात है कि इसे कार्यान्वित किए बिना ही हम इस कानून में संशोधन करने जा

रहे हैं। जो भी हो, यह एक अच्छा संकेत है कि हम इसमें और अधिक शक्तियों का प्रावधान करके इसे प्रभावकारी बना कर कार्यान्वित कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि इसके कार्यान्वयन से हमारे देश के बहुसंख्यक निर्धन लोगों को वास्तव में सहायता मिलेगी।

जहां तक कानूनी सहायता का संबंध है, केरल में कानूनी सहायता प्रणाली 1976 में शुरू की गई थी। मैं समझता हूं अब अनेक अन्य राज्यों में भी ऐसे ही विधेयक पारित किए गये हैं। इसके बावजूद हम कुछ नहीं कर पाये हैं।

अब, कानूनी सहायता देने के लिए पहला और प्रमुख पहलू यह सुनिश्चित करना है कि निर्धनों को कुछ कानूनी शिक्षा दी जाये। निर्धन लोग अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है और यह सच है कि समाज में सम्पन्न लोगों द्वारा उनका अब भी शोषण किया जाता है। मैं कहूंगा कि सम्पन्न लोगों का समाज में दसवां हिस्सा है, जो 90 प्रतिशत लोगों को लूट रहे हैं। अत: प्रथम और महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्धन लोगों को उनके अधिकारों के संबंध में कानूनी शिक्षा दी जाये और उन्हें यह बताया जाये कि वे समुचित राहत किन-किन मंचों से ले सकते हैं। यदि सांविधिक विधि से मुख्य न्यायाधीश के नियन्त्रण में ऐसा मंच बनाया जाता है, तो मुझे इस पर खुशी होगी। मुझे विश्वास है कि यदि कार्यान्वयन पक्ष पर नियन्त्रण लगाया जाये तो स्थिति में काफी सुधार हो सकता है। यह बात सच है कि यद्यपि कई मामलों में वकीलों की सहायता ली गई है, किन्तु निर्धनों को किसी भी मामले में अच्छे वकील नहीं दिये गये। हम एक बात पर बल देना चाहते हैं कि निर्धन लोग भी कानूनी सेवाओं में बेहतर सेवाएं प्राप्त करने के हकदार हैं। नाममात्र के लिए दिये गये वकीलों से इस प्रयोजन की पूर्ति नहीं होगी। अत: मैं समझता हूं, कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसी विधि बनानी होगी कि निर्धनों के साथ सहयोग करने के लिए वकील भी ईमानदार हों।

श्री मणिशंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : शीर्षस्थ वकीलों को निर्धनों की सहायता के लिए रोस्टर ड्यूटी पर लगाया जाना चाहिए। मंत्रियों की तरह ही वकीलों को भी रोस्टर ड्यूटी पर लगाया जाये। अन्यथा, यदि आप ईमानदार हैं तो शीर्षस्थ वकील नहीं बन सकते हैं।

श्री पी॰ सी॰ थामस : यह बहुत अच्छा सुझाव है। किन्तु यदि यह व्यावहारिक हो जाये तो हमारे मंत्रियों सहित संसद के कई सदस्यों को रोस्टर पर रखा जाना चाहिये क्योंकि वे हमारे वकीलों से भी बढ़कर हैं। अत:, मेरा केवल यह कहना है कि शीर्षस्थ वकीलों को भी इससे सम्बद्ध किया जाये। इसलिए, इस अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार कानून बनाने और आगे विचार विमर्श करने के संबंध में कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये। जैसाकि श्री मणि शंकर अय्यर ने कहा, हमें यह देखना है कि किसी भी तरह से अच्छे वकील की सेवाएं प्राप्त की जा सके। मेरा विश्वास है कि यदि सरकार अथवा विधायिका यह सुनिश्चित करे कि किसी भी तरह से ऐसे वकीलों की सेवाएं ली जाये, तो वे सहयोग करेंगे।

मैं समझता हूं कि इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब मैं, अन्य पक्षों पर नहीं बोलूंगा क्योंकि सभापति महोदय ने मुझे सीमित समय दिया है। अत: मैं इसी के साथ अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। मैं इस विधेयक को लाने के लिए मंत्री महोदय को बधाई देता हूं और मैं सरकार को अग्रिम बधाई देता हूं कि वह इस विधेयक को अविलम्ब कार्यान्वित करेगी।

श्री एच. आर. भारद्वाज : महोदया, मैं सभी माननीय सदस्यों को बहुमूल्य सुझाव देने के लिए धन्यवाद देता हूं। हमारे कमजोर वर्गों को दी जाने वाली कानूनी सहायता के प्रावधानों के बारे में उनका दृष्टिकोण तथा उनकी चिन्ता सभी भाषणों में परिलक्षित हुई है। इसलिए, मैं उनका आभारी हूं। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, किन्तु मैं माननीय सभा को यह अवगत कराना चाहता हूं कि हम आज जो अच्छी शुरूआत कर रहे हैं और जिसे मैंने 1987 में भी शुरू किया था, यह अनुच्छेद 39 (क) के अन्तर्गत संविधान संशोधन है।

आज यहां पर जो माननीय वरिष्ठ सदस्य उपस्थित हैं, विशेष तौर पर श्री उमरावसिंह उनको उन दिनों संविधान में इस अनुच्छेद को जोड़े जाने की बात याद होगी।

स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ, गरीबों, दलितों, कमजोर वर्गों, महिलाओं और बच्चों और समाज के उपेक्षित वर्गों की सहायता का कार्यक्रम शुरू किया था। इस पर विपक्ष की क्या राय थी, यहां पर उसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। एक के बाद एक अनुच्छेद में संशोधन किया गया। स्व. [illegible] स्वर्ण सिंह के अधीन एक समिति गठित की गई थी, हमने केवल इस कार्यक्रम के लिए ही संविधान में संशोधन किया। किन्तु विपक्ष ने क्या किया ? न्याय पालिका ने विद्रोह किया; प्रमुख वकीलों ने विद्रोह किया, क्योंकि "सिंडिकेट" कहे जाने वाले निहित स्वार्थी तत्व कार्य कर रहे थे, किन्तु हमने उन्हें नाकाम कर दिया; और कांग्रेस को इस परम्परा पर गर्व है।

श्री शरद दिघे यह भलीभांति जानते हैं कि यह कार्य कल्याण ठाणे और भिवन्डी से शुरू किया गया था, उस समय हम सब वहां थे; और हमारा प्रयास जारी है,

इसके बाद हमारे प्रिय नेता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी सत्ता में आये। उन्होंने 1985 में तत्काल निदेश दिए कि इस समय कार्य कर रहे कानूनी सहायता कार्यक्रम तथा न्यायमूर्ति भगवती के नियन्त्रणाधीन केन्द्रीय कानून सहायता कार्यक्रम को सांविधिक स्वरूप दिया जाये। हमने न्यायाधीशों को अपने कक्षों से बाहर निकलने तथा जनता में जाने और यह जानने के लिए मना रहे थे कि निर्धन लोगों की स्थिति कैसी है तथा वे किस तरह का कष्टकारी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें कानूनी सहायता तथा जानकारी संबंधी सहायता तत्काल दिये बिना ही कानून के समक्ष समानता तथा समान कानूनी संरक्षण देने की आशा कैसे कर सकते हैं ? हम न्यायाधीशों को बाहर निकलने के लिए राजी कर सके। न्यायमूर्ति भगवती, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, न्यायमूर्ति सावंत जैसे कुछ माननीय प्रतिष्ठित न्यायाधीश तथा कई अन्य न्यायाधीश बाहर निकले और दूर-दराज के आदिवासी क्षेत्रों में गये। मैं उनके साथ था। मैं इस कार्य को जारी रखना चाहता हूं। अत: मैं इस समिति को सांविधिक स्वरूप दिये जाने की मांग करता हूं।

यदि यह समिति कार्य आरम्भ करती है, तो केन्द्रीय सरकार कुछ धनराशि देगी और यह समिति क्षेत्र तक ही कार्य करेगी आपको पता होगा कि इस विधेयक में तालुक से लेकर उच्चतम न्यायालय के स्तर तक को शामिल किया गया है। आज उच्चतम न्यायालय के पास कानूनी सहायता समिति है और हम उन्हें सहायता के लिए प्रति वर्ष लगभग 8-10 लाख रुपये देते हैं। किन्तु, इससे कितने हरिजन और आदिवासी लाभान्वित हुए हैं ? वे गावों में यह भी नहीं जानते हैं कि उनके लिए एक कानूनी सहायता समिति है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि इसकी कोई सीमा नहीं होगी। यदि किसी हरिजन को कानूनी सहायता की आवश्यकता होगी, तो उसकी आय की कोई

सीमा नहीं होगी, चाहे वह लखपति ही क्यों न हो, फिर भी वह कानूनी सहायता प्राप्त करने का हकदार होगा। किन्तु, तालुक अथवा गांव का निर्धन व्यक्ति यह नहीं जानता है कि उच्चतम न्यायालय में निवर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में कोई समिति है, जहां वह उत्कृष्ट वकील से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है; और बिल का भुगतान कानूनी सहायता समिति करेगी। कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए हमने उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठतम वकीलों को बहुत अधिक शुल्क दिया है। किन्तु, निर्धन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है।

अत: स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1980 में कानूनी सहायता समिति के माध्यम से कानूनी साक्षरता कार्यक्रम शुरू करने तथा जानकारी देने का आदेश दिया था। इसके बाद 1987 में हम यह विधेयक लेकर आये। मैंने इसे संसद के दोनों सदनों में पारित कराया। श्री उमराव सिंह ने सही कहा है। मैंने इसे इस सभा तथा राज्य सभा में पारित कराया। इसके बाद, इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल गई। परन्तु, न्यायपालिका की ओर से उन कुछेक खंडों का विरोध किया गया जिसमें यह कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय प्राधिकारी को निदेश जारी किया जायेगा। इस पर उन्होंने तर्क दिया कि इसका यह मतलब निकलता है कि कार्यपालिका न्यायपालिका को निदेश जारी करेगी। इस पर मैंने यह कहा कि–"नहीं, बिलकुल नहीं हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता खत्म नहीं करना चाहते हैं। हम यह चाहेंगे कि न्यायपालिका का सम्मान किया जाये।" हालांकि उनका कहना ठीक नहीं है फिर भी यदि आप यह महसूस करते हैं कि इसमें ऐसे खंड हैं जिनके अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय प्राधिकरण को निदेश दिया जा सकता है तो मैं यह बता दूं कि वह न्यायपालिका के लिए निदेश नहीं है। संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है। हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। परन्तु, इसके बावजूद भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का सम्मान करते हुए भी हमने यह कहा कि "आप इस पर सुझाव दें"। इस मामले में कई न्यायाधीशों ने स्पष्ट रूप से यह बताया कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हमने यह कहा कि "ठीक है हम इसमें एक और महीने का विलम्ब कर सकते हैं।", परन्तु हमने कानूनी सहायता कार्यक्रम में कोई विलम्ब नहीं किया। यह कार्यक्रम कानूनी सहायता संबंधी केन्द्रीय समिति के अधीन चलता रहा। यह कार्यक्रम इसी तरह चलता रहा और आज मैं यह कह सकता हूं कि इन लोक अदालतों के माध्यम से निर्धन लोगों को लगभग 503 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया। और यह राशि बहुत थोड़ी नहीं है। सम्भवत:, न्यायालय भी छोटे मामलों के लिए इतनी राशि न दिला पाते। इस तरह से ये लोक अदालतें और न्यायाधीश एक महान् कार्य कर रहे हैं। हम अदालतों अथवा न्यायालयों के प्रबंधन के मामले में न्यायपालिका की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं ? मैं सरदार उमराव सिंह के इस सुझाव को स्वागत करता हूं कि मूलत: कार्यकारिणी द्वारा सामाजिक शिक्षा और सामाजिक न्याय कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। परन्तु, न्यायालयों और न्यायपालिका से संबंधित मामले में कार्यवाही करते समय हमें न्यायाधीशों और वकीलों को भी साथ लेकर चलना चाहिए। आप वकीलों को कानूनी सहायता कार्य आरम्भ करने के लिए कैसे कह सकते हैं जब तक कि वे इसके लिए स्वयं आगे बढ़कर नहीं आते। इसके लिए आप इन्हें प्रेरित करें। मैं यह कह सकता हूं कि हम पिछले वर्षों में इस कार्य के लिए आगे आने हेतु वकीलों को प्रेरित करने में सफल रहे।

यह जनहित मुकद्दमा क्या है ? हमने इसके बारे में 1980 से पहले कभी नहीं सुना। इसके बारे में लोगों की रुचि कानूनी सहायता कार्यक्रम द्वारा प्रेरणा की शुरुआत के बाद ही बढ़ी और इस कार्यक्रम में हमारा दृढ़ विश्वास

है। यदि दो असमान लोग हों तो सम्भवतः कानून के समक्ष समानता का कोई मुद्दा ही नहीं होगा। एक धनाढ्य व्यक्ति के आगे निर्धन व्यक्ति बहुत पिछड़ा हुआ है। आप एक हरिजन व्यक्ति को एक भूखण्ड देंगे तो दूसरा व्यक्ति उसे उस भूखंड से बेदखल कर देगा। परन्तु, यदि उसे न्यायालय की सहायता मिलेगी तो वह अपने भूखंड पर काबिज रह सकेगा। उन दिनों ऐसी स्थिति पायी जाती थी। इसलिए हमने यह कहा कि हमें 'जूडीकेयर' नामक कार्यक्रम के अधीन कानूनी सहायता देनी चाहिए जैसा कि श्री शरद दिघे ने कहा है।

न्यायिक पक्ष को देखते हुए ये सभी बातें कही गई हैं। इसलिए इस सिद्धांत कि राज्य की कार्यकारिणी ही नहीं अपितु न्यायपालिका भी हमारे देश का भाग है, के अनुसार यदि न्यायपालिका अपना योगदान करती है तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। हम न्यायपालिका को कार्यकारिणी से अलग-अलग नहीं रख सकते हैं अथवा न ही निर्धन लोगों को वकीलों से दूर कर सकते हैं।

ये न्यायाधीश, न्यायालय और वकील किस लिए हैं ? वे सभी निर्धन लोगों की सेवा करने के लिए हैं। वे सेवा से अलग नहीं रह सकते हैं और यदि वे ऐसा करेंगे तो वे इस प्रणाली के अंग नहीं रहेंगे। वे सभी निर्धन मुकदमे बाजों की सेवा के लिए हैं और इसलिए मैंने यह कहा था कि यह तो केवल शुरूआत है।

मैं, इस कार्यक्रम का अत्यधिक प्रचार-प्रसार करना चाहता हूं कि हरेक गांव को यह पता चल सके कि वे कानूनी सहायता के हकदार हैं। वे न्यायालयों द्वारा कानून के अंतर्गत अपना यह हक पा सकते हैं। यदि ऐसा होगा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी और श्रीमती इन्दिरा गांधी, श्री राजीव गांधी और हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव का सपना साकार होगा।

यह एक सतत कार्यक्रम है। इसलिए मुझे माननीय सदस्यों को यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि यह एक अथवा दो दिनों का कार्यक्रम नहीं है। यह कांग्रेस द्वारा चलाया गया एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो गांधी जी के समय से आज तक चल रहा है। आज यह जानते हैं कि उन निहित स्वार्थों के प्रेरित करने से पहले हमें कितनी अड़चनों को दूर करना होगा। इनमें से कुछ अड़चनों का अब तक पता नहीं चल पाया है। वे अभी भी पूछते हैं कि यह कानूनी सहायता क्या है ? कानूनी सहायता नहीं दी जाती है। पिछड़ा वर्ग क्या है, यह पद दलित वर्ग कौन-सा है, अधिकारों से वंचित वर्ग कौन-सा है और कमजोर वर्ग कौन से हैं और इसलिए की अन्य बातें भी पूछ रहे हैं।

अब आज ऐसा समय आ गया है जब हम उनके बारे में कुछ हद तक यह कह पा रहे हैं कि "जी हां, आपको इन निर्धन लोगों का ध्यान रखना होगा। अन्यथा आपकी समृद्धि इन गरीब लोगों की उपस्थिति से प्रभावित होगी।" उन्होंने अपनी सेवाएं देना आरम्भ कर दिया है। यह तो केवल शुरूआत है और हमने समिति का पूरा नेटवर्क उपलब्ध करा दिया है।

इससे पहले लोक अदालतें ताल्लुक अथवा जिले में चलाई जाती थी। अब शीर्ष न्यायालय, उच्चतम न्यायालय द्वारा लोक अदालत चलाई जायेगी। यदि मैं इस प्रणाली में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित नहीं करूंगा तो क्या आप उच्चतम न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश के बिना लोक अदालत चलाने की संकल्पना कर सकते हैं ? हम इस मुद्दे पर झूठी प्रतिष्ठा के प्रश्न पर क्यों अड़े रहे ? इसलिए हमने यह कहा कि इस मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा निदेश दिए जाएं और यह कार्य प्रभावित न हो।

कई राज्य ये कार्य बिना किसी कठिनाई को पूरा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु राज्य का कानूनी सहायता के मामले में अच्छा रिकार्ड है। महाराष्ट्र में कानूनी सहायता की सीमा अधिकतम है। वे कानूनी सहायता के लिए 20,000 रुपये तक की राशि दे रहे हैं। हरियाणा राज्य में कानूनी सहायता की सीमा 18,000 रुपये है।

मैं मणिपुर के माननीय सदस्य के सुझाव को स्वीकार करता हूं कि हमें यह सीमा बढ़ानी होगी। मैं यह सिफारिश करता हूं कि इसे 15,000 रुपये बढ़ाकर 18,000 रुपये तक कर दिया जाए। मैं यह स्वीकार करता हूं कि इस प्रावधान में वृद्धि की जानी चाहिए। आपके सभी सुझाव उपयोगी हैं। हमें इस कार्य में गैर-सरकारी संगठनों को भी शामिल करना चाहिए क्योंकि वे गांवों तक पहुंच सकते हैं। यदि कुछ महिलाओं हरिजनों, आदिवासियों और कुछ अल्पसंख्यक लोगों की कोई परेशानी होगी तो यह गैर-सरकारी संगठम उन्हें यह बताएंगे कि उनकी सहायता के लिए प्रणाली बनी हुई है और वे ऐसे लोगों को समिति के समक्ष ले जाकर कानूनी सहायता दिलायेंगे। हम इन गैर-सरकारी संगठनों को काफी सहायता दे रहे हैं। हम अभी भी यह चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार की ओर से इन गैर-सरकारी संगठनों को सहायता जारी रहे। और विशेषत: गुजरात और महाराष्ट्र में कई गैर-सरकारी संगठन हैं। हम पूर्वोत्तर क्षेत्रों को अधिक प्राथमिकता देंगे। मैंने सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह सब करना स्वेच्छा से स्वीकार किया है। मेरे नेता श्री राजीव गांधी ने उस समय मुझे यह बताया था कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और वह आदेश वर्तमान प्रधान मंत्री के नेतृत्व में भी जारी है। मैंने सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक अलग-अलग उच्च न्यायालय दिलाए हैं। मैंने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य मंत्रियों को यह कहा है कि वे पूर्ण दर्जा प्राप्त उच्च न्यायालय बनाएं और पूर्ण दर्जा प्राप्त महाधिवक्ता रखें। और अपने कार्यकाल के दौरान मैंने पूर्वोत्तर क्षेत्र से कम से कम एक न्यायाधीश नियुक्त कराया। आज उच्च न्यायालय के पीठ में वहां के जनजाति वर्ग को स्थान मिला हुआ है। यह कांग्रेस की वचन-बद्धता का परिणाम है जिसे वह उस समय से आज तक पूरा कर रही है।

जब मैंने मंत्री पद सम्भाला तो उस समय देश में कोई जनजाति वर्ग का मंत्री नहीं था। परन्तु, आज इस वर्ग के मंत्री हैं। हमारे मित्र श्री संगमा यह जानते हैं। हमने मिजोरम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश और सभी जगह ऐसे लोगों को ढूंढ निकाला। और उस समय श्री फिजो के बारे में भी थोड़ा विवाद रहा। परन्तु, मैंने यह देखा कि उनके जामाता को उस समय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बना दिया गया था। उस समय कांग्रेस की ऐसी परम्परा रही। हम जनजाति, अल्पसंख्यक अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लोगों को बिना बारी के अवसर प्रदान करेंगे। परन्तु, प्रश्न यह है कि हमें निहित स्वार्थों के विरुद्ध लड़ना होगा। इसके लिए हमें आपके समर्थन की आवश्यकता होगी। इस कार्यक्रम को अवश्य जारी रहना चाहिए। यह कार्यक्रम बहुत ही कठिन है। इसीलिए हमने उस समय संविधान में परिवतन कर दिया था। हमारे प्रधान मंत्री को इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में कठिनाई हो रही है। इस मामले में झूठे बहाने किए जा रहे हैं जिससे लोग गुमराह हो रहे हैं। हमें इन सबका विरोध करना होगा और निर्धनों की सहायता के लिए इस कार्यक्रम को जारी रखना होगा क्योंकि महात्मा गांधी का संदेश भी यही था।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि हमारी विधिक प्रणाली प्रभावित होगी। कोई इस तथ्य से इनकार नहीं कर

सकता है कि लक्ष्य इतने अधिक हैं। परन्तु, आपको इसकी सराहना करनी होगी कि हमने यह सब पूरा कर दिया है। मैंने राजीव जी के समय में यह देखा कि सभी उच्च न्यायालय कम्प्यूटरीकृत किए गए थे। उनके पंजीयन (रजिस्ट्री) बिखरे होते थे और कोई फाइल नहीं मिल पाती थी। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि वर्तमान प्रधान मंत्री ने न्यायिक ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए आठवीं योजना में 500 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है। हम प्रत्येक उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री का कम्प्यूटरीकरण करना चाहते हैं ताकि प्राथमिकता वाले मामलों की पहचान की जा सके। और आज ऐसे मामलों का राष्ट्रीय स्तर पर पंजिका से पता लग सके। उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री का विषयवार पूरी तरह से कम्प्यूटरीकरण किया गया है। इसके परिणामस्वरूप वे एक फैसले से 100 मामलों का निपटारा कर पा रहें है। इसी तरह से इन मामलों की सुनवाई में तेजी लायी जा सकेगी। और इसके बाद हम वकीलों को अपनी दलीलों में कमी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। परन्तु, देखिए कि कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है ? वे हड़ताल कर रहे हैं। आप वकीलों से लड़ नहीं सकते। उनको आप सिर्फ प्रेरित कर सकते हैं।

आप उनसे सिर्फ परिस्थिति का अवलोकन करने का अनुरोध कर सकते हैं, यदि हड़ताल जारी रहती है तो कानूनी पेशे की क्या स्थिति होगी। अचानक हड़ताल की गई है। न्याय पालिका को धमकी दी गई। कानूनी पेशे में ऐसा आचरण कभी नहीं किया गया। हम लोग उन्हें साथ लेने का प्रयास कर रहे हैं और मैं नहीं समझता कि वर्तमान लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था मे बिना उनके सहयोग के सफलता मिल सकती है। हम लोग कानून में विश्वास रखते हैं। हमें उन्हें मनाना होगा। देश में कोई भी वकील निठल्ला न हो। यदि यह कानूनी सहायता कार्यक्रम तथा ग्राम न्यायालय अस्तित्व में आ जाते हैं; तो मैं यह प्रयास करूंगा कि गावों में प्रत्येक वकील को काम मिले। यह मेरा भावी कार्यक्रम है। और इस देश में यही निदान है। तालुक का मामला उसी तालुक में ही निपटाया जाना चाहिए। एक जिले का मामला उस जिले में ही निपटाया जाना चाहिए। तालुक का कोई मामला कभी नहीं उच्च न्यायालय में नहीं आना चाहिए क्योंकि मुकदमे से जुड़े आदमी के पास बड़े वकीलों को देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। ये बड़े वकील थोड़ी फीस नहीं लेते, इनका उद्देश्य लोगों से पैसे ऐठना होता है। यदि कोई व्यक्ति इंग्लिश नाश्ता करने का आदि हो तो उसे आप चपाती का नाश्ता नहीं करा सकते। यही कठिनाई है। इसलिए हम गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं और यह विधेयक इस कार्य हेतु आधार शिला है। राज्य सरकारें कानूनी सलाह कार्यक्रम हेतु धनराशि देने के लिए बाध्य हो जाएंगी।

केन्द्र सरकार ने प्रत्येक राज्य में कानूनी सहायता बोर्ड की स्थापना की है और प्रत्येक जिले में एक कानूनी सहायता बोर्ड होगा। मुख्य न्यायाधीश इन पर निगरानी रखेगा क्योंकि इनमें न्यायाधीश भी होंगे। अन्यथा, उनके असहयोग, वकीलों तथा न्यायाधीशों के बहिष्कार से लोक अदालतें कैसे चल पाएंगी। लोक अदालत चल नहीं सकती क्योंकि शासन व्यवस्था कार्यपालिका द्वारा चलती है। इसीलिए सरकार ने इसे संयुक्त रूप दे दिया है और यह बहुत ही सफल रहेगा। इसमें, बेशक विलंब एवं व्यय होता है जोकि एक गंभीर बात है। सरकार ने क्या-क्या किया है उसे बताने के लिए मैं बस एक-दो मिनट का समय और लूंगा। मैंने दो वर्षों में दो अथवा तीन बार राज्यों के विधि मन्त्रियों को बुलाया था और चूंकि न्यायालय राज्यों में स्थित है, अतः हमने उनके समक्ष मुकदमों के तत्काल निपटारे संबंधी प्रस्ताव रखा था। हमें उनके विचार जानने थे। सरकार ने एक 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया है ताकि

लंबित मुकदमों को निपटाया जा सके तथा और अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार अनावश्यक मुकदमेबाजी में न पड़े सरकार ने कई कदम उठाए हैं और माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं मुख्य मंत्रियों तथा मुख्य न्यायाधीशों की बैठक की अध्यक्षता की है। मुख्य न्यायाधीश तथा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पहली बार न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का सम्मेलन हुआ था और उसमें यह कहा गया था, "कृपया इसका समाधान खोजें। लोग इनमें विश्वास खो रहे हैं।" न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को साथ बैठा कर इस कार्यक्रम पर विचार-विमर्श किया जाना एक सकारात्मक उपलब्धि है। यही एक मात्र रास्ता है। अन्यथा हम लोगों का समाज ऐसा है कि यहां कोई भी सुधार एकाएक नहीं किया जा सकता। आपके कर सम्बन्धी प्रस्ताव का क्या हुआ ? सरकार जब भी कोई कानूनी व्यवस्था लाती है तो वे यही कहते हैं, "हमें वंचित रखा गया है, हम न्यायालय में भी नहीं जा रहे हैं।" दुष्प्रचार प्रचार शुरू हो जाता है। हमें प्रत्येक राज्य सरकार, प्रत्येक मुख्यमंत्री, प्रत्येक विधि मंत्री, प्रत्येक विधि सचिव को इस बात से अवगत कराना पड़ता है कि सरकार फलां काम करना चाहती है और जब वे इस बारे में राजी हो जाते हैं तो फिर वे नहीं कहते कि ऐसा किया गया है या वैसा किया गया है।

हम और अधिक न्यायालयों की स्थापना हेतु और अधिक धन उपलब्ध करा रहे हैं। इस वर्ष हमने 108 न्यायाधीशों की नियुक्ति की है, 28 मुख्य न्यायाधीशों का स्थानान्तरण किया गया है, ताकि भ्रष्टाचार की समस्या से निपटा जा सके। जब कभी भी शिकायत मिली, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इन शिकायतों पर विचार किया और लगभग सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का स्थानान्तरण कर दिया गया है। प्रयास जारी हैं, लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा यह कार्य बहुत ही कठिन कार्य है। मैंने आपके सभी सुझावों को नोट कर लिया है और मैं न्यायिक सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हूं। हम एंग्लो-सैक्सन व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन यहां वही आधार है। प्रथम भारतीय विधि आयोग के परिणाम स्वरूप युगिफाइड लॉज ऑफ इण्डिया बनाए गए; और अब हम सुझाव देना चाहते हैं कि एक ऐसी विधि-व्यवस्था तैयार की जाए जो इस देश के अनुकूल हो। लोक अदालत एक ऐसी ही व्यवस्था है। यह पूर्णतया हमारी पंचायत-व्यवस्था के अनुरूप है। मैं पंचायत व्यवस्था को इसलिए नहीं लागू कर सकता क्योंकि पंचायतों में राजनीति है। इसलिए हम इसे मणिशंकर जी एवं राजीव जी तथा वर्तमान प्रधान मंत्री जी की पंचायत व्यवस्था कार्यक्रम के साथ जोड़ रहे हैं। हम न्यायपालिका को उस कार्यक्रम से जोड़ेंगे ताकि न्याय व्यवस्था को भी पंचायत स्तर तक लाया जाए।

श्री मणि शंकर अय्यर : जब ऐसा किया जाएगा तो क्या यह हमारी न्यायपालिका का अभिन्न अंग होगा ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं ऐसा करने का प्रयास कर रहा हूं और तथा न्यायपालिका को इसे अपनाने के लिए राजी किया जाएगा। वे ग्रामीण क्षेत्रों के मुकदमों पर अलग से विचार करने के लिए लगभग तैयार हो गए हैं। यहां तक उन्हें मना लिया गया है। वे एक प्रारूप तैयार कर रहे हैं और यदि मुझे इसमें सफलता मिली तो कानूनी विवादों को भी सुलझा लिया जाएगा।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : परिवार अदालतें सराहनीय कार्य कर रही हैं। आप परिवार अदालतों के साथ कैसे समन्वय करेंगे ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : अगर यह कार्यक्रम आता है, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि सरकार न्यायालय को अनेक अधिकार देगी और परिवार अदालतें न्यायालय भी कार्य करती रहेगी। यह आर्थिक रूप से गरीब लोगों को न्याय के लिए उनके गावों से सैकड़ों मील की यात्रा कर दूसरी जगह जाने की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए है। उन्हें दूसरी जगह ठहरने के लिए स्थान तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त नहीं होती। उन्हें रिक्शा वालों अथवा बसवालों से वकीलों के बारे में पूछना पड़ता है। सरकार वकीलों तथा न्यायाधीशों की सेवाओं को ऐसे लोगों के लिए घर पर ही पहुंचाना चाहती है। हमारे नेताओं का भी यही विचार है और मैं वादा करता हूं कि सरकार के प्रयास जारी रहेंगे।

हमें अभी अन्य कुछ बहुत सी बातें कहनी हैं लेकिन अभी उसके लिए उचित अवसर नहीं है। मैं समझता हूं कि न्यायिक सुधारों के विषय पर विस्तृत चर्चा करनी है। माननीय सदस्यगण इस बारे में संकल्प भी पेश करेंगे। आज हमारे पास समय कम है लेकिन मैं आश्वासन देता हूं कि श्री नरसिंह राव के नेतृत्व में वर्तमान सरकार श्रीमती इन्दिरा गांधी अथवा श्री राजीव गांधी द्वारा शुरू किए गये सारे कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित करेगी।

मैं एक बार पुनः आप सभी के समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : खंड 3 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : खंड 5 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : खंड 7 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : खंड 9 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 10 से 18 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 से 18 विधेयक में जोड़ दिए गये।

खंड 1-विधेयक का संक्षिप्त नाम

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,–

"1992" के स्थान पर

"1994" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 1–

"तैंतालीसवें" के स्थान पर"

"पैंतालीसवें" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियम सूत्र संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : महोदय, नियम 193 के अधीन बाढ़ की स्थिति पर चर्चा शुरू की जाए। .....(व्यवधान).....

सभापति महोदय : हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। कार्य-सूची के अनुसार मणिपुर बजट पर चर्चा की जाएगी। मेरे विचार से इस पर केवल दो ही वक्ता बोलेंगे ?

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : महोदय, यदि सभा की अवधि बढ़ा दी जाए तो हमें आज ही बाढ़ पर भी चर्चा पूरी कर देनी चाहिए।

सभापति महोदय : मेरा अनुरोध है कि वक्ता संक्षेप में बोलें।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदया, 5 म० प० पर बाढ़ पर चर्चा की जाए।

4.57 म० प०

मणिपुर बजट, 1994-95—अनुदानों की मांगें

सभापति महोदय : अब हम मणिपुर के 1994-95 के बजट पर चर्चा शुरू करते हैं। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 46 के सामने दिखाए गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में दिखायी गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां मणिपुर राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1994-95 के लिए की अनुदानों की मांगे (मणिपुर)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा 9 मार्च 1994 को स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	राज्य विधान मंडल	1,03,80,500	....	1,03,80,500	....
2.	मंत्रिपरिषद	30,40,000	....	30,40,000	....
3.	सचिवालय	3,45,59,000	....	3,45,59,000	....
4.	भू-राजस्व, स्टाम्प और पंजीकरण तथा जिला प्रशासन	4,33,65,500.	....	4,33,65,500	....
5.	वित्त विभाग	12,85,53,000	18,00,000	12,85,53,000	18,00,000
6.	परिवहन	40,12,000	70,50,500	40,12,000	70,50,500
7.	पुलिस	23,88,38,500	45,00,000	23,88,38,500	45,00,000
8.	लोक निर्माण विभाग	15,00,78,500	20,44,65,500	15,00,78,500	20,44,65,500
9.	सूचना और प्रचार	46,03,000	....	46,03,000	....

1	2	3		4	
10.	शिक्षा	51,51,27,500	500	51,51,27,500	500
11.	चिकित्सा, स्वास्थ्य और				
	परिवार कल्याण सेवाएं	9,56,75,000	....	9,56,75,000	....
12.	नगरपालिका प्रशासन, आवास				
	और शहरी विकास	1,02,10,000	73,01,000	1,02,10,000	73,01,000
13.	श्रम और रोजगार	71,39,500	....	71,39,500	
14.	जनजातीय और पिछड़े वर्गों का कल्याण	7,24,22,500	1,000	7,24,22,500	1,000
15.	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	84,39,500	3,81,74,000	84,39,500	3,81,74,000
16.	सहकारिता	1,41,37,000	19,000	1,41,37,000	19,000
17.	कृषि	4,44,04,000	47,50,000	4,44,04,000	47,50,000
18.	डेरी फार्मिंग सहित पशुपालन				
	और पशु चिकित्सा	4,94,02,000	...	4,94,02,000	...
19.	वानिकी और मृदा संरक्षण	4,46,14,000		4,46,14,000	
20.	सामुदायिक विकास और				
	ए॰ एन॰ पी॰, आई॰ आर॰ डी॰ पी॰				
	और एन॰ आर॰ ई॰ पी॰	2,83,25,500	....	2,83,25,500	....

1		2		3	
21.	उद्योग और नाप तथा				
	तौल विभाग	3,55,88,500	12,87,500	3,55,88,500	12,87,500
22.	लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी	5,28,02,000	7,18,47,000	5,28,02,000	7,18,47,000
23.	विद्युत	15,39,47,500	20,21,03,500	15,39,47,500	20,21,03,500
24.	सतर्कता विभाग	12,78,500	....	12,78,500	....
25.	युवा कार्य और खेल विभाग	1,74,56,500	....	1,74,56,500	....
26.	न्याय प्रशासन	72,49,500	....	72,49,500	....
27.	चुनाव	80,57,000	....	80,57,000	....
28.	राज्य उत्पाद शुल्क	1,09,58,500	....	1,09,58,500	....
29.	बिक्री कर, वस्तुओं और				
	सेवाओं पर अन्य कर/शुल्क	30,35,000	....	30,35,000	....
30.	सामान्य आर्थिक सेवाएं				
	और आयोजना	1,90,53,500	....	1,90,53,500	....
31.	अग्नि से बचाव और नियंत्रण	39,55,500	....	39,55,500	....
32.	जेलें	87,73,500	29,24,500	87,73,500	29,24,500
33.	होम गार्ड	81,93,000	....	81,93,000	....
34.	पुनर्वास	21,41,000	....	21,41,000	....

1		2		3	
35.	लेखन सामग्री और मुद्रण	51,00,500	....	51,00,500	....
36.	लघु सिंचाई	75,16,000	2,48,09,500	75,16,000	2,48,09,500
37.	मीन उद्योग	1,86,14,500	2,500	1,86,14,500	2,500
38.	पंचायत	53,96,000	....	53,96,000	....
39.	रेशम उद्योग	1,48,22,000	1,000	1,48,22,000	1,000
40.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	4,97,25,000	16,90,00,000	4,97,25,009	16,90,00,000
41.	कला और संस्कृति	83,70,500	....	83,70,500	....
42.	प्रशिक्षण की राज्य अकादमी	13,03,500	....	13,03,500	....
43.	बागवानी और मृदा संरक्षण	2,89,13,000	5,00,000	2,89,13,000	5,00,000
44.	समाज कल्याण विभाग	2,07,55,000	....	2,07,55,000	....
45.	पर्यटन	21,13,500	8,46,500	21,13,500	8,46,500
46.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	85,10,000	....	85,10,000	....

सभापति महोदय : अब हम मणिपुर के बजट पर चर्चा शुरू करते हैं। अब श्री उम्बे बोलें

श्री लाईता उम्ब्रे (अरूणाचल पूर्वी) : महोदया, मैं मणिपुर के लिए वर्ष 1994-95 की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। मणिपुर की अपनी विधान सभा है। दुर्भाग्य से हाल ही में कतिपय जातीय दंगों पर निर्वाचित सरकार नियंत्रण नहीं कर पाई और परिणामत: विधान सभा निलंबित कर दी गई तथा मंत्रीमंडल को बरखास्त कर दिया गया। राज्य में इस समय राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है।

मेरे विचार से सबसे अच्छी बात तो यह रहेगी कि राज्य विधान सभा को बहाल करके लोकतांत्रिक सरकार पुन: स्थापित की जाये। आगामी शीत ऋतु में वहां पर चुनाव कराये जाएंगे। मुझे तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू रहते हुए भी कोई अन्तर दिखाई नहीं देता अब हमें मणिपुर में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी अड़चनों को दूर करना होगा।

मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि जब भी पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं पर बात की जाती है तो उन पर समग्र रूप में विचार किया जाता है। लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही अनेक विभिन्नताएं हैं। मैं अरूणाचल प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं। हमने वहां पर किसी प्रकार की आतंकवादी अथवा भूमिगत गतिविधियों की बात नहीं सुनी है। आप जब कभी भी पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करते हैं, तो आप इस पर समग्रत बात करते हुए सभी राज्यों को शामिल कर लेते हैं; जोकि एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मिजोरम में स्वर्गीय श्री लालडेंगा ने 24 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और उन्होंने लगभग आत्म सर्पण करते हुए भारतीय सरकार के साथ एक समझौता किया। कांग्रेस को बलिदान करना पड़ा और उससे मेल-मिलाप करना पड़ा। वे लोग मुख्य धारा में आ गए और अब वे भारतीय संविधान को मानते हैं और अब हमारा हिस्सा है। उत्तरी मिजोरम में हमारे सामने कुछ समस्या है। लेकिन मिजोरम सरकार ने सभी कदम उठाए हैं और हाल ही में उसने मिजोरम में 'भूमिगत म्हार' से समझौता किया है।

5.00 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस तरह से मिजोरम में कोई भी समस्या नहीं रही है और न ही कोई समस्या मेघालय में है। असम में समस्या बिल्कुल भिन्न है और यहां तक कि असम के उस हिस्से, जिसे हम बोड़ोलैंड कहते हैं में भी जो समस्या है वह असम की समस्या से भिन्न है। ऐसे ही असम, बोड़ोलैंड और नागालैंड की समस्याएं भी बिल्कुल भिन्न हैं। वस्तुत: नागालैंड और मणिपुर में आज जो समस्या है, वह एक जैसी है क्योंकि एन एस सी एन के दोनों ग्रुप दोनों राज्यों में सक्रिय हैं।

हम उन दोनों ग्रुपों को मिला सकते हैं और कह सकते हैं कि दोनों राज्यों में एक जैसी समस्याएं हैं। समस्या का पता लगाते समय हमें इसके मूल कारण का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। विभिन्न स्रोतों से मुझे पता चला है कि उन गुमराह लोगों, जो नागालैंड और मणिपुर में भूमिगत हैं को मुख्यधारा में लाने में कोई कठिनाई नहीं है। सरकार को उनके साथ बातचीत करनी चाहिए क्योंकि उनके कारण से संपूर्ण नागालैंड और मणिपुर राज्यों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस दृष्टि से संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र ही समस्याग्रस्त है। उन्हें गलत फहमी

है और उन्हें भलीभांति समझाया जा सकता है और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है। मुझे भरोसा है कि वे लोग और अधिक अपना समय और शक्ति बर्बाद नहीं करना चाहेंगे और यदि उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जाता है तथा राष्ट्रीय निर्माण में भागेदारी करने दी जाती है तो मणिपुर नागालैंड और असम की समस्या का सदा के लिए समाधान किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ठम्बे, कृपया आप थोड़ी देर के लिए अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं बाद में आपको बोलने का मौका दूंगा। अब हमें वास्तव में बाढ़ की स्थिति पर पांच बजे चर्चा शुरू करनी है। इस बीच हमने मणिपुर के बजट पर यह चर्चा शुरू की है। केवल दो या तीन वक्ता ही हैं। यदि सभा सहमत हो तो हम इस पर 10 या 15 मिनट में चर्चा समाप्त कर सकते हैं और तत्पश्चात् हम बाढ़ की स्थिति पर चर्चा करेंगे।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन (मवेलीकारा) : उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ की स्थिति पर चर्चा अत्यावश्यक है। इस पर अभी चर्चा होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सामान्य स्थिति में हमने अभी उसी पर चर्चा शुरू करनी थी। चूंकि हमने इस विषय पर चर्चा शुरू कर दी है और इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेने वाले दो या तीन वक्ता ही हैं इसलिए इसे 15 मिनट में ही पूरा किया जा सकता है।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : यदि इस विषय को दस मिनट में पूरा किया जा सकता है तो ठीक है। अन्यथा हम इस मुद्दे पर चर्चा कल कर सकते हैं और जो सदस्य इस पर बोलना चाहेंगे उन्हें भी पर्याप्त समय मिल सकेगा।

5.05 म॰ प॰

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में बाढ़ के कारण हुई जान-माल की भारी हानि—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम बाढ़ की स्थिति पर चर्चा आरम्भ करेंगे।

अब श्री अनादि चरण दास अपना भाषण शुरू करें।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में इस वर्ष बहुत बाढ़ आई है और मेरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाढ़ आई है क्योंकि जितनी बड़ी-बड़ी नदियां, वैतरणी, महानदी, ब्राहमणी आदि हैं, वो मेरे क्षेत्र से गुजरती हैं। मेरे क्षेत्र में कोस्टल एरिया भी है और जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो सब मेरे क्षेत्र में पड़ते हैं। हमारे यहां पर बाढ़ कोई आज की बात नहीं है, सैकड़ों, हजारों वर्षों से वहां पर बाढ़ आ रही है। 20 वर्ष से तो मैं यह सवाल इस सदन में उठा रहा हूं। यहां पर हर वर्ष चर्चा होती है और कितने ही सुझाव दिए जाते हैं, पर उन सुझावों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और स्थिति में सुधार नहीं होता है। यह बाढ़ मैन-मेड है, वह इसलिए कि सरकार इसकी रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई नहीं करती है और न ही यह दुखदायी स्थिति समाप्त होती है। हम यहां पर हर साल बोलते हैं और हमारे क्षेत्र के लोग भी समझते हैं कि हमारा प्रतिनिधि हमारी समस्याओं

के बारे में संसद में आवाज उठाता है, परंतु हमारे सुझावों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। मेरे क्षेत्र में 554 गांव और 135 ग्राम पंचायतें बुरी तरह से बाढ़ग्रस्त हैं। ब्राह्मणी नदी पर एक डैम है, जहां से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जो मेरे क्षेत्र में जमा होता है और एक जुलाई से अब तक मेरे क्षेत्र में पानी जमा है, क्योंकि वह लो-लाईन एरिया है। एक-दो दिन के लिए पानी कम होता है, इसके बाद फिर से पानी छोड़ दिया जाता है। हमारे यहां नेचुरल केलेमिटी कमेटी है, जिसका मैं सदस्य हूं। उसकी मीटिंग वैसे तो होती रहती है, लेकिन जब बाढ़ आती है तो उसकी मीटिंग भी नहीं होती है। हमारी तरफ से जो भी सुझाव दिए जाते हैं, सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। .....(व्यवधान)..... मैं उड़ीसा सरकार की बात कर रहा हूं, यहां की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहां से तो सिर्फ पैसा जाता है, बाकी काम तो वहां की सरकार को करने होते हैं। लेकिन आपको भी कभी-कभी वहां जाकर देखना चाहिए कि वहां पर आपके द्वारा दिए गए पैसे का ठीक उपयोग हो रहा है या नहीं। आपके पास मिल्ट्री है, वहां पर आप मिल्ट्री क्यों नहीं भेजते हैं। यदि वहां की सरकार समय से पहले तैयारी नहीं करती है तो मिल्ट्री भेज कर वहां पर बाढ़ से पूर्व तैयारी करवाई जा सकती है। वहां पर अभी तक एक बोरा भी बालू का नहीं डाला गया है और रिलीफ देने के लिए खुले बाजार से खरीद कर के बांटा गया है, हमको मालूम है। वहां पर उनकी पार्टी के चेयरमैन और सरपंच आदि अपनी पार्टी के लोगों को बुलाकर रिलीफ बांट देते हैं। कांग्रेस के लोग वहां जाते हैं तो कहते हैं कि तुम लोग इधर क्यों आये हो। मैंने खुद जाकर यह देखा है। वे कहते हैं कि सात दिन के लिए दी है, जबकि यह राहत सिर्फ तीन दिन से ज्यादा की नहीं होती है। इसमें काफी अनियमिततायें हुई हैं। आप पहले इसकी जांच करें, इसके बाद वहां पैसा रिलीज करें।

बाढ़ से मेरा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। नदी के पानी का जो सिस्टम है वह मेरे चुनाव क्षेत्र में ज्यादा हानि पहुंचाता है। अगर केन्द्र सरकार बाढ़ से सुरक्षा के लिए राज्यों को पैसा देती है तो उनका भी फर्ज बनता है कि वे पैसा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लगायें। मैंने अपने राज्य में देखा है कि वहां जनता दल की सरकार है और जिन लोगों ने उनको वोट दिया है केवल उन्हीं लोगों को बुलाकर ये लोग रिलीफ देते हैं। ट्राइबल एरिया में, गरीब लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिली है।

उड़ीसा में खासकर कोस्टल एरिया में महानदी, ब्राह्मणी और वैतरणी नदी से बाढ़ का काफी खतरा बना रहता है। ब्राह्मणी और महानदी का कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है। जब बरसात आती है तो इन नदियों का सारा पानी हमारे क्षेत्र में आ जाता है, जिससे बाढ़ आ जाती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि रंगाली डैम को मल्टी परपज़ बनाया जाये जिससे बाढ़ को कंट्रोल किया जा सके। इस तरह का एक प्रस्ताव भी था, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। पहले बाढ़ से बचाव के लिए बालू के बैग जमा करते थे, लेकिन इस बार उसकी व्यवस्था नहीं की गई है। इसी तरह से रात को टार्च लेकर वाचमैन जो निगरानी किया करते थे, उनका भी प्रबन्ध नहीं किया गया है।

हमारे यहां कोई ऐसा गांव नहीं है जहां बाढ़ की वजह से बीमारियां या डायरिया न हुआ हो। हमारे कांग्रेस के कार्यकत्ताओं ने और वालंटियर संगठनों ने सरकार से जाकर कुछ मांगा। हमें परसों खबर मिली कि एक हजार पेरासिटामोल की गोलियां भेजी हैं। आप ही बताइए कि क्षेत्र में इनको कैसे लोगों में वितरित किया जा सकता

है, क्योंकि एक गांव में ही एक हजार करीब लोग बीमार हैं। इसलिए वहां पर दवा का भी अकाल है। जहां ज्यादा बाढ़ आती है उन परियाज में सरकार को पहले से ही व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे यहां जून में बाढ़ आनी शुरू हो जाती है। तो जून और जुलाई में शुरू होता है, उस समय जितने एम्बैंकमेंट्स हैं, वे टूट जाते हैं। इससे हमारे एरिया को बड़ा नुकसान होता है। इसलिये कहता हूं कि इस सारे नुकसान को पूरा करना चाहिये। मेरा एक सजेशन है कि राज्य सरकार इसके लिये एक प्रोग्राम बनाये ताकि अगले 5-10 सालों तक बाढ़ पर काबू पाया जा सके।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री हरचन्द सिंह (रोपड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्री का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बाढ़ पर चर्चा करवायी है। हमारे पंजाब में भी पिछले साल इतनी बाढ़ आयी कि उसका कोई हिसाब नहीं है। पटियाला में नदी की सफाई करवाने के लिये पंजाब सरकार ने बहुत काम किया लेकिन फिर भी कुछ फसलें मारी गयी। जब मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया तो उसमें सारे सूबों का नाम लिया लेकिन पंजाब का उसमें नाम नहीं था। इस साल यहां पर काफी फसलें मारी गयी हैं। जब तक महाराजा पटियाला रहे तो लेबर लगाकर नदी की सफाई कराते रहे लेकिन उसके बाद कुछ नहीं किया गया। बाढ़ आने का यह नतीजा होता है कि सारी चीजें महंगी हो जाती हैं जैसाकि चीनी 17 रुपये किलो मिल रही है जबकि हमारे जमाने में यह बहुत सस्ती होती थी। गुड़ एक रुपये का 17 किलो और घी 15 आने सेर खरीदा था।

उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ आने से लेबर को काम नहीं मिला। हमारी पार्टी और गांधी जी कहते थे कि जमीन का नेशनलाईजेशन कर दीजिये। लेकिन आज तक नहीं हुआ। अमीरों के पास तो पैसा है, वह फसल मारे जाने के बाद अपने घर से रुपया निकाल लेगा लेकिन गरीब किसान का क्या होगा ? आज से 47 साल पहले जो हरिजन जाटों की भैंसों का गोबर उठा रहे थे, वे आज भी वही काम कर रहे हैं और वोट कांग्रेस को देते हैं।

पंजाब में जाट कांग्रेस को 42 सालों से वोट नहीं डालते। जहां बलराम जी जैसे खड़े हो गए तो वोटें डालते हैं। दूसरा कोई खड़ा हो जाता है तो उसको वोट नहीं डालते। जो वोट नहीं डालते, चीफ मिनिस्टर उनका है, और जो वोट डालते हैं वह गोबर उठाएं। मैं कहता हूं कि पहले एक रुपए का 15 किलो आटा आता था और पीपा दबा दबा कर भरते थे और अब 5 रुपए किलो है। जो गरीब घर हैं जहां एक दिन में तीन किलो आटा लगता है तो देहाड़ी नहीं मिलती है तो आटे के लिए 15 रुपए कहां से आएंगे ? अब तो गेहूं का भाव और बढ़ा दिया है। अगर यह बात इसी तरह रही और खाने-पीने की चीजों के दाम इसी तरह बढ़ते रहे और गरीब को ये चीजें मुहैया न हो सकी तो दस साल बाद इस मुल्क में गरीब आदमी बगावत करेगा कि यह क्या हो रहा है।

यह बाढ़ भी हमारा नुकसान करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप भाव बढ़ा दें। जिसकी फसल मारी गई है उसको हर्जाना दो। सारी कौम क्यों भुगते ? पंजाब के लोग आटा ही तो खाते हैं। अगर गरीब को आटा नहीं मिलेगा तो वह क्या खाएगा ? बलराम जाखड़ जी जब से आप कृषि मंत्री बने हैं आपने सौ रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा गेहूं के भाव बढ़ाए हैं। जो मजदूर हैं वह क्या करेंगे ? आप मेहरबानी करके खाने पीने की चीजों के भाव इतने न बढ़ाएं। गरीब आदमी आपको इसलिए वोट देता है कि कांग्रेस अच्छी जमात है, बड़ी अच्छी संस्था है, बिना भेदभाव के काम करती है। यहां मज़हब की कोई बात नहीं है। मगर आपने गेहूं का भाव बढ़ाया

है यह बहुत बुरी बात है। गरीब को इतना नहीं पीसना चाहिए। पैट्रोल का भाव पहले साढ़े ग्यारह आने गैलन था, अब 85 रुपए गैलन है। जाखड़ जी समझदार व्यक्ति हैं। मैं इनसे विनती करता हूं कि बाढ़ आ गई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप गेहूं का भाव तीस चालीस रुपए क्विंटल और बढ़ा दें। आपने जाटों का ख्याल रखा है हमारा भी ख्याल रखो। जो हरिजन हैं आपको वोटें डालते हैं, कांग्रेस को बनाते हैं, आगे लाते हैं उनको आप मार डालोगे। वह कैसे इतनी कीमती चीजें खरीदेंगे ? पहले चीनी सात रुपए किलो थी अब 17 रुपये किलो है। वाह जी वाह ! गुड़ तो मिलता ही नहीं है। गन्ने का भाव वही का वही है। चीनी का भाव सात रुपए किलो था। तब भी गन्ने का भाव 50 रुपए क्विंटल था। अब चीनी 17 रुपए किलो है तो गुड़ 62 रुपए क्विंटल है। जिस हिसाब से गन्ने का रेट बढ़ाया है, गेहूं का रेट बढ़ाया है, जीरे का रेट बढ़ाया है, गन्ने का रेट भी उसी तरह से सौ रुपए क्विंटल होना चाहिए। गन्ना तो पंजाब वालों ने बोना ही बंद कर दिया है। इसी लिए चीनी बाहर से मंगानी पड़ती है। अगर गन्ने का रेट ठीक रहेगा तो जैसे पंजाब अकेला हिन्दुस्तान को गेहूं देता है उसी तरह वह हिन्दुस्तान को चीनी भी दे सकता है।

हमारे यहां इतनी चीनी की मिलें हैं लेकिन जहां पानी आता है वहां किसान गन्ना नहीं बीजते। इसलिये नहीं बीजते क्योंकि गन्ने के रेट बहुत कम मिलते हैं। कनक और जीरी के रेट बढ़ने से किसान कनक और जीरी की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बाढ़ के बारे में बोलना चाहिये।

श्री हरचन्द सिंह : मैं बाढ़ के बारे में ही तो बता रहा हूं कि रेट तब बढ़ते हैं जबकि फसलें मारी जाती हैं, बाढ़ के पानी से फसले मारी जाती हैं। अब बाढ़ की वजह से जीरी की हजांरों एकड़ में खड़ी जमीन मारी गयी, कनक की हजारों एकड़ जमीन में खड़ी फसल मारी गयी। फसल मारे जाने पर महंगाई हो जाती है और रेट ज्यादा हो जाते हैं जिससे मुल्क में गरीब लोग भूखे मरने लगते हैं यानी बाढ़ का सीधा असर गरीब लोगों पर पड़ता है, अमीरों पर नहीं पड़ता है।

इस वास्ते, मेरी इनसे यही विनती है कि आप इनकी तरफ ध्यान दें। कुछ ड्रेन्स आपने नई बनायी हैं लेकिन 40-40 साल पुरानी चली आ रही ड्रेन्स आज बंद हो गयी हैं क्योंकि हर साल आने वाली फ्लड़ के कारण उनमें मिट्टी भर गयी है। उस मिट्टी को निकाला जाये तो फ्लड़ का असर इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा, फसलें नहीं मरेंगी बल्कि ड्रेनों में पानी जायेगा। राजा-महाराजाओं के वक्त की बनी ड्रेनों को भी चलाया जाये, इनकी तरफ ध्यान दिया जाये क्योंकि उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है।

दूसरा पंजाब खेती प्रधान सूबा है। वहां कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई दूसरा काम नहीं है, किसान और मजदूर दोनों सिर्फ खेती का काम ही करते हैं। गांवों में 80 परसेंट आबादी रहती है लेकिन फ्लड आने पर उनका सारा काम चौपट हो जाता है। फ्लड इसलिये आती हैं कि जिस दिन से मुल्क आजाद हुआ, पहले राजाओं और रियासतों के जमाने के जो नाले और नदियां बनी हुई हैं, उन्हें बिल्कुल साफ नहीं किया गया, उनकी तरफ इस सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस का राज रहा है। मैं चाहता हूं कि उन नालों को साफ किया जाये, कभी फ्लड नहीं आयेगा और फसलें भी नहीं मारी जायेंगी। इतना ही कहते हुये, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि प्रत्येक सदस्य पांच-पांच मिनट के लिए बोले तो आप इस चर्चा को पूरा कर सकते हैं और मंत्री महोदय भी उत्तर दे सकते हैं। अब तक इस चर्चा में 21 सदस्यों ने भाग लिया है। अब तक सदस्यों ने तीन घंटे सताईस मिनट का समय लगाया है। अभी भी कुछ सदस्यों को बोलना है। यदि आप केवल पांच मिनट बोलें तो मेरे विचार से वह न्याय संगत होगा।

डा॰ वसंत पवार (नासिक) : महोदय, मैं नहीं जानता कि मेरा नाम वक्ताओं की सूची में है या नहीं। .....(व्यवधान).....

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर विशद चर्चा हो चुकी है। मंत्री महोदय भी सब कुछ समझ चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री किरिप चलिहा (गुवाहाटी) : उपाध्यक्ष महोदय, आसाम के लिये बाढ़ की समस्या कोई नई नहीं है। आसाम में साल में एक बार बाढ़ नहीं आती, कम से कम तीन बार बाढ़ आती है और बाढ़ आसाम के लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है।

जब हम लोग छोटे थे तो स्कूल में हम लोगों को एक निबंध लिखने के लिये दिया जाता था और वहां पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय भी यही था कि ब्रह्मपुत्र हमारे लिये वरदान है या अभिशाप है। ब्रह्मपुत्र हम लोगों को पानी देती है इसलिये हम लोगों के जीवन का अंग है, हमारी संस्कृति का विशिष्ट अंग है और ऐसा ही हम बाढ़ के बारे में भी निबंध में लिखते थे। उसमें सभी गुण और अवगुण आ जाते थे क्योंकि बाढ़ के कुफल को दोहराया नहीं जाता था। दुख इस बात का है कि आज भी हमारे बच्चे स्कूलों में वही निबंध लिखते हैं, अभी भी प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र हमारे लिये वरदान है या अभिशाप है। ऐसा इसलिये हो रहा है क्योंकि बाढ़ की समस्या का, जिसका अब तक समाधान हो जाना चाहिये था, वह नहीं हुआ है। हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ आने के समय कभी यहां से मंत्री जाते हैं तो कभी वहां के मंत्री जाते हैं, समस्या देखते हैं, लोगों से हालात पूछते हैं और रिलीफ के नाम पर कुछ काम किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं अल्पकालिक व्यवस्था, उस अल्पकालिक व्यवस्था पर हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।

इस व्यवस्था में भी त्रुटि है। इसलिए जैसा कि मुझसे पहले बताया गया था कि जो वित्त आयोग है उसकी नीति यह है कि 75 प्रतिशत सेंट्रल गवर्नमेंट असिसटेंस देता है 25% राज्य को देनी पड़ती है। अब आसाम जैसे राज्य में जहां अनेक समस्याएं हैं, जहां इतने क्लैशेज हैं, वहां कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक रखने में ही राज्य के साधन खर्च हो जाते हैं। फिर बाढ़ के लिए 25% देना मुश्किल हो जाता है। कल जब केरल के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे तो वित्त आयोग की इस नीति पर पुनर्विचार करने के लिए कह रहे थे और बाढ़ के लिए जो सहायता दी जाती है, उसको केन्द्र सरकार की ओर से 90% करने का आग्रह कर रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय, जब बाढ़ आती है तो उसकी दुर्गति से बचाने के लिए सहायता करने के जो प्रबन्ध होते हैं, वे प्रबन्ध हमारे राज्य में हमेशा होते रहते हैं। इससे पहले जो पिछले साल बाढ़ आई थी उतनी भयानक बाढ़ इस बार नहीं आई है, यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस बार सिर्फ दो-तीन जिले ही प्रभावित हुए हैं, लेकिन

यह कहना भूल होगी कि बाढ़ यहीं पर खत्म हो गई, क्योंकि हमारे यहां बाढ़ अक्तूबर तक आती रहती है। अभी वर्षा कम होने के कारण वहां पर सूखे जैसी स्थिति हो गई है, परन्तु वहां का क्लाइमेट ऐसा है कि कभी भी वर्षा हो सकती है और यदि 10-12 दिन पानी बरस जाए, तो वहां बाढ़ आ जाती है। इसलिए आसाम में बाढ़ अब नहीं आएगी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसलिए वहां पर बचाव के कुछ उपाय पहले से करने चाहिए और हमें वहां के लिए जागृत रहना चाहिए।

बाढ़ के बाद जो रोग फैलते हैं, कोलैरा एपीडैमिक के रूप में बहुत जिलों में फैल जाता है। उससे बचाव के लिए जो मैडीकल सहायता दी जाती है, वह पर्याप्त नहीं होती है और ज्यादातर जो कैटल होते हैं भैंस और गाय, इनके लिए जो धनराशि राज्यों को दी जाती है उसके दुरुपयोग के बारे मे काफी लोग बोलते हैं। पिछले साल इस बारे में बड़ा घोटाला हुआ जो 200 करोड़ रुपए का था और जिसको वैटरिनरी घोटाले के रूप में जाना जाता है उसकी बड़ी चर्चा हो रही है और जिसकी जांच सी॰ बी॰ आई॰ कर रही है। लोग कह रहे हैं कि इस घोटाले में तो गाय और भैंसों को दिखाने के लिए टी॰ वी॰ खरीदने पर पैसा खर्च किया गया हैं। इसलिए बाढ़ राहत कार्य के लिए पैसा देने के स्थान पर मेरा सुझाव है कि इसका स्थाई समाधान निकालना आवश्यक है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाढ़ राहत कार्य की चर्चा करने से पहले हमें इसका उपयुक्त और स्थाई समाधान निकालने पर विचार करना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर जो दो बड़े-बड़े पुल बनाने का प्रस्ताव किया गया है, उनको बनाकर हम बड़े पैमाने पर आने वाली बाढ़ को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन इतने सालों में इस पर सिर्फ बात ही हो रही है, इसके लिए अभी तक कोई माकूल व्यवस्था देखने को नहीं मिली है।

उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ की समस्या का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए प्रान्त के लोगों में जो राष्ट्रवादिता के खिलाफ सैशनिस्ट की मनोवृत्ति के लोग होते हैं, वे भी उभर आते हैं। इसलिए इसका भी हल निकालना चाहिए। हम लोगों को साधनों के लिए व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड और उसके साथ मानव संसाधन मंत्रालय और प्लानिंग कमीशन है, जैसे हम लोगों की जो कम्पोनेंट की नीति है, उसके अन्तर्गत इरीगेशन कैनाल सिस्टम के जरिये कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें दृढ़ता के साथ व्यवस्था करनी पड़ेगी इसे कामयाब करने के लिए मास्टर प्लान को जल्द से जल्द लागू करने की आवश्यकता है। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं आशा करता हूं कि आसाम की बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान होगा। आसाम को ज्यादा आर्थिक अनुदान मिलना चाहिए। पिछले साल जब वहां बाढ़ आई थी तो स्टेट गवर्नमैंट ने जितना मांगा था उतना तो नहीं मिला लेकिन जितना हो सका, उतना दिया गया था। ब्रह्मपुत्र को कंट्रोल करने के लिए जो स्थायी कदम उठाने चाहिएं, उसके लिए वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से अनुदान लेकर योजनाओं को क्रियान्वयन करने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि ब्रह्मपुत्र को अभिशाप से आशीर्वाद के रूप में बनाया जा सके। ऐसी आशा करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में बिहार की स्थिति अपने आप से निराली है। यदि उत्तर बिहार मे बाढ़ आती है तो दक्षिण बिहार में सुखाड़ आता है।

5.37 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

लेकिन इस बार सम्पूर्ण बिहार सूखाड़ की चपेट में है। जैसे अभी चालिहा जी बोल रहे थे कि आसाम में तीन बार बाढ़ आती है। बिहार की भी यही स्थिति है। जब आसाम, नेपाल और हिमालय पहाड़ की तराई से कोशी नदी से पानी निकलता है तो वह उत्तर बिहार को पूरे विनाश की ओर धकेल देता है। अभी हिमालय की तराई से पानी नहीं निकला तो सुखाड़ की स्थिति हो गई। मैं यह कहना चाहता हूं कि रिलीफ देना बहुत बड़ी बात नहीं है, इसका स्थायी समाधान खोजना चाहिए। मैं एक कमिश्नरी की बात कहता हूं। प्रत्येक वर्ष भारत सरकार और बिहार सरकार मिलकर कोसी नदी पर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। मेरी सरकार से मांग है कि ऐसी योजनाएं बनाए जिससे इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके।

अध्यक्ष महोदय : इसके ऊपर तीन दिन से डिस्कशन चल रही है, पहले तीन दिन एजेंडा में था।

[अनुवाद]

इसका मतलब यह है कि हम किसी अन्य विषय पर चर्चा नहीं कर सकते। यह महत्वपूर्ण विषय है अत: आपको सारांश में केवल महत्वपूर्ण बातों का ही उल्लेख करना है। अन्यथा इसमें सिंचाई जैसे विषयों का भी समावेश हो जाएगा। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री को जाना है और यदि आप उनसे उत्तर की अपेक्षा रखते हैं तो कृपया संक्षेप में बोलें।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : आप वहां एक योजना बनायें। सरकार ने कोसी रेंज का सर्वे कराया। कोसी डैम के निर्माण के बारे में .....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : यह इरिगेशन डिपार्टमैंट में आता है। बाढ़ और सुखाड़ में नहीं आता है।

सूर्य नारायण यादव : कोसी है तो पानी है। उसी पानी में डूब कर लोग मरते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप इसके विस्तार में जायेंगे तो कैसे काम चलेगा।

श्री सूर्य नारायण यादव : आप नाराज होंगे तो मैं कैसे अपनी बात कह पाऊंगा ?

अध्यक्ष महोदय : दूसरा बिजनस भी हमने लेना है। मुझे इनफर्मेशन मिली है कि

[अनुवाद]

माननीय मंत्री को मंत्रिमंडलीय बैठक में भी भाग लेना है। क्या आप उनसे उत्तर प्राप्त करना नहीं चाहते हैं ?

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : ठीक है। मैं बाद में फिर कभी इस पर बोल लूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। यदि आप मंत्री महोदय का उत्तर सुनना चाहते हैं तो मैं आशा करता हूं कि अन्य माननीय सदस्य गण बोलने पर बल नहीं देंगे।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। 25 के करीब सदस्य इस पर बोले हैं। मैं उनका भी बहुत आभारी हूं। मैं उनकी व्यथा, दुख और चिंताओं को जानता हूं और मुझे इसका अनुभव है। अनुभव इसलिये है कि मैं समझ सकता हूं कि कहां पीड़ा होती है, किस को पीड़ा होती है और कौन से वर्ग को पीड़ा होती है ? आम तौर पर जब बाढ़ आती है तो गरीब आदमी मरता है। यह चिन्ता का विषय अवश्य है। हर माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के विषय में बोलना चाहता है लेकिन हर बात की सीमा होती है। इसलिये अपनी बात को समाप्त भी करना पड़ता है। मुझे पूर्णरूपेण उनसे हमदर्दी है क्योंकि कि वे उनके भाई और साथी हैं। इससे उनको कष्ट उठाना पड़ता है। मैं उनके कष्टों को समझने की कोशिश करता हूं, लेकिन महामना, आज मेरे दिल में कष्ट है। अगर आपकी आज्ञा हो और समय हो तो थोड़ी सी पीड़ा आपके सामने रखना चाहूंगा।

मेरा सम्बन्ध इस सदन से और उस जगह से बहुत घनिष्ट रहा है और इस सम्बन्ध को मैंने सींचा भी है। कोशिश की है कि इस सदन की गरिमा बढ़े। भारत का नाम सबसे बड़े जनतंत्र के नाते से उदीयमान रहा है। मुझे इस बात का घमंड और फख्र भी है। हमने चारों तरफ गिरते हुए खंडहरात देखे हैं। आपके पड़ोस में जनतांत्रिक संस्थायें कायम हैं। आप हिमायल पहाड़ की तरह से कायम रहे हैं उसमें इस सदन का भी योगदान रहा है। आज मैं बोल रहा हूं और जवाब दे रहा हूं लेकिन मेरा मन दुखी है क्योंकि सामने की सीटें सब खाली हैं। यह व्यवस्था और स्थिति ठीक नहीं है। हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है। इस सदन की गरिमा है जिन्होंने हमें यहां भेजा है, उन लोगों के प्रति हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है।

आप सिर्फ यहीं स्पीकर नहीं रहे, पहले भी यह उत्तरदायित्व आपके कन्धों पर रहे हैं। आप इस बात को जानते हैं कि यहां आना कितने बड़े गौरव की बात है। 92 करोड़ लोगों के देश में से 790 के करीब आदमी हम यहां आये हैं तो हमारा कितना बड़ा मान लोगों ने किया है और कितना भार हमारे कन्धों पर डाला है, हमें इसकी समझ होनी चाहिए। हमें पता लगना चाहिए कि हम यहां अपने लिए नहीं आये हैं। यह संसार बड़ा चलता-चलता है, स्थाई नहीं है। किसी भी चीज में स्थायित्व नहीं है और यह तो लोगों की दी हुई चीज है कि आज हम यहां सारे के सारे बैठे हैं। तो इसका घमण्ड क्यों होना चाहिए ? सिर्फ इतनी ही बात होनी चाहिए कि हमारी बस एक ऐसी नीयत हो कि हम यहां सेवा के लिए आये हैं और सेवा करनी है। किसी प्रकार से ? प्रजातांत्रिक ढंग से और उस तरीके से हमें काम करना है। पिछले दिनों से जो कुछ यहां हो रहा है, वह चिन्ता का विषय है।

मुझे जे पी सी की रिपोर्ट का क्या हुआ, इसकी चिन्ता नहीं है। मुझे चिन्ता इस बात की है कि हमारी संसदीय प्रणाली का क्या होगा। हम कहां जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। जे पी सी की रिपोर्ट को आप भिन्न-भिन्न

दृष्टिकोण से देख सकते हैं, नजरिया हमारा अलहदा हो सकता है लेकिन एक दृष्टिकोण संसद का भी है, जो एक नई चीज बातचीत से उभरती है और आगे निकलती है। संसदीय विचार तब उभरता है जब बातचीत होती है। आप सारे के सारे यहां बैठे हुए लोग बड़े विद्वान हैं। दुनिया में अगर युद्ध भी होता है, देशों के बीच में लड़ाई भी होती है तो अन्ततोगत्वा आकर मेज पर बैठते हैं, आमने-सामने बात होती है, सन्धि की व्यवस्था होती है और युद्ध समाप्त होता है तो हम क्यों नहीं इस प्रकार से करते हैं कि आपस में बातचीत करें और जो कुछ सामने आया है इसका निराकरण करें। लेकिन जब मैं खाली पड़े हुए सदन को देखता हूं तो मैं सिर्फ एक भावनात्मक अपील करना चाहता हूं, विपक्ष के माननीय सदस्य सारे के सारे मेरे मित्र हैं, हमारा विचारों का टकराव हो सकता है लेकिन आपस में द्वेष नहीं हो सकता। हम आपस में भाई हैं, कभी भी हमारे दिमाग में यह नहीं आता कि हम दो हैं। विरोध होना आवश्यक है और यह संसद् दो पहियों की गाड़ी है। एक पहिया यहां बैठा है और एक पहिया गायब है तो संसद कैसे चलेगी, देश कैसे चलेगा, इसका हमें विचार करना है कि हमारा उत्तरदायित्व क्या है।

मैं बार-बार यही कहना चाहता हूं कि समाधान हो सकता है और समाधान के लिए दृष्टिकोण को जरा नरम करना आवश्यक है। अंग्रेजी में एक कहावत है और किसी ने ठीक कोट किया है :

[अनुवाद]

"अल्पसंख्यक को अपनी बात करने का पूरा अधिकार है। और ऐसा होना भी चाहिए। उन्हें इसका वैधानिक अधिकार नहीं है। लेकिन बहुसंख्यक समाज में बहुसंख्यकों को अपना मार्ग स्वयं चुनने का अधिकार है।"

[हिन्दी]

यह जरूरी है, ठीक है लेकिन फिर भी मैजोरिटी अनदेखा नहीं कर सकती। न वह हम आज करेंगे, न कल करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। मैं इसलिए चाहता हूं कि हम देखें कि आपस में हम वार्तालाप कर सकें और बात करके एक जो नया मूलभूत तत्व हमारे सामने है, उसका निराकरण करने की चेष्टा आपस में मिल जुलकर करें और यह सोचें कि लोगों ने हमें यह मौका दिया है। राजा तो मां के पेट से पैदा होता है लेकिन आज लोगों के दिये हुए वोट से हम यहां आये हैं तो हमारा यह फर्ज बनता है कि हम इस बारे में सोचें। जो कुछ सुविधायें आज हमें मिली हुई हैं। अगर मैं उनकी व्याख्या करने लग जाऊं तो कितनी सुविधाऐं लोगों ने आपको दी हैं, उनका हिसाब लगाना मुश्किल है। हमारे लिए लोगों ने क्या कुछ नहीं किया है। आपके लिए वह कितना करेंगे ? कितने सारे तो हमारे पास प्रिवलेजेज हैं, हमारे पास क्या नहीं है। हमें तनख्वाह भी मिलती है, भत्ता भी मिलता है, एयर ट्रैवल की सुविधा भी मिलती है। हम चार साल यहां रहे तो बाद में हमें पेंशन भी मिलती है। यहां काम करने वाले हमारे जो कर्मचारी भाई हैं, उनको 20-20 साल के बाद में, 25-25 साल के बाद में पेंशन मिलती है। हमें क्या नहीं मिलता है, हमें टेलीफोन की सुविधा मिलती है, इलाज की सुविधा मिलती है। फिर हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम चीजों की अनदेखी कर दें और हम इस तरीके से बैठें। अवरोध से नहीं बल्कि मिलकर काम करने से संस्था चलती है, मिलकर काम करने से संसद् चलती है, बातचीत से संसद् चलती है और बातचीत से हर एक बात का हल होता है इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं, अगर कहीं मेरी यह छोटी सी आवाज बतौर पुरानी और आज के हिसाब से अगर मैं आपके द्वारा पहुंचा सकूं तो ठीक है।

जिससे कि यह देश अपनी जगह कायम रह सके, यह संसद चल सके और संसद में विचार विमर्श हो सके। यह न हो कि एक दूसरे की मान-हानि है, इसमें मूंछ ऊंची-नीची नहीं हुआ करती है। एक उर्दू में कहावत है...

एक माननीय सदस्य : आज कल मूंछें भी साफ कर देते हैं।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : फिर भी मूंछ की बात मूंछ की ही होती है।

[अनुवाद]

श्री पी॰ सी॰ चाक्को (त्रिचूर) : महोदय, बाढ़ के संबंध में क्या हुआ ? हम बाढ़ के संबंध में अत्यंत चिंतित हैं।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : शेर है :

सर झुका के सलाम करने में कोई हर्ज नहीं है,
मगर इतना न झुका दें कि सरताज गिर पड़े।

मैं इस संबंध में इतना ही कहना चाहता हूं और यह मेरी भावनात्मक अपील है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने जो कहा है उसमें मैं कुछ जोड़ दूं डा॰ बलराम जाखड़ साहब, भूतपूर्व अध्यक्ष ने सभा में विपक्षी सदस्यों के अनुपस्थिति का उल्लेख भरे दिल से और नम आंखों से किया है। हम उनकी भावनाओं से सहमत हैं और विपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे हमारे लोकतंत्र की संसदीय व्यवस्था के हित में तथा अपने कार्यों को पूरी तत्परता और सुसंगत तरीके से पूरा करने के बाद वे कृपया इस सभा में लौट आएं ताकि इस सभा तथा व्यवस्था के सम्मान और गरिमा की वृद्धि हो तथा उनके दृष्टिकोण से इस व्यवस्था का गौरव बढ़े।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, आपने भी बड़ी कृपा की आपने अपने और हमारे विचारों को बहुत सुन्दर तरीके से प्रकट किया है।

हम सदन में तीन दिन से बाढ़ की स्थिति पर विचार कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा, सभी माननीय सदस्यों के दिल में वैसी ही पीड़ा है और उन्होंने भी अपनी बात यहां पर कही है। उन्होंने अपने विचारों के जरिए नए-नए तरीके से विधि बताई है कि क्या करना चाहिए, क्या हुआ है और क्या जरूरत है तथा आगे क्या करना चाहिए। ये सारी बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं। मैं उन सभी से सहमत हूं, जो उन्होंने कहा है, ठीक कहा है। जो तकलीफ हुई है, मैं भी महसूस करता हूं। अहमद जी यहां सदन में नहीं हैं, वे अभी यहां बैठे थे, कहने लगे कि पहले बलराम जी बहुत आया करते थे और कह रहे थे कि मोहब्बत भी बहुत है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आए। मैं उनको बताना चाहता हूं कि मेरी मोहब्बत बढ़ती है, कभी घटती नहीं है। मैंने प्यार करना सीखा है, झगड़ा करना नहीं सीखा है और मुंह मोड़ना भी नहीं सीखा है।

[अनुवाद]

श्री कोडी कुन्नली सुरेश (अडूर) : लेकिन आपने हमारे राज्य का दौरा नहीं किया है।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : मैं कभी-भी आने के लिए तैयार हूं।

आप मेरी बात सुनिए। अगर आप हिन्दुस्तान के नक्शे को मोड़ें, तो पंजाब और केरल नजदीक आ जाते हैं। मैं किसी भी समय आ सकता हूं। मैं आपको बताता हूं, मैं क्यों नहीं गया। मैंने आपके यहां 12 जुलाई को एडिशनल कमीशनर को भेजा है और वे सारी बातें पता करके आए हैं। मेरे पास सभी राज्यों की जानकारी है। हर सप्ताह मीटिंग होती है। हर तरह से मैं तालमेल रखता हूं, लेकिन कुछ सीमायें हैं, कुछ बन्दिशें हैं, कुछ मजबूरियां हैं, जिनका निराकरण होगा। प्रधान मंत्री जी की सेवा में मैंने विनती कर दी है कि इस काम में ये बाधायें हैं। मेरे ख्याल से केरल के माननीय सदस्य प्रधान मंत्री जी से मिल कर भी आए हैं। उन्होंने मुझे बताया है, उन्होंने भी उन बातों का जिक्र उनसे किया है। उनका निराकरण होगा। जब तक पीड़ा पर मैं दवा न लगा सकूं, तो मैं क्या करूंगा।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : मध्य प्रदेश में भी दवा पहुंचायेंगे।

श्री बलराम जाखड़ : मैं आपसे यही तो कह रहा हूं। दवा मेरी जेब में हो। चन्द्राकर जी, चमको यहीं मैं चाहता हूं। केवल अच्छादित न हो, मेघों से अच्छादित न हो। हमने जब स्वतन्त्रतां प्राप्त की, उसके बाद यही विचार हुआ कि किस तरह से बाढ़ पर नियन्त्रण किया जाए।

सारे जानते हैं कि बाढ़ बंद करने के लिये तटबंध चाहिये, डेम चाहिये और पर्यावरण के हिसाब से एनवायरमेंटल रिफोरेस्टेशन चाहिये तथा गांवों को ऊंचे स्थानों पर बसाना चाहिये। नदियों का पाट जो ऊपर से भर गया है उसे नीचा करना चाहिये, इन सारी बातों का पता है। जैसे कहते हैं, "घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने", यह बात ठीक है कि हर साल सैकड़ों करोड़ों रुपया लगाते हैं लेकिन कई हजार या लाख-करोड़ रुपया चाहिये तब जाकर बात बनती है। ये सारे के सारे बांध भी बनें। सारी की सारी नदियों का गहराव, उनका पाट भी ठीक तरीके से हो इस तरीके से हम कर सकते हैं मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा जो सारा एरिया है,

[अनुवाद]

भारत विश्व में सर्वाधिक बाढ़ प्रवण देशों में से है। प्रतिवर्ष औसतन लगभग 8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आता है और इसमें लगभग 3.7 मिलियन हेक्टेयर फसली क्षेत्र शामिल है। मैं कुछ सांख्यकीय आंकड़ें प्रस्तुत कर रहा हूं जो इस प्रकार हैं। 21 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रवण क्षेत्र के रूप में आंका गया है। और 32 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बनाने योग्य है। हर वर्ष औसतन 8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। प्रति वर्ष 3.7 मिलियन हेक्टेयर फसली क्षेत्र प्रभावित होता है। इस तरह एक वर्ष में 17.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को हानि पहुंचती है। वर्ष 1978 में ऐसी स्थिति रही। और प्रतिवर्ष लगभग 950 करोड़ रुपये का नुकसान होता है।

[हिन्दी]

लेकिन क्या करें ? इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी-बड़ी नदियां हैं सब कुछ है। .....(व्यवधान).....

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : आप और अधिक बांध निर्मित करें।

श्री बलराम जाखड़ : हमें इस पर विचार करना होगा। हमें इसे सिंचाई, ग्रामीण विकास, सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग, इंजीनियरिंग और बिजली बोर्ड से जोड़ना होगा। हमें एक संयुक्त योजना तैयार करने के लिए इन सभी विभागों को एक साथ रखना होगा।

[हिन्दी]

मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम में क्या हुआ ?

[अनुवाद]

वर्ष 1954 में अभूतपूर्व बाढ़ के पश्चात् राज्यों ने योजनाबद्ध तरीके से बाढ़ प्रबंधन कार्य शुरू किया। विभिन्न नदी तटों पर बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जलाशय, तटबंध, चैनल सुधार, शहर सुरक्षा और नदी के इस्तेमाल हेतु प्रशिक्षण जैसे विशिष्ट संरचनात्मक उपायों के जरिए बाढ़ को रोकने पर प्रमुख रूप से बल दिया गया था। वर्ष 1992 तक प्रमुख बाढ़ प्रबंधन कार्य के अंतर्गत 15,000 कि॰ मी॰ तटबंध का निर्माण हुआ और 32,000 कि॰ मी॰ जल निकासी पद्धति में सुधार किया गया तथा 850 शहरों की सुरक्षा की गई। परन्तु, मैं यह महसूस करता हूं कि इतना प्रयास पर्याप्त नहीं है क्योंकि ऐसी बातें कुछ इस तरह की हैं कि ये हमारे देश, जो एक विकासशील देश है, में ही नहीं अपितु यूरोप और अमरीका जैसे देशों में भी पायी जाती हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वहां इतनी व्यापक बाढ़ आई कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अतः, आप प्रकृति के साथ स्पर्धा नहीं कर सकते।

इन उपायों से 14 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को पर्याप्त सुरक्षा मिली है। इन निर्माण कार्यों पर लगभग 3150 करोड़ रुपय की लागत आयी है। यद्यपि पिछली योजनाओं के दौरान बाढ़ प्रबंधन निर्माण कार्यों पर बहुत अधिक व्यय नहीं हुआ तथापि छठीं और सातवीं योजनाओं के दौरान इसमें भारी वृद्धि की गई। इस कार्यक्रम के परिव्यय में भारी वृद्धि किए जाने के बावजूद बाढ़ के कारण हानि में वृद्धि जारी है जो कि मुख्य रूप से भारी कब्जों और अविनियमित विकास के कारण हैं।

[हिन्दी]

लोग जाते हैं, रह जाते हैं। उनको बताया जाता है कि बाढ़ आ रही है लेकिन फिर भी वे जाकर वापस आ जाते हैं।

[अनुवाद]

हम यह जानते हैं कि एक विशिष्ट ऊंचा प्लेटफार्म बनाया जाए ताकि उन्हें हमेशा हटना न पड़े। कब्जा किया जा रहा है और इन सबसे मैं अत्यधिक चिंतित हूं। देश के हरेक विवेकी व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है

कि वह इस पर विचार करें। पेड़ों की अत्यधिक कटाई हो रही है। नदियों के कारण गाद रुक जाता है और इससे बाढ़ के दौरान वह गाद सभी ओर फैल जाता है। इसके नियंत्रण के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। यह सब उसी समय किया जा सकता है जब सभी लोग एक जुट हों।

जैसा कि मात्र संरचनात्मक उपायों से हमें वांछित परिणाम नहीं मिले हैं अत: बाढ़ का पुर्वानुमान, बाढ़ क्षेत्र का निर्धारण (फ्लड प्लेन जोनिंग), बाढ़ प्रवण गावों को बाढ़ हित बनाना, और खेती की पद्धति में परिवर्तन जैसे गैर-संरचनात्मक उपायों का प्रयोग किया जाए। लागत की दृष्टि में ये उपाय अधिक किफायती हैं। हम वही कार्य करना चाहते हैं जो किफायती और प्रभावी भी हो। हमारे पास बाढ़ पुर्वानुमान नेटवर्क भी है।

6.00 म० प०

हमारे पास लगभग 157 बाढ़ पुर्वानुमान केन्द्र हैं, जिनमें 25 इनफ्लो पुर्वानुमान केन्द्र शामिल हैं, जो मानसून के दौरान राज्यों में जिला प्राधिकारियों को बाढ़ का पूर्वानुमान प्रस्तुत करते हैं और उन्हें इसकी चेतावनी देते हैं। परन्तु मैं यह चाहता हूं कि ये केन्द्र और भी विशिष्ट बनाए जाएं। मेरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से यह अपेक्षा है कि वे इस बात का पता लगायें कि क्या वे बाढ़ के बारे में लगभग आठ दिन पहले इसका पूर्वानुमान कर सकते हैं, इस समय वे केवल 24 घंटे पहले ही बाढ़ का पूर्वानुमान करने में समर्थ हैं। यह अवधि बहुत कम है। हम इस अंतराल में कुछ नहीं कर सकते हैं।

आप पंजाब का उदाहरण देखिए। कल चण्डीगढ़ में भारी वर्षा हुई। वहां सड़कों पर घुटने तक पानी भरा हुआ था। अब, हिमाचल प्रदेश का ही उदाहरण देखिए। वहां एक साथ लगभग 50 लोगों की जानें गई।

इसके बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून की बात ही देख लें। मैंने इस तरह की सभी जानकारी देखी है। इस संबंध में मेरे पास प्रत्येक राज्य की एक बहुत लम्बी सूची है। यदि आप चाहें तो मैं पूरी सूची पढ़कर सुना सकता हूं। पिछली बार 567 लोगों की जानें गई और इस बार पहले ही 608 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यह बहुत बड़ी क्षति है और यह बात दिल दहलाने वाली भी है। इस मामले में क्या किया जा सकता है ? इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं समय-समय पर आती रहती हैं। हमारे पास संसाधनों की कमी है।

तत्पश्चात् नौवां वित्त आयोग गठित हुआ। सभी राज्यों ने अपनी इच्छा प्रकट की है। उन्होंने नौवें वित्त आयोग से कुछ धनराशि आवंटित किए जाने की मांग की थी चाहे उन्हें बाढ़ अथवा सूखा अथवा कोई प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा हो अथवा नहीं। हमारे पास आपदा राहत कोष है। राज्यों को धनराशि समान किस्तों में जारी की जानी है चाहे उन्हें कोई प्राकृति आपदा का सामना करना पड़ा हो अथवा नहीं। मैंने राज्यों द्वारा पहली किस्त उपयोग हो जाने पर दूसरी किस्त जारी की और इसी तरह आगे के लिए प्रक्रिया अपनाई। इस वर्ष मैं पूरे वर्ष की राशि अग्रिम रूप से जारी करने का विचार कर रहा हूं। परन्तु, मैं और क्या कर सकता हूं, मेरे पास कुछ भी शेष नहीं बचा है। अत:, इसमें परिवर्तन करना होगा। मेरी उन सभी माननीय सदस्यों से अत्यधिक सहानुभूति है जो अधिकाधिक राशि की मांग कर रहे हैं। परन्तु, हमें इस पूरे तरीके में परिवर्तन करना होगा। इस संबंध में मैंने माननीय प्रधानमंत्री, नौवें वित्त आयोग और डा० मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री, से यह अनुरोध किया है कि वे इस पर पुनर्विचार करें। हम इस मामले में कुछ कर सकते हैं। आप कुछ मामलों को किस प्रकार निपटायेंगे।

अब, आप केरल और कर्नाटक का उदाहरण देख लीजिए। कर्नाटक और केरल को बाढ़ से नुकसान हुआ है। मैं गुजरात में सूखे के दौरान वहां गया था। मैं गुजरात का बाढ़ के दौरान भी दौरा कर चुका हूं। वहां मैं भीषण धूप में लोगों के साथ बैठा था जब वे 50 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में कार्य कर रहे थे। वहां निर्धन बच्चे सूखी रोटी और भाजी खाकर काम कर रहे थे। मैंने उन लोगों के साथ खाना भी खाया। और हम क्या कर सकते हैं ? हम तो केवल बेहतर प्रबंधन के लिए योजना तैयार कर सकते हैं। सरकार तो केवल यही प्रयास कर सकती है कि लोग हर स्थिति में आत्म निर्भर रहे। अब केवल यही प्रश्न रह गया है कि जो खो गया सो खो गया। यह हमारी पकड़ से बाहर है। बाढ़ आती है युद्ध भी होते हैं। अतः, हम केवल यही कर सकते हैं कि हम लोगों को यह महसूस करा सकें कि वे आत्म निर्भर हो सकते हैं। मेरी उनके साथ प्रतिदिन बातचीत और साप्ताहिक बैठक होती थी और उस दौरान मैं उन लोगों से यह पूछता था कि उन्हें कौन-सी दवाइयां चाहिए और इसी तरह की अन्य बातें होती थी। मैंने इस संबंध में सभी मंत्रालयों को पहले ही पत्र लिखे हैं। मैंने इस संबंध में बिजली बोर्डों को भी पत्र लिखा है। मैंने सभी विभागों से इन लोगों की देखभाल करने के लिए कह दिया है। हमारें मन में कुछ विचार हैं। हमारे पास लोगों की सहायता के लिए अन्य योजनाएं है। जवाहर रोजगार योजना भी इन में से एक है। वर्ष 1994 के दौरान हमने राज्यों को कुल 1390 करोड़ रुपये की रांश जारी की है। इसमें राज्यों का हिस्सा और पिछले वर्ष का बकाया शामिल है। राज्यों के पास 1.4.94 को 2833 करोड़ रुपये की राशि थी और उन्होंने इस बीच केवल 410 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। यदि वे कम से कम 50 प्रतिशत राशि खर्च कर देते तो मैं उन्हें दूसरी किस्त जारी कर देता। उनके पास अभी भी 2423 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पड़ी हुई है।

वे इस राशि को निर्धन लोगों को रोजगार, आदि प्रदान करने तथा उनकी सहायता करने के लिए खर्च कर सकते हैं। मैंने उनको यह समझा दिया है कि यदि वे किसी एक जिले का विस्तृत आंकड़ा प्रस्तुत करेंगे जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई राशि का 50 प्रतिशत से अधिक खर्च किया गया हो तो मैं ऐसे जिले के लिए दूसरी किस्त भी जारी करने के लिए तैयार हूं।

फिर इंदिरा विकास योजना है। उसके बाद त्वरित जल आपूर्ति योजना भी है। यह सभी योजनाएं इसमें सहायक होंगी। लेकिन मुख्य बात यह है कि इन सब के अलावा वास्तविक अनुदान भी दिया जाना है। नौवे वित्त आयोग के अनुसार सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिए जाने की स्थिति में निर्धारित सीमा तक ही अनुदान राशि दी जा सकती है। वह अधिकतम सीमा है; लक्ष्मण रेखा है। इस बारे में क्या होगा ?

मैंने यहां माननीय साथियों से कहा है कि जो कुछ भी हो सकता है वह मैं करूंगा। मैंने खाद्य समस्या के निदान हेतु उर्वरकों का प्रबंध कर दिया है, मैंने उनके लिए बीज का भी प्रबंध किया है। यदि और भी कुछ आवश्यक है तो मैं उसे भी करूंगा। इस स्थिति में सरकार सारा प्रबंध करेगी। लेकिन जहां तक रुपयों का प्रबंध करने का सवाल है वह केन्द्र सरकार की सलाह से किया जाएगा। इस समय राशि उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमें इस स्थिति से निपटना है।

आपने भी अनुरोध किया है। मुझे प्रधान मंत्री जी से भी नोट प्राप्त हुए हैं। वे इस समस्या से निपटने के संबंध में विचार कर रहे हैं।

मैं समझता हूं कि इससे सभी माननीय सदस्यों को संतुष्टि हो जानी चाहिए। अब कृषि के क्षेत्र में जो कुछ भी किया जाना शेष है, मैं तथा मेरा मंत्रालय इस संबंध में हमेशा उनकी भरसक सहायता करेंगे। इस संबंध में कहीं कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन (मवेलीकारा) : हम माननीय मंत्री जी की निष्ठा की प्रशंसा करते हैं और साथ ही कृषि मंत्रालय की विवशता को भी समझते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि प्राकृतिक आपदा सहायता नियमों के अन्तर्गत आवंटित की गई राशि स्थिति से निपटने हेतु बिल्कुल ही अपर्याप्त है।

यदि सरकार इसे दसवें वित्त आयोग के समक्ष भी भेजती है तब भी इस समस्या का समाधान नहीं होगा। हमलोग प्रधान मंत्री जी से भी मिले थे। उन्होंने हमसे पूरी सहानभूति जताई। मैं अपने सभी साथियों की तरफ से माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से यह अनुरोध करता हूं कि वे वित्त मंत्री को अपने स्वविवेक के आधार पर दिए जाने वाले कोष में से कुछ राशि देने के लिए निर्देश दें। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमलोग आपकी सहानुभूति एवं हस्तक्षेप के लिए अनुरोध करते हैं। वित्त मंत्री के पास स्वविवेक के आधार पर दिए जाने वाला कोष है। इस अति कठिन परिस्थिति का सामना करने हेतु इसमें से कुछ राशि कृषि मंत्रालय को दी जानी चाहिए।

आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं, आपको हमारी रक्षा करनी है। हमलोग लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, लेकिन आप हमारे अधिकारों एवं प्रजातंत्र के संरक्षक हैं। आपने खाली बेंचों के बारे में कुछ टिप्पणी की। महोदय, हम सब ने आपका समर्थन किया। हम चाहते हैं कि मैं आपसे पुन: अनुरोध करता हूं कि आप कृपा कर वित्त मंत्री से कृषि मंत्रालय को कुछ राशि देने के लिए कहें ताकि हम इस कठिन परिस्थिति का सामना कर सकें।

.....(व्यवधान).....

एक माननीय सदस्य : मैं उनसे सहमत हूं। मध्य प्रदेश के लिए हम लोगों ने 200 करोड़ रुपए की मांग की थी लेकिन केवल 14 करोड़ रुपए दिए गए; यह उस राशि का 10 प्रतिशत भी नहीं है।

.....(व्यवधान).....

श्री बलराम जाखड़ : मृतकों के परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से पचास-पचास हजार रुपए दिए जाएंगे।

श्री पी॰ सी॰ चाक्को : पूरे देश में मृतकों की संख्या 806 है जिस में से 143 केरल में मरे हैं। प्रधान मंत्री राहत कोष से कम से कम 1 लाख रुपए दिए जाने चाहिए। इतनी राशि भी नहीं दी जा रही है।

श्री बलराम जाखड़ : ऐसा किया जाएगा। पचास हजार रुपए दिए जा रहे हैं।

श्री पी॰ सी॰ थामस (मुवत्तुपुझा) : हम इस संबंध में माननीय मंत्री जी को सदन में वक्तव्य देने का अनुरोध करते हैं।

[हिन्दी]

श्री उत्तमराव देवराव पाटील (यवतमाल) : राज्य सरकार जो राहत लोगों को घर या गांव बसाने के लिये देती है उसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का कितना हिस्सा रहता है ?

[अनुवाद]

श्री बलराम जाखड़ : इसमें तीन चौथाई हिस्सा केन्द्र का तथा एक चौथाई हिस्सा राज्य का है। प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व है कि वह इसे करे। मुख्य सचिव समिति के अध्यक्ष होंगे और उनका काम यह देखना है कि धनराशि कहां व कैसे खर्च की जाये। तथा इसमें कोई भ्रष्टाचार न हो। सरकार के पास इसके लिए कोई एजेन्सी नहीं है, यह राज्य सरकारों का काम है। .....(व्यवधान).....

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास : इस समय वहां पर चावल की जरूरत है लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत तो दवाइयों की है। कम से कम दवाइयां तो दीजिये।

बलराम जाखड़ : दवाइयां तो भेज देंगे, इसकी चिन्ता मत करिये।

[अनुवाद]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : क्या आपने समस्या के स्थाई समाधान हेतु समिति का गठन किया है ?

श्री बलराम जाखड़ : जैसा मैंने आपको बताया कि यह निर्णय चार मंत्रालयों द्वारा इकट्ठे लिया जाना है। सिंचाई विभाग प्रमुख मंत्रालय है।

अब इसमें ब्रह्मपुत्र तथा नेपाल से होकर बहने वाली नदियों का मामला भी जुड़ा है, ये अन्तर्राष्ट्रीय नदियां हैं, सभी एजेन्सियों तथा इन दो राज्यों को इस समस्या का समाधान करना है .....(व्यवधान).....

श्री ए॰ चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, नौवें वित्त आयोग के अनुसार यदि प्राकृतिक आपदा अभूतपूर्व है तो सरकार को इस पर अलग से विचार करना चाहिए।

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि यह आपदा अभूतपूर्व है, अत: इस प्रावधान के अन्तर्गत बाढ़ द्वारा बुरी तरह से प्रभावित राज्य के लिए विशेष विचार किया जाना चाहिए और केरल को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। .....(व्यवधान).....

श्री पी॰ सी॰ चाक्को : महोदय, अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। इस आपदा के लिए 20 करोड़ रुपयों की राशि निर्धारित की गई है, लेकिन अनुमानित हानि 500 करोड़ रुपयों की है। महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि तीन दिनों की बहस के बावजूद भी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए।

......(व्यवधान).....

श्री ओस्कार फर्नान्डीज (उदीपी) : महोदय, कृषि मंत्री ने कहा है कि यह एक राष्ट्रीय आपदा है। अब इस संबंध में सदन को विचार करके निर्णय लेना है .....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : हम उन सदस्यों तथा देश के उन सभी भागों के लोगों के साथ हैं जहां यह आपदा आई है। हमें आशा है कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारें इस स्थिति का सामना करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान के अन्तर्गत ऐसे प्रावधान नहीं हैं जिनके अन्तर्गत अध्यक्ष सरकार को इन मामलों में कोई निर्देश दे। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी और हम सब की भावनाओं का ख्याल संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा और मंत्रालय उचित कार्यवाही करेगी।

अब सदन की कार्यवाही कल 5 अगस्त 1994, 11 बजे म॰ पू॰ तक के लिए स्थगित की जाती है।

[illegible].14 म॰ प॰

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार 5 अगस्त 1994/14 श्रावण 1916 शक के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस०—48/33/8/94 (एन०)
250

© 1994 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक, सनलाईट प्रिंटर्स, 2265 डा० सेन मार्ग, दिल्ली-11006 द्वारा मुद्रित ।